बहारे शरीअ़त

11 से 20

मुसन्निफ़

सदरुश्शरीअ़ह मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त

नौ मीनार मस्जिद

[illegible] पुराना शहर बरेली

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

बारहवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़

सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारूल इशाअ़त

मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53

Mob:–9219132423

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

किफ़ालत का बयान

इस्तिलाहे शरअ़ में किफ़ालत के मअ़ना यह हैं कि एक शख़्स अपने ज़िम्मा को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबा में ज़म कर दे यानी मुतालबा एक शख़्स के ज़िम्मे था दूसरे ने भी मुतालबा अपने ज़िम्मे ले लिया ख़्वाह वह मुतालबा नफ़्स (किसी शख़्स को हाज़िर करने) का हो या दैन (क़र्ज़) का या ऐन का। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार, स.249, जि.4)

जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफ़ूल लहू कहते हैं और जिसपर मुतालबा है वह असील व मकफ़ूल अ़न्हु है और जिसने ज़िम्मेदारी की वह कफ़ील है और जिस चीज की किफ़ालत की वह मकफ़ूल बिही है। (दुर्रेमुख़्तार स. 252)

मसअ्ला.1:– जिस मुद्दई को डर हो कि मालूम नही माल वसूल होगा या न होगा और जिस मुद्दा अलैह को यह अन्देशा हो कि कहीं हिरासत में न लिया जाऊँ इन दोनों को अन्देशा से बचाने के लिये किफ़ालत करना महमूद व हसन (अच्छा) है और अगर कफ़ील यह समझता हो कि मुझे खुद हासिल होगी तो उससे बचना ही एहतियात है तौरेत मुक़द्दस में है कि किफ़ालत की इब्तिदा मलामत है और औसत नदामत है और आख़िर ग़रामत है यानी ज़ामिन होते ही खुद उस नफ़्स का या दूसरे लोग मलामत करेंगे और जब उससे मुतालबा होने लगा तो शर्मिन्दा होना पड़ता है और आख़िर यह कि गिरह से देना पड़ता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, स. 253 जि. 4)

किफ़ालत का जवाज़ और उसकी मशरूईयत क़ुर्आन व हदीस़ से साबित है और उसके जवाज़ पर इजमाअ़ मुनअक़िद है क़ुर्आन मजीद सुरा–ए–यूसुफ़ में है ﴿وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ﴾ "मैं उसका कफ़ील व ज़ामिन हूँ" हदीस में है जिसको अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कफ़ील ज़ामिन है एक मुआ़मला में हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की किफ़ालत की थी। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.2:– किफ़ालत के लिये अलफ़ाज़ मख़सूस हैं जो बयान किये जायेंगे और उसका रुक्न ईजाब व क़बूल है यानी एक शख़्स अलफ़ाज़े किफ़ालत से ईजाब करे दूसरा क़बूल करे। तन्हा कफ़ील के कह देने से किफ़ालत नहीं हो सकती जब तक मकफ़ूल लहु (जिसका मुतालबा है) या अजनबी शख़्स ने क़बूल न किया हो। यह भी हो सकता है कि मकफ़ुल लहु या अजनबी ने किसी से कहा कि तुम फ़ुलाँ की किफ़ालत करलो उसने किफ़ालत करली यह किफ़ालत सहीह है क़बूल की इस सूरत में ज़रूरत नहीं। और अगर कफ़ील ने किफ़ालत की और मकफ़ूल लहु वहाँ मौजूद नहीं है कि क़बूल या रद करता तो यह किफ़ालत मकफ़ुल लहु की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है जब ख़बर पहुँची उसने क़बूल करली किफ़ालत सहीह होगई और जब तक मकफ़ुल लहु ने इजाज़त न की हो कफ़ील किफ़ालत से दस्त'बर्दार हो सकता है। (आलमगीरी स.134 जि.4)

मसअ्ला.3:– मकफ़ुल अ़न्हु का क़बूल करना या उसके कहने से किसी शख़्स का किफ़ालत करना काफ़ी नहीं मस्लन उसने किसी से कहा मेरी किफ़ालत करलो उसने किफ़ालत करली या उसने खुद ही कहा कि मैं फ़ुलाँ शख़्स की तरफ़ से कफ़ील होता हूँ और मकफ़ूल अ़न्हु ने कहा मैंने क़बूल किया यह किफ़ालत सहीह नहीं। (आलमगीरी स.134)

मसअ्ला.4:– मरीज़ ने अपने वुरसा से कहा फ़ुलाँ शख़्स का मेरे ज़िम्मे यह मुतालबा है तुम ज़ामिन होजाओ वुरसा ने किफ़ालत करली यह किफ़ालत दुरुस्त है अगर्चे मकफ़ूल अ़न्हु ने क़बूल न किया हो बल्कि वहाँ मौजूद भी न हो मरीज़ के मरने के बाद वुरसा से मुतालबा होगा मगर मय्यित ने तर्का न छोड़ा हो तो वुरसा अदा करने पर मजबूर नहीं किये जा सकते। (आलमगीरी,134)

मसअ्ला.5:– मरीज़ ने किसी अजनबी शख़्स को अपना ज़ामिन बनाया वह ज़ामिन होगया अगर्चे

मकफूल लहु मौजूद नहीं है कि उसकी किफ़ालत को क़बूल करे यह किफ़ालत भी दुरुस्त है लिहाज़ा उस अजनबी ने दैन अदा कर दिया तो उसके तर्का से वसूल कर सकता है। (आलमगीरी स. 134)

मसअ्ला.6:– मरीज़ ने वुरसा से ज़मानत को नहीं कहा बल्कि खुद वुरसा ने मरीज़ से कहा कि लोगों के जो कुछ दुयून(कर्ज़े)तुम्हारे ज़िम्मे हैं हम ज़ामिन हैं और क़र्ज़ख्वाह वहाँ मौजूद नहीं हैं कि क़बूल करते यह किफ़ालत सहीह नहीं और उसके मरने के बाद वुरसा ने किफ़ालत की तो सहीह है(खानिया)

मसअ्ला.7:– मकफूल बिही (जिस चीज़ की किफ़ालत की) कभी नफ़्स होता है कभी माल, नफ़्स की किफ़ालत का मतलब यह है कि उस शख़्स को जिसकी किफ़ालत की हाज़िर लाये, जिस तरह आज कल भी कचहरियों में होता है कि मुद्दा अ़लैह से कफील तलब किया जाता है जो उस अम्र का ज़िम्मेदार होता है उस पर लाज़िम है कि तारीख़ पर हाज़िर लाये और न लाये तो खुद उसे हिरासत में रखते हैं।

किफ़ालत के शराइत

किफ़ालत के शराइत हस्बे ज़ैल हैं। **(1) कफ़ील का आ़क़िल होना (2) बालिग़ होना,** मजनून या ना'बालिग़ ने किफ़ालत की सहीह नहीं मगर जब्कि वली ने ना'बालिग़ के लिये क़र्ज़ लिया और ना'बालिग़ से कह दिया कि कि तुम इस माल की किफ़ालत करलो उसने किफ़ालत करली यह किफ़ालत सहीह है और इस किफ़ालत का मतलब यह होगा कि नाबालिग़ को माल अदा करने की इजाज़त है और इस सूरत में उस बच्चे से दैन का मुतालबा हो सकता है और किफ़ालत न करता तो सिर्फ़ वली से मुतालबा होता, वली ने ना'बालिग़ को किफ़ालते नफ़्स का हुक्म दिया उसने किफ़ालत कर ली यह सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार स.351, आलमगीरी 134)

मसअ्ला.8:– ना'बालिग़ ने किफ़ालत की और बालिग़ होने के बाद किफ़ालत का इक़रार करता है तो उससे मुतालबा नहीं हो सकता और अगर बादे बूलूग़ उसमें और तालिब में इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ यह कहता है मैंने नाबालिग़ी में किफ़ालत की थी और तालिब कहता है कि बालिग़ होने के बाद किफ़ालत की है तो नाबालिग़ का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी) **(3) आज़ाद होना** यह शर्ते निफ़ाज़ है यानी अगर ग़ुलाम ने किफ़ालत की तो जब तक आज़ाद न हो उससे मुतालबा नहीं हो सकता अगर्चे वह ऐसा ग़ुलाम हो जिसको तिजारत करने की इजाज़त हो हाँ जब वह आज़ाद होगया तो उसकी किफ़ालत की वजह से जो ग़ुलामी की हालत में की थी उससे मुतालबा हो सकता है और अगर मौला (आक़ा,मालिक) ने उसे किफ़ालत की इजाज़त देदी तो उसकी किफ़ालत सहीह और नाफ़िज़ है जब्कि मदयून न हो। (दुर्रेमुख़्तार स.252, आलमगीरी स.134) **(4) मरीज़ न होना** यानी जो शख़्स मर्ज़ुलमौत में हो और सुलुस् माल (तिहाई माल) से ज़्यादा की किफ़ालत करे तो सहीह नहीं यूँही अगर उस पर इतना दैन हो जो उसके तर्का को मुहीत (उसकी तमाम मीरास को घेरे हुए हो यानी जितनी उसकी मीरास है उतना या उससे ज़्यादा क़र्ज़ हो(अमीनुल क़ादरी)) हो तो बिलकूल किफ़ालत नहीं कर सकता मरीज़ ने वारिस के लिये या वारिस की तरफ़ से किफ़ालत की यह मुतलक़न सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.4 स.252)

मसअ्ला.9:– अगर मरीज़ पर ब'ज़ाहिर दैन न था उसने किसी की किफ़ालत की थी फिर यह इक़रार करे कि मुझपर इतना दैन है जो कुल माल को मुहीत है फिर मरगया उसका माल मुक़िर लहू (जिसके लिये इक़रार किया) को मिलेगा मकफुल लहू को नहीं मिलेगा और अगर इतने माल का इक़रार किया है जो कुल माल को मुहीत नहीं है और दैन निकालने के बाद जो बचा किफ़ालत की रक़म उसकी तिहाई तक है यह किफ़ालत दुरुस्त है और अगर किफ़ालत की रक़म तिहाई से ज़्यादा है तो तिहाई की क़दरे किफ़ालत सहीह है। (रद्दुलमुहतार स.252 जि.4)

मसअ्ला.10:– मरीज़ ने हालते मर्ज़ में यह इक़रार किया कि मैंने सेहत में किफ़ालत की है यह उसके पूरे माल में सहीह है बशर्ते कि यह किफ़ालत न वारिस के लिये हो न वारिस की तरफ़ से हो। (रद्दुलमुहतार स. 252) **(5)मकफूल बिही मक़दूरुत्तसलीम हो** यानी जिस चीज़ की किफ़ालत की उस को अदा करने पर क़ादिर हो, हुदूद व क़िसास की किफ़ालत नहीं हो सकती, जिस पर हद वाजिब

हो उसके नफ़्स की किफ़ालत हो सकती है जब कि उस हद में बन्दों का हक़ हो यूँही मय्यित की किफ़ालत बिन्नफ़्स (किसी शख़्स को हाज़िर करने की किफ़ालत) नहीं हो सकती क्योंकि जब वह मर चुका था तो हाज़िर क्योंकर कर सकता है बल्कि अगर ज़िन्दगी में किफ़ालत की थी फिर मरगया तो किफ़ालत बिन्नफ़्स बातिल होगई कि वह रहा ही नहीं जिसकी किफ़ालत की थी। **(6)दैन की किफ़ालत की तो वह दैन सहीह** हो यानी बिग़ैर अदा किये या मुद्दई के मुआफ़ किये वह साक़ित न होसके बदले किताबत की किफ़ालत नहीं हो सकती कि यह दैन सहीह नहीं यूँही ज़ौजा के नफ़्क़ा की किफ़ालत नहीं हो सकती जब तक क़ाज़ी ने उसका हुक्म न दिया हो कि यह दैन सहीह नहीं। **(7)वह दैन क़ाइम हो,** लिहाज़ा जो मुफ़्लिस मरा और तर्का नहीं छोड़ा उसपर जो दैन है क़ाबिले किफ़ालत नहीं कि ऐसे दैन का दुनिया में मुतालबा ही नहीं हो सकता यह दैन क़ाइम न रहा(दुर्रेमुख़्तार)

किफ़ालत के अलफ़ाज़

मसअ्ला.11:– किफ़ालत ऐसे अलफ़ाज़ से होती है जिन से कफ़ील का ज़िम्मेदार होना समझा जाता हो मसलन खुद लफ़्ज़े किफ़ालत ज़मानत, यह मुझ पर है मेरी तरफ़ है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, यह मुझपर है कि उसको तुम्हारे पास लाऊँ, फ़ुलाँ शख़्स मेरी पहचान का है, यह किफ़ालत बिन्नफ़्स है(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– तुम्हारा जो कुछ फ़ुलाँ पर है मैं दूँगा यह किफ़ालत नहीं बल्कि वअ्दा है तुम्हारा जो दैन फ़ुलाँ पर है मैं दूँगा, मैं अदा करूँगा, यह किफ़ालत नहीं जब तक यह न कहे कि मैं ज़ामिन हूँ या वह मुझपर है। (आलमगीरी स.135)

मसअ्ला.13:– यह कहा कि जो कुछ तुम्हारा फ़ुलाँ पर है मैं उसका ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह है या यह कहा जो कुछ तुमको इस बैअ् में पहुँचेगा मैं उसका ज़ामिन हूँ यानी यह कि मबीअ् में अगर दूसरे का हक़ साबित हो तो समन का मैं ज़िम्मेदार हूँ यह किफ़ालत भी सहीह है उसको ज़मानुद्दर्क कहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार 264)

मसअ्ला.14:– किफ़ालत बिन्नफ़्स में यह कहना होगा कि उसके नफ़्स का ज़ामिन हूँ या ऐसे अज़ू (हिस्से) को ज़िक्र करे जो कुल की ताबीर होता है मस्लन गर्दन, जुज़ व शायेअ्, निस्फ़, व रुब्अ् की तरफ़ इज़ाफ़त करने से भी किफ़ालत हो जाती है। अगर यह कहा उसकी शनाख़्त मेरे ज़िम्मे है तो किफ़ालत न हुई। (दुर्रेमुख़्तार,253)

किफ़ालत का हुक्म

मसअ्ला.15:– किफ़ालत का हुक्म यह है कि असील की तरफ़ से उसने जिस चीज़ की किफ़ालत की है उसका मुतालबा उसके ज़िम्मे लाज़िम होगया यानी तालिब के लिये हक्के मुतालबा साबित हो गया वह जब चाहे उससे मुतालबा कर सकता है उसको इनकार की गुन्ज़ाइश नहीं, यह ज़रूरी नहीं कि उससे मुतालबा उसी वक़्त करे जब असील से मुतालबा न कर सके बल्कि असील से मुतालबा कर सकता हो जब भी कफ़ील से मुतालबा कर सकता है। और असील (जिस पर मुतालबा है) से मुतालबा शुरू कर दिया जब भी कफ़ील से मुतालबा कर सकता है हाँ अगर असील से उसने अपना हक़ वसूल कर लिया तो किफ़ालत ख़त्म होगई अब कफ़ील बरी होगया मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार 251)

मसअ्ला.16:– मैंने फ़ुलाँ की किफ़ालत की आज से एक माह तक तो एक माह के बाद कफ़ील (किफ़ालत करने वाला) बरी हो जायेगा मुतालबा नहीं हो सकता और फ़क़त इतना ही कहा कि एक माह कफ़ील हूँ यह न कहा कि आज से जब भी उर्फ़ यही है कि एक माह की तहदीद है उसके बाद कफ़ील से तअ्ल्लुक़ न रहा। (रद्दुलमुहतार 255)

मसअ्ला.17:– कफ़ील ने यूँ किफ़ालत की कि जब तू तलब करेगा तो एक माह की मुद्दत मेरे लिये होगी यह किफ़ालत सहीह है और वक़्ते तलब से एक माह की मुद्दत होगी और मुद्दत पूरी होने पर तस्लीम करना लाज़िम है अब दोबारा मुद्दत न होगी। (दुर्रे मुख़्तार 255)

मसअ्ला.18:– इस शर्त पर किफ़ालत की कि मुझको तीन दिन या दस दिन का ख़ियार है

किफ़ालत सहीह है और ख़ियार भी सहीह यानी जिस मुद्दत तक ख़ियार लिया है उसके बाद मुतालबा होगा और अनदुरूने मुद्दत उसको इख़्तियार है कि किफ़ालत को ख़त्म कर दे।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा.256)

मसअ्ला.19:— कफ़ील ने वक़्त मुअय्यन कर दिया है कि मैं फ़ुलाँ वक़्त उसको हाज़िर लाऊँगा और तालिब ने तलब किया तो उस वक़्ते मुअय्यन पर हाज़िर लाना ज़रूर है अगर हाज़िर लाया फ़बिहा (तो ठीक) वरना खुद उस कफ़ील को क़ैद कर दिया जायेगा यह उस सूरत में है जब हाज़िर करने में उसने खुद कोताही की हो और अगर मालूम हो कि उसकी जानिब से कोताही नहीं है तो इब्तिदाअन क़ैद न किया जाये बल्कि उसको इतना मौक़ा दिया जाये कि कोशिश करके लाये।(आलमगीरी स.136 दुर्रे मुख़्तार स. 256)

मसअ्ला.20:— किफ़ालत बिन्नफ़्स (जान की किफ़ालत) की थी और वह शख़्स ग़ायब होगया कहीं चला गया तो कफ़ील को इतने दिनों की मोहलत दी जायेगी कि वहाँ जाकर लाये और मुद्दत पूरी होने पर भी न लाया तो क़ाज़ी कफ़ील को हब्स (क़ैद) करेगा और अगर यह मालूम न हो कि वह कहाँ गया तो कफ़ील को छोड़ दिया जायेगा जब कि तालिब भी इस बात को मानता हो कि वह लापता है और अगर तालिब गवाहों से साबित करदे कि वह फ़ुलाँ जगह है तो कफ़ील मजबूर किया जायेगा कि वहाँ से जाकर लाये। (आलमगीरी स.136 दुर्रेमुख़्तार स.256)

मसअ्ला.21:— जो यह कहा गया कि कफ़ील उसको वहाँ से जाकर लाये अगर यह अन्देशा (डर ख़ौफ़) हो कि कफ़ील भी भाग जायेगा तो तालिब को यह हक़ होगा कि कफ़ील से ज़ामिन तलब करे और कफ़ील को इस सूरत में ज़ामिन देना होगा। (आलमगीरी स.136)

मसअ्ला.22:— किफ़ालत बिन्नफ़्स में अगर मकफ़ूल बिही मरगया किफ़ालत बातिल होगई यूँही अगर कफ़ील मरगया जब भी किफ़ालत बातिल होगई उसके वुरसा से मुतालबा नहीं हो सकता तालिब के मरने से किफ़ालत बातिल नहीं होती उसके वुरसा या वसी कफ़ील से मुतालबा कर सकते हैं कफ़ील ने मुद्दाअ़लैह को मुद्दई के पास हाज़िर कर दिया तो किफ़ालत से बरी होगया मगर शर्त यह है कि ऐसी जगह हाज़िर लाया हो जहाँ मुद्दई को मुक़द्दमा पेश करने का मौक़ा हो यानी जहाँ हाकिम रहता हो यानी उस शहर में हाज़िर लाना होगा दूसरे शहर या जंगल या गाँव में उसके पास हाज़िर लाना काफ़ी नहीं, कफ़ील के बरी होने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि ज़मानत के वक़्त यह शर्त करे कि जब मैं हाज़िर लाऊँ बरी हो जाऊँगा यानी बिग़ैर इस शर्त के भी हाज़िर कर देने से बरी हो जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार स.257)

मसअ्ला.23:— कफ़ील की बराअ़त (छुटकारा) के लिये यह ज़रूरी नहीं कि जब हाज़िर करदे तो मकफ़ुल लहू क़बूल करले वह इनकार करता रहे और यह कहे कि इसे दूसरे वक़्त लाना जब भी कफ़ील बरीउज़्ज़िम्मा होगया, कफ़ील के ज़िम्मा सिर्फ़ एक बार हाज़िर कर देना है हाँ अगर ऐसे लफ़्ज़ से किफ़ालत की हो जिससे उ़मूम समझा जाता हो मस्लन यह कि जब कभी तू उसको तलब करेगा मैं हाज़िर लाऊँगा तो एक मरतबा के हाज़िर करने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा।(दुर्रेमुख़्तार 257)

मसअ्ला.24:— किफ़ालत में शर्त करदी है कि मज्लिसे क़ाज़ी में हाज़िर करेगा अब दूसरी जगह मुद्दई के पास हाज़िर लाना काफ़ी नहीं हाँ अमीरे शहर के पास हाज़िर कर दिया या अमीर के पास हाज़िर करने की शर्त की थी और क़ाज़ी के पास लाया या दूसरे क़ाज़ी के पास लाया यह काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार स.257)

मसअ्ला.25:— मतलूब (मुद्दा अ़लैह) ने खुद अपने को हाज़िर कर दिया कफ़ील बरी होगया जब कि उसने मतलूब के कहने से किफ़ालत की हो और अगर बिग़ैर कहे अपने आप ही किफ़ालत करली तो उसके खुद हाज़िर होने से कफ़ील बरी न हुआ, कफ़ील के वकील या क़ासिद ने हाज़िर कर दिया कफ़ील बरी होगया मगर इन तीनों में यानी खुद हाज़िर होगया या वकील या क़ासिद ने हाज़िर कर दिया शर्त यह है कि वह कहे कि मैं ब मुक़तज़ा—ए—किफ़ालत हाज़िर हुआ या कफ़ील की तरफ़ से पेश करता हूँ और अगर यह ज़ाहिर न किया तो कफ़ील बरीउज़्ज़िम्मा न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार स.258, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:— किसी अजनबी शख़्स ने जो कफ़ील की तरफ़ से मामूर नहीं है मतलूब को पेश कर

दिया और कह दिया कि कफ़ील की तरफ़ से पेश करता हूँ अगर तालिब ने मन्जूर करलिया कफ़ील बरी होगया वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– कफ़ील ने यूँ किफ़ालत की कि अगर मैं कल उसको हाज़िर न लाया तो जो माल उसके ज़िम्मे है मैं उसका ज़ामिन हूँ और बावजूद कुदरत उसने हाज़िर न किया तो माल का ज़ामिन होगया उससे माल वसूल किया जायेगा और अगर मतलूब बीमार होगया या कैद कर दिया गया या उसका पता नहीं है कि कहाँ है इन वुजूह से कफ़ील ने हाज़िर नहीं किया तो माल का ज़ामिन नहीं हुआ और अगर मतलूब मरगया या मजनून होगया इस वजह से नहीं हाज़िर कर सका तो ज़ामिन है और अगर सूरते मज़कूरा में खुद तालिब मरगया तो उसके वुरसा उसके काइम मकाम हैं और अगर कफ़ील मरगया तो उसके वुरसा से मुतालबा होगा यानी उस वक़्त तक वारिस ने उसको हाज़िर कर दिया बरी होगया वरना वारिस पर लाज़िम होगा कि कफ़ील के तर्का से दैन अदा करे।(दुर्रेमुख़्तार स.258 रद्दुलमुहतार स.259)

मसअ्ला.28:– कफ़ील ने यह कहा था कि अगर कल फुलाँ जगह उसको तुम्हारे पास न लाऊँ तो माल का मैं ज़ामिन हूँ कफ़ील उसे लाया मगर तालिब को नहीं पाया और उसपर लोगों को गवाह कर लिया तो कफ़ील दोनों किफ़ालतों (किफ़ालते नफ़्स और किफ़ालते माल) से बरी होगया, और अगर सूरते मज़कूरा में तालिब व कफ़ील में इख़्तिलाफ़ हुआ तालिब कहता है तुम उसे नहीं लाये कफ़ील कहता है मैं लाया तुम नहीं मिले और गवाह किसी के पास न हों तो तालिब का कौल मोअ्तबर है यानी कफ़ील के ज़िम्मा माल लाज़िम होगया और अगर कफ़ील ने गवाहों से साबित कर दिया कि उसे लाया था तो कफ़ील बरी होगया। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.29:– कफ़ील मतलूब को लाया मगर खुद तालिब छुप गया इस सूरत में क़ाज़ी उसकी तरफ़ से किसी को वकील मुकर्रर कर देगा कफ़ील उस वकील को सिपुर्द कर देगा, इसी तरह मुश्तरी को ख़ियार था और बाइअ् गाइब होगया या किसी ने क़सम खाई थी कि आज मैं अपना क़र्ज़ अदा करूँगा और क़र्ज़ ख़्वाह ग़ायब होगया या किसी ने औरत से कहा था अगर तेरा नफ़्क़ा तुझको आज न पहुँचे तो तुझे तलाक़ दे लेने का इख़्तियार है और औरत कहीं छुपगई इस सब सूरतों में क़ाज़ी उनकी तरफ़ से वकील मुकर्रर कर देगा और वकील के फ़ेअ्ल मुअक्किल का फ़ेअ्ल होगा। (रद्दुलमुहतार, 260)

मसअ्ला.30:– क़ाज़ी या उसके अमीन ने मुद्दा अ़लैह से कफ़ील तलब किया जो उसके हाज़िर लाने का ज़ामिन हो मुद्दई के कहने से कफ़ील तलब किया हो या बिग़ैर कहे कफ़ील पर लाज़िम होगा कि मुद्दा अ़लैह को क़ाज़ी के पास हाज़िर लाये मुद्दई के पास लाने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा हाँ अगर क़ाज़ी ने यह कह दिया हो कि मुद्दई तुम से कफ़ील तलब करता है तुम उसको कफ़ील दो तो अब मुद्दई के पास लाना होगा क़ाज़ी के पास लाने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.31:– तालिब ने किसी को वकील किया कि मतलूब से ज़ामिन ले उसकी दो सूरतें हैं वकील ने किफ़ालत की अपनी तरफ़ निस्बत की या मुअक्किल की तरफ़, अगर अपनी तरफ़ निस्बत की तो कफ़ील से मुतालबा खुद वकील करेगा और मुअक्किल की तरफ़ निस्बत की तो मुअक्किल के लिये हक्के मुतालबा है मगर कफ़ील ने अगर मुअक्किल के पास मतलूब को पेश कर दिया तो दोनों सूरतों में बरीउज़्ज़िम्मा होगया और वकील के पास हाज़िर लाया तो पहली सूरत में बरी होगा दुसरी सूरत में नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स की किफालत चन्द शख़्सों ने की अगर यह एक किफ़ालत हो तो उनमें किसी एक का हाज़िर लाना काफ़ी है सब बरी होगये और अगर मुतफ़र्रिक़ तौर पर सब ने किफ़ालत की है तो एक का हाज़िर लाना काफ़ी नहीं यानी यह बरी होगया दुसरे बरी न हुए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– किफ़ालत सहीह होने के लिये यह शर्त नहीं कि वक़्ते किफ़ालत दअ्वा सहीह हो बल्कि अगर दअ्वा में जिहालत है और किफ़ालत करली यह किफ़ालत सहीह है मसलन एक शख़्स

ने दुसरे पर एक हक़ का दअ्वा किया और यह बयान नहीं किया कि वह हक़ क्या है या सौ अशर्फ़ियों का दअ्वा किया और यह बयान नहीं किया कि वह अशर्फ़ियाँ किस क़िस्म की हैं, एक शख़्स ने मुद्दई से कहा उसको छोड़ दो मैं उसकी ज़ात का कफ़ील हूँ अगर मैं कल उसको हाज़िर न लाया तो सौ अशर्फ़ियाँ मेरे ज़िम्मे हैं यहाँ दो किफ़ालतें हैं एक नफ़्स की दूसरी माल की और दोनों सहीह हैं लिहाज़ा अगर दूसरे दिन हाज़िर न लाया तो अशर्फ़ियाँ देनी पड़ेंगी या वह हक़ देना होगा रहा यह कि क्योंकर मालूम होगा कि वह हक़ क्या है या अशरफ़ियाँ किस क़िस्म की हैं उसकी सूरत यह होगी कि मुद्दई अपने दावा की तफ़सील में जो बयान करे और उसको गवाहों से साबित करदे या मुद्दा अलैह उसकी तस्दीक़ करे कफ़ील के ज़िम्मे वह देना लाज़िम होगा और अगर न मुद्दई ने गवाहों से साबित किया न मुद्दाअलैह ने उसकी तस्दीक़ की बल्कि दोनों में इख़्तिलाफ़ हुआ तो मुद्दई का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.260)

मसअ्ला.34:– किफ़ालत बिल'माल की दो सूरतें हैं एक यह कि नफ़्से माल का ज़ामिन हो दूसरी यह कि तक़ाज़ा करने की ज़िम्मेदारी करे एक शख़्स का दूसरे के ज़िम्मे कुछ माल था तीसरे शख़्स ने तालिब से कहा कि मैं ज़ामिन होता हूँ कि उससे वसूल करके तुमको दूँगा यह माल की ज़मानत नहीं है कि अपने पास से देदे बल्कि तक़ाज़ा करने का ज़ामिन है कि जब उससे वसूल होगा देगा उस से माल का मुतालबा नहीं हो सकता, ज़ैद ने अम्र के हज़ार रूपये ग़सब कर लिये थे अम्र उस से झगड़ा कर रहा था कि मेरे रूपये देदे तीसरे शख़्स ने कहा लड़ो मत मैं उसका ज़ामिन हूँ कि उससे लेकर तुमको दूँगा इस ज़ामिन के ज़िम्मा लाज़िम है कि वसूल करके दे और अगर ज़ैद ने वह रूपये ख़र्च कर डाले तो यह भी न रहा कि वह रूपये वसूल करके दे सिर्फ़ तक़ाज़ा करने का ज़ामिन है। (रद्दुलमुहतार स.263)

मसअ्ला.35:– किफ़ालत उस वक़्त सहीह है जब वह अपने ज़िम्मा लाज़िम करे यानी कोई ऐसा लफ़्ज़ कहे जिससे इल्तिज़ाम समझा जाता हो मस्लन यह कि मेरे ज़िम्मे है या मुझ पर है मैं ज़ामिन हूँ, मैं किफ़ालत करता हूँ और अगर फ़क़त यह कहा कि फ़ुलाँ के ज़िम्मे जो तुम्हारा रूपया है उसको मैं तुम्हे दूँगा, मैं तस्लीम करूँगा, मैं वसूल करूँगा, इस कहने से कफ़ील न हुआ और अगर उन अलफ़ाज़ को तअ्लीक़ (शर्त) के तौर पर कहा कि वह नहीं देगा तो मैं दूँगा, मैं अदा करूँगा, यूँ कहने से कफ़ील होगया। (रद्दुलमुहतार स 262)

मसअ्ला.36:– अगर किसी वजह से असील से उस वक़्त मुतालबा न होसकता हो और उसकी किसी ने किफ़ालत करली किफ़ालत सहीह है और कफ़ील से उसी वक़्त मुतालबा होगा मसलन गुलाम महजूर (जिसको मालिक ने ख़रीद व फरोख़्त की मुमानअत कर दी हो) उसने किसी की चीज़ हलाक करदी या उस पर क़र्ज़ है उससे मुतालबा आज़ाद होने के बाद होगा मगर किसी ने उसकी किफ़ालत करली तो कफ़ील से अभी मुतालबा होगा यूँही मदयून के मुतअ्ल्लिक़ क़ाज़ी ने मुफ़्लिसी का हुक्म देदिया तो उससे मुतालबा मुअख़्ख़र होगया मगर कफ़ील से मुअख़्ख़र नहीं होगा(रद्दुलमुहतार स.262)

मसअ्ला.37:– माले मजहूल की किफ़ालत भी सहीह है और यह भी हो सकता है कि किफ़ालते नफ़्स व किफ़ालते माल में तर्दीद करे मस्लन यह कहे कि मैं फ़ुलाँ शख़्स का ज़ामिन या उसके ज़िम्मा जो फ़ुलाँ का माल है उसका ज़ामिन हूँ और कफ़ील को इख़्तियार है दोनों किफ़ालतों में से जिसको चाहे इख़्तियार करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.263)

मसअ्ला.38:– दो शख़्सों में दैन मुश्तरक है यानी उन दोनों का किसी के ज़िम्मे दैन था मस्लन दोनों ने एक मुश्तरक चीज़ किसी के हाथ बेची या उनके मूरिस् का किसी के ज़िम्मे दैन था यह दोनों उसमें शरीक हैं उनमें से एक दूसरे के लिये किफ़ालत नहीं कर सकता पूरे दैन का कफ़ील भी नहीं हो सकता और दूसरे के हिस्से का भी कफ़ील नहीं होसकता और अगर दोनों एक चीज़ में शरीक थे और दोनों ने अपना–अपना हिस्सा अलाहिदा–अलाहिदा बेचा एक अक़्द में बैअ् नहीं किया

तो एक दूसरे के लिये किफ़ालत कर सकता है और पहली सूरतों में अगर एक ने दूसरे को बक़द्रे उसके हिस्से के बिला किफ़ालत देदिया यह देना दुरुस्त है मगर उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– औरत का नफ़्क़ा जो ज़न व शौहर की बाहम रज़ा'मन्दी से मुक़र्रर हुआ है या क़ाज़ी ने उसको मुक़र्रर कर दिया है उसकी किफ़ालत भी होसकती है या क़ाज़ी के हुक्म से नफ़्क़ा के लिये औरत ने क़र्ज़ लिया है औरत उसका मुतालबा शौहर से करेगी शौहर की तरफ़ से किसी ने किफ़ालत की यह किफ़ालत भी सहीह है आइन्दा के नफ़्क़ा की ज़मानत भी दुरुस्त है अय्यामे गुज़िश्ता का नफ़्क़ा बाक़ी है मगर उसका तक़र्रुर न तो बाहम रज़ा'मन्दी से हुआ न हुक्मे क़ाज़ी से उसकी ज़मानत सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार स.263)

मसअ्ला.40:– दैन महर की किफ़ालत सहीह• है कि यह भी दैन सहीह है बदले किताबत की किफ़ालत सहीह नहीं कि यह दैन सहीह नहीं और किसी ने ना वाक़िफ़ी से ज़मानत करली और कुछ अदा भी कर दिया, फिर मा'लूम हुआ कि यह किफ़ालत सहीह न थी और मुझ पर अदा करना लाज़िम न था तो जो कुछ अदा कर चुका है वापस ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.264)

मसअ्ला.41:– दूसरे की औरत से कहा मैं हमेशा के लिये तेरे नफ़्क़ा का ज़ामिन हूँ जब तक वह औरत उसके निकाह में रहेगी उस वक़्त तक यह कफ़ील है मरने के बाद या तलाक़ के बाद सिर्फ़ इद्दत तक ज़ामिन है उसके बाद किफ़ालत ख़त्म होगई, यह कह दिया कि फ़ुलाँ शख़्स को एक रूपया रोज़ाना देदिया करो उसका मैं ज़ामिन हूँ वह देता रहा एक कसीर रक़म होगई अब कफ़ील यह कहता है मेरा मतलब यह न था कि तुम इतनी रक़म कसीर उसे दे दोगे उसकी यह बात मोअ्तबर नहीं कुल रक़म देनी पड़ेगी, यूँही दुकानदार से यह कह दिया कि उसके हाथ जो कुछ बेचोगे वह मेरे ज़िम्मे है तो जो कुछ उसके हाथ बैअ् करेगा मुतालबा कफ़ील से होगा यह नहीं सुना जायेगा कि मेरा मतलब यह था, यह न था मगर यह ज़रूर है कि मकफ़ूल लहु ने उसे क़बूल कर लिया हो चाहे क़बूल के अलफाज़ कहे हों या दलालतन क़बूल किया हो मस्लन उसके हाथ कोई चीज़ फिलहाल बैअ् करदी मगर उस बैअ् के बाद दोबारा सेहबारा बैअ् करेगा तो उसके स्मन का ज़ामिन न होगा कि यह हमेशा के लिये ज़मानत नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार स 264)

मसअ्ला.42:– एक शख़्स दूसरे से क़र्ज़ माँग रहा था उसने क़र्ज़ देने से इनकार कर दिया तीसरे शख़्स ने यह कहा उसको क़र्ज़ देदो मैं ज़ामिन हूँ उसने फ़ौरन क़र्ज़ देदिया यह ज़ामिन होगया कि उसका क़र्ज़ दे देना ही क़बूले किफ़ालत है। (रद्दुलमुहतार स.264)

मसअ्ला.43:– उसके हाथ फुलाँ चीज़ बैअ् करो उसमें जो कुछ ख़सारा होगा मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार स.264)

मसअ्ला.44:– यह कहा कि फ़ुलाँ शख़्स अगर तुम्हारी कोई चीज़ ग़सब कर लेगा वह मुझ पर है तो कफ़ील होगया और अगर यह कहा कि जो शख़्स तेरी चीज़ ग़सब करे मैं उसका ज़ामिन हूँ तो यह किफ़ालत बातिल है यूँही अगर यह कहा कि इस घर वाले जो चीज़ तेरी ग़सब करे मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत बातिल है जब तक किसी आदमी का नाम न ले। (दुर्रेमुख़्तार स.264)

मसअ्ला.45:– यह कहा था कि जो चीज़ फुलाँ के हाथ बैअ् करोगे मैं ज़ामिन हूँ यह कहकर उसने अपना कलाम वापस लिया कह दिया मैं ज़ामिन नहीं अब अगर उसने बेचा तो वह ज़ामिन न रहा उससे मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार स.265)

मसअ्ला.46:– यह कहता है कि मैंने एक शख़्स की किफ़ालत की है जिसका नाम नहीं जानता हूँ सूरत पहचानता हूँ यह इक़रार दुरुस्त है उसके बाद किसी शख़्स को लाकर कहता है कि यह वही है बरीउज़्ज़िम्मा होजायेगा। (दुर्रे मुख़्तार स.267)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स ने बार बर्दारी के लिये जानवर किराये पर लिया या ख़िदमत के लिये गुलाम को इजारा पर लिया अगर वह जानवर और गुलाम मुअय्यन हैं या'नी उस जानवर पर मेरा

सामान लादा जाये या यह गुलाम मेरी ख़िदमत करेगा उसकी किफ़ालत सहीह नहीं कि कफ़ील उसकी तस्लीम से आजिज़ है और गैर मुअय्यन हो तो किफ़ालत सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार स.267)

मसअला.48:– मबीअ़ की किफ़ालत सहीह नहीं यानी एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी कफ़ील ने मुश्तरी से कहा यह चीज़ अगर हलाक होगई तो मेरे ज़िम्मे है यह किफ़ालत सहीह नहीं कि मबीअ़ हलाक होने की सूरत में बैअ़ ही फ़स्ख़ होगई बाइअ़ से किसी चीज़ का मुतालबा न रहा फिर किफ़ालत किस चीज़ की होगी। (रद्दुलमुहतार स.268)

मसअला49:– मुअय्यन शय अगर किसी के पास हो उसकी दो सूरतें हैं वह चीज़ उसके ज़मान में है या नहीं अगर ज़मान में है तो ज़मान बिनफ़्सेही है या ज़मान बिगैरेही यह कुल तीन सूरतें हुई अगर उसका कब्ज़ा कब्ज़ाये ज़मान न हो बल्कि कब्ज़ाये अमानत हो कि हलाक होने की सूरत में तावान देना न पड़े जैसे वदीअ़त (जिसको लोग अमानत कहते हैं) माले मुज़ारबत, माले शिरकत, आरियत, किराये की चीज़ जो किरायेदार के कब्ज़ा में है, क़ब्ज़ाये ज़मान जब कि ज़मान बिगैरेही हो उसकी मिसाल मबीअ़ है जब कि बाइअ़ के क़ब्ज़ा में हो या मरहून जो मुरतहिन के क़ब्ज़ा में हो कि मबीअ़ हलाक होने से समन जाता रहता है और मरहून हलाक हो तो दैन जाता रहता है जिसका ज़मान बिऐनेही है उसकी मिसाल वह मबीअ़ जिसकी बैअ़ फ़ासिद हुई और वह मुश्तरी के क़ब्ज़ा में हो ख़रीदारी के तौर पर नर्ख़ करके चीज़ पर क़ब्ज़ा किया, मग़सूब और उनके अलावा वह चीज़ें कि हलाक होने की सूरत में उनकी क़ीमत देनी पड़ती है उस तीसरी क़िस्म में किफ़ालत सहीह है पहली दोनों क़िस्मों में किफ़ालत सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार स.268) इस क़ायदा कुल्लिया से यह बात मालूम हुई कि मरहून और वदीअ़त और मबीअ़ की किफ़ालत सहीह नहीं है मगर इन चीज़ों की तस्लीम की किफ़ालत होसकती है यानी बाइअ़ या मुरतहिन या अमीन से लेकर उसके क़ब्ज़ा दिलाने की किफ़ालत सहीह है मगर उस किफ़ालत का माहसल यह होगा कि चीज़ अगर मौजूद है तो तस्लीम करदे और हलाक होगई तो कुछ नहीं कफ़ील बरीउज़्ज़िम्मा होगया(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.268)

मसअला.50:– बैअ़ में समन की किफ़ालत सहीह है जब कि वह बैअ़ सहीह हो किफ़ालत के बाद यह मालूम हुआ कि बैअ़ सहीह न थी और कफ़ील ने बाइअ़ को समन अदा करदिया है तो कफ़ील को इख़्तियार है कि जो कुछ अदा कर चुका है बाइअ़ से वसूल करे या मुश्तरी से और अगर पहले वह बैअ़ सहीह थी बाद में शर्ते फासिद लगाकर बैअ़ को फ़ासिद कर दिया तो कफ़ील ने जो कुछ दिया है मुश्तरी से वसूल करेगा, और अगर मबीअ़ में इस्तिहक़ाक़ हुआ जिसकी वजह से मुश्तरी से लेली गई या ख़ियारे शर्त, ख़ियारे ऐब, ख़ियारे रूयत की वजह से बाइअ़ को वापस हुई तो कफ़ील बरी होगया क्योंकि इन सूरतों में मुश्तरी के ज़िम्मा समन देना न रहा लिहाज़ा किफ़ालत भी ख़त्म हो गई।(रद्दुलमुहतार जि.4 स.268)

मसअला.51:– सबी महजूर (जिस बच्चा को खरीद व फ़रोख़्त की मुमानअ़त हो) ने कोई चीज़ ख़रीदी और किसी ने उसकी तरफ़ से समन की ज़मानत की यह किफ़ालत सहीह नहीं कि जब असील से मुतालबा नहीं हो सकता तो कफ़ील से क्योंकर होगा। (दुर्रेमुख़्तार स.268)

मसअला.52:– एक शख़्स ने अपनी कोई चीज़ बैअ़ करने के लिये दूसरे को वकील किया वकील ने चीज़ बेच डाली और मुअक्किल के लिये समन का खुद ही ज़ामिन बना यह किफ़ालत सहीह नहीं कि समन पर क़ब्ज़ा करना खुद उसी का काम है लिहाज़ा अपने लिये किफ़ालत होगई। (दुर्रेमुख़्तार स.270)

मसअला.53:– वसी और नाज़िर मुश्तरी की तरफ़ से समन के ज़ामिन नहीं होसकते कि समन वसूल करना खुद उन्हीं का काम है और अगर यह मुश्तरी को समन मुआफ़ करदें तो मुश्तरी से मुआफ़ होगया मगर उनको अपने पास से देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार स 270)

मसअला.54:– मज़ारिब ने कोई चीज़ बैअ़ की और रब्बुलमाल के लिये मुश्तरी की तरफ़ से ख़ुद ही ज़ामिन होगया यह किफ़ालत भी सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार स.270)

किफ़ालत को शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना

मसअ्ला.55:– किफ़ालत को किसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना भी स़ह़ीह़ है मगर यह ज़रूर है कि वह शर्त़ किफ़ालत के मुनासिब हो, उसकी तीन सूरतें हैं एक यह कि वह लूज़ूमे ह़क़ के लिये शर्त़ हो यानी वह शर्त़ न हो तो ह़क़ लाज़िम ही न हो मस्लन यह कि अगर मबीअ् में कोई ह़क़दार पैदा होगया या अमीन ने अमानत से इनकार कर दिया या फ़ुलाँ ने तुम्हारी कोई चीज़ ग़सब करली या उसने तुझे या तेरे बेटे को ख़ताअ्न क़त्ल कर डाला तो मैं ज़ामिन हूँ बदला मैं दूँगा यह वह शर्तें हैं कि अगर पाई न जायें तो मकफ़ूल लहू का ह़क़ ही नहीं लिहाज़ा अगर यह कहा कि तुझको दरिन्दा मार डाले तो मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ नहीं कि दरिन्दा के मार डालने पर ह़क़ लाज़िम ही नहीं यूँही उसके यहाँ कोई मेहमान आया था उसको अपनी सवारी के जानवर का अन्देशा था कि कोई दरिन्दा न फाड़ खाये उसने कहा अगर दरिन्दा ने फाड़ खाया तो मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ नहीं ज़मान देना लाज़िम नहीं, दूसरी यह कि इम्काने इस्तीफ़ा के लिये वह शर्त़ हो कि उसके पाये जाने से ह़क़ का वसूल करना आसानी से मुम्किन होगा मस्लन यह कहा कि अगर ज़ैद आजाये तो जो कुछ उस पर दैन है वह मुझ पर है यानी मैं ज़ामिन हूँ और ज़ैद ही मकफ़ूल अ़न्हु है या मकफ़ूल अ़न्हु का मुज़ारिब या अमीन या ग़ासिब है ज़ाहिर है कि ज़ैद के आने से मुत़ालबा अदा करने में सुहूलत होगी और अगर ज़ैद अजनबी शख़्स हो तो उसके आने पर मुअ़ल्लक़ करना स़ह़ीह़ नहीं तीसरी सूरत यह कि वह शर्त़ ऐसी हो कि उसके पाये जाने से ह़क़ का वुसूल करना दुश्वार होजाये मस्लन यह कि मकफ़ूल अ़न्हु ग़ायब होगया तो मैं ज़ामिन हूँ कि जब वह न होगा त़ालिब क्योंकर ह़क़ वसूल कर सकता है लिहाज़ा उसने उस सूरत में अपने को कफ़ील बनाया है कि उससे वसूल न होसके यूँही यह कहा कि अगर वह मर जाये और कुछ माल न छोड़े या तुम्हारा माल उससे ब'वजहे उसके मुफ़्लिस होजाने के न वसूल होसके या वह तुम्हें न दे तो मुझ पर है इन सब सूरतों में शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना स़ह़ीह़ है और अगर कफ़ील ने यह कहा था कि मदयून अगर न दे तो मैं दूँगा त़ालिब ने मदयून से माँगा उसने देने से इनकार कर दिया कफ़ील पर उसी वक़्त देना वाजिब होगया अगर यह शर्त़ की कि छः माह तक वह अदा न करदे तो मुझ पर है यह शर्त़ स़ह़ीह़ है बाद उस मुद्दत के कफ़ील पर देना लाज़िम होगा(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार स.265)

मसअ्ला.56:– किफ़ालत को ऐसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया जो मुनासिब न हो तो शर्त़ फ़ासिद है और किफ़ालत स़ह़ीह़ है मस्लन यह कि अगर ज़ैद घर में गया यह शर्त़ स़ह़ीह़ नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.57:– यह कहा फ़ुलाँ के हाथ बैअ् करो जो बेचोगे उसका मैं ज़ामिन हूँ त़ालिब कहता है मैंने उसके हाथ बेचा और उसने क़ब्ज़ा भी कर लिया कफ़ील कहता है कि नहीं बेचा और मकफ़ूल अ़न्हु कफ़ील के क़ौल की तस्दीक़ करता है अगर वह माल मौजूद है कफ़ील से मुत़ालबा होगा और हलाक होगया तो जब तक त़ालिब गवाहों से न स़ाबित करले मुत़ालबा नहीं कर सकता, सूरते मज़कूरा में अगर कफ़ील यह कहे तूने पाँच सौ में बैअ् की और त़ालिब कहता है हज़ार में बैअ् की है और मकफ़ूल अ़न्हु त़ालिब की बात का इक़रार करता है तो कफ़ील से हज़ार का मुत़ालबा होगा(ख़ानिया)

मसअ्ला.58:– किफ़ालत की कोई मीआ़द मजहूल ज़िक्र की उसकी दो सूरतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा जिहालत है या थोड़ी सी जिहालत है अगर ज़्यादा जिहालत है मस्लन आँधी चलना या मेंह बरसना यह मीआ़द बात़िल है और किफ़ालत स़ह़ीह़ और अगर थोड़ी जिहालत है मस्लन खेत कटना या तनख़्वाह मिलना तो किफ़ालत भी स़ह़ीह़ है और मीआ़द भी स़ह़ीह़। (फ़त्ह़)

मसअ्ला.59:– तअ़्लीक़ की सूरत में अगर मकफ़ूल अ़न्हु मजहूल हो किफ़ालत स़ह़ीह़ नहीं और तअ़्लीक़ न हो मस्लन जो कुछ तुम्हारा फ़ुलाँ या फ़ुलाँ पर है मैं उसका ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ है और कफ़ील को इख़्तियार होगा कि उन दोनों में जिस को चाहे मुअ़य्यन करले यूँही अगर यह कहा कि फ़ुलाँ के नफ़्स का या जो कुछ उसके ज़िम्मा तेरा माल है मैं उसका कफ़ील हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ है और कफ़ील को इख़्तियार होगा कि उसको ह़ाज़िर करदे या माल देदे(फ़त्हुल'क़दीर)

कफ़ील ने माल अदा कर दिया तो किस सूरत में वापस ले सकता है

मसअ्ला.60:– किफ़ालत बिलमाल की दो सूरतें हैं। मकफ़ूल अ़न्हु के कहने से किफ़ालत की है या बिग़ैर कहे। अगर कहने से किफ़ालत हुई तो कफ़ील जो कुछ दैन (क़र्ज़) अदा करेगा मकफ़ूल अ़न्हु से लेगा और अगर बिग़ैर कहे अपने आप ही ज़ामिन होगया तो एह़सान व तबर्रोअ़ (बख़्शिश व हदिया) है जो कुछ अदा करेगा मकफ़ूल अ़न्हु से नहीं ले सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.61:– बा'ज़ सूरतों में मकफ़ूल अ़न्हु के बिग़ैर कहे किफ़ालत करने से भी अगर अदा किया है तो वसूल कर सकता है मस्लन बाप ने नाबालिग़ लड़के का निकाह़ किया और महर का ज़ामिन होगया उसके मरने के बा'द औ़रत या उसके वली ने शौहर के बाप के तर्का में से महर वसूल कर लिया तो दीगर वुरस़ा अपना हि़स्सा पूरा पूरा लेंगे और लड़के के हि़स्सा में से बक़द्र महर के कम कर दिया जायेगा कि बाप चूंकि वली था उसका ज़ामिन होना गोया लड़के के कहने से था और अगर बाप मरा नहीं ज़िन्दा है उसने ख़ुद महर अदा किया और लोगों को गवाह कर लिया है कि लड़के से वसूल कर लूँगा तो वसूल कर सकता है वरना नहीं दूसरी सूरत यह है कि कफ़ील ने किफ़ालत से इन्कार कर दिया मुद्दई ने गवाहों से स़ाबित कर दिया कि उसने मकफ़ूल अ़न्हु के हुक्म से किफ़ालत की थी उसने दैन अदा किया मकफ़ूल अ़न्हु से वापस ले सकता है तीसरी सूरत यह है कि उसने किफ़ालत की और मकफ़ूल लहू ने अभी क़बूल नहीं की थी कि मकफ़ूल अ़न्हु ने इजाज़त देदी यह किफ़ालत भी उसके कहने से क़रार पायेगी। (रद्दुलमुह़तार स.271)

मसअ्ला.62:– अजनबी शख़्स़ ने कह दिया कि तुम फ़ुलाँ की ज़मानत करलो उसने करली और दैन अदा कर दिया मकफ़ूल अ़न्हु से वापस नहीं ले सकता मकफ़ूल अ़न्हु के कहने से किफ़ालत की है उसमें भी वापस लेने के लिये यह शर्त़ है कि मकफ़ूल अ़न्हु ने यह कह दिया हो कि मेरी त़रफ़ से किफ़ालत करलो या मेरी त़रफ़ से अदा कर दो या यह कि जो कुछ तुम दोगे वह मुझ पर है या मेरे ज़िम्मा है और अगर फ़क़त़ इतना ही कहा है कि हज़ार रूपये की मस्लन तुम ज़मानत या किफ़ालत करलो तो वापस नहीं ले सकता मगर जब कि कफ़ील ख़लीत़ हो तो इस सूरत में भी वापस लेसकता है ख़लीत़ से मुराद उस मक़ाम पर वह शख़्स़ है जो उस के एयाल में है मस्लन बाप या बेटा, बेटी या अजीर या शरीक बशिरकते एनान या वह शख़्स़ जिससे उसका लेन देन हो उस के यहाँ माल रखता हो। (फ़त्हुल क़दीर, रद्दुल मुह़तार स.271)

मसअ्ला.63:– एक शख़्स़ ने दूसरे से कहा फ़ुलाँ शख़्स़ को हज़ार रुपये देदो उसने देदिये कहने वाले से वापस नहीं लेसकता मगर जिसको दिये हैं उससे ले सकता है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.64:– स़बी मह़जूर (जिस बच्चे को ख़रीदने बेचने की रोक हो) ने उस को किफ़ालत के लिए कहा उसने किफ़ालत करली और माल अदा करदिया वापस नहीं लेसकता यूँहीं ग़ुलाम मह़जूर की त़रफ़ से उसके कहने से किफ़ालत की और अदा करदिया वापस नहीं ले सकता जब तक वह आज़ाद न हो। और स़बी माज़ून व ग़ुलाम माज़ून (वह ग़ुलाम जिसको आक़ा की त़रफ़ से ख़रीदने बेचने की इजाज़त हो) से वापस मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार स.271)

मसअ्ला.65:– ग़ुलाम ने आक़ा की त़रफ़ से किफ़ालत की और आज़ाद होने के बा'द अदा किया वापस नहीं ले सकता यूँहीं आक़ा ने ग़ुलाम की त़रफ़ से किफ़ालत की और ग़ुलाम के आज़ाद होने के बा'द अदा किया वापस नहीं ले सकता। (आलमगीरी जि.3, स.366)

मसअ्ला.66:– स़मन की किफ़ालत की फिर बाइअ़ ने कफ़ील को स़मन हिबा करदिया या कफ़ील ने मुश्तरी से वसूल किया उसके बा'द मुश्तरी ने मबीअ़ में ऐ़ब देखा उसको वापस कर दिया और बाइअ़ से स़मन वापस लिया कफ़ील से न बाइअ़ ले सकता है न मुश्तरी। (आलमगीरी जि.3,स.367)

मसअ्ला.67:– कफ़ील ने जिस चीज़ की ज़मानत की वही चीज़ अदा की या दूसरी चीज़ दी मस्लन हज़ार रुपये की ज़मानत की और हज़ार रुपये अदा किये या रुपये की जगह अशर्फ़ियाँ या

कोई दूसरी चीज़ दी पहली सूरत में जो अदा किया है वापस ले सकता है और दूसरी सूरत में वह मिलेगा जिस का ज़ामिन हुआ था यानी रुपये लेसकता है अशर्फ़ियों का मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर उसी जिन्स की चीज़ मकफ़ूल लहू को दी मगर उस से घटिया या बढ़िया दी जब भी वही ले सकता है जिस की ज़मानत की कि उस सूरत में यानी जबकि दूसरी चीज़ दी या घटिया बढ़िया चीज़ दी तो यह ख़ुद दैन का मालिक होगया और तालिब के क़ाइम मक़ाम होगया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.68:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तुम मेरा क़र्ज़ा अदा करदो मैं तुम को देदूँगा उसने क़र्ज़ में दूसरी चीज़ दी तो जो चीज़ दी है वही वापस लेगा जो उसके ज़िम्मा था वह नहीं ले सकता कि यह दैन का मालिक नहीं हुआ। (फ़तहुल'क़दीर जि.6 स.305)

मसअ्ला.69:– असील (जिस पर मुतालबा है) पर हज़ार रुपये थे कफ़ील ने तालिब से पाँच सौ रुपये में मुसालहत करली और दे दिये मकफ़ूल अन्हु से पाँचसौ ही ले सकता है कि यह इसक़ात (कम कर देना) या अबरा (बरी करना, मुआफ़ करदेना) है लिहाज़ा असील से भी पाँच सौ जाते रहे। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.637)

मसअ्ला.70:– वापसी के लिये यह भी शर्त है कि कफ़ील ने उस वक़्त दिया हो कि असील पर वाजिबुल'अदा हो और अगर असील पर अभी देना वाजिब भी नहीं हुआ है कि कफ़ील ने देदिया तो वापस नहीं लेसकता मस्लन मुस्ताजिर की तरफ़ से किसी ने उजरत की ज़मानत की थी और अभी अजीर ने काम किया ही नहीं है कि उजरत वाजिब होती कफ़ील ने उसे देदी वापस नहीं ले सकता यूँहीं अगर कफ़ील के देने से पहले ख़ुद असील ने दैन अदा करदिया और कफ़ील को उस की इत्तिला नहीं हुई उसने सभी देदिया असील से वापस नहीं लेसकता कि जिस वक़्त उसने दिया है असील पर देना वाजिब ही न था बल्कि उस सूरत में दाइन से वापस लेगा। (रद्दुल'मुहतार जि.7 स.637)

मसअ्ला.71:– कफ़ील ने जिसके लिए किफ़ालत की थी (यानी तालिब) वह मरगया और ख़ुद कफ़ील उसका वारिस है तो कफ़ील दैन का मालिक होगया मकफ़ूल अन्हु यानी मदयून से मुतालबा करेगा यूँहीं अगर तालिब ने कफ़ील को दैन हिबा करदिया यह मालिक हो गया।(दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.63)

मसअ्ला.72:– एक शख़्स ने हज़ार रुपये में घोड़ा ख़रीदा मुश्तरी की तरफ़ से समन की किसी ने ज़मानत की कफ़ील ने अपने पास से रुपये देदिये और मुश्तरी से अभी वसूल नहीं किये थे बिग़ैर वसूल किये कफ़ील ग़ायब होगया और घोड़े के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने अपना हक़ साबित किया और लेलिया मुश्तरी चाहता है कि बाइअ् से समन वापस ले तो जब तक कफ़ील हाज़िर न होजाये बाइअ् से समन नहीं ले सकता अब कफ़ील आगया तो उसे इख़्तियार है बाइअ् से समन वापस ले या मुश्तरी से अगर बाइअ् से लेगा तो बाइअ् मुश्तरी से नहीं ले सकता और मुश्तरी से लेगा तो मुश्तरी बाइअ् से वापस लेगा और अगर कफ़ील बाइअ् को देने के बाद मुश्तरी से वसूल करके ग़ायब हुआ है उसके बाद हक़ साबित हुआ तो मुश्तरी बाइअ् से समन वापस लेगा कफ़ील के आने का इन्तिज़ार न करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.73:– मुसलमान दारुलहर्ब में मुक़य्यद था रुपया देकर किसी ने उस को ख़रीदा अगर उस के बिग़ैर हुक्म ऐसा किया तो एहसान है वापस नहीं ले सकता और उसके कहने से ऐसा किया तो वापस ले सकता है चाहे उसने वापस देने को कहा हो या न कहा हो यूँहीं अगर किसी ने यह कह दिया कि मेरे बाल बच्चों पर अपने पास से ख़र्च करो या मेरे मकान की तामीर में अपना रुपया ख़र्च करो उसने ख़र्च किया तो वसूल कर सकता है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.74:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा फुलाँ शख़्स को मेरी तरफ़ से हज़ार रुपये देदो उसने देदिये यह हिबा हुक्म देने वाले की तरफ़ से हुआ मगर जिसने दिये वह न कहने वाले से ले सकता है न उससे जिसको दिये और अगर यह कहा था कि उस को हज़ार रुपये देदो मैं ज़ामिन हूँ तो कहने वाले से वसूल कर सकता है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.75:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा फुलाँ को मेरी तरफ़ से हज़ार रुपये क़र्ज़ देदो उसने देदिये वापस ले सकता है और अगर सिर्फ़ इतना ही कहा कि फुलाँ को हज़ार रुपये क़र्ज़ देदो तो वापस नहीं ले सकता अगर्चे वह उस का ख़लीत हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.76:— एक शख़्स ने दूसरे से कहा मेरी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करदो या मेरी ज़कात अपने माल से अदा करदो या मेरा हज्जे बदल करादो उसने यह सब कर दिया तो कहने वाले से वसूल नहीं कर सकता। (ख़ानिया)

मसअ्ला.77:— एक ने दूसरे से कहा मुझको हज़ार रुपये हिबा करदो फुलाँ शख़्स उसका ज़ामिन है और वह शख़्स भी यहाँ मौजूद है उसने कहा हाँ उस के हाँ कहने पर उसने देदिये यह हिबा उस ज़ामिन की तरफ़ से होगा और देने वाले के हज़ार रुपये उसके ज़िम्मा क़र्ज़ हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.78:— एक शख़्स के दूसरे के ज़िम्मा हज़ार रुपये हैं मदयून ने किसी से कहा उसके हज़ार रुपये अदा करदो यह कहता है मैंने अदा कर दिये मगर दाइन इन्कार करता है तो क़सम के साथ दाइन का क़ौल मोअ्तबर है और वह शख़्स मदयून से वापस नहीं ले सकता अगर्चे मदयून ने उस की तस्दीक़ की हो यूँहीं मकफूल अन्हु के कहने से किसी ने किफ़ालत की कफ़ील कहता है मैंने माल अदा करदिया और मकफूल अन्हु भी उसकी तस्दीक़ करता है मगर तालिब इन्कार करता है तालिब का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है उसने क़सम खाकर मकफूल अन्हु से माल वसूल कर लिया अब कफ़ील मकफूल से वापस नहीं ले सकता है और अगर मकफूल अन्हु भी इन्कार करता है कफ़ील ने गवाहों से अपना देना साबित कर दिया तो कफ़ील वापस लेसकता है और तालिब के मुक़ाबिल में यही गवाह मोअ्तबर हैं अगर्चे तालिब मौजूद न हो। (आलमगीरी जि.3 स.270)

मसअ्ला.79:— एक शख़्स ने दूसरे से कहा फुलाँ शख़्स के मेरे ज़िम्मा हज़ार रुपये हैं तुम अपनी फुलाँ चीज़ उसके हाथ इन हज़ार रुपयों में बैअ् करदो उसने बेचदी यह जाइज़ है फिर अगर बैअ् के बाद तालिब कहता है उसने मेरे हाथ बैअ् की मगर क़ब्ज़ा से पहले उसी के पास चीज़ हलाक होगई और वह दोनों कहते हैं तूने क़ब्ज़ा करलिया था उसमें भी तालिब का क़ौल मोअ्तबर है उसने क़सम खाली तो बैअ् फ़स्ख़ मानी जायेगी और तालिब अपने रुपये मदयून से वसूल करेगा और जिसने बैअ् की थी वह मदयून से कुछ नहीं लेसकता और अगर बाइअ् ने गवाहों से तालिब का क़ब्ज़ा साबित कर दिया तो बैअ् फ़स्ख़ नहीं मानी जायेगी और हज़ार रुपये मदयून से वसूल करेगा और तालिब मदयून से कुछ नहीं ले सकता अगर्चे बाइअ् ने तालिब की अ़दमे मौजूदगी में गवाह पेश किये हों जब कि मदयून भी मुन्किर हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.80:— कफ़ील जब तक तालिब को अदा न करदे मकफूल अन्हु से दैन (क़र्ज़) का मुतालबा नहीं कर सकता और अगर मकफूल अन्हु ने कफ़ील के पास अदा करने से पहले कोई चीज़ रहन रखदी यह रहन रखना दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि.7 स.639)

मसअ्ला.81:— तालिब यानी दाइन को इख़्तियार है कि कफ़ील से मुतालबा करे या असील से या दोनों से अगर मकफूल लहू ने कफ़ील का मुलाज़िमा किया (यानी जहाँ जाता है तालिब भी उसके साथ जाता है पीछा नहीं छोड़ता) तो कफ़ील असील के साथ ऐसा ही कर सकता है और अगर तालिब ने कफ़ील को हब्स (क़ैद) करा दिया तो कफ़ील असील को हब्स करा सकता है कि कफ़ील का मुलाज़िमा या हब्स असील की वजह से है यह हुक्म उस वक़्त है कि असील के कहने से उस ने किफ़ालत की हो और असील का खुद कफ़ील के ज़िम्मा दैन न हो और अगर कफ़ील के ज़िम्मा मतलूब का दैन हो तो कफ़ील न मुलाज़िमा कर सकता है न हब्स करा सकता है और यह भी ज़रूरी है कि असील कफ़ील के उसूल में से न हो और अगर असील उसूल में है तो कफ़ील उस के साथ यह फ़ेअ्ल नहीं कर सकता कफ़ील का मुलाज़िमा या हब्स उस वक़्त होसकता है कि असील तालिब के उसूल में से न हो वरना उसूल के मुलाज़िमा व हब्स का सबब खुद यही तालिब हुआ और कोई शख़्स अपने बाप, माँ, दादा, दादी वग़ैरा उसूल के साथ यह हरकत करने का मजाज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि.7 स.640)

कफ़ील के बरीउज़्ज़म्मा होने की सूरतें

मसअ्ला.82:— कफ़ील का दैन अदा कर देना कफ़ील व असील दोनों की बराअ्त का सबब है यानी अब तालिब का किसी से तक़ाज़ा न रहा न असील से न कफ़ील से मगर जब कि कफ़ील ने अपने मदयून पर हवाला कर दिया और यह शर्त करदी कि फ़क़त मैं बरी हूँ तो असील बरी न हुआ और अगर शर्त न की तो उस सूरत में भी दोनों दैन से बरी होगये। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.641)

मसअ्ला.83:– असील ने दैन अदा कर दिया तो कफ़ील भी बरियुज़्ज़िम्मा होगया अब कफ़ील से भी मुतालबा नहीं होसकता। (आलमगीरी जि.3 स.262)

मसअ्ला.84:– त़ालिब ने असील से दैन मुआफ़ करदिया कफ़ील भी बरी होगया मगर यह ज़रूर है कि मकफ़ूल अ़न्हु ने क़बूल भी कर लिया हो और अगर असील ने उसके मुआफ़ करने पर न रोका न क़बूल किया और मरगया तो उसका मरना क़बूल के क़ाइम मक़ाम होगया यानी दैन मुआफ़ होगया और कफ़ील बरी होगया और अगर त़ालिब ने मुआफ़ करदिया मगर असील ने इन्कार कर दिया मुआफ़ी को मन्ज़ूर नहीं किया तो मुआफ़ी रद होगई और दैन ब'दस्तूर क़ाइम रहा यूँहीं अगर त़ालिब ने असील को दैन हिबा कर दिया और मक़बूल से पहले असील मरगया बरी होगया और असील ने हिबा को रद करदिया तो रद होगया और दैन बदस्तूर बाक़ी रहा कोई बरी न हुआ। (आलमगीरी जि.3 स.262)

मसअ्ला.85:– असील के मरने के बाद त़ालिब ने दैन मुआफ़ करदिया या हिबा करदिया और वुरसा ने क़बूल करलिया तो मुआफ़ी और हिबा स़हीह हैं और रद कर दिया तो रद होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.86:– त़ालिब ने असील को मोहलत देदी कफ़ील के लिये भी मोहलत होगई उससे भी मीआद के अन्दर मुतालबा नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– त़ालिब ने कफ़ील को बरी करदिया यानी उससे मुतालबा मुआफ़ करदिया या उस को मोहलत देदी तो असील न बरी होगा न उस के लिए मोहलत होगी और असील अगर्चे बरी न हुआ मगर कफ़ील को हिबा या स़दक़ा करदिया हो तो चूँके त़ालिब का मुतालबा साक़ित होगया कफ़ील असील से बक़द्र दैन वसूल करेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मोहतार जि.7 स.643)

मसअ्ला.88:– कफ़ील को मुआफ़ करदिया तो चाहे कफ़ील उसको क़बूल करे या न करे बहर हाल मुआफ़ी होगई अलबत्ता अगर उसको हिबा या स़दक़ा करदिया है तो क़बूल करना ज़रूरी है कफ़ील को मोहलत दी मगर उसने मन्ज़ूर नहीं की तो मोहलत कफ़ील के लिये भी न हुई। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.89:– एक शख़्स़ पर दैन वाजिबुल'अदा है यानी फ़ौरी देना है मीआद नहीं है उसकी किफ़ालत किसी ने यूँ की कि इतने दिनों के बाद देने का मैं ज़ामिन हूँ तो यह मीआद असील के लिये भी होगई यानी उससे भी मुतालबा इतने दिनों के लिए टल गया। (हिदाया) और अगर कफ़ील ने मीआद को अपने ही लिये रखा मस्लन यह कहा कि मुझ को इतने दिनों की मोहलत दो या त़ालिब ने वक़्ते किफ़ालत ख़ुसूसियत के साथ कफ़ील को मोहलत दी है तो असील के लिये मोहलत नहीं यूँहीं क़र्ज़ की किफ़ालत मीआद के साथ की तो कफ़ील के लिए मीआद होगई मगर असील के लिये नहीं हुई कि अगर्चे किफ़ालत में मीआद है मगर जिसपर क़र्ज़ है उसके लिये मीआद हो नहीं सकती। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.643)

मसअ्ला.90:– कफ़ील से दैन का मुतालबा किया उससे कोई तअ़ल्लुक़ नहीं इस कहने से असील बरी न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.645)

मसअ्ला.91:– दैन मीआदी था उसकी किफ़ालत की थी कफ़ील मरगया तो कफ़ील के हक़ में मीआद बाक़ी न रही और असील के हक़ में मीआद बदस्तूर है यानी मकफ़ूल लहू कफ़ील के वुरसा से अभी मुतालबा कर सकता है और उसके वुरसा ने दैन अदा करदिया तो असील से उस वक़्त वापस लेने के हक़दार होंगे जब मीआद पूरी होजाये यूहीं अगर असील मरगया तो उसके हक़ में मीआद साक़ित होगई कि उसके तर्का से मरने के बाद ही वसूल कर सकता है और कफ़ील के हक़ में मीआद बदस्तूर बाक़ी है कि अन्दरुने मीआद उससे मुतालबा नहीं होसकता और असील व कफ़ील दोनों मरगये तो त़ालिब को इख़्तियार है जिसके तर्का से चाहे दैन वसूल करले मीआद तक इन्तिज़ार करने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.645)

मसअ्ला.92:– मीआदी दैन को कफ़ील ने मीआद पूरी होने से पहले अदा करदिया तो असील के हक़ में मीआद बदस्तूर है यानी उससे अन्दरुने मीआद वापस नहीं लेसकता। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.645)

मसअ्ला.93:– जिस दैन की किफ़ालत का वह हज़ार रुपये था और पाँचसौ में मुसालहत हुई उस

की चार सूरतें हैं 1.यह शर्त हुई कि असील व कफ़ील दोनों पाँचसौ से बरियुज़्ज़िमा हैं 2.या यह कि असील बरी 3.या सुकूत (ख़ामोश) रहा उसका ज़िक्र ही नहीं कि कौन बरी उन तीनों सूरतों में बाक़ी पाँचसौ से दोनों बरी होगये 4.और अगर फ़क़त कफ़ील का बरी होना शर्त किया यानी कफ़ील से पाँचसौ ही का मुतालबा होगा तो तन्हा कफ़ील पाँचसौ देदे तो बाक़ी का मुतालबा असील से करेगा और कफ़ील ने उसके कहने से किफ़ालत की है तो पाँचसौ असील से वापस ले(रद्दुलमुहतार जि.7 स.645)

मसअ्ला.94:– तालिब ने कफ़ील से यह मुसालहत (सुलह) की कि अगर तुम मुझको इतना दो तो मैं तुम को किफ़ालत से बरी कर दूँगा यानी किफ़ालत से बरी करने का मुआ़वज़ा लेना चाहता है यह सुलह सहीह नहीं और कफ़ील पर उस माल का देना लाज़िम नहीं फिर अगर वह किफ़ालत बिन्नफ़्स थी तो किफ़ालत बाक़ी है कफ़ील बरी नहीं और अगर किफ़ालत बिलमाल थी तो किफ़ालत जाती रही। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.646)

मसअ्ला.95:– एक शख़्स ने दूसरे की किफ़ालत बिन्नफ़्स की। तालिब कहता है कि उसपर मेरा कोई हक़ नहीं उस कहने से कफ़ील बरी नहीं है बल्कि उस शख़्स को हाज़िर लाना होगा और अगर तालिब ने यह कहा कि उस पर कोई मेरा हक़ नहीं न मेरी जानिब से न दूसरे की जानिब से विलायत, विसाया, वकालत किसी एअ्तिबार से मेरा हक़ नहीं कफ़ील बरी होगया(आलमगीरी जि.3 स.263)

मसअ्ला.96:– यह कहा कि फ़ुलाँ शख़्स पर जो हज़ार रुपये हैं उनका मैं ज़ामिन हूँ फिर उस शख़्स मकफ़ूल अ़न्हु ने गवाहों से साबित कर दिया कि किफ़ालत से पहले ही अदा कर चुका है असील बरी होगया मगर कफ़ील बरी न हुआ उसको देना पड़ेगा और अगर गवाहों से यह साबित किया है कि किफ़ालत के बाद अदा करदिया तो दोनों बरी होगये। (बहर जि.6 स.378)

मसअ्ला.97:– कफ़ील ने दैन अदा करने से पहले असील को दैन से बरी कर दिया यह सहीह है यानी उसके बाद दैन अदा करके असील से वापस नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.98:– तालिब ने कफ़ील से यह कहा कि मैंने तुमको बरी कर दिया वह बरी होगया उससे यह साबित नहीं होगा कि कफ़ील ने तालिब को दैन अदा करके छुटकारा हासिल किया लिहाज़ा कफ़ील को असील से वापस लेने का हक़ न होगा और तालिब को असील से दैन वसूल करने का हक़ रहेगा। और अगर तालिब ने यह कहा कि तू बरी होगया उसका यह मतलब होगा कि दैन अदा करके बरी हुआ है यानी मैंने दैन वसूल पालिया इस सूरत में कफ़ील असील से ले सकता है और तालिब असील से नहीं ले सकता। (हिदाया वग़ैरा जि.2 स.92) यह उस वक़्त है जब तालिब मौजूद न हो ग़ायब हो और अगर मौजूद हुआ तो उससे दरयाफ़्त किया जाये कि उस कलाम का क्या मतलब है वह कहे मैंने दैन वसूल पालिया तो दोनों सूरतों में कफ़ील रुजूअ् कर सकता है और यह कहे कि कफ़ील को मैंने मुआ़फ़ कर दिया तो दोनों सूरतों में रुजूअ् नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.99:– तालिब ने दस्तावेज़ इस मज़मून की लिखी कि कफ़ील ने जिन रुपयों की किफ़ालत की थी उससे बरी होगया तो यह दैन वसूल पा लेने का इक़रार है। (आलमगीरी जि.3 स.264)

मसअ्ला.100:– एक शख़्स ने महर की किफ़ालत की अगर दुख़ूल से पहले औ़रत की तरफ़ से कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से जुदाई होगई तो कुल महर साक़ित और कफ़ील बिलकुल बरी और अगर शौहर ने दुख़ूल से पहले तलाक़ देदी तो आधा महर साक़ित (ख़त्म) और कफ़ील भी आधे से बरी(आलमगीरी)

मसअ्ला.101:– औ़रत ने महर के बदले शौहर से खुलअ् किया और उस औ़रत का शौहर के ज़िम्मे दैन है किसी ने उस दैन की किफ़ालत करली उसके बाद उन दोनों ने फिर आपस में निकाह कर लिया तो कफ़ील बरी न हुआ औ़रत उससे मुतालबा कर सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.102:– कफ़ील की बराअत (छुटकारा हासिल करना) को शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया अगर वह शर्त ऐसी है जिसमें तालिब का फ़ायदा है मसलन अगर तुम इतना देदो बरियुज़्ज़िम्मा हो जाओगे यह तअ़्लीक़ सहीह है और अगर वह शर्त ऐसी नहीं है मसलन जब कल का दिन आयेगा तुम बरी हो

जाओगे यह तअ़्लीक़ बात़िल है या़नी बरी न होगा ब'दस्तूर कफ़ील रहेगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.103:– अस़ील की बराअ्त (छुटकारा हासिल करना) को शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना सहीह़ नहीं या़नी वह बरी नहीं होगा त़ालिब ने मदयून(कर्ज़दार)से कहा जो कुछ मेरा माल तुम्हारे ज़िम्मा है अगर मुझे वस़ूल न हुआ और तुम मरगये तो मुआफ़ है और वह मरगया मुआफ़ न हुआ और अगर यह कहा कि मैं मरजाऊँ तो मुआफ़ है और त़ालिब मरगया मुआफ़ होगया कि यह वसि़यत है(आलमगीरी स.265)
मसअ्ला.104:– कफ़ील बिन्नफ़्स की बराअ्त को शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया उसकी तीन स़ूरतें हैं (1)यह शर्त़ है कि तुम दस रुपये देदो बरी हो उस स़ूरत में बराअ्त (छुटकरा) होगई और शर्त़ बात़िल और (2)अगर वह माल का भी कफ़ील है त़ालिब ने यह कहा कि माल अगर देदो तो किफ़ालत बिन्नफ़्स से बरी हो उस में बराअ्त और शर्त़ दोनों जाइज़ कि माल देदेगा बरी होजायेगा (3)कफ़ील बिन्नफ़्स से यह शर्त़ की कि माल देदो और अस़ील से वस़ूल करलो इस स़ूरत में बराअ्त भी न हुई और शर्त़ भी बात़िल। (ख़ानिया)
मसअ्ला.105:– अस़ील ने कफ़ील को माल देदिया कि त़ालिब को अदा करदे और वह कफ़ील त़ालिब के कहने से ज़ामिन हुआ था अब अस़ील वह माल कफ़ील से वापस नहीं लेसकता अगरचे कफ़ील ने त़ालिब को अदा न किया हो। यूहीं अस़ील को यह ह़क़ भी नहीं कि कफ़ील को अदा करने से मनअ़् करदे यह उस स़ूरत में है जब अस़ील ने कफ़ील को बर वजहे क़ज़ा दैन का रुपया दिया हो या़नी यह कहकर कि मुझे अन्देशा है कि कहीं त़ालिब अपना ह़क़ तुम से न वस़ूल करे लिहाज़ा क़ब्ल इसके कि तुम उसे दो मैं तुम को देता हूँ और अगर कफ़ील को बर वजहे रिसालत दिया हो या़नी उसके हाथ त़ालिब के पास भेजा है तो वापस भी ले सकता है और मनअ़् भी कर सकता है और अगर वह शख़्स़ उसके बिग़ैर कहे क़फ़ील होगया है उसने त़ालिब को देने के लिए उसे रुपये देदिये तो जब तक अदा नहीं किया है वापस भी ले सकता है और उसे देने से मनअ़् भी कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)
मसअ्ला106:– अस़ील ने कफ़ील को दिया था मगर उसने त़ालिब को नहीं दिया और अस़ील ने खुद त़ालिब को दिया तो कफ़ील से वापस लेसकता है कि अब उसको रोकने का कोई ह़क़ न रहा(रद्दुलमुह़तार)
मसअ्ला.107:– कफ़ील ने अस़ील से रुपया वस़ूल किया और त़ालिब को नहीं दिया उस रुपये से कुछ मनफ़अ़त ह़ासि़ल की यह नफ़अ़् उसके लिये ह़लाल है कि बर वजहे क़ज़ा जो कुछ कफ़ील वस़ूल करेगा उसका मालिक होजायेगा और अगर अस़ील ने उसके हाथ त़ालिब के यहाँ भेजे हैं और उसने नहीं दिये बल्कि तस़र्रुफ़ करके नफ़अ़् उठाया तो यह नफ़अ़् ख़बीस़् है कि इस तक़दीर पर वह रुपया उसके पास अमानत था उसको तस़र्रुफ़ करना ह़राम था उस नफ़अ़् को स़दक़ा कर देना वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.652)
मसअ्ला.108:– उस स़ूरत में कि कफ़ील ने अस़ील से चीज़ ली और त़ालिब को नहीं दी और उस से नफ़अ़् उठाया अगर वह चीज़ ऐसी हो जो मुतअ़य्यन करने से मुअ़य्यन हो जाती है मस़लन अस़ील पर गेहूँ वाजिब थे उसने कफ़ील को दिये कफ़ील ने उनमें नफ़अ़् ह़ासि़ल किया तो बेहतर यह है कि नफ़अ़् अस़ील को वापस करदे और अस़ील के लिये वह नफ़अ़् ह़लाल है अगर्चे मालदार हो और अगर वह चीज़ नक़ूद की क़िस्म से हो मस़लन रुपया अशर्फ़ी तो नफ़अ़् वापस करना मन्दूब भी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.109:– अस़ील ने कफ़ील से कहा तुम बैअ़् ऐनह करो और जो कुछ ख़सारा होगा वह मेरे ज़िम्मा है (या़नी दस रुपये की मसलन ज़रूरत है कफ़ील ने किसी ताजिर से मांगे वह अपने यहाँ से कोई चीज़ जिस की वाजिबी क़ीमत दस रुपये है कफ़ील के हाथ पन्द्रह रुपये में बैअ़् करदी कफ़ील उस को बाज़ार में दस रुपये में फ़रोख़्त कर देता है उस स़ूरत में ताजिर को पाँच रुपये का नफ़अ़् हो जाता है और कफ़ील को पाँच रुपये का ख़सारा होता है उस को अस़ील कहता है कि मेरे ज़िम्मा है) कफ़ील ने उस के कहने से बैअ़् ऐनिही की ताजिर से जो चीज़ नुक़सान के साथ ख़रीदी है उस का मालिक कफ़ील है और नुक़सान भी कफ़ील ही के सर रहेगा अस़ील से उसका मुत़ालबा नहीं कर सकता क्योंकि अस़ील के लफ़्ज़ से अगर ख़सारा

की ज़मानत मुराद है तो यह बातिल उसकी ज़मानत नहीं होसकती और अगर तौकील (वकालत) क़रार दी जाये तो यह भी सहीह नहीं कि मजहूल की तौकील नहीं होतीं (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.110:– यूँ किफ़ालत की कि जो कुछ उसके जिम्मा लाजिम होगा या साबित होगा या क़ाज़ी जो कुछ उस पर लाज़िम कर देगा मैं उसकी किफ़ालत करता हूँ और असील गायब होगया मुद्दई ने क़ाज़ी के सामने कफ़ील के मुक़ाबले में गवाह पेश किये कि उसके जिम्मा मेरा इतना है तो जब तक असील हाज़िर न हो गवाह मक़बूल नहीं जब असील हाज़िर होगा उसके मुक़ाबिले में गवाह सुने जायेंगे और फ़ैसला होगा उसके बाद कफ़ील से मुतालबा होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.111:– मुद्दई ने यह दअ्वा किया कि फ़ुलाँ शख़्स जो गायब है उसके जिम्मा मेरा इतना रुपया है और यह शख़्स उस का कफ़ील है और उसको गवाहों से साबित कर दिया उस सूरत में सिर्फ़ कफ़ील के मुक़ाबले में फ़ैसला होगा और अगर मुद्दई ने यह भी साबित किया है कि यह उसके हुक्म से ज़ामिन हुआ था तो कफ़ील व असील दोनों के मुक़ाबले में फ़ैसला होगा और कफ़ील को असील से वापस लेने का हक़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.112:– किफ़ालत बिद्दर्क (यानी बाइअ् की तरफ़ से उस बात की किफ़ालत कि अगर मबीअ् (बेची गई चीज़) का कोई दूसरा हक़दार साबित हुआ तो समन का मैं जिम्मेदार हूँ) यह कफ़ील की जानिब से तस्लीम है कि मबीअ् बाइअ् की मिल्क है लिहाज़ा जिसने किफ़ालत की वह खुद उसका दअ्वा नहीं कर सकता कि मबीअ् मेरी मिल्क है जिस तरह कफ़ील को शुफ़अ् करने का हक़ नहीं कि उसका कफ़ील होना इस बात की दलील है कि मुश्तरी के ख़रीदने पर राज़ी है यूँहीं जिस दस्तावेज़ में यह तहरीर है कि मैंने अपनी मिल्क फ़ुलाँ के हाथ बैअ् की या मैंने **बैअ् बात** नाफ़िज़ फ़ुलाँ के हाथ की इस दस्तावेज़ पर किसी ने अपनी गवाही लिखी या क़ाज़ी के यहाँ बैअ् की शहादत दी उन सब सूरतों में बाइअ् की मिल्क का इक़रार है कि यह शख़्स अब अपनी मिल्क का दअ्वा नहीं कर सकता और अगर दस्तावेज़ में फ़क़त इतनी बात लिखी है कि फ़ुलाँ शख़्स ने यह चीज़ बैअ् की बाइअ् ने उसमें अपनी मिल्क का ज़िक्र नहीं किया है न यह कि बैअ् बात नाफ़िज़ है ऐसी दस्तावेज़ पर गवाही करना बाइअ् की मिल्क का इक़रार नहीं या उसने अपनी गवाही के अल्फ़ाज़ यह तहरीर किये कि आक़िदैन ने बैअ् का इक़रार किया मैं उसका शाहिद हूँ यह भी मिल्के बाइअ् का इक़रार नहीं यानी ऐसी शहादत तहरीर करने के बाद भी अपनी मिल्क का दअ्वा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.113:– किफ़ालत बिद्दर्क में महज़ इस्तिहक़ाक़ (हक़ साबित होने) से ज़ामिन से मुआख़ज़ा नहीं होगा जब तक क़ाज़ी यह फ़ैसला न करदे कि मबीअ् मुस्तहक़ की है और बैअ् को फ़स्ख़ न करदे। बैअ् फ़स्ख़ होने के बाद बेशक कफ़ील से समन का मुतालबा हो सकता है(दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.662)

मसअ्ला.114:– इस्तिहक़ाक़ मुब्तिल (जिस का ज़िक्र बाबुलइस्तिहक़ाक़ में हो चुका है) मसलन दअ्वा नसब (नसब का दावा मसलन यह मेरा बेटा या बेटी है) या यह दअ्वा किया कि जो ज़मीन ख़रीदी है यह वक़्फ़ है या यह पहले मस्जिद थी उनमें अगर्चे क़ाज़ी ने यह फ़ैसला न दिया हो कि समन मकफ़ूल अन्हु (बाइअ्) से वापस लिया जाये मुश्तरी कफ़ील से वसूल कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.115:– एक ने दूसरे से कहा तुम अपनी फ़ुलाँ चीज़ उसके हाथ एक हज़ार में बैअ् करदो मैं उस हज़ार का ज़ामिन हूँ उसने दो हज़ार में बैअ् की कफ़ील एक ही हज़ार का ज़ामिन है और पाँचसौ में बैअ् की तो कफ़ील पाँचसौ का ज़ामिन है। (आलमगीरी जि.3 स.272)

मसअ्ला.116:– यह कहा कि जो कुछ तेरा फ़ुलाँ के ज़िम्मे है मैं उसका ज़ामिन हूँ और गवाहों से साबित हुआ कि उसके ज़िम्मा हज़ार रुपये हैं तो कफ़ील से हज़ार का मुतालबा होगा और अगर गवाहों से साबित न हुआ तो कफ़ील क़सम के साथ जितने का इक़रार करे उसी का मुतालबा होगा और अगर मकफ़ूल अन्हु उससे ज़्यादा का इक़रार करता है तो यह ज़ाइद कफ़ील से नहीं लिया जा सकता मकफ़ूल अन्हु से लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.117:– कफ़ील ने हालते सेहत में यह कहा जो कुछ फ़ुलाँ शख़्स अपने ज़िम्मा फ़ुलाँ के

लिए इक़रार करले उसका मैं ज़ामिन हूँ उसके बाद कफ़ील बीमार होगया यानी मरज़ुल मौत में मुब्तला होगया और उसके पास जो कुछ है वह सब दैन में मुस्तग़रक़ है मकफूल अन्हु ने तालिब के लिए एक हज़ार का इक़रार किया कफ़ील के ज़िम्मा एक हज़ार लाज़िम होगये यूंही अगर कफ़ील के मरने के बाद एक हज़ार का इक़रार किया तो यह कफ़ील के ज़िम्मा लाज़िम होगये मगर चूँकि कफ़ील के पास जो कुछ माल था वह दैन मैं मुस्तग़रक़ था लिहाज़ा मकफूल लहू दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों की तरह कफ़ील के तर्का से अपने हिस्सा की क़द्र वसूल करेगा यह नहीं हो सकता कि यह कह दिया जाये कि दैन से बची हुई कोई जायदाद नहीं है लिहाज़ा मकफूल लहू को नहीं मिलेगा सिर्फ़ क़र्ज़ ख़्वाह लेंगे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.118:– एक शख़्स दे दूसरे की तरफ़ से किफ़ालत की और यह शर्त की कि तुम अपनी फ़ुलाँ चीज़ मेरे पास रहन रख दो मगर तालिब से यह नहीं कहा कि मैंने उस शर्त पर किफ़ालत की है अब मकफूल अन्हु अपनी चीज़ रहन रखना नहीं चाहता तो कफ़ील को किफ़ालतं फ़स्ख़ करने का इख़्तियार नहीं तालिब का मुतालबा देना पड़ेगा क्योंकि रहन की शर्त अगर थी तो मकफूल अन्हु से थी तालिब को उस शर्त से तअ़ल्लुक़ नहीं हाँ अगर तालिब से कह दिया था कि तेरे लिए इस शर्त पर किफ़ालत करता हूँ कि मकफूल अन्हु अपनी फ़ुलाँ चीज़ मेरे पास रहन रखे तो बेशक रहन न रखने की सूरत में किफ़ालत को फ़स्ख़ कर सकता है और अब तालिब उससे मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.119:– कफ़ील ने यूँ किफ़ालत की कि मकफूल अन्हु की जो अमानत मेरे पास है मैं उससे तुम्हारा दैन अदा करूँगा यह किफ़ालत सहीह है और अमानत से उसको दैन अदा करना होगा और अमानत उसके पास से हलाक होगई तो किफ़ालत भी ख़त्म होगई कफ़ील से मुतालबा नहीं होसकता।(आ)

मसअ्ला.120:– यूँ ज़मानत की थी कि उस चीज़ के समन से दैन अदा करेगा और वह चीज़ कफ़ील ही की है मगर बैअ् करने से पहले ही वह चीज़ हलाक होगई तो किफ़ालत बातिल होगई और अगर वह चीज़ सौ रुपये में बेची और उसकी वाजिबी क़ीमत भी सौ ही है और दैन हज़ार रुपये है तो कफ़ील को सौ ही देने होंगे। (आलमगीरी जि.3 स.283)

मसअ्ला.121:– सौ रुपये की ज़मानत की और यह कह दिया कि पचास यहाँ देगा और पचास दूसरे शहर में मगर मीआ़द नहीं मुक़र्रर की है तालिब को इख़्तियार है जहाँ चाहे वसूल कर सकता है और अगर वह चीज़ जो ज़ामिन देगा ऐसी है जिस में बार बर्दारी सर्फ़ होगी तो जिस मक़ाम में देना क़रार पाया है वहीं मुतालबा हो सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.122:– एक शख़्स ने कपड़ा ग़सब किया था मालिक ने उसे पकड़ा और दूसरा शख़्स ज़ामिन हुआ कि उसको कल मैं हाज़िर कर दूँगा मुद्दई ने कहा अगर तुम उसको न लाये तो कपड़े की क़ीमत दस रुपये है वह तुमको देने होंगे कफ़ील ने कहा दस नहीं बीस में दूँगा और मकफूल लहू ख़ामोश रहा तो कफ़ील से दस ही वसूल किये जा सकते हैं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.123:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तुम उस रास्ते से जाओ अगर तुम्हारा माल छीन लिया जाये मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह है कफ़ील को माल देना होगा और अगर यह कहा कि उस रास्ते से जाओ अगर दरिन्दे ने तुम्हारा माल हलाक कर दिया, तुम्हारे बेटे को मार डाला तो मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.124:– दूसरे के दैन की किफ़ालत की उस शर्त पर कि फ़ुलाँ और फ़ुलाँ भी इतने की किफ़ालत करें और उन दोनों ने इन्कार कर दिया तो पहली किफ़ालत लाज़िम रहेगी उसको फ़स्ख़ करने का इख़्तियार न होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.125:– एक शख़्स ने दूसरे की तरफ़ से हज़ार रुपये की ज़मानत की थी अब कफ़ील यह कहता है वह रुपये जुये के थे या शराब के दाम थे या उसी क़िस्म की किसी दूसरी चीज़ का नाम

लिया यानी वह रुपये मकफूल अन्हु पर वाजिब नहीं थे लिहाज़ा किफ़ालत सहीह नहीं हुई और मुझ से मुतालबा नहीं होसकता कफ़ील की यह बात क़ाबिले समाअ़त नहीं बल्कि मकफूल लहू के मुक़ाबिल में अगर गवाह भी इस बात पर पेश करे और मकफूल लहू इन्कार करता हो तो कफ़ील के गवाह भी नहीं लिये जायेंगे और अगर मकफूल लहू पर हल्फ़ रखना चाहे तो हल्फ़ नहीं दिया जायेगा और अगर इस बात के गवाह पेश करना चाहता है कि ख़ुद मकफूल लहू ने ऐसा इक़रार किया था जब भी गवाह मसमूअ़ न होंगे (गवाह सुने नहीं जायेंगे)। (आलमगीरी जि.3 स.280)

मसअ्ला.126:– कफ़ील ने तालिब का मुतालबा अदा कर दिया और मकफूल अन्हु से वापस लेना चाहता है मकफूल अन्हु उसी क़िस्म का उज़्र पेश करता है कि वह रुपया जिसका मुझ पर मुतालबा था वह जुये का था यानी जुये में मैं हार गया था उसका मुतालबा था या शराब का समन था और मकफूल लहू मौजूद नहीं है कि उससे दरयाफ़्त किया जाये यह गवाह पेश करना चाहता है गवाह नहीं लिये जायेंगे बल्कि यह हुक्म दिया जायेगा कि कफ़ील का रुपया अदा करदे और उससे यह कहा जायेगा कि तुझ को यह दअ़वा करना हो तो तालिब के मुक़ाबिल में कर और अगर तालिब ने अब तक कफ़ील से वसूल नहीं किया है उसने क़ाज़ी के सामने इक़रार करलिया कि यह मुतालबा शराब के समन का है तो असील व कफ़ील दोनों बरी कर दिये जायें और अगर क़ाज़ी ने कफ़ील को बरी कर दिया मगर मकफूल अन्हु ने हाज़िर होकर यह इक़रार किया कि वह रुपया क़र्ज़ था या मबीअ़ का समन था और तालिब भी उसकी तस्दीक़ करता है तो असील पर उस माल का देना लाज़िम है और कफ़ील के मुक़ाबले में उन दोनों की बात क़ाबिले एअ़्तिबार न रही। (ख़ानिया)

मसअ्ला.127:– तीन शख़्सों के हज़ार, हज़ार रुपये एक शख़्स के ज़िम्मा हैं मगर सबका दैन अलग अलग है यह नहीं कि वह रुपये सबके मुश्तरक हों तो उनमें दो तीसरे के लिए यह गवाही दे सकते हैं कि उसके रुपये की फुलाँ शख़्स ने ज़मानत की थी और अगर रुपये में शिरकत हो तो गवाही मक़बूल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.128:– ख़िराजे मोज़िफ़ में (जिसकी मिक़दार मुअय्यन होती है कि सालाना इतना देना होता है जिस का ज़िक्र किताबुज़्ज़कात में गुज़रा) किफ़ालत सहीह है और उसके मुक़ाबिल में रहन रखना भी सहीह है और ख़िराज मुक़ासिमा की न किफ़ालत सहीह हो सकती है न उसके मुक़ाबिल में रहन रखना सहीह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.129:– सलतनत की जानिब से जो मुतालबात लाज़िम होते हैं उनकी किफ़ालत भी सहीह है ख़्वाह वह मुतालबा जाइज़ हो या ना'जाइज़ क्योंकि यह मुतालबा दैन के मुतालबा से भी सख़्त होता है मसलन आजकल गवरमेन्ट ज़मीनदारों से माल गुज़ारी (ज़मीन का सरकारी तै किया हुआ टेक्स) और अबवाब (ज़मीन का सरकारी ग़ैर मुक़र्ररा टेक्स) लेती है अगर उसके देने में ताख़ीर करे फ़ौरन हिरासत में लेलिया जाता है जायदाद नीलाम करदी जाती है उसी तरह मकान का टेक्स, इन्कम टेक्स, चुंगी कि इन तमाम मुतालबात के अदा करने पर आदमी मजबूर है लिहाज़ा इन सब की किफ़ालत सहीह है और जिसपर मुतालबा है उसके हुक्म से किफ़ालत की है तो कफ़ील उससे वापस लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.130:– दलाल (कमीशन एजेन्ट) के पास से चीज़ जाती रही उस पर तावान वाजिब नहीं और अगर दलाल यह कहता है कि मैंने किसी दुकान में रखदी थी याद नहीं किस दुकान में रखी थी तो तावान देना पड़ेगा और अगर दलाल ने दुकानदार को दिखाई और दाम तै होगये और उसके पास रखकर चला गया दुकानदार के पास से जाती रही या दलाल ने बाज़ार में वह चीज़ दिखाई फिर किसी दुकानदार पर रख दी यहाँ से जाती रही तो तावान देना होगा और दुकानदार से तावान नहीं लिया जा सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.131:– किसी ने दलाल को चीज़ दी और दलाल को मालूम होगया कि यह चीज़ चोरी की है और उसका मालिक फुलाँ शख़्स है उसने मालिक को चीज़ देदी दलाल से मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.132:– दलाल ने बाइअ् के लिए समन की ज़मानत की यह किफ़ालत सहीह नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.133:– एक शख़्स ने कहा फुलाँ शख़्स पर मेरे इतने रुपये हैं अगर तुम वसूल कर लाओ तो दस रुपये तुम को दूँगा उस वसूल करने वाले को उजरते मिस्ल मिलेगी जो दस रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.628)

दो शख़्स किफ़ालत करें उसकी सूरतें

मसअ्ला.134:– दो शख़्सों पर दैन है मस्लन दोनों ने कोई चीज़ सौ रुपये में ख़रीदी थी और उन में हर एक ने दूसरे की तरफ़ से उसके कहने से किफ़ालत की यह किफ़ालत सहीह है और उस सूरत में चूंकि हर एक निस्फ़ दैन में असील है और निस्फ़ में कफ़ील है लिहाज़ा जो कुछ अदा करेगा जब तक निस्फ़ से ज़्यादा न हो वह इसालतन क़रार पायेगा यानी वह रुपया अदा किया जो उस पर इसालतन था शरीक से वसूल नहीं कर सकता और जब निस्फ़ से ज़्यादा अदा किया तो जो कुछ ज़्यादा दिया है किफ़ालत में शुमार होगा शरीक से वसूल कर सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.135:– सूरते मज़कूरा में सिर्फ़ एक ने दूसरे की तरफ़ किफ़ालत की है और कफ़ील ने कुछ अदा किया और कहता है कि मैंने जो कुछ अदा किया है बतौर किफ़ालत है उसकी बात मक़बूल है यानी दूसरे मदयून मकफूल अन्हु से वापस ले सकता है। (रद्दुलमुहतार जि.2 स.96)

मसअ्ला.136:– दो शख़्सों पर दैन है और हर एक ने दूसरे की तरफ़ से किफ़ालत की मगर दोनों पर दो क़िस्म के दैन हैं एक पर मीआ़दी दैन है और दूसरे पर फ़ौरन वाजिबुल'अदा है और जिस पर मीआ़दी दैन है उसने मीआद से पहले एक रक़म अदा की और यह कहता है मैंने दूसरे की तरफ़ से यानी किफ़ालत के रुपये अदा किये हैं उसकी बात क़ाबिले तस्लीम है जो कुछ उसने दिया है दूसरे से वसूल कर सकता है और जिसके ज़िम्मा फ़ौरन वाजिबुल'अदा है उसने दिया और कहता यह है कि किफ़ालत के रुपये अदा किये हैं तो जब तक मीआद पूरी न होजाये दूसरे से वसूल नहीं कर सकता और अगर एक पर क़र्ज़ है दूसरे के ज़िम्मा मबीअ् का समन है और हर एक ने दूसरे की किफ़ालत की तो जो अदा करे यह नियत कर सकता है कि अपने साथी की तरफ़ से अदा करता हूँ यानी उससे वसूल कर सकता है। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.681)

मसअ्ला.137:– एक शख़्स पर दैन है दो शख़्सों ने उसकी किफ़ालत की यानी हर एक ने पूरे दैन की ज़मानत की फिर हर एक कफ़ील ने दूसरे कफ़ील की तरफ़ से भी किफ़ालत की उस सूरते मफ़रूज़ा में एक कफ़ील जो कुछ अदा करेगा उसका निस्फ़ दूसरे से वसूल कर सकता है और यह भी हो सकता है कि कुल रुपया असील से वसूल करे और अगर तालिब ने एक को बरी कर दिया तो दूसरा बरी न होगा क्योंकि यहाँ हर एक कफ़ील है और असील भी है और कफ़ील के बरी करने से असील बरी नहीं होता। (हिदाया जि.2 स.96)

मसअ्ला.138:– दो शख़्सों के माबैन शिरकते मुफ़ावज़ा थी और दोनों अलाहिदा होगये क़र्ज़ ख़्वाह को इख़्तियार है कि उनमें जिस से चाहे पूरा दैन वसूल कर सकता है क्योंकि शिरकते मुफ़ावज़ा में हर एक दूसरे का कफ़ील होता है और एक ने जो दैन अदा किया है अगर वह निस्फ़ तक है तो दूसरे से वसूल नहीं कर सकता और निस्फ़ से ज़्यादा दे चुका तो यह रक़म अपने साथी से वसूल कर सकता है। (हिदाया जि.2 स.96)

मसअ्ला.139:– अपने दो गुलामों से अक़्दे किताबत किया उनमें हर एक ने दूसरे की किफ़ालत की तो जो कुछ बदले किताबत एक अदा करेगा उसका निस्फ़ दूसरे से वसूल कर सकता है। अगर मौला ने उनमें से बादे अक़्दे किताबत एक को आज़ाद कर दिया यह आज़ाद होगया और उसके मुक़ाबले में जो कुछ बदले किताबत था साक़ित होगया और दूसरे का बदले किताब बाक़ी है और इख़्तियार है जिससे चाहे वसूल करे क्योंकि एक असील है दूसरा कफ़ील है अगर कफ़ील से लिया तो यह असील से वसूल कर सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.140:– किसी ने गुलाम की तरफ़ से माल की किफ़ालत की उस किफ़ालत का असर मौला (आका) के हक़ में बिल्कुल न होगा यानी कफ़ील मौला से रुपया वसूल नहीं कर सकता उस किफ़ालत का असर यह होगा कि गुलाम जब आज़ाद होजाये उससे वसूल किया जाये और कफ़ील को यह रुपया फ़िल'हाल अदा करना होगा अगर्चे उसकी शर्त न हो हाँ अगर किफ़ालत के वक़्त ही मीआद की शर्त हो तो जब तक मीआद पूरी न हो दैन अदा करना वाजिब नहीं। (हिदाया, फ़त्हुलकदीर)

मसअ्ला.141:– एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि यह गुलाम मेरा है किसी ने उसकी किफ़ालत की उसके बाद गुलाम मरगया और मुद्दई ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित करदी कफ़ील को उस की क़ीमत देनी पड़ेगी और अगर गुलाम पर माल का दअ्वा होता और किफ़ालत बिन्नफ़्स करता फिर वह मर जाता तो कफ़ील बरी हो जाता। (हिदाया जि.2 स.98)

हवाला का बयान

हवाला जाइज़ है मदयून (मक़रूज़) कभी दैन अदा करने से आजिज़ होता है और दाइन (कर्ज़ देने वाला) का तक़ाज़ा होता है इस सूरत में दाइन को दूसरे पर हवाला कर देता है और कभी यूँ होता है कि मदयून का दूसरे पर दैन है मदयून अपने दाइन को उस दूसरे पर हवाला कर देता है क्योंकि दाइन को उस पर इत्मिनान होता है वह ख़्याल करता है कि उससे बा'आसानी मुझे वसूल हो जायेगा बिलजुमला उस की मुतअ़द्दिद सूरतें हैं और उसकी हाजत भी पेश आती है। इसी लिए हदीस में इरशाद फ़रमाया कि तवंगर (मालदार) का दैन अदा करने में देर करना ज़ुल्म है और जब मालदार पर हवाला कर दिया जाये तो दाइन क़बूल करले इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिबरानी वग़ैरहुम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअ्ला.1:– दैन को अपने ज़िम्मा से दूसरे के ज़िम्मा की तरफ़ मुन्तक़िल कर देने को हवाला कहते हैं मदयून को मुहील कहते हैं और दाइन को मोहताल और मोहताल लहू और मुहाल, मुहाल लहू और हवील कहते हैं और जिसपर हवाला किया गया उसको मोहताल अलैहि और मुहाल अलैहि कहते हैं और माल को मुहाल बिह कहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, जि.4 स.705)

मसअ्ला.2:– हवाला के रुक्न ईजाब व क़बूल हैं मसलन मदयून यह कहे मेरे ज़िम्मा जो दैन है फ़ुलाँ शख़्स पर मैंने उसका हवाला किया मोहताल लहू और मोहताल अलैहि ने कहा हमने क़बूल किया। (आलमगीरी जि.3 स.295)

हवाला के शराइत

मसअ्ला.3:– हवाला के लिये चन्द शराइत हैं 1.मुहील का आक़िल बालिग़ होना मजनून या ना'समझ बच्चे ने हवाला किया यह सहीह नहीं। और ना'बालिग़ आक़िल ने जो हवाला किया यह इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ है उसने जाइज़ कर दिया नाफ़िज़ होजायेगा वरना नाफ़िज़ न होगा मुहील का आज़ाद होना शर्त नहीं अगर गुलाम माज़ून'लहू है तो मोहताल अलैहि दैन अदा करने के बाद उससे वसूल कर सकता है और महजूर (यानी उसके मालिक ने उसे ख़रीद व फ़रोख़्त से रोक दिया हो) है तो जब तक आज़ाद न हो उससे वसूल नहीं किया जा सकता मुहील अगर मर्ज़ुल मौत में मुब्तला है जब भी हवाला दुरुस्त है यानी सेहत शर्त नहीं मुहील का राज़ी होना भी शर्त नहीं यानी अगर मदयून ने खुद हवाला न किया बल्कि मोहताल अलैह ने दाइन से यह कह दिया कि फ़ुलाँ शख़्स पर जो तुम्हारा दैन है उसको मैं अपने ऊपर हवाला करता हूँ तुम उसको क़बूल करो उसने मन्ज़ूर कर लिया हवाला सहीह होगया उसको दैन अदा करना होगा मगर मदयून से उस सूरत में वसूल नहीं कर सकता कि यह हवाला उसके हुक्म से नहीं हुआ। (आलमगीरी जि.3 स.295) 2.मोहताल का आक़िल बालिग़ होना मजनून या ना'समझ बच्चा ने हवाला क़बूल कर लिया सहीह न हुआ और नाबालिग़ समझ वाल ने किया तो इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ है जब कि मोहताल अलैहि ब'निस्बत मुहील के ज़्यादा मालदार हो 3.मोहताल का राज़ी होना अगर मोहताल यानी दाइन को हवाला

क़बूल करने पर मजबूर किया गया हवाला सहीह न हुआ। 4.मोहताल का उसी मज्लिस में क़बूल करना यानी अगर मदयून ने हवाला कर दिया और दाइन वहाँ मौजूद नहीं है जब उस को ख़बर पहुँची उसने मन्ज़ूर कर लिया यह हवाला सहीह न हुआ। हाँ अगर मज्लिसे हवाला में किसी ने उस की तरफ़ से क़बूल कर लिया जब ख़बर पहुँची उसने मन्ज़ूर कर लिया यह हवाला सहीह हो गया। 5.मोहताल अलैहि का आक़िल, बालिग़ होना समझ वाल बच्चा ने हवाला क़बूल कर लिया जब भी सहीह नहीं अगर्चे उसे तिजारत की इजाज़त हो अगर्चे उसके वली ने भी मन्ज़ूर कर लिया हो 6.मोहताल अलैहि का क़बूल करना यह ज़रूर नहीं कि उसी मज्लिसे हवाला ही में उसने क़बूल किया हो बल्कि अगर वहाँ मौजूद नहीं है मगर जब ख़बर मिली उसने मन्ज़ूर कर लिया सहीह हो गया यह ज़रूर नहीं कि मुहील का उसके ज़िम्मा दैन हो। हो या न हो जब क़बूल कर लेगा सहीह हो जायेगा। 7.जिस चीज़ का हवाला किया गया हो वह दैन लाज़िम हो। ऐन का हवाला या दैन ग़ैर लाज़िम मसलन बदले किताबत का हवाला सहीह नहीं खुलासा यह कि जिस दैन की किफ़ालत नहीं हो सकती उसका हवाला भी नहीं हो सकता।

मसअला.4:– मोहताल'अलैहि ने दूसरे पर हवाला कर दिया और तमाम शराइत पाये जाते हों। यह हवाला भी सहीह है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.5:– दैन मजहूल का हवाला सहीह नहीं मसलन यह कह दिया कि जो कुछ तुम्हारा फ़ुलाँ के ज़िम्मा मुतालबा साबित हो उसको मैंने अपने ऊपर हवाला किया यह सहीह नहीं।(रद्दुलमुहतार स.290)

मसअला.6:– माले ग़नीमत दारुल'इस्लाम में लाकर जमअ कर दिया गया है मगर अभी उसकी तक़सीम नहीं हुई ग़ाज़ी ने दैन लेकर अपना काम चलाया और दाइन को बादशाह पर हवाला कर दिया कि ग़नीमत से जो मेरा हिस्सा मिले इतना उस शख़्स को दिया जाये यह हवाला सहीह है यूँहीं जो शख़्स जायदादे मौक़ूफ़ा की आमदनी का हक़दार है उसने क़र्ज़ लिया और मुतवल्ली पर दाइन को हवाला कर दिया कि मेरे हिस्सा की आमदनी से उसका दैन अदा किया जाये यह हवाला भी सहीह है। (रद्दुलमुहतार स.291) यूंही मुलाज़िम पर दैन है जिसके यहाँ नौकर है उसपर हवाला कर दिया कि मेरी तनख़्वाह से उसका दैन अदा कर दिया जाये सहीह है।

मसअला.7:– जब हवाला सहीह होगया मुहील यानी मदयून दैन से बरी होगया जब तक दैन के हलाक होने की सूरत पैदा न हो मुहील को दैन से कोई तअल्लुक़ न रहा दाइन को यह हक़ न रहा कि उससे मुतालबा करे अगर मुहील मरजाये मोहताल उसके तर्का से दैन वसूल नहीं कर सकता अलबत्ता वुरसा से कफ़ील ले सकता है कि दैन हलाक होने की सूरत में तर्का से दैन वसूल हो सके। दाइन मुहील को मुआफ़ करना चाहे मुआफ़ नहीं कर सकता न दैन उसे हिबा कर सकता है कि उसके ज़िम्मा दैन ही न रहा मुश्तरी ने बाइअ को समन का हवाला किसी दूसरे पर कर दिया बाइअ मबीअ को रोक नहीं सकता। राहिन (गिरवी रखने वाला) ने मुरतहिन (जिसके पास चीज़ गिरवी रखी जाये) को दूसरे पर हवाला कर दिया मुरतहिन को रोकने का हक़दार न रहा यानी रहन वापस करना होगा। औरत ने महर मुअज्जल का मुतालबा किया था शौहर ने हवाला कर दिया औरत अपने नफ़्स को नहीं रोक सकती। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.8:– अगर दैन हलाक होने की सूरत पैदा होगई तो मुहताल मुहील से मुतालबा करेगा और उससे दैन वसूल करेगा दैन हलाक होने की दो सूरतें हैं मोहताल'अलैहि ने हवाला ही से इन्कार कर दिया और गवाह न मुहील के पास हैं न मुहताल के पास मुहताल'अलैहि पर हलफ़ दिया गया उसने क़सम खाली कि मैंने हवाला नहीं क़बूल किया है मुहताल अलैहि मुफ़्लिसी की हालत में मर गया न उसके पास ऐन है न दैन जिस से मुतालबा अदा हो सके न उसने कोई कफ़ील छोड़ा है कि कफ़ील से ही रक़म वसूल की जाये। (हिदाया जि.2 स.99)

मसअला.9:– मोहताल'अलैहि के मरने के बाद मुहील व मोहताल में इख़्तिलाफ़ हुआ मोहताल कहता

है उसने कुछ नहीं छोड़ा है और मुहील कहता है तर्का छोड़ मरा है मोहताल का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है यानी यह क़सम खायेगा कि मुझे मालूम नहीं है कि वह तर्का छोड़ मरा है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मोहताल'अ़लैहि ने मुहील से यह मुतालबा किया कि तुम्हारे हुक्म से मैंने तुम पर जो दैन था अदा कर दिया लिहाज़ा वह रक़म मुझे देदो मुहील ने जवाब में यह कहा कि मैंने तुम पर हवाला इस लिये किया था कि मेरा दैन तुम्हारे ज़िम्मा था लिहाज़ा मेरे ज़िम्मा मुतालबा नहीं रहा इस सूरत में मोहताल'अ़लैहि का क़ौल मोअ्बर है क्योंकि मुहील ने हवाला का इक़रार कर लिया और हवाला के लिये यह ज़रूरी नहीं कि मुहील का मोहताल'अ़लैहि के ज़िम्मा बाक़ी हो(दुर्रेमुख़्तार 293)

मसअ्ला.11:– मुहील ने मोहताल से यह कहा कि मैंने तुम्हें फ़ुलाँ पर हवाला इस लिये किया था कि उस चीज़ पर मेरे लिए क़ब्ज़ा करो यानी यह हवाला ब'मअ्ना वकालत है मोहताल जवाब में यह कहता है कि यह बात नहीं बल्कि तुम्हारे ज़िम्मा मेरा दैन था इस लिए तुमने हवाला किया था उस सूरत में मुहील का क़ौल मोअ्तबर है कि वही मुन्किर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– हवाला की दो क़िस्में हैं **1.मुतलक़ा 2.मुक़य्यदा** मुतलक़ा का मतलब यह है कि उस में यह क़ैद न हो कि अमानत या दैन जो तुम पर है उससे उस दैन को अदा करना मुक़य्यदा में उसी क़िस्म की क़ैद होती है हवाला अगर मुतलक़ा हो और फ़र्ज़ करो मुहील (मक़रूज़) का दैन या अमानत मोहताल'अ़लैहि (मक़रूज़ क़र्ज़ की अदायगी जिसके ज़िम्मे डालदे) के पास है तो मोहताल (क़र्ज़ देने वाले) का हक़ उस मख़्सूस माल के साथ मुतअ़ल्लिक़ नहीं बल्कि मोहताल अ़लैहि के ज़िम्मा के साथ मुतअ़ल्लिक़ होगा यानी मुहील अपना दैन या वदीअ़त मोहताल अ़लैहि से लेले तो हवाला बातिल न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुहील पर दैन ग़ैर मीआ़दी है यानी फ़ौरन वाजिबुल'अदा है उसका हवाला कर दिया तो मोहताल'अ़लैहि पर फ़ौरन अदा करना वाजिब है और मुहील पर दैन मीआ़दी है मसलन एक साल की मीआ़द है उसका हवाला किया और मोहताल'अ़लैहि के लिए भी एक साल की मीआ़द ज़िक्र करदी गई तो मोहताल'अ़लैहि के लिए भी मीआ़द होगई और उस सूरत में अगर हवाला के अन्दर मीआ़द का ज़िक्र न हुआ जब भी हवाला मीआ़दी है जिस तरह मीआ़दी दैन की किफ़ालत करने से कफ़ील के लिये भी मीआ़द होजाती है अगर्चे किफ़ालत में मीआ़द का ज़िक्र न हो(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुहील पर मीआ़दी दैन था उसका हवाला कर दिया और मुहील मरगया तो मोहताल अ़लैहि पर अब भी मीआ़दी है मुहील के मरने से मीआ़द साक़ित न होगी और मोहताल अ़लैहि मरगया तो मीआ़द जाती रही अगर्चे मुहील ज़िन्दा हो हाँ अगर मोहताल अ़लैहि मुफ़्लिस मरा कुछ तर्का उसने नहीं छोड़ा तो मुहील की तरफ़ दैन रुजूअ़ करेगा और वह मीआ़द भी होगी जो पहले थी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुहील पर दैन ग़ैर मीआ़दी था मसलन क़र्ज़ उसका हवाला किया और मोहताल अ़लैहि ने कोई मीआ़द हवाला में ज़िक्र की तो यह मीआ़दी होगया अन्दरूने मीआ़द मुतालबा नहीं हो सकता मगर मोहताल अ़लैहि अगर नादार होकर मरा तो फिर मुहील की तरफ़ दैन रुजूअ़ करेगा और ग़ैर मीआ़दी होगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– ज़ैद के हज़ार रुपये अ़म्र पर वाजिबुल'अदा हैं और अ़म्र के बकर पर हज़ार रुपये वाजिबुल'अदा हैं अ़म्र ने ज़ैद को बकर पर हवाला कर दिया कि तुम्हारे ज़िम्मा जो मेरे रुपये वाजिबुल'अदा हैं वह ज़ैद को अदा करदो यह हवाला सहीह है फिर अगर ज़ैद ने बकर को मसलन एक साल की मीआ़द देदी तो अ़म्र व बकर से अपना रुपया वसूल नहीं कर सकता और अगर मीआ़द देने के बाद ज़ैद ने बकर को हवाला की रक़म से बरी कर दिया तो अ़म्र अपना दैन बकर से वसूल कर सकता है। (ख़ानिया जि.2 स.189)

मसअ्ला.17:– ज़ैद के अ़म्र पर हज़ार रुपये वाजिबुल'अदा हैं और ज़ैद ने अपने दाइन को अ़म्र पर हवाला कर दिया कि एक साल में अ़म्र उस को रुपये देदे मगर ज़ैद ने ख़ुद साल के अन्दर दैन

अदा कर दिया तो अम्र से अपने रुपये अभी वसूल कर सकता है। (आलमगीरी जि.3 स.298)

मसअ्ला.18:– ना'बालिग़ का किसी के ज़िम्मा दैन था उसने हवाला कर दिया और उसमें कोई मीआ़द मुक़र्रर हुई उस ना'बालिग़ के बाप या वसी ने हवाला क़बूल कर लिया यह ना'जाइज़ है यानी जब कि ना'बालिग़ को वह दैन मीरास् में मिला हो और अगर बाप या वसी ने उस ना'बालिग़ के लिए कोई अ़क़्द किया हो उसका दैन हो तो उसमें मीआ़द मुक़र्रर करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– हवाला का रुपया जब तक मोह़ताल'अ़लैहि अदा न करले मुहील से वसूल नहीं कर सकता और अगर मुह़ताल लहू ने मोह़ताल'अ़लैहि को क़ैद करा दिया तो यह मुहील को क़ैद करा सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– मोह़ताल'अ़लैहि ने मोह़ताल'लहू (क़र्ज़ देने वाले) को अदा कर दिया या मोह़ताल'लहू ने मोह़ताल'अ़लैहि को हिबा करदिया या सदक़ा कर दिया या मोह़ताल'लहू मरगया और मोह़ताल अ़लैह उसका वारिस है तो मुहील से वसूल कर सकता है और अगर मोह़ताल'लहू ने मोह़ताल अ़लैहि को दैन से बरी (क़र्ज़ मुआ़फ़) कर दिया बरी हो गया और मुहील से वसूल नहीं कर सकता और अगर मोह़ताल'लहू ने यह कहदिया कि मैंने दैन तुम्हारे लिए छोड़दिया तो मुहील से वसूल कर सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– मदयून ने ऐसे शख़्स पर हवाला किया जिस पर मदयून का दैन नहीं है और किसी अजनबी शख़्स ने मोह़ताल अ़लैहि की तरफ़ से दैन अदा कर दिया तो मोह़ताल अ़लैहि मुहील से वसूल कर सकता है और अगर मुहील का मोह़ताल'अ़लैहि पर दैन था और हवाला करदिया और अजनबी ने मुहील की तरफ़ से दैन अदा कर दिया तो मुहील मोह़ताल'अ़लैहि से अपना दैन वसूल कर सकता है और अगर मुहील यह कहता है कि उसने मेरी तरफ़ से दैन अदा किया है और मोह़ताल'अ़लैहि कहता है मेरी तरफ़ से अदा किया है और फ़ुज़ूली ने अदा के वक़्त कुछ ज़ाहिर नहीं किया था तो उस फ़ुज़ूली से दरयाफ़्त किया जाये कि किस की तरफ़ से अदा किया था जो वह कहे उसका एअ़्तिबार किया जाये और अगर वह फ़ुज़ूली मरगया या उसका पता ही नहीं है कि उससे दरयाफ़्त हो सके तो मोह़ताल'अ़लैहि की तरफ़ से दैन अदा करना क़रार दिया जाये।(ख़ानिया)

मसअ्ला.22:– मोह़ताल'अ़लैहि ने अदा करदिया तो जिस माल का हवाला हुआ वह मुहील से वसूल करेगा वह नहीं जो उसने अदा किया मस्लन रुपया का हवाला हुआ और उसने अशर्फ़ियाँ अदा कीं या उसका अ़क्स हुआ या रुपये की जगह कोई सामान मोह़ताल'लहू को दिया तो वह चीज़ देनी होगी जिस का हवाला हुआ और मोह़ताल अ़लैहि व मोह़ताल लहू में मुसालह़त होगई अगर उसी क़िस्म की चीज़ पर मुसालह़त हुई जो वाजिब थी यानी जितनी देनी लाज़िम थी उससे कम पर मुसालह़त हुई मस्लन सौ रुपये की जगह अस्सी पर सुलह हुई यानी बीस मुआ़फ़ कर दिये तो जितने दिये मुहील से उतने ही वसूल कर सकता है और अगर ख़िलाफ़े जिन्स पर मुसालह़त हुई मस्लन सौ रुपये की जगह दो अशर्फ़ियों पर सुलह हुई तो मोह़ताल अ़लैहि मुहील से सौ रुपये वसूल कर सकता है। (आलमगीरी जि.3 स.299)

मसअ्ला.23:– हवालाए मुक़य्यदा की दो सूरतें हैं एक यह कि मुहील का दैन मोह़ताल अ़लैहि के ज़िम्मा है उस दैन के साथ हवाला को मख़्सूस किया दूसरी यह कि मोह़ताल अ़लैहि के पास मुहील की ऐन शय है उससे मुक़य्यद किया मस्लन मुहील ने उसके पास रुपये वग़ैरा कोई चीज़ अमानत रखी है या उसने मुहील की कोई चीज़ ग़सब करली है उसने हवाला में यह ज़िक्र कर दिया कि अमानत या ग़सब के रुपये से मोह़ताल अ़लैहि दैन अदा करे। हवाला मुक़य्यद का हुक्म यह है कि मुहील अपना दैन या अमानत या मग़सूब शय हवाला के बाद मोह़ताल अ़लैहि से नहीं लेसकता और अगर उसने मुहील को देदिया तो ज़ामिन है उसको अपने पास से देना पड़ेगा और उस सूरत में कि मुहील ने अपना माल उससे वसूल कर लिया और मोह़ताल'लहू ने भी बर'बिनाए हवाला उससे वसूल किया मोह़ताल अ़लैहि मुहील से यह रक़म ले सकता है। (आलमगीरी जि.3 स.299)

मसअ्ला.24:– हवालाए मुक़य्यद बा'अमानत था और वह अमानत से उसके पास से ज़ाइअ् होगई हवाला भी बातिल होगया मोहताल अ़लैहि बरी होगया और दैन मुहील के ज़िम्मा लौट आया और अगर हवाला में मग़सूब की क़ैद थी यानी मोहताल अ़लैहि ने मुहील की चीज़ ग़सब की है उससे दैन वसूल करने को हवाला किया और मग़सूब शय ग़ासिब के पास से हलाक होगई हवाला ब'दस्तूर बाक़ी है अब भी मोहताल अ़लैहि को दैन अदा करना लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.17)

मसअ्ला.25:– हवालाए मुक़य्यद बिदैन या मुक़य्यद बिऐ़न था और मुहील मरगया और उसपर उस दैन के एलावा और दुयून (क़र्ज़े) भी हैं मगर सिवा उस दैन के जो मोहताल अ़लैहि के ज़िम्मा है या उस ऐ़न के जो मोहताल'अ़लैहि के पास है कोई चीज़ नहीं छोड़ी तो वह दैन या ऐ़न तन्हा मोहताल लहू के लिए मख़सूस न होगा बल्कि दीगर क़र्ज़ ख़्वाह भी उसमें हक़दार हैं सब पर बक़द्र हिस्सा–ए–रसद तक़सीम होगा। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार स.293)

मसअ्ला.26:– हवालाए मुक़य्यद ब'वदीअ़त था मुहील बीमार होगया और मोहताल अ़लैहि ने वदीअ़त मोहताल लहू को देदी उसके बाद मुहील का इन्तिक़ाल होगया और उसके ज़िम्मा दीगर दुयून भी हैं अमीन से दूसरे क़र्ज़ ख़्वाह तावान नहीं ले सकते मगर वदीअ़त तन्हा मोहताल लहू को नहीं मिलेगी बल्कि दूसरे क़र्ज़ ख़्वाह भी उसमें शरीक होंगे और अगर मोहताल अ़लैहि के पास वदीअ़त नहीं है बल्कि मुहील का उसके ज़िम्मा दैन है और हवाला उस दैन के साथ मुक़य्यद किया था और मोहताल अ़लैहि के अदा करने से पहले मुहील बीमार होगया अब मोहताल अ़लैहि ने मोहताल लहू को अदा कर दिया और मुहील मर गया और उसके ज़िम्मा दीगर मदयून भी हैं और उस दैन के एलावा जो मोहताल अ़लैहि के ज़िम्मा था मुहील ने कोई तर्का नहीं छौड़ा तो मोहताल लहू जो वसूल कर चुका वह तन्हा उसी का है दीगर ग़ुरबा उस में शरीक नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– हवाला मुक़य्यद ब'अमानत था और मोहताल अ़लैहि ने अमानत से दैन नहीं अदा किया बल्कि अपने रुपये दैन में दिये और अमानत के रुपये अपने पास रख लिये तो यह दैन अदा करना तबर्रोअ् नहीं क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– हवाला मुक़य्यद ब'समन था यानी मुहील ने मोहताल अ़लैहि के हाथ कोई चीज़ बैअ् की थी जिसका समन बाक़ी था उस मुश्तरी पर अपने दैन का हवाला कर दिया कि मोहताल लहू समन वसूल करे मगर मुश्तरी ने ख़्यारे रूयत, ख़यारे शर्त, की वजह से बैअ् फ़स्ख़ करदी या ख़्यारे ऐ़ब की वजह से क़ब्ले क़ब्ज़ा फ़स्ख़ की या बाद क़ब्ज़ा क़ज़ाये क़ाज़ी से फ़स्ख़ हुई या मबीअ् क़ब्ले क़ब्ज़ा हलाक होगई उन सब सूरतों में मुश्तरी के ज़िम्मा समन बाक़ी न रहा जब भी हवाला ब'दस्तूर बाक़ी है और अगर मबीअ् में कोई दूसरा हक़दार निकला या ज़ाहिर हुआ कि मबीअ् ग़ुलाम नहीं है बल्कि हुर है या दैन के साथ हवाला को मुक़य्यद किया था और उसका कोई मुस्तहक़ ज़ाहिर हुआ तो इस सूरतों में हवाला बातिल हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी और बाइअ् को समन वसूल करने के लिये किसी शख़्स पर हवाला करदिया फिर मुश्तरी ने मबीअ् में कोई ऐ़ब पाया और क़ाज़ी के हुक्म से बाइअ् को वापस करदी तो मुश्तरी बाइअ् से समन वापस नहीं ले सकता जब कि बाइअ् यह कहता हो कि मैंने समन वसूल नहीं किया है हाँ बाइअ् उस मोहताल'अ़लैहि पर हवाला कर देगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.30:– एक शख़्स पर दैन है दूसरा उस का कफ़ील है कफ़ील ने तालिब को एक तीसरे शख़्स पर हवाला कर दिया उसने क़बूल करलिया असील व कफ़ील दोनों बरी होगये और मोहताल अ़लैहि मुफ़्लिस मरा तो असील व कफ़ील दोनों की तरफ़ मुआमला लौटेगा। (ख़ानिया, आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स पर हवाला किया कि वह अपने मकान के समन से दैन अदा करेगा मोहताल अ़लैहि इसपर मजबूर नहीं किया जायेगा कि घर बेचकर दैन अदा करे अलबत्ता जब मकान बैअ् करेगा तो दैन अदा करने पर मजबूर किया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स के हाथ कोई चीज़ बैअ् की और यह शर्त करदी कि बाइअ् अपने क़र्ज़ख्वाह को मुश्तरी पर ह़वाला कर देगा कि स्मन से दैन अदा करे यह बैअ् फ़ासिद है और ह़वाला भी बातिल और अगर यह शर्त की है कि मुश्तरी स्मन का किसी और पर ह़वाला कर देगा यह बैअ् सह़ीह़ है और ह़वाला भी सह़ीह़। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.294)

मसअ्ला.33:– ह़वाला फ़ासिदा में अगर मोह़ताल अ़लैहि ने दैन अदा करदिया तो उसे इख़्तियार है मोह़ताल लहू से वापस ले या मुह़ील से वसूल करे मस्लन यह ह़वाला कि मुह़ील के मकान को बैअ् करके स्मन से दैन अदा करेगा और मुह़ील ने उसकी इजाज़त न दी हो यह ह़वाला फ़ासिद है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– एक शख़्स ने दूसरे की किफ़ालत की और यह शर्त होगई कि असील बरी है यह ह़क़ीक़त में ह़वाला है और ह़वाला में यह शर्त क़रार पाई कि असील से भी मुतालबा करेगा तो यह किफ़ालत है दाइन ने मदयून पर किसी को ह़वाला करदिया और मोह़ताल लहू का दाइन पर दैन नहीं है यह ह़क़ीक़त में वकालत है ह़वाला नहीं। एक शख़्स ने दूसरे को किसी पर ह़वाला कर दिया कि उससे इतने मन ग़ल्ला लेलेना और मोह़ताल अ़लैहि ने क़बूल कर लिया मगर ह़क़ीक़त में न मुह़ील का मोह़ताल अ़लैहि पर कुछ है न मोह़ताल लहू का मुह़ील पर तो मोह़ताल अ़लैहि पर कुछ देना वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– आढ़त में ग़ल्ला वग़ैरा हर क़िस्म की चीज़ बेचने वाले लाकर जमअ् कर देते हैं और ख़रीदने वाले आढ़त वाले से ख़रीदते हैं अकसर ऐसा भी होता है कि ख़रीदार से अभी दाम वसूल नहीं हुए और बेचने वाले अपने वत़न को वापस जाना चाहते हैं आढ़त वाले अपने पास से दाम दे देते हैं कि ख़रीदार से वसूल होगा तो रख लेंगे यहाँ अगर्चे ब'ज़ाहिर ह़वाला नहीं मगर उसको ह़वाला ही के हुक्म में समझना चाहिए यानी बाइअ् ने आढ़ती से क़र्ज़ लिया और मुश्तरी पर ह़वाला कर दिया कि उससे वसूल करले लिहाज़ा अगर आढ़ती को मुश्तरी से दैन वसूल न होसका कि वह मुफ़्लिस मरा तो आढ़ती बाइअ् से उस रुपये को वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मदयून ने दाइन को किसी पर ह़वाला करदिया इस शर्त पर कि मोह़ताल लहू को ख़्यार ह़ासिल है यह ह़वाला जाइज़ है और मोह़ताल लहू को इख़्तियार है कि ह़वाला को नाफ़िज़ करे मोह़ताल अ़लैहि से वसूल करे या ख़ुद मुह़ील से वसूल करे यूहीं अगर यूँ ह़वाला किया कि मोह़ताल लहू जब चाहे मुह़ील पर रुजूअ् करे यह ह़वाला भी जाइज़ है और उसे इख़्तियार है जिस से चाहे वसूल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– अ़क़्दे ह़वाला में मीआ़द नहीं होसकती हाँ जिस दैन का ह़वाला हो उसके लिए मीआ़द हो सकती है यानी इन्तिक़ाले दैन तो अभी होगया मगर मुतालबा मीआ़द पर होगा।(दुर्रेमुख़्तार स.295)

मसअ्ला.38:– हुन्डी भी ह़वाला ही की एक क़िस्म है उसकी सूरत यह है कि ताजिर को रुपया बतौर क़र्ज़ देते हैं कि वह उसको दूसरे शहर में अदा कर देगा या उस के किसी दोस्त या अ़ज़ीज़ को दूसरे शहर में देदेगा मस्लन उस ताजिर की दूसरे शहर में दुकान है वहाँ लिख देगा उसको या उसके अ़ज़ीज़ को वहाँ क़र्ज़ का रुपया वसूल होजायेगा क़र्ज़ के तौर पर देने से मक़सूद यह है कि अगर अमानत कहकर देता है तो वही रुपया बिऐनेही उसको पहुँचाया जायेगा और हो सकता है कि रास्ता में ज़ाइअ् होजाये और देने वाले का नुक़सान हो क्योंकि अमानत में तावान नहीं लिया जा सकता उस नफ़अ् की ख़ातिर क़र्ज़ देता है लिहाज़ा यह मकरुह तह़रीमी है कि क़र्ज़ से एक नफ़अ् ह़ासिल करना है और अगर क़र्ज़ में दूसरी जगह देने की शर्त न हो मस्लन उसका क़र्ज़ उसके ज़िम्मा था उससे कहा फुलाँ जगह के लिए ह़वाला लिखदो उसने लिख दिया यह ना'जाइज़ नहीं। हुन्डी की यह सूरत भी है कि दुकानदार दूसरे शहर में माल लेने जाता है अगर साथ में रुपया ले जाता है तो ज़ाइअ् होने का अन्देशा है या उस वक़्त रुपया मौजूद नहीं है वहाँ माल ख़रीदकर हुन्डी लिख देता है जब यहाँ हुन्डी पहुँचती है रुपया अदा कर दिया जाता है अकस्र यह हुन्डी मीआ़दी

होती है और कभी ग़ैर मीआदी भी होती है मगर उसमें सूद की एक रकम शामिल होती है उसके हराम होने में क्या शुबह है। (दुर्रे मुख़्तार स.295)

क़ज़ा का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है:

﴿اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ﴾

"हमने तौरात नाज़िल की जिसमें हिदायत व नूर है उसके मुवाफ़िक अम्बिया हुक्म करते रहे"।

फिर फ़रमाया:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾ "जो लोग खुदा के उतारे हुये पर हुक्म न करें वह काफ़िर है"

फिर फ़रमाया:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ "जो लोग खुदा के उतारे हुए पर हुक्म न करें वह ज़ालिम है"

फिर फ़रमाया:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ "जो लोग खुदा के उतारे हुये के मुवाफ़िक हुक्म न करें वह फ़ासिक़ है"

फिर फ़रमाया:

﴿وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾

"तुम हुक्म करो उनके माबैन उसके मुवाफ़िक जो खुदा ने नाज़िल किया और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करो और उनसे बचते रहो कि कहीं तुम्हें फ़ितना में न डालदें बाज़ उन चीज़ों से जो खुदा ने तुम्हारी तरफ़ उतारीं और अगर वह एअ़राज़ करें तो जानलो कि खुदा उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा उनको पहुँचाना चाहता है और बेशक बहुत से लोग फ़ासिक़ हैं क्या वह जाहिलियत का हुक्म चाहते हैं और अल्लाह से बढ़कर यक़ीन वालों के लिए कौन हुक्म देने वाला है"

और फ़रमाया:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"तुम्हारे रब की क़सम वह मोमिन न होंगे जब तक तुम को हुक्म न बनायें उस चीज में जिसमें उनके माबैन इख़्तिलाफ़ है फिर जो कुछ तुमने फ़ैसला कर दिया उससे अपने दिल में तंगी न पायें और उसे पूरे तौर पर तस्लीम न करें"।

और फ़रमाता है

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

"हमने तुम्हारी तरफ़ हक़ के साथ किताब उतारी ताकि लोगों के दरमियान उसके साथ फ़ैसला करो जो खुदा ने तुम्हें दिखाया और ख़ियानत करने वालों के लिए झगड़ा न करो"।

हदीस (1) इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अबू ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि "छः दिन बाद तुम से जो कुछ कहा जाये उसे अपने ज़हिन में रखना सातवें दिन यह इरशाद फ़रमाया कि मैं तुमको वसियत करता हूँ कि बातिन व ज़ाहिर में अल्लाह से डरते रहना और जब तुमसे कोई बुरा काम होजाये तो नेकी करना और किसी से कोई चीज़ तलब न करना अगर्चे तुम्हारा कोड़ा गिर जाये यानी तुम सवारी पर हो और कोड़ा गिरजाये तो यह भी किसी से न कहना कि उठादे किसी की अमानत अपने पास न रखना और दो शख़्सों के माबैन फ़ैसला न करना"।

हदीस (2) इमाम अहमद व इब्ने माजा और बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स लोगों के माबैन हुक्म करता है वह क़ियामत के दिन उस तरह आयेगा कि फ़िरिश्ता उस की गुद्दी पकड़े होगा फिर वह फ़िरिश्ता अपना सर आसमान की तरफ़ उठायेगा (इस इन्तिज़ार में कि उसके लिये क्या हुक्म होता है) अगर यह हुक्म होगा कि डालदे तो ऐसे गड्ढे में डालेगा कि चालीस बरस तक गिरता ही रहेगा यानी चालीस बरस में तह तक पहुँचेगा"।

हदीस (3) इमाम अहमद उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ाज़ी आदिल क़ियामत के दिन तमन्ना करेगा कि दो शख़्सों के दरम्यान एक फल के मुतअल्लिक़ भी फ़ैसला न किये होता"।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने रिवायत की कि उसमान ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से फ़रमाया कि लोगों के दरम्यान फ़ैसला किया करो (ओहदा–ए–क़ज़ा को क़बूल करो) उन्होंने अर्ज़ की अमीरूल मोमिनीन आप मुझे मुआफ़ी दें फ़रमाया कि उसको ना'पसन्द क्यों रखते हो तुम्हारे वालिद फ़ैसला किया करते थे अर्ज़ की इस लिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि फ़रमाते थे "जो क़ाज़ी हो और अद्ल के साथ फ़ैसला करे उसके लिए लाइक़ यह है कि बराबर वापस हो यानी जिस हालत में था वह वैसा ही रह जाये यही ग़नीमत है"।

हदीस (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो लोगों के माबैन क़ाज़ी बनाया गया वह बिग़ैर छुरी के ज़िबह कर दिया गया"।

हदीस (6) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो क़ज़ा का तालिब हो और उसकी दरख़्वास्त करे वह अपने नफ़्स की तरफ़ सिपुर्द कर दिया जायेगा और जिसको मजबूर करके क़ाज़ी बनाया जाये अल्लाह तआला उसके पास फ़िरिश्ता भेजेगा जो ठीक चलायेगा।

हदीस (7) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने क़ज़ा तलब की और उसे मिल गई फिर उसका अद्ल उसके जोर पर ग़ालिब रहा यानी अद्ल ने ज़ुल्म करने से रोका उसके लिए जन्नत है और जिसका जोर अद्ल पर ग़ालिब आया उसके लिए जहन्नम है"।

हदीस (8) सहीह बुख़ारी में अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं और मेरी क़ौम के दो शख़्स हुज़ूर के पास हाज़िर हुए एक ने कहा या रसूलल्लाह मुझे हाकिम कर दीजिए और दूसरे ने भी ऐसा ही कहा इरशाद फ़रमाया "हम उसको हाकिम नहीं बनाते जो उसका सुवाल करे और न उसको जो उसकी हिर्स करे"।

हदीस (9) सुनन अबूदाऊद व तिर्मिज़ी में उमर इब्ने मर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ललललाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "अल्लाह तआला उमूरे मुस्लिमीन में कोई काम किसी को सिपुर्द फ़रमाये (यानी उसे हाकिम बनाये) वह लोगों के हवाइज व ज़रूरत व एहतियाज में पर्दे के अन्दर रहे यानी अहले हाजत की उस तक रसाई न होसके अपने पास अरबाबे हाजत को आने न दे तो अल्लाह तआला उसकी हाजत व ज़रूरत व एहतियाज में हिजाब फ़रमायेगा यानी उसको अपनी रहमत से दूर फ़रमादेगा और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला उसकी हाजत के वक़्त में आसमान के दरवाज़े बन्द फ़रमादेगा" उसी की मिस्ल अबूदाऊद व इब्ने सअद व बग़वी व तिबरानी व बैहक़ी व इब्ने असाकर अबी मरयम व अहमद व तिबरानी मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी"।

हदीस (10) बैहक़ी हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी जब हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने उम्माल (हुक्काम) को भेजते उनपर यह शर्त करते कि तुर्की घोड़े पर सवार न होना और बारीक आटा यानी मैदा न खाना और बारीक कपड़े न पहनना और लोगों के हवाइज के वक़्त अपने दरवाज़े न बन्द करना अगर तुमने उनमें से किसी अम्र को किया तो सज़ा के मुस्तहक़ होगे।

हदीस (11) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी ने मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन का हाकिम बनाकर भेजना चाहा फ़रमाया कि जब तुम्हारे सामने कोई मुआमला पेश आयेगा तो किस तरह

फ़ैसला करोगे अ़र्ज़ की किताबुल्लाह से फ़ैसला करूँगा फ़रमाया अगर किताबुल्लाह में न पाओ तो क्या करोगे अ़र्ज़ की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ फ़ैसला करूँगा फ़रमाया अगर सुन्नत रसूलुल्लाह में भी न पाओ तो क्या करोगे अ़र्ज़ की अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और इज्तिहाद करने में कमी न करूँगा हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उनके सीना पर हाथ मारा और यह कहा कि ह़म्द है अल्लाह के लिए जिसने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के फ़रस्तादा को उस चीज़ की तौफ़ीक़ दी जिससे रसूलुल्लाह राज़ी है।

ह़दीस़ (12) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ह़ज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं जब मुझको रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यमन की त़रफ़ क़ाज़ी बनाकर भेजना चाहा मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर मुझे भेजते हैं और मैं नो'उ़म्र शख़्स़ हूँ और मुझे फ़ैसला करना आता भी नहीं यानी मैंने कभी इस काम को नहीं किया है इरशाद फ़रमाया अल्लाह तआ़ला तुम्हारे क़ल्ब को रहनुमाई करेगा और तुम्हारी ज़बान को ह़क़ पर साबित रखेगा। जब तुम्हारे पास दो शख़्स़ मुआ़मला पेश करें तो सिर्फ़ पहले की बात सुनकर फ़ैसला न करना जब तक दूसरे की बात सुन न लो कि उस सूरत में यह होगा कि फ़ैसला की नोईयत तुम्हारे लिये ज़ाहिर होजायेगी फ़रमाते हैं कि उसके बा़द कभी मुझे फ़ैसला करने में शक व तरद्दुद न हुआ।

ह़दीस़ (13) स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में है ह़सन बस़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला ने हुक्काम के ज़िम्मा यह बात रखी है कि ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी न करें और लोगों से ख़ौफ़ न करें और अल्लाह की आयात को थोड़े दाम के बदले में न ख़रीदें उस के बाद यह आयत पढ़ी।

يَادَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ م بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"ऐ दाऊद हमने तुमको ज़मीन में ख़लीफ़ा किया लोगों के दरम्यान ह़क़ के साथ फ़ैसला करो और ख़्वाहिश की पैरवी न करो कि वह तुम को अल्लाह के रास्ते से हटादेगी और जो अल्लाह के रास्ता से अलग होगये उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब है इस वजह से कि हिसाब के दिन को भूल गये"।

उ़मर इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं पाँच बातें क़ाज़ी में जमअ़ होनी चाहिए उनमें की एक न हो तो उस में ऐ़ब होगा (1)समझदार हो (2)बुर्दबार हो (3)सख़्त हो (4)आलिम हो (5)इ़ल्म की बातों का पूछने वाला हो।

ह़दीस़ (14) बैहक़ी ने रिवायत की कि ह़ज़रत उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि "फ़रीक़ैने मुक़द्दमा को वापस करदो ताकि वह आपस में सुलह़ करलें क्योंकि मुआ़मला का फ़ैसला कर देना लोगों के दरम्यान अ़दावत पैदा करता है"।

ह़दीस़ (15) इब्ने अ़साकर व बैहक़ी रिवायत करते हैं कि शोअ़बी कहते हैं ह़ज़रत उ़मर और अबी इब्ने कअ़ब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के माबैन एक मुआ़मला में ख़ुसूमत थी ह़ज़रत उ़मर ने फ़रमाया मेरे और अपने दरमियान किसी को ह़कम करलो दोनों स़हाबियों ने ज़ैद इब्ने स़ाबित रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ह़कम बनाया और दोनों उनके पास आये ह़ज़रत उ़मर ने कहा हम इस लिए तुम्हारे पास आये हैं कि हमारे माबैन फ़ैसला करो जब दोनों उनके पास फ़ैसला के लिये पहुँचे तो ह़ज़रत ज़ैद स़दरे मज्लिस से हटगये और अ़र्ज़ की अमीरुलमोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाईये ह़ज़रत उ़मर ने फ़रमाया यह तुम्हारा पहला ज़ुल्म है जो फ़ैस़ला में तुमने किया व लेकिन मैं अपने फ़रीक़ के साथ बैठूँगा दोनों स़ाहिब उनके सामने बैठ गये। अबी इब्ने कअ़ब ने दअ़्वा किया और ह़ज़रत उ़मर ने उन के दअ़्वे से इन्कार किया ह़ज़रत ज़ैद ने अबी इब्ने कअ़ब से कहा कि अमीरुलमोमिनीन को ह़लफ़ से मुआ़फ़ी देदो ह़ज़रत उ़मर ने क़सम खाली उसके बा़द क़सम खाकर कहा कि ज़ैद को कभी फ़ैसला सिपुर्द न किया जाये जब तक उनके नज़्दीक उ़मर और दूसरा मुसलमान बराबर न हो यानी जो शख़्स़ मुद्दई व मुद्दआ़ अ़लैहि में इस क़िस्म की तफ़रीक़ करे वह फ़ैसला का अहल नहीं।

हदीस् (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि हाकिम गुस्सा की हालत में दो शख़्सों के माबैन फ़ैसला न करे।

हदीस् (17) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाकिम ने फ़ैसला करने में कोशिश की और ठीक फ़ैसला किया उसके लिए दो स्वाब और अगर कोशिश करके (ग़ौर व ख़ौज़ करके) फ़ैसला किया और गल्ती होगई उसको एक स्वाब।

हदीस् (18) अबूदाऊद व इब्ने माजा बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क़ाज़ी तीन हैं एक जन्नत में और दो जहन्नम में जो क़ाज़ी जन्नत में जायेगा वह है जिसने हक़ को पहचाना और हक़ के साथ फ़ैसला किया और जिसने हक़ को पहचाना मगर फ़ैसला हक़ के ख़िलाफ़ किया वह जहन्नम में है और जिसने बिग़ैर जाने बूझे फ़ैसला कर दिया वह जहन्नम में है" उसी की मिस्ल इब्ने अदी व हाकिम ने भी बरीदा से और तिबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ाज़ी के साथ अल्लाह तआला है जब तक वह ज़ुल्म न करे और जब वह ज़ुल्म करता है अल्लाह तआला उससे जुदा होजाता है और शैतान उसके साथ हो जाता है"।

हदीस् (20) बैहक़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाया हुज़ूर ने "क़ाज़ी जब अपने इजलास में बैठता है दो फ़िरिश्ते उतरते हैं जो उसे ठीक रास्ते पर ले चलना चाहते हैं और तौफ़ीक़ देते हैं और रहनुमाई करते हैं जब तक वह ज़ुल्म न करे और जब ज़ुल्म करता है तो चले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं"।

हदीस् (21) अबुयाला हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम "हुक्काम आदिल व ज़ालिम सब को क़ियामत के दिन पुल सिरात पर रोका जायेगा फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमायेगा तुमसे मेरा मुतालबा है जिस हाकिम ने फ़ैसला में ज़ुल्म किया होगा और रिश्वत ली होगी सिर्फ़ एक फ़रीक़ की बात तवज्जोह से सुनी होगी वह जहन्नम की इतनी गहराई में डाला जायेगा जिसकी मुसाफ़त सत्तर साल है और जिसने हद (मुक़र्रर) से ज़्यादा मारा है उससे अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि जितना मैंने हुक्म दिया था उससे ज़्यादा तूने क्यों मारा वह कहेगा ऐ परवरदिगार मैंने तेरे लिए ग़ज़ब किया अल्लाह फ़रमायेगा तेरा गुस्सा मेरे ग़ज़ब से भी ज़्यादा होगया और वह शख़्स लाया जायेगा जिसने सज़ा में कमी की है अल्लाह तआला फ़रमायेगा ऐ मेरे बन्दे तूने कमी क्यों की कहेगा मैंने उस पर रहम किया फ़रमायेगा क्या तेरी रहमत मेरी रहमत से भी ज़्यादा होगई।

हदीस् (22) अबूदाऊद व बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसको हम किसी काम पर मुक़र्रर करें और उसको रोज़ी दें अब उस के बाद वह जो कुछ लेगा ख़ियानत है"।

हदीस् (23) तिर्मिज़ी ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ़ हाकिम करके भेजा जब मैं चला तो मेरे पीछे आदमी भेजकर वापस बुलाया और फ़रमाया तुम्हें मालूम है क्यों मैंने आदमी भेजकर बुलाया इस लिए कि कोई चीज़ बिग़ैर मेरी इजाज़त न लेना कि वह ख़ियानत होगी और जो ख़ियानत करेगा उस चीज़ को क़ियामत के दिन लेकर आना होगा उसे कहने के लिये बुलाया था अब अपने काम पर जाओ।

हदीस् (24) मुस्लिम व अबूदाऊद व अदी उमैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ लोगो तुम में जो कोई हमारे किसी काम पर मुक़र्रर हुआ वह एक सुई या उससे भी कम कोई चीज हमसे छुपायेगा वह खाइन है कियामत के दिन उसे लेकर आयेगा अन्सार में से एक शख़्स खड़ा हुआ और यह कहा या रसूलल्लाह अपना यह काम मुझसे वापस लीजिये फ़रमाया क्या वजह है अर्ज की मैंने हुज़ूर को ऐसा ऐसा फरमाते सुना फ़रमाया मैं यह कहता हूँ जिसको हम आमिल बनायें वह थोड़ा या ज़्यादा जो कुछ हो हमारे पास लाये फिर जो कुछ हम दें उसे ले और जिससे मनअ् किया जाये बाज़ रहे।

हदीस (25) अबूदाऊद व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से और तिर्मिज़ी उन से और अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इमाम अहमद व बैहकी सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लअ्नत फ़रमाई और एक रिवायत में उसपर भी लअ्नत फ़रमाई जो रिश्वत का दलाल है।

हदीस (26) सहीह बुख़ारी वग़ैरा में अबू हमीद साअिदी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनी असद में से एक शख़्स को जिसको इब्नुल्लुतबिय्या कहा जाता था आमिल बनाकर भेजा जब वह वापस आये यह कहा कि यह माल तुम्हारे लिये है और यह मेरे लिये हदिया हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिम्बर पर तशरीफ़ लेगये और हम्दे इलाही और सना के बाद यह फ़रमाया क्या हाल है उस आमिल का जिसको हम भेजते हैं और वह आकर यह कहता है कि यह आप के लिये है और यह मेरे लिये है वह अपने बाप या माँ के घर में क्यों नहीं बैठा रहा देखता कि उसे हदिया किया जाता है या नहीं कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरा नफ़्स है ऐसा शख़्स कियामत के दिन उस चीज़ को अपनी गर्दन पर लादकर लायेगा अगर ऊँट है तो वह चिल्लायेगा और गाय है तो वह बाँन बाँन करेगी और बकरी है तो वह में में करेगी उसके बाद हुज़ूर ने अपने हाथों को इतना बलन्द फ़रमाया कि बग़ल मुबारक की सफेदी जाहिर होने लगी और उस कलिमा को तीन बार फ़रमाया आगाह मैंने पहुँचा दिया।

हदीस (27) अबूदाऊद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो किसी के लिये सिफ़ारिश करे और वह उसके लिये कुछ हदिया दे और यह कबूल करले वह सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाज़ा पर आगया।

मसाइल फ़िक़्हिया

लोगों के झगड़ों और मुनाज़आत के फ़ैसला करने को क़ज़ा कहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार 296) क़ज़ा फ़र्जे किफ़ाया है क्योंकि बिग़ैर उसके न लोगों के हुकूक़ की मुहाफ़ज़त हो सकती न अमने आम्मा क़ाइम रह सकता है। जिसको क़ाज़ी बनाया जाता है अगर वही उस ओहदा का सालेह है दूसरे में सलाहियत ही न हो कि इन्साफ़ करे उस सूरत में ओहदा क़ज़ा क़बूल करलेना वाजिब है और अगर दूसरा भी उस क़ाबिल है मगर यह ज़्यादा सलाहियत रखता हो तो उसको क़बूल करना मुस्तहब है और अगर दूसरे भी उसी क़ाबिलयत के हैं तो इख़्तियार है क़बूल करे या न करे और अगर यह सलाहियत रखता है मगर दूसरा उससे बेहतर है तो उसको क़बूल करना मकरूह है और यह शख़्स अगर ख़ुद जानता है कि यह काम मुझसे अन्जाम न पा सकेगा तो क़बूल करना हराम है (आलमगीरी)

मसअला.1:– क़ाज़ी उसी को बना सकते हैं जिसमें शराइते शहादत पाये जायें वह यह हैं मुसलमान, आक़िल, बालिग़, आज़ाद हो, अन्धा न हो, गूँगा न हो, बिल्कुल बहरा न हो कि कुछ न सुने, महदूद फ़िलक़ज़फ़ न हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.298)

मसअला.2:– काफ़िर को क़ाज़ी बनाया इस लिये कि वह कुफ़्फ़ार के मुआमलात को फ़ैसल करे यह होसकता है मगर मुसलमानों के मुआमलात फ़ैसल करने का उसे इख़्तियार नहीं। (रद्दुलमुहतार 299)

मसअला.3:– क़ाज़ी मुक़र्रर करना बादशाहे इस्लाम का काम है या सुलतान के मातहत जो रियासतें

ख़िराज गुज़ार हैं जिनको सुल्तान ने क़ुज़ात के अ़ज़्ल व नसब का इख़्तियार दिया (क़ाज़ियों को माज़ूल करने और मुक़र्रर करने का इख़्तियार) हो यह भी क़ाज़ी मुक़र्रर कर सकती हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– फ़ासिक़ को क़ाज़ी बनाना न चाहिए और अगर मुक़र्रर करदिया गया तो उसकी क़ज़ा नाफ़िज़ होगी। फ़ासिक़ को मुफ़्ती बनाना यानी उससे फ़तवा पूछना दुरुस्त नहीं क्योंकि फ़तवा उमूरे दीन से है और फ़ासिक़ का क़ौल दियानात में ना'मोअ्तबर। क़ाज़ी ने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया यह जाइज़ नहीं जब कि दोनों में दुनियावी अ़दावत हो। (दुर्रेमुख़्तार 299)

मसअ्ला.5:– जिस वक़्त उसको क़ाज़ी मुक़र्रर किया था उस वक़्त आ़दिल (ग़ैर फ़ासिक़) था उस के बाद फ़ासिक़ होगया तो फ़िस्क़ की वजह से माज़ूल न हुआ मगर माज़ूली का मुस्तहक़ होगया बल्कि सुलतान पर माज़ूल कर देना वाजिब है और अगर सुलतान ने उसके तक़र्रुर के वक़्त यह शर्त करदी है कि अगर फ़ासिक़ होजायेगा तो मअ्ज़ूल होजायेगा तो फ़िस्क़ करने से ख़ुद ही मअ्ज़ूल होगया मअ्ज़ूल करने की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जिस तरह बादशाहे आ़दिल की तरफ़ से ओ़हदा क़बूल करना जाइज़ है बादशाह ज़ालिम की तरफ़ से भी क़बूल करना सहीह है मगर बादशाहे ज़ालिम की तरफ़ से उस ओ़हदा को क़बूल करना उस वक़्त दुरुस्त है जब कि क़ाज़ी अ़द्ल व इन्साफ़ व हक़ के मुताबिक़ फ़ैसला कर सकता हो उसके फ़ैसलों में ना'जाइज़ तौर पर बादशाह मुदाख़लत न करता हो और अहकाम को मुताबिक़े शरअ् नाफ़िज़ करने से मनअ् न करता हो और अगर यह बातें न हों बल्कि जानता हो कि हक़ के मुताबिक़ फ़ैसला ना'मुम्किन होगा या उसके फ़ैसलों में बेजा मुदाख़लत होगी या बाज़ अहकाम की तनफ़ीद से मनअ् किया जायेगा तो उस ओ़हदा को क़बूल न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– बादशाह को चाहिए कि रिआ़या में जो उस ओ़हदा के लिए ज़्यादा मौज़ूँ (लायक़) हो उसे क़ाज़ी बनाये क्योंकि हदीस में इरशाद हुआ कि जिसने किसी को काम सिपुर्द कर दिया और उसकी रिआ़या में उससे बेहतर मौजूद था उसने अल्लाह व रसूल व जमाअ़ते मुस्लिमीन की ख़ियानत की। क़ाज़ी में यह औसाफ़ हों मुआ़मला फ़हम हो, फ़ैसला नाफ़िज़ करने पर क़ादिर हो, वजीह हो, बा रोअ्ब हो, लोगों की बातों पर सब्र करता हो, साहिबे स्रवत (मालदार) हो, ताकि तमअ् लालच में मुब्तला न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– क़ाज़ी उसको किया जाये जो इफ़्फ़त व पारसाई (पाक दामनी, नेक) और अ़क़्ल व सलाह (अ़क़्ल'मन्दी व सलाहियत) व फ़हम (समझदारी) व इल्म में मोअ्तमद अ़लैहि हो उसके मिज़ाज में शिद्दत हो मगर ज़्यादा शिद्दत न हो और नर्मी हो तो इतनी न हो जो लोगों से दब जाये। वजीह हो उसका रोअ्ब लोगों पर हो। लोगों की तरफ़ से जो उसपर मसाइब (तकलीफ़ें) आयें उन पर सब्र करे।

तम्बीह :– ओ़हदा–ए–क़ज़ा क़बूल कर लेना अगर्चे जाइज़ है मगर उ़लमा व अइम्मा की उसके मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ राय हैं बाज़ ने उसमें हरज न समझा और बाज़ ने बचने ही को तर्जीह दी और हदीस से भी उसी राय की तर्जीह ज़ाहिर होती है इरशाद फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कि जो शख़्स क़ाज़ी बनाया गया वह बिग़ैर छुरी ज़बह कर दिया गया। ख़ुद हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ख़लीफ़ा ने यह ओ़हदा देना चाहा मगर इमाम ने इन्कार किया यहाँ तक कि नव्वे दुर्रे आप को लगाये गये फिर भी आपने उसे क़बूल नहीं फ़रमाया और यह फ़रमाया कि अगर समन्दर तैर कर पार करने का मुझे हुक्म दिया जाये तो यह कर सकता हूँ मगर उस ओ़हदा को क़बूल नहीं कर सकता। अ़ब्दुल्लाह इब्ने वहब रहमतुल्लाहि तआ़ला को यह ओ़हदा दिया गया उन्होंने इन्कार कर दिया और पागल बन गये जो कोई उनके पास आता मुँह नोचते और कपड़े फाड़ते उनके एक शागिर्द ने सूराख़ से झाँक कर कहा अगर आप उस ओ़हदा–ए–क़ुज़ा को क़बूल फ़रमा लेते और अ़द्ल करते तो बेहतर होता जवाब दिया ऐ शख़्स तेरी अ़क़्ल यह है क्या तूने नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं क़ाज़ियों का हश्र सलातीन

के साथ होगा और उ़लमा का ह़श्र अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के साथ होगा। इमाम मुह़म्मद रहिमाहुल्लाहु तआ़ला से कहा गया उन्होंने उससे इन्कार किया जब कै़द कर दिये गये और पावों में बेड़ियाँ डालदी गईं मजबूरन उन्होंने क़बूल किया।

मसअ्ला.9:— हुकूमत की न त़लब होनी चाहिए न उसका सुवाल करना चाहिए त़लब का यह मत़लब है कि बादशाह के यहाँ उस की दरख़्वास्त पेश करे और सुवाल का मतलब यह कि लोगों के सामने यह तज़किरा करे कि अगर बादशाह की त़रफ़ से मुझे फुलाँ जगह की हुकूमत मिलेगी तो क़बूल कर लूँगा और दिल में यह ख़्वाहिश हो कि यह ख़बर किसी त़रह़ बादशाह तक पहुँच जाये और वह मुझे बुलाकर हुकूमत अ़त़ा करे लिहाज़ा उस की ख़्वाहिश न दिल में हो न ज़बान से उसका इज़्हार हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:— जो लोग ओ़हदा–ए–क़ुज़ा की क़ाबिलयत रखते हैं सबने इन्कार कर दिया और किसी ना'अहल को क़ाज़ी बना दिया गया तो वह सब गुनहगार हुए और अगर क़ाबिलयत वालों को छोड़ कर बादशाह ने ना'क़ाबिल को क़ाज़ी बनाया तो बादशाह गुनाहगार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:— दो शख़्स ओ़हदा–ए–क़ुज़ा के क़ाबिल हैं मगर उनमें एक ज़्यादा फ़क़ीह है दूसरा ज़्यादा परहेज़गार है तो उसको क़ाज़ी मुक़र्रर किया जाये जो ज़्यादा परहेज़गार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:— क़ाज़ी जिसका मुक़ल्लिद है अगर उसका क़ौल मसअ्ला मुतनाज़अ़् फ़ीह में मा़लूम व मह़फ़ूज़ है तो उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करे वरना फ़ुक़हा से फ़तावा ह़ासिल करके उसके मुत़ाबिक़ अ़मल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:— क़ाज़ी के तक़र्रुर को किसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना या किसी वक़्त की त़रफ़ मुज़ाफ़ करना जाइज़ है या़नी जब वह शर्त़ पाई जायेगी या वह वक़्त आजायेगा उस वक़्त वह क़ाज़ी होगा उसके पहले नहीं होगा मस्लन यह कहा कि तुम जब फुलाँ शहर में पहुँच जाओ तो वहाँ के क़ाज़ी हो या फुलाँ महीना के शुरूअ़् से तुमको क़ाज़ी किया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:— एक वक़्ते मुअ़य्यन तक के लिए भी किसी को क़ाज़ी मुक़र्रर किया जा सकता है मस्लन एक दिन के लिये क़ाज़ी बनाया तो एक ही दिन क़ाज़ी रहेगा और अगर उसको किसी ख़ास जगह का क़ाज़ी बनाया है तो वहीं का क़ाज़ी है दूसरी जगह के लिए वह क़ाज़ी नहीं और उसका भी पाबन्द किया जा सकता है कि फुलाँ क़िस्म के मुक़द्दमात की समाअ़त न करे और यह भी हो सकता है कि किसी ख़ास शख़्स के मुआ़मलात की निस्बत इस्तिस्ना कर दिया जाये या़नी फुलाँ के मुक़द्दमा की समाअ़त न करे और बादशाह यह भी कह सकता है कि जब तक मैं सफ़र से वापस न आऊँ फुलाँ मुआ़मला की समाअ़त न की जाये उस सूरत में अगर मुक़द्दमा की समाअ़त की और फ़ैसला भी देदिया वह नाफ़िज़ नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:— बादशाह ने किसी शख़्स की निस्बत यह कह दिया कि मैंने तुम्हें क़ाज़ी मुक़र्रर किया और यह नहीं ज़ाहिर किया कि कहाँ का क़ाज़ी उसको बनाया तो जहाँ तक सलत़नत है वह सब जगह का क़ाज़ी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:— एक मुक़द्दमा की समाअ़त करके फ़ैसला स़ादिर कर दिया उसके बा़द बादशाह ने हुक्म दिया कि उ़लमा के सामने दोबारा मुक़द्दमा की समाअ़त की जाये क़ाज़ी पर उसकी पाबन्दी लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:— किसी शहर के तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ होकर एक शख़्स को क़ाज़ी मुक़र्रर करदिया कि वह उनके मुआ़मलात फ़ैसल किया करे उनके क़ाज़ी बनाने से वह क़ाज़ी न होगा कि क़ाज़ी बनाना बादशाहे इस्लाम का काम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:— क़ाज़ी ने किसी को अपना नाइब बनाया कि वह दअ़्वे की समाअ़त करे और गवाहों के बयानात ले मगर मुआ़मला को फ़ैसल न करे तो यह नाइब उतना ही कर सकता है जितना

क़ाज़ी ने उसे इख़्तियार दिया है यानी फ़ैसला नहीं कर सकता और जो कुछ उसने तहक़ीक़ात करके क़ाज़ी के रुबरु पेश कर दिया क़ाज़ी गवाहों के उन बयानात या मुद्दआ अलैहि के इक़रार पर फ़ैसला नहीं कर सकता कि क़ाज़ी के सामने न गवाहों ने गवाही दी है न मुद्दआ अलैहि ने इक़रार किया है बल्कि उस सूरत में क़ाज़ी अज़ सरे नो बयान लेगा उसके बाद फ़ैसला करेगा। (ख़ानिया)

मसअला.19:– बादशाह ने क़ाज़ी को मअ्ज़ूल कर दिया उसकी ख़बर जब क़ाज़ी को पहुँचेगी उस वक़्त मअ्ज़ूल होगा यानी मअ्ज़ूल करने के बाद ख़बर पहुँचने से पहले जो फ़ैसले करेगा सहीह व नाफ़िज़ होंगे। (आलमगीरी)

मसअला.20:– बादशाह मरगया तो क़ाज़ी वग़ैरा हुक्काम जो उसके ज़माना में थे सब ब'दस्तूर अपने अपने ओहदा पर बाक़ी रहेंगे यानी बादशाह के मरने से मअ्ज़ूल न होंगे। (आलमगीरी)

मसअला.21:– क़ाज़ी की आँखें जाती रहीं या बिल्कुल बहरा होगया या अक़्ल जाती रही या मुर्तद होगया तो खुद ब'खुद मअ्ज़ूल होगया और अगर फिर यह अअ्ज़ार जाते रहे यानी मस्लन आँखें ठीक हो गईं तो ब'दस्तूर साबिक़ क़ाज़ी हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअला.22:– क़ाज़ी ने बादशाह के सामने कहदिया मैंने अपने को मअ्ज़ूल कर दिया और बादशाह ने सुन लिया तो मअ्ज़ूल होगया और न सुना तो मअ्ज़ूल न हुआ यूँहीं बादशाह के पास यह तहरीर भेजदी कि मैंने अपने को मअ्ज़ूल कर दिया और तहरीर पहुँच गई मअ्ज़ूल होगया। (आलमगीरी)

मसअला.23:– क़ाज़ी के लड़के ने किसी पर दअ्वा किया और यह मुक़द्दमा क़ाज़ी के पास पेश हुआ या किसी दूसरे ने क़ाज़ी के लड़के पर दअ्वा क़ाज़ी के यहाँ किया क़ाज़ी उस मुआमला में ग़ौर करे अगर लड़के के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जब तो खुद ही फ़ैसला करदे और अगर लड़के के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा तो दोनों से कहदे उस दअ्वा को तुम किसी दूसरे के पास लेजाओ। बादशाह जिस ने क़ाज़ी बनाया है क़ाज़ी उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेगा जब भी नाफ़िज़ होगा यूँहीं क़ाज़ी मातहत ने क़ाज़ी बाला के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया यह भी नाफ़िज़ होगा। क़ाज़ी ने अपनी सास के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया अगर क़ाज़ी की बीवी ज़िन्दा है तो फ़ैसला ना'जाइज़ है और बीवी मर चुकी है तो जाइज़ है। सोतैली माँ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया अगर उसका बाप ज़िन्दा है तो ना'जाइज़ है और मरचुका है तो जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअला.24:– दो शख़्सों के माबैन मुक़द्दमा है एक ने क़ाज़ी के लड़के को अपना वकील किया क़ाज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया ना'जाइज़ है और ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो जाइज़ है यूँहीं अगर क़ाज़ी का बेटा वसी हो तो मुवाफ़िक़ फ़ैसला करना जाइज़ नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअला.25:– क़ाज़ी को क़ुज़ा के लिये ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ लोग आसानी से पहुँच सकें ऐसी जगह न बैठे जहाँ मुसाफ़िर व ग़रीबुल'वतन पहुँच न सकें। सबसे बेहतर मस्जिद जामेअ् है फिर वह मस्जिद जहाँ पंजगाना जमाअत होती हो अगर्चे उसमें जुमा न पढ़ा जाता हो। और अगर मस्जिद जामेअ् वस्त शहर (बीच शहर) में न हो बल्कि शहर के एक किनारा पर वाक़ेअ् है कि अकस्र लोगों को वहाँ जाने में दुश्वारी होगी तो वस्त शहर में कोई दूसरी मस्जिद तजवीज़ करे। यह भी हो सकता है कि अपने महल्ला की मस्जिद को इख़्तियार करे। मस्जिद बाज़ार चूँकि ज़्यादा मशहूर है मस्जिदे महल्ला से बेहतर है। (आलमगीरी स.410)

मसअला.26:– क़ाज़ी क़िब्ला को पीठ करके बैठे जिस तरह ख़तीब व मुदर्रिस क़िब्ला को पीठ करके बैठते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.27:– अगर अपने मकान में इजलास करे दुरुस्त है मगर इज़्ने आम होना चाहिए यानी अरबाबे हाजत के लिये रोक, टोक न हो। (दुर्रे मुख़्तार) यह उस ज़माना की बातें हैं जब कि दारूल क़ुज़ा न था मस्जिद या अपने मकान में क़ाज़ी इजलास किया करते थे और अब दारूलक़ुज़ा मौजूद हैं आम तौर पर लोगों के इल्म में यही बात है कि क़ाज़ी का इजलास दारुलक़ुज़ा में होता है

लिहाज़ा क़ाज़ी के लिये यह मुनासिब जगह है।

मसअ्ला.28:– क़ाज़ी कहीं भी इजलास करे दरबान मुक़र्रर करदे कि मुक़द्दमा वाले दरबारे क़ाज़ी में हुजूम व शोर व ग़ुल न करें वह उनको बेजा बातों से रोकेगा मगर दरबान को यह जाइज़ नहीं कि लोगों से कुछ लेकर अन्दर आने की इजाज़त देदे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.29:– क़ाज़ी के पास जब मुद्दई व मुद्दआ अ़लैहि दोनों फ़रीक़े मुक़द्दमा हाज़िर हों तो दोनों के साथ यकसां बरताव करे नज़र करे तो दोनों की तरफ़ नज़र करे बात करे तो दोनों से करे ऐसा न करे कि एक की तरफ़ मुख़ातब हो दूसरे से बे तवज्जोही रखे अगर एक से ब'कुशादा पेशानी बात करे तो दूसरे से भी करे दोनों को एक क़िस्म की जगह दे यह न हो कि एक को कुर्सी दे और दूसरे को खड़ा रखे या फ़र्श पर बिठाये उनमें किसी से सरगोशी न करे न एक की तरफ़ हाथ या सर या अबरू से इशारा करे न हँसकर किसी से बात करे। इजलास में हंसी मज़ाक़ न करे न उन दोनों से न किसी और से। अ़लावा कचहरी के भी कस्रत मिज़ाह से परहेज़ करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दोनों फ़रीक़ में से एक की तरफ़ दिल झुकता है और क़ाज़ी का जी चाहता है कि यह अपने सुबूत व दलाइल अच्छी तरह पेश करे तो यह जुर्म नहीं कि दिल का मैलान इख़्तियारी चीज़ नहीं हाँ जो चीज़ें इख़्तियारी हों उनमें अगर एकसा मुआ़मला न करे तो बेशक मुजिरम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– दोनों में से एक की दअ्वत न करे एक की दअ्वत करता है तो दूसरे की भी करे। एक से ऐसी ज़बान में बात न करे जिसको दूसरा न जानता हो। अपने मकान पर भी एक से तन्हाई में कोई बात न करे बल्कि अपने मकान पर आने की उसे इजाज़त भी न दे बिलजुम्ला हर उस बात से इज्तिनाब (परहेज़) करे जिससे लोगों को बदगुमानी का मौक़ा हाथ आये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– क़ाज़ी को हदिया क़बूल करना ना'जाइज़ है कि यह हदिया नहीं है बल्कि रिश्वत है जैसा कि आजकल अकस्र लोग हुक्काम को डाली के नाम से देते हैं और उससे मक़सूद सिर्फ़ यही होता है कि अगर कोई मुआ़मला होगा तो हमारे साथ रिआ़यत होगी। क़ाज़ी को अगर यह मा'लूम हो कि उसकी चीज़ फेरदी जायेगी तो उसे तकलीफ़ होगी तो चीज़ को लेले और उसकी वाजिबी क़ीमत देदे कम क़ीमत देकर लेना भी ना'जाइज़ है और अगर कोई शख़्स हदिया रखकर चलागया मा'लूम नहीं कि वह कौन था या उसका मकान दूर है फेरने में वक़्त लगता है तो बैतुल'माल में यह चीज़ दाख़िल करदे ख़ुद न रखे जब देने वाला मिल जाये उसे वापस करदे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– जिस तरह हदया लेना जाइज़ नहीं है दीगर तबर्रुआ़त भी ना'जाइज़ है। मस्लन क़र्ज़ लेना आ़रियत लेना, किसी से कोई काम मुफ़्त कराना बल्कि वाजिबी उजरत से कम देकर काम लेना भी जाइज़ नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– वाइज़ व मुफ़्ती व मुदर्रिस व इमामे मस्जिद हदया क़बूल कर सकते हैं कि उनको जो कुछ दिया जाता है वह उनके इल्म का एअ्ज़ाज़ है किसी चीज़ की रिश्वत नहीं है। अगर मुफ़्ती को इस लिए हदया दिया कि फ़तवे में रिआ़यत करे तो देना, लेना दोनों हराम और अगर फ़तवा बताने की उजरत है तो यह भी हलाल नहीं। हाँ लिखने की उजरत ले सकता है मगर यह भी न ले तो बेहतर है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार 310)

मसअ्ला.35:– क़ाज़ी को बादशाह ने या किसी हाकिमे बाला ने हदया दिया तो लेना जाइज़ है यूँही क़ाज़ी के किसी रिश्तेदार महरम ने हदया दिया या ऐसे शख़्स ने हदया दिया जो उसके क़ाज़ी होने से पहले भी दिया करता था और उतना ही दिया जितना पहले दिया करता था तो क़बूल करना जाइज़ है और पहले जितना देता था अब उससे ज़ाइद दिया तो जितना ज़्यादा दिया है वापस करदे हाँ अगर हदया देने वाला पहले से अब ज़्यादा मालदार है और पहले जो कुछ देता था अपनी हैसियत के लाइक़ देता था और उस वक़्त जो पेश कर रहा है उस हैसियत के मुताबिक़ है तो ज़्यादती के क़बूल करने में हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, फ़त्ह)

मसअ्ला.36:– रिश्तेदार या जिसकी आदत पहले से हदया देने की थी उन दोनों के हदये काज़ी को क़बूल करना उस वक़्त जाइज़ हैं जब कि उनके मुक़द्दमात उस काज़ी के यहाँ न हों वरना दौराने मुक़द्दमा में हदया, हदया नहीं बल्कि रिश्वत है हाँ बादे ख़त्म मुक़द्दमा देना चाहे तो दे सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.37:– दअ्वते ख़ास्सा क़बूल करना काज़ी के लिये जाइज़ नहीं दअ्वते आम्मा क़बूल कर सकता है मगर जिसका मुक़द्दमा काज़ी के यहाँ हो उसकी दअ्वते आम्मा को भी क़बूल न करे दअ्वते ख़ास्सा वह है कि अगर मालूम होजाये कि काज़ी उसमें शरीक न होगा तो दावत ही न होगी और आम्मा वह है कि काज़ी आये या न आये बहर हाल लोगों की दअ्वत होगी खाना खिलाया जायेगा मस्लन दअ्वते वलीमा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.38:– काज़ी को चाहिए कि किसी से क़र्ज़ आरियत न ले मगर जो शख़्स काज़ी होने से पहले ही उसका दोस्त था या शरीक था जिससे उस क़िस्म के मुआमलात जारी थे उससे क़र्ज़ लेने और आरियत लेने में कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– जनाज़ा में जा सकता है मरीज़ की एयादत के लिये भी जायेगा मगर वहाँ देर तक न ठहरे न वहाँ अहले मुक़द्दमा को कलाम का मौक़ा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– काज़ी ने ऐसा फ़ैसला दिया जो किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ है या सुन्नते मशहूरा (वह अहकाम जो हदीसे मशहूर से साबित हों) या इजमा (सहाबा या मुज्तहेदीन व फ़ुक़हा का किसी शरई मुआमले में मुत्तफ़िक़ होजाना) के मुख़ालिफ़ है यह फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा मसलन मुद्दई ने सिर्फ़ एक को गवाह पेश किया और क़सम भी खाई कि मेरा हक़ मुद्दआ अलैहि के ज़िम्मा है और काज़ी ने एक गवाह और यमीन (क़सम) से मुद्दई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कर दिया यह फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं अगर दूसरे काज़ी के पास मुराफ़आ (अपील) होगा उस फ़ैसले को बातिल कर देगा यूँहीं वली मक़तूल ने क़सम के साथ बताया कि फ़ुलाँ शख़्स क़ातिल है महज़ उस की यमीन (क़सम) पर काज़ी ने क़िसास का हुक्म देदिया यह नाफ़िज़ नहीं। या महज़ तन्हा मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) की शहादत पर कि उन दोनों मियाँ बीवी ने मेरा दूध पिया है काज़ी ने तफ़रीक़ (जुदाई) का हुक्म देदिया यह नाफ़िज़ नहीं। गुलाम या बच्चा का फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं काफ़िर ने मुस्लिम के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया यह भी नाफ़िज़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहत)

मसअ्ला.41:– यौमे मौत (मरने का दिन) फ़ैसला के तहत में दाख़िल नहीं यानी दो शख़्स के माबैन महज़ इस बात में इख़्तिलाफ़ हुआ कि फ़ुलाँ शख़्स किस दिन मरा है उसके मुतअ्ल्लिक़ काज़ी ने फ़ैसला भी करदिया इस फ़ैसले का वजूद व अदम बराबर है यानी इस फ़ैसले के बाद अगर दूसरा शख़्स उस अम्र पर गवाह पेश करे जिससे मालूम हो कि उस वक़्त मरा न था तो यह गवाह मक़बूल होंगे उसकी वजह यह है कि फ़ैसले का मक़सद रफ़अ् नज़ाअ् (झगड़ा दूर करना) है कि गवाहों से साबित करके नज़ाअ् को दूर करें और मौत फ़ी नफ़्सेही (अपने आप में) महल्ले नज़ाअ् नहीं लिहाज़ा अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जो महल्ले नज़ाअ् बन सकती है तो उस के ज़िम्न में यौमे मौत तहते क़ज़ा दाख़िल हो सकता है मस्लन एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि यह चीज़ मेरे बाप की है और वह फ़ुलाँ तारीख़ में मरगया और मैं उसका वारिस् हूँ और उसको गवाहों से साबित कर दिया काज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया और चीज़ उसे दिलादी उसके बाद एक औरत दअ्वा करती है कि मैं इस मय्यित की ज़ौजा हूँ उसने मुझसे फ़ुलाँ तारीख़ में निकाह किया था वह मरगया मुझ को महर और तर्का मिलना चाहिए और निकाह की जो तारीख़ बताती है यह उस के बाद है जो बेटे ने मरने की साबित की थी और औरत ने भी अपने दअ्वे को गवाहों से साबित कर दिया तो काज़ी उस औरत को भी महर व तर्का मिलने का हुक्म देगा क्योंकि उन दोनों दअ्वों का हासिल यह है कि मूरिस् मर चुका और मैं वारिस हूँ तारीख़े मौत को उसमें कुछ दख़ल नहीं हाँ अगर मौत मशहूर है छोटे, बड़े सब को मालूम है और औरत उस तारीख़ के बाद निकाह

होना बताती है तो वह यक़ीनन झूटी है उसकी बात क़ाबिले एअ्तिबार नहीं और अगर यह सब बातें क़त्ल के बाद हों कि पहले बेटे ने अपने बाप के क़त्ल किये जाने की तारीख़ गवाहों से साबित की और क़ाज़ी ने फ़ैसला कर दिया उसके बाद औरत ने उस तारीख़ के बाद अपना निकाह होना बयान किया तो औरत के गवाह मक़बूल नहीं क्योंकि क़त्ल के मुतअ़ल्लिक़ जो अहकाम हैं औरत के गवाह क़बूल कर लिये जाने में बातिल हो जाते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.331)

मसअ्ला.42:– अगर तारीख़ से महज़ मौत का बताना मक़सूद न हो बल्कि उसका मक़सूद कुछ और हो मस्लन मिल्क का तक़द्दुम साबित (मिलकियत का पहले साबित करना) करना चाहता हो तो यौमे मौत तहते क़ज़ा (फ़ैसले के तहत) दाख़िल है मस्लन दो शख़्स एक चीज़ के मुद्दई हैं जो तीसरे के हाथ में है हर एक का यह दअ्वा है कि यह चीज़ मेरे बाप की है वह मरगया और उस चीज़ को तर्का (मैयत का छोड़ा हुआ माल व जायदाद) में छोड़ा तो जो अपने बाप के मरने की तारीख़ को मुक़द्दम साबित करेगा वही पायेगा और अगर मौत की तारीख़ बयान न करते या दोनों ने एक ही तारीख़ बयान की होती तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ के हक़दार होते। एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि फुलाँ शख़्स की जो चीज़ तुम्हारे पास है उसने मुझे वकील किया है कि उसपर क़ब्ज़ा करूँ मुद्दआ अ़लैहि ने गवाहों से साबित किया कि वह शख़्स फुलाँ रोज़ मरगया यह गवाह मक़बूल हैं क्योंकि उससे मक़सूद यह है कि वकील वकालत से उसके मरने की वजह से मअ्ज़ूल होगया लिहाज़ा यह शख़्स क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.43:– बैअ् व हिबा व निकाह वग़ैरहा जुमला उ़क़ूद (तमाम अक़्द, लेनदेन वग़ैरा के क़ौल व क़रार) व मदायनात तहते क़ज़ा दाख़िल हैं यानी जब एक मरतबा एक मुअ़य्यन दिन में उसका होना साबित कर दिया गया और क़ाज़ी ने फ़ैसला देदिया तो उसके बाद की तारीख़ अगर कोई साबित करना चाहे यह मक़बूल नहीं मस्लन एक शख़्स ने गवाहों से यह साबित किया कि ज़ैद ने यह चीज़ फुलाँ तारीख़ में मेरे हाथ बैअ् की है दूसरा यह कहता है कि उसी ज़ैद ने मेरे हाथ फुलाँ तारीख़ में बैअ् की है और उस की तारीख़ मुअख़्ख़र है यह गवाह मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.332)

मसअ्ला.44:– जिस अम्र में नज़ाअ् है उस के मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी के सामने जैसा सुबूत होगा क़ाज़ी उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करने पर मजबूर है हो सकता है कि क़ाज़ी के सामने हक़दार ने सुबूत न पहुँचाया और ग़ैर मुस्तहक़ ने साबित कर दिखाया और क़ाज़ी ने उसके हक़ में फ़ैसला करदिया यह फ़ैसला ब'ज़ाहिर नाफ़िज़ ही होगा मगर बातिनन (हक़ीक़त में) नाफ़िज़ है या नहीं उसकी दो सूरतें हैं बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क़ज़ा–ए–क़ाज़ी ज़ाहिरन व बातिनन हर तरह नाफ़िज़ है और बाज़ ऐसी हैं जिन में ज़ाहिरन नाफ़िज़ है बातिनन (हक़ीक़त में) नाफ़िज़ नहीं यानी मुद्दई वह चीज़ मुद्दआ अ़लैहि से जबरन ले सकता है मगर उससे नफ़ा हासिल करना बल्कि उसको अपने क़ब्ज़ा में लेना ना'जाइज़ है वह गुनहगार है मुवाख़ज़ा उख़रवी (आख़िरत की पकड़) में गिरफ़्तार है क़िस्मे अव्वल उ़क़ूद व फ़ुसूख़ हैं यानी किसी अक़्द के मुतअ़ल्लिक़ नज़ाअ् है मस्लन मुद्दई ने दअ्वा किया कि मुद्दआ अ़लैहि ने यह चीज़ मेरे हाथ बैअ् की है और मुद्दआ अ़लैहि मुन्किर है मुद्दई ने गवाहों से बैअ् करना साबित कर दिया और क़ाज़ी ने बैअ् का हुक्म देदिया फ़र्ज़ करो कि बैअ् नहीं हुई थी मगर क़ाज़ी का यह हुक्म ख़ुद ब'मन्ज़िला बैअ् (बैअ् की तरह) है या इक़ाला (बैअ् को ख़त्म करने) को गवाहों से साबित किया तो अगर इक़ाला न भी हुआ यह हुक्मे क़ाज़ी ही इक़ाला है। क़िस्मे दोम इमलाके मुरसला(वह जायदाद जिसमें मिलकियत का दावा किया जाये और सबबे मिल्क बयान न किया जाये)है कि मुद्दई ने चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ मिल्क का दअ्वा किया और उसका सबब कुछ नहीं बयान किया मस्लन हिबा या ख़रीदने के ज़रीआ से मैं मालिक हुआ हूँ और गवाहों से साबित करदिया उस सूरत में अगर वाक़ेअ् में मुद्दई की मिल्क न हो तो बावजूद फ़ैसला उसको लेना जाइज़ नहीं और तसर्रुफ़(अपने इस्तेमाल में लाना)हराम है यूँही अगर मिल्क का सबब बयान किया मगर वह सबब ऐसा है जिसका इन्शा मुम्किन नहीं मसलन यह कहता

है कि बज़रिआ विरासत चीज़ मुझे मिली है और हक़ीक़त में ऐसा नहीं तो बावजूद क़ज़ाए क़ाज़ी उसका लेना जाइज़ नहीं यूँही अगर किसी औरत पर दअ्वा किया कि यह मेरी औरत है और अगर गवाहों से निकाह साबित करदिया हालांकि वह औरत दूसरे की मन्कूहा है तो अगर्चे क़ाज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया उसको उस औरत से सोहबत करना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.45:– क़ज़ा–ए–क़ाज़ी ज़ाहिरन व बातिनन (हक़ीक़त में) नाफ़िज़ होने में यह शर्त है कि क़ाज़ी को गवाहों का झूटा होना मालूम न हो और अगर ख़ुद क़ाज़ी को इल्म है कि यह गवाह झूटे हैं ब'वजूद उसके मुद्दई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया यह क़ज़ा बिल्कुल नाफ़िज़ नहीं न ज़ाहिरन न बातिनन। (दुर्रेमुख़्तार 333)

मसअ्ला.46:– मुद्दई के पास गवाह नहीं हैं मुद्दआ अ़लैहि पर हलफ़ दिया गया उसने झूटी क़सम खाली और क़ाज़ी ने मुद्दआ अ़लैहि के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया यह क़ज़ा भी बातिनन नाफ़िज़ नहीं मस्लन औरत ने दअ्वा किया कि शौहर ने उसे तीन तलाक़ें देदी हैं और शौहर इन्कार करता है औरत तलाक़ के गवाह न पेश कर सकी शौहर पर हल्फ़ दिया गया उसने क़सम खाली कि मैंने तलाक़ नहीं दी है क़ाज़ी ने औरत का दअ्वा ख़ारिज कर दिया अगर वाक़ेअ् में औरत अपने दअ्वे में सच्ची है तो उसे शौहर के साथ रहने और वती पर क़ुदरत देने की इजाज़त नहीं जिस तरह हो सके उससे पीछा छुड़ाये और यह शौहर मरजाये तो उसकी मीरास् लेना भी औरत को जाइज़ नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– फ़ैसला सहीह होने के लिए यह शर्त है कि क़ाज़ी अपने मज़हब के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करे अगर अपने मज़हब के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया दानिस्ता उसने ऐसा किया या भूलकर बहर हाल उसका हुक्म नाफ़िज़ न होगा मस्लन हन्फ़ी को यह इख़्तियार नहीं कि वह मज़हबे शाफ़िई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करे। (दुर्रेमुख़्तार)

ग़ायब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दुरुस्त नहीं है

मसअ्ला.48:– क़ाज़ी के लिये यह दुरुस्त नहीं कि ग़ायब के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे ख़्वाह वह शहादत के वक़्त ग़ायब हो या बादे शहादत व बादे तज़किया शुहूद (गवाहों के आदिल व ग़ैर आदिल होने की तहक़ीक़ के बाद) ग़ायब हुआ हो चाहे वह मज्लिसे क़ाज़ी से ग़ायब हो या शहर ही में न हो यह उस वक़्त है कि हक़ का सुबूत गवाहों से हुआ हो और अगर ख़ुद मुद्दआ अ़लैहि ने हक़ का इक़रार कर लिया हो तो उस सूरत में फ़ैसला के वक़्त उसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.49:– मुद्दआ अ़लैह ग़ायब है मगर उसका नाइब हाज़िर है नाइब की मौजूदगी में फ़ैसला करना दुरुस्त है अगर्चे मुद्दआ अ़लैह की अ़दम'मौजूदगी में हो मस्लन उस का वकील मौजूद है तो फ़ैसला सहीह है कि यह हक़ीक़तन उसका नाइब है या मुद्दआ अ़लैह मरगया है मगर उसका वसी मौजूद है या नाबालिग़ मुद्दआ अ़लैह है और उसके वली मस्लन बाप या दादा की मौजूदगी में फ़ैसला हुआ या वक़्फ़ का मुतव्वली कि यह वाक़िफ़ का क़ाइम मक़ाम है उसकी मौजूदगी में फ़ैसला दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.50:– मुद्दआ अ़लैह के वकील की मौजूदगी में गवाहाने सुबूत पेश हुए फिर वह वकील मरगया या ग़ायब होगया और मुवक्किल की मौजूदगी में फ़ैसला हुआ यह फ़ैसला दुरुस्त है यूँहीं मुअक्किल के सामने गवाह गुज़रे और वकील की मौजूदगी में फ़ैसला हुआ यह भी दुरुस्त है यूँहीं मुद्दआ अ़लैहि के सामने सुबूत गुज़रा फिर वह मरगया और किसी वारिस के सामने फ़ैसला हुआ यह भी दुरुस्त है। (ग़ुरर)

मसअ्ला.51:– मय्यित के ज़िम्मा किसी का हक़ हो या मय्यित का किसी के ज़िम्मा हो उस सूरत में एक वारिस सबके क़ाइम मक़ाम होसकता है यानी उसके मुवाफ़िक़ या मुख़ालिफ़ जो फ़ैसला होगा वह सब के मुक़ाबिल तसव्वुर किया जायेगा कि यह फ़ैसला हक़ीक़तन मय्यित के मुक़ाबिल है और यह वारिस मय्यित का क़ाइम मक़ाम है मगर ऐन का दअ्वा हो तो वारिस उस वक़्त मुद्दआ अ़लैहि

बन सकता है जब वह ऐन उसके क़ब्ज़ा में हो और अगर उसको मुद्दआ अ़लैह बनाया जिसके पास वह चीज़ न हो तो दअ़्वा मसमूअ़् न होगा (दावा नहीं सुना जायेगा) और अगर दैन का दअ़्वा हो तो तर्का की कोई चीज़ उसके क़ब्ज़ा में हो या न हो बहर हाल यह मुद्दआ अ़लैहि बन सकता है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.52:– जिन लोगों पर जायदाद वक़्फ़ की गई है उनमें से बाज़ बक़िया मौक़ूफ़ अ़लैहिम (जिन पर जायदाद वक़्फ़ की गई है) के क़ाइम मक़ाम हो सकते हैं बशर्ते कि वक़्फ़ साबित हो नफ़्से वक़्फ़ में निज़ाअ़् (यानी वक़्फ़ होने न होने में इख़्तिलाफ़ न हो) न हो और अगर निज़ाअ़् वक़्फ़ में हो कि वक़्फ़ हुआ है या नहीं तो एक शख़्स दूसरे के क़ाइम मक़ाम न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.53:– कभी ऐसा होता है कि हक़ीक़तन ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) के क़ाइम मक़ाम कोई नहीं है ऐसी सूरत में जानिबे शरअ़् से उसका नाइब मुक़र्रर किया जाता है मस्लन एक शख़्स मरा और उसने माल और ना'बालिग़ बच्चों को छोड़ा और किसी को वसी नहीं बनाया उस सूरत में क़ाज़ी एक वसी मुक़र्रर करेगा और यह उस मय्यित का क़ाइम मक़ाम होगा यही दअ़्वा करेगा और उसी पर दअ़्वा होगा और उसी की मौजूदगी में फ़ैसला होगा। (दुरर)

मसअ्ला.54:– कभी हुक्मन नियाबत (यानी कभी हुकमन क़ायम मक़ाम होना होता है) होती है उसकी सूरत यह है कि ग़ायब पर दअ़्वा हाज़िर पर दअ़्वा के लिए सबब हो यानी दअ़्वा तो हाज़िर पर है मगर उसका सबब ग़ायब पर दअ़्वा है बिग़ैर ग़ायब को मुद्दआ अ़लैह बनाये हाज़िर पर दअ़्वा नहीं चल सकता लिहाज़ा यह हाज़िर उस ग़ायब का हुक्मन क़ाइम मक़ाम है उसकी मिसाल यह है कि एक मकान एक शख़्स के क़ब्ज़ा में है उस पर किसी ने यह दअ़्वा किया कि मैंने यह मकान फ़ुलाँ शख़्स से जो ग़ायब है ख़रीदा है और उसको गवाहों से साबित कर दिया हाकिम ने मुद्दई के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो यह फ़ैसला जिस तरह उस हाज़िर के मुक़ाबिल में है उस ग़ायब के मुक़ाबिल में भी है यानी अगर वह ग़ायब हाज़िर होकर इन्कार करे तो यह इन्कार ना'मोअ़्तबर है। (दुरर, गुरर) उसकी एक मिसाल यह भी है ज़ैद ने दअ़्वा किया कि अ़म्र पर मेरे इतने रुपये हैं वह ग़ायब है बकर उसके हुक्म से उसका कफ़ील हुआ था जो मौजूद है और गवाहों से साबित कर दिया क़ाज़ी का फ़ैसला अ़म्र व बकर दोनों पर होगा अगर्चे अ़म्र मौजूद नहीं है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.55:– अगर ग़ायब पर दअ़्वा हाज़िर पर दअ़्वा के लिये शर्त हो तो यह हाज़िर उस ग़ायब के क़ाइम मक़ाम नहीं होगा यानी यह फ़ैसला न हाज़िर पर है न ग़ायब पर जब कि ग़ायब का ज़रर (नुक़सान) हो और अगर ग़ायब का ज़रर न हो तो हाज़िर पर फ़ैसला होजायेगा मस्लन ग़ुलाम ने मौला पर यह दअ़्वा किया कि उसने कहा था कि फ़ुलाँ शख़्स अपनी बीवी को तलाक़ देदे तो तू आज़ाद है और उसने अपनी ज़ौजा को तलाक़ देदी और उसपर गवाह पेश किये तो यह गवाह उस वक़्त मक़बूल होंगे जब वह शौहर भी मौजूद हो क्योंकि इस फ़ैसले में उसका नुक़सान है और अगर औरत ने यह दअ़्वा किया कि शौहर ने कहा था अगर ज़ैद मकान में दाख़िल हो तो तुझको तलाक़ है और चूँकि शर्त तलाक़ पाई गई लिहाज़ा मैं मुतल्लक़ा हूँ और ज़ैद की अ़दमे मौजूदगी में गवाहों से साबित करदिया तलाक़ होगई ज़ैद का मौजूद होना इस फ़ैसला में शर्त नहीं कि उस फ़ैसला से ज़ैद का नुक़सान नहीं। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.56:– एक शख़्स मरगया उसके ज़िम्मा इतना दैन है जो सारे तर्का (वह माल व जायदाद जो मय्यित छोड़ जाये) को मुस्तग़रक़ (घेरे हुए है यानी क़र्ज़ ज़्यादा और तर्का कम) है वुरसा (मय्यित के वारिस) को इख़्तियार नहीं है कि तर्का बेचकर दैन अदा करें बल्कि यह हक़ क़ाज़ी का है यह उस वक़्त है कि सब वुरसा अपने माल से दैन अदा करने पर मुत्तफ़िक़ न हों और अगर सबने इस अम्र पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि जो कुछ दैन है हम अपने माल से अदा करेंगे और तर्का हम लेंगे तो ख़ुद वुरसा ऐसा कर सकते हैं और अगर क़र्ज़ ख़्वाह इस बात पर राज़ी हों कि तर्का को बैअ़् करके वुरसा दैन अदा करें तो उनको बेचना जाइज़ है और उनकी रज़ा'मन्दी के बिग़ैर बैअ़् करेंगे तो यह

बैअ् नाफ़िज़ न होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.57:– क़ाज़ी को यह हक़ हासिल है कि माले वक़्फ़ या माले ग़ायब या माले यतीम किसी तवंगर को जो अमीन है क़र्ज़ देदे मगर शर्त यह है कि उस माल की हिफ़ाज़त की उससे बेहतर दूसरी सूरत न हो और अगर मुज़ारबत पर कोई लेने वाला मौजूद हो या उस माल से कोई ऐसी जायदाद ख़रीदी जा सकती हो जिसकी कुछ आमदनी हों तो क़र्ज़ देने की इजाज़त नहीं और क़र्ज़ देने की सूरत में दस्तावेज़ लिखी जाये ताकि याद दाश्त रहे मगर क़ाज़ी अपनी ज़ात के लिये यह अमवाल बतौर क़र्ज़ नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.58:– बाप या वसी को यह हक़ हासिल नहीं कि नाबालिग़ बच्चे का माल क़र्ज़ के तौर पर देदें यहाँ तक कि ख़ुद क़ाज़ी भी अपने नाबालिग़ बच्चे का माल क़र्ज़ नहीं दे सकता अगर यह लोग क़र्ज़ देंगे ज़ामिन होंगे तल्फ़ होने की सूरत में तावान देना पढ़ेगा उसी तरह जिसने लुक़ता (पड़ा माल) पाया है यह भी उस माल को क़र्ज़ नहीं दे सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.59:– मुलतक़ित (गिरी पड़ी चीज़ को उठाने वाला) ने अगर लुक़ता (गिरी पड़ी चीज़) का उतने ज़माना तक एअ्लान कर लिया जो उसके लिए मुक़र्रर है और मालिक का पता न चला अब अगर यह क़र्ज़ देना चाहे दे सकता है क्योंकि जब उस वक़्त उसको तसद्दुक़ करना जाइज़ है तो क़र्ज़ देना बदरजा औला जाइज़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.60:– बाप या वसी को अगर ऐसी ज़रूरत पेश आगई कि बिग़ैर क़र्ज़ दिये माल की हिफ़ाज़त ही न हो सकती हो मस्लन आग लग गई है या लूटेरे माल लूट रहे हैं और ऐसे वक़्त कोई क़र्ज़ मांगता है अगर यह नहीं देगा तो माल तल्फ़ (ज़ाइअ्) होजायेगा ऐसी हालत में उन को भी क़र्ज़ देना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार 341)

मसअ्ला.61:– बाप या वसी फ़ुज़ूल ख़र्च हैं अन्देशा है कि ना'बालिग़ के माल को फ़ुज़ूल ख़र्ची में उड़ा देंगे तो क़ाज़ी उनसे माल लेकर ऐसे के पास अमानत रखे कि ज़ाइअ् होने का अन्देशा न हो(दुर्रेमुख़्तार)

इफ़्ता के मसाइल

मसअ्ला.1:– फ़तवा देना हक़ीक़तन मुजतहिद का काम है कि साइल के सुवाल का जवाब किताब व सुन्नत व इजमाअ् व क़यास से वही दे सकता है इफ़्ता का दूसरा मर्तबा नक़्ल है यानी साहिबे मज़हब से जो बात साबित है साइल के जवाब में उसे बयान कर देना उसका काम है और यह हक़ीक़तन फ़तवा देना न हुआ बल्कि मुस्तफ़ती के लिए मुफ़्ती (मुजतहिद) का क़ौल नक़ल कर देना हुआ कि वह उस पर अ़मल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– मुफ़्ती नाक़िल के लिए यह अम्र ज़रूरी है कि क़ौले मुजतहिद को मशहूर व मुतदाविल (राइज) व मोअ्तबर किताबों से अख़ज़ करे ग़ैर मशहूर कुतुब से नक़ल न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– फ़ासिक़ मुफ़्ती हो सकता है या नहीं अकस्र मुतअख़्ख़िरीन की राय यह है कि नहीं हो सकता क्योंकि फ़तवा उमूरे दीन से है और फ़ासिक़ की बात दियानात (दीनी मुआमलात) में ना'मोअ्तबर फ़ासिक़ से फ़तवा पूछना ना'जाइज़ और उसके जवाब पर एअ्तिमाद न करे कि इल्मे शरीअ़त एक नूर है जो तक़वा करने वालों पर फ़ाइज़ होता है जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला होता है उससे महरूम रहता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स को देखा कि लोग उससे दीनी सुवालात करते हैं और वह जवाब देता है और लोग उसे अ़ज़मत की नज़र से देखते हैं अगर्चे उसको यह मा'लूम नहीं कि यह कौन हैं और कैसे हैं उस को फ़तवा पूछना जाइज़ है कि मुसलमानों का उनके साथ ऐसा बरताव करना उसकी दलील है कि यह क़ाबिले एअ्तिमाद शख़्स हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मुफ़्ती को बेदार मग़्ज़ होशियार होना चाहिए ग़फ़लत बरतना उसके लिए दुरुस्त नहीं क्योंकि इस ज़माने में अकसर हीला साज़ी और तर्कीबों से वाक़िआत की सूरत बदलकर फ़तवा हासिल

कर लेते हैं और लोगों के सामने यह ज़ाहिर करते हैं कि फुलाँ मुफ़्ती ने मुझे फ़तवा देदिया है महज़ फ़तवा हाथ में होना ही अपनी कामयाबी तसव्वुर करते हैं बल्कि मुख़ालिफ़ पर उस की वजह से ग़ालिब आजाते हैं उसको कौन देखे कि वाक़िआ क्या था और उसने सुवाल में क्या ज़ाहिर किया। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.6:– मुफ़्ती पर यह भी लाज़िम है कि साइल से वाक़िआ की तहक़ीक़ करले अपनी तरफ़ से शुकूक़ (मुख़्तलिफ़ सूरतें) निकालकर साइल के सामने बयान न करे मस्लन यह सूरत है तो यह हुक्म है और यह है तो यह हुक्म है कि अकस्र ऐसा होता है कि जो सूरत साइल के मुवाफ़िक़ होती है उसे इख़्तियार कर लेता है और अगर गवाहों से साबित करने की ज़रूरत होती है तो गवाह भी बना लेता है बल्कि बेहतर यह कि निज़ाई मुआमलात (वह मुआमलात जिनमें फ़रीक़ैन का झगड़ा हो) में उस वक़्त फ़तवा दे जब फ़रीक़ैन को तलब करे और हर एक का बयान दूसरे की मौजूदगी में सुने और जिसके साथ हक़ देखे उसे फ़तवा दे दूसरे को न दे। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.7:– इस्तिफ़ता का जवाब इशारे से भी दिया जा सकता है मसलन सर या हाथ से हाँ या नहीं का इशारा कर सकता है और क़ाज़ी किसी मुआमला के मुतअ़ल्लिक़ इशारे से फ़ैसला नहीं कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– क़ाज़ी भी लोगों को फ़तवा दे सकता है कचहरी में भी और बैरूने इज्लास भी मगर मुतख़ासेमैन (मुद्दई, मुद्दआ अलैह) को उनके दअ़्वे के मुतअ़ल्लिक़ फ़तवा नहीं देसकता दूसरे उमूर में उन्हें भी फ़तवा देसकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.9:– मुफ़्ती अगर ऊँचा सुनता है उसके पास तहरीरी सुवाल पेश हुआ उसने लिख कर जवाब दे दिया उस पर अमल दुरुस्त है मगर जो शख़्स कारे इफ़्ता (फ़तवा देने का काम) पर मुक़र्रर हो उसके पास देहाती और औरतें हर क़िस्म के लोग फ़तवे पूछने आते हैं उसकी समाअ़त ठीक होनी चाहिए क्योंकि हर शख़्स तहरीर पेश करे दुश्वार है और जब समाअ़त ठीक नहीं है तो बहुत मुम्किन है कि पूरी बात न सुने और फ़तवा देदे यह फ़तवा क़ाबिले एअ़्तिबार न होगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.10:– इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल सब पर मुक़द्दम है फिर क़ौले इमाम अबू यूसुफ़ फिर क़ौले इमाम मुहम्मद फिर इमाम ज़ुफ़र व हसन इब्ने ज़्याद का क़ौल अलबत्ता जहाँ असहाबे फ़तवा और असहाबे तरजीह ने इमामे आज़म के अलावा दूसरे क़ौल पर फ़तवा दिया हो या तरजीह दी हो तो जिस पर फ़तवा या तरजीह है उसके मुवाफ़िक़ फ़तवा दिया जाये(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– जो शख़्स फ़तवा देने का अहल हो उसके लिये फ़तवा देने में कोई हरज नहीं (आलमगीरी) बल्कि फ़तवा देना लोगों को दीन की बात बताना है और यह खुद एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कितमाने इल्म (इल्म का छुपाना) हराम है।

मसअला.12:– हाकिमे इस्लाम पर यह लाज़िम है कि उसका तजस्सुस करे कौन फ़तवा देने के क़ाबिल है और कौन नहीं है जो ना'अहल हो उसे इस काम से रोकदे कि ऐसों के फ़तवों से तरह तरह की ख़राबियाँ वाक़ेअ़ होती हैं जिनका इस ज़माने में पूरे तौर पर मुशाहिदा होरहा है। (आलमगीरी)

मसअला.13:– फ़तवे के शराइत से यह भी है कि साइलीन की तर्तीब का लिहाज़ रखे अमीर व ग़रीब का ख़याल न करे यह न हो कि कोई मालदार या हकूमत का मुलाज़िम हो तो उसको पहले जवाब देदे और पेश्तर से जो ग़रीब लोग बैठे हुए हैं उन्हें बिठाये रखे बल्कि जो पहले आया उसे पहले जवाब दे और जो पीछे आया उसे पीछे कसे बाशद (कोई भी हो)। (आलमगीरी)

मसअला.14:– मुफ़्ती को यह चाहिए कि किताब को इज़्ज़त व हुरमत के साथ ले किताब की बे हुरमती न करे और जो सुवाल उसके सामने पेश हो उसे ग़ौर से पढ़े पहले सुवाल को ख़ूब अच्छी तरह समझले उसके बाद जवाब दे। (आलमगीरी) बारहा ऐसा भी होता है कि सुवाल में पेचीदगियाँ होती हैं जब तक मुस्तफ़ती से दरयाफ़्त न किया जाये समझ में नहीं आता ऐसे सुवाल को मुस्तफ़ती से समझने की ज़रूरत है उसकी ज़ाहिर इबारत पर हरगिज़ जवाब न दिया जाये और यह भी होता है

कि सुवाल में बाज़ ज़रूरी बातें मुस्तफ़्ती ज़िक्र नहीं करता अगर्चे उसका ज़िक्र न करना बद दियानती की बिना पर न हो बल्कि उसने अपने नज़्दीक उसको ज़रूरी नहीं समझा था मुफ़्ती पर लाज़िम है कि ऐसी ज़रूरी बातें साइल से दरयाफ़्त करले ताकि जवाब वाक़िआ के मुताबिक़ होसके और जो कुछ साइल ने बयान कर दिया. है मुफ़्ती उसको अपने जवाब में ज़ाहिर करदे ताकि यह शुबह न हो कि जवाब व सुवाल में मुताबक़त नहीं है।

मसअ्ला.15:– सुवाल का कागज़ हाथ में लिया जाये और जवाब लिखकर हाथ में दिया जाये उसे साइल की तरफ़ फेंका न जाये क्योंकि ऐसे कागज़ात में अकसर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का नाम होता है क़ुर्आन की आयात होती हैं हदीसें होती हैं उनकी तअ्ज़ीम ज़रूरी है और यह चीज़ें न भी हों तो फ़तवा खुद तअ्ज़ीम की चीज़ है कि उसमें हुक्मे शरीअ्त तहरीर है हुक्मे शरअ् का एह्तिराम लाज़िम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जवाब को ख़त्म करने के बाद वल्लाहु तआला अअ्लम या उसके मिस्ल दूसरे अल्फ़ाज़ तहरीर कर देना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– मुफ़्ती के लिए यह ज़रूरी है कि बुर्दबार खुश खुल्क़ हँसमुख हो नर्मी के साथ बात करे गल्ती होजाये तो वापस ले अपनी गलती से रुजूअ् करने में कभी दरेग़ न करे यह न समझे कि मुझे लोग क्या कहेंगे कि ग़लत फ़तवा देकर रुजूअ् न करना हया से हो या तकब्बुर से बहर हाल हराम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ऐसे वक़्त में फ़तवा न दे जब मिज़ाज सहीह न हो मसलन गुस्सा या ग़म या खुशी की हालत में तबीअत ठीक न हो तो फ़तवा न दे। यूँही पाख़ाना, पेशाब की ज़रूरत के वक़्त फ़तवा न दे हाँ अगर उसे यक़ीन है कि उस हालत में भी सहीह जवाब होगा तो फ़तवा देना सही है(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– बेहतर यह है कि फ़तवे पर साइल से उजरत न ले मुफ़्त जवाब लिखे और वहाँ वालों ने अगर उसकी ज़रूरियात का लिहाज़ करके गुज़ारा के लाइक़ मुक़र्रर कर रखा हो कि आलिमे दीन दीन की ख़िदमत में मशगूल रहे और उसकी ज़रूरियात लोग अपने तौर पर पूरे करें यह दुरुस्त है। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.20:– मुफ़्ती को हदिया क़बूल करना और दअ्वते ख़ास में जाना जाइज़ है (आलमगीरी) यानी जब उसे इत्मीनान हो कि हदिया या दअ्वत की वजह से फ़तवे में किसी क़िस्म की रिआयत न होगी बल्कि हुक्मे शरअ् बिला कम व कास्त (कमी बेशी के बिग़ैर) ज़ाहिर करेगा।

मसअ्ला.21:– इमाम अबूयूसुफ़ रहिमहुल्लाहि तआला से फ़तवा पूछा गया वह सीधे बैठ गये और चादर ओढ़कर इमामा बाँधकर फ़तवा दिया यानी इफ़्ता की अज़मत का लिहाज़ किया जायेगा (आलमगीरी) इस ज़माने में कि इल्मे दीन की अज़मत लोगों के दिलों में बहुत कम बाक़ी है अहले इल्म को इस क़िस्म की बातों की तरफ़ तवज्जोह की बहुत ज़रूरत है जिनसे इल्म की अज़मत पैदा हो उस तरह हरगिज़ तवाज़ोअ् न की जाये कि इल्म व अहले इल्म की वक़अ्त में कमी पैदा हो। सब से बढ़कर जो चीज़ तजर्बा से साबित हुई वह एह्तियाज है जब अहले दुनिया को यह मालूम हुआ कि उन को हमारी तरफ़ एह्तियाज है वहीं वक़अ्त का ख़ातिमा है।

तह्कीम का बयान

तह्कीम के मअ्ना हकम बनाना यानी फ़रीक़ैन अपने मुआमला में किसी को इस लिये मुक़र्रर करें कि वह फ़ैसला करे और निज़ाअ् को दूर करदे उसी को पन्च और सालिस् भी कहते हैं।

मसअ्ला.1:– तह्कीम का रुक्न ईजाब व क़बूल है यानी फ़रीक़ैन यह कहें कि हमने फ़ुलाँ को हकम बनाया और हकम क़बूल करे और अगर हकम ने क़बूल न किया फिर फ़ैसला करदिया यह फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा हाँ अगर इन्कार के बाद फिर फ़रीक़ैन ने उससे कहा और अब क़बूल करलिया तो हकम होगया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– हकम (सालिस) का फ़ैसला फ़रीक़ैन के हक़ में वैसा ही है जैसा कि क़ाज़ी का फ़ैसला

फ़र्क़ यह है कि क़ाज़ी के लिये चूँकि विलायते आम्मा (आम सरपरस्ती) है सबके हक़ में उस का फ़ैसला नातिक़ (लाज़िम) है और हकम का फ़ैसला एलावा फ़रीक़ैन के और उस शख़्स के जो उसके फ़ैसला पर राज़ी है दूसरों से तअ़ल्लुक़ नहीं रखता दूसरों के लिए बमन्ज़िला मुसलिह (सुलह करवाने वाले की तरह) के है गोया तरफ़ैन (यानी मुद्दई मुद्दआ अ़लैह) में सुलह करादी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– उसके लिए चन्द शराइत हैं। फ़रीक़ैन का आक़िल होना शर्त है। हुर्रियत व इस्लाम (आज़ाद और मुसलमान होना) शर्त नहीं यानी ग़ुलाम और काफ़िर को भी किसी का हकम बना सकते हैं। हकम के लिए ज़रूरी है कि वक़्ते तहकीम व वक़्ते फ़ैसला वह अहले शहादत (गवाही देने का अहल हो) से हो फ़र्ज़ करो जिस वक़्त उसको हकम बनाया अहले शहादत से न था मसलन ग़ुलाम था और वक़्ते फ़ैसला आज़ाद होचुका है उसका फ़ैसला दुरुस्त नहीं या मुसलमानों ने काफ़िरों को हकम बनाया और वह फ़ैसला के वक़्त मुसलमान होचुका है उसका फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– ज़िम्मियों ने ज़िम्मी को हकम बनाया यह तहकीम सहीह है अगर हकम फ़ैसला के वक़्त मुसलमान होगया है जब भी फ़ैसला सहीह है और अगर फ़रीक़ैन में से कोई मुसलमान होगया और हकम काफ़िर है तो फ़ैसला सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– हकम ऐसे को बनायें जिसको तरफ़ैन जानते हों और अगर ऐसे को हकम बनाया जो मालूम न हो मसलन जो शख़्स पहले मस्जिद में आये वह हकम है यह तहकीम ना'जाइज़ और उसका फ़ैसला करना भी दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– जिसको पन्च बनाया है वह बीमार होगया या बेहोश होगया या सफ़र में चलागया फिर अच्छा होगया या होश में होगया या सफ़र से वापस हुआ और फ़ैसला किया यह फ़ैसला सहीह है और अगर अन्धा होगया फिर बीनाई वापस हुई उसका फ़ैसला जाइज़ नहीं और अगर मुरतद होगया फिर इस्लाम लाया उसका फ़ैसला भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– हकम को फ़रीक़ैन में से किसी ने वकील बिलख़ुसूमत (मुक़दमे की पैरवी का वकील) किया और उसने क़बूल करलिया हकम न रहा यूँहीं जिस चीज़ में झगड़ा था अगर हकम ने या उसके बेटे ने या किसी ऐसे शख़्स ने ख़रीदली जिसके हक़ में हकम की शहादत दुरुस्त नहीं है तो अब वह हकम न रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– हुदूद व क़िसास और आक़िला पर दियत के मुतअ़ल्लिक़ हकम बनाना दुरुस्त नहीं है और इन उमूर के मुतअ़ल्लिक़ हकम का फ़ैसला भी दुरुस्त नहीं और उनके एलावा जितने हक़ूक़ुल' इबाद हैं जिनमें मुसालहत हो सकती है सब में तहकीम हो सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– हकम ने जो कुछ फ़ैसला किया ख़्वाह मुद्दआ अ़लैहि के इक़रार की बिना पर हो मुद्दई के गवाह पेश करने पर या मुद्दआ अ़लैह ने क़सम से इन्कार किया इस बिना पर उसका फ़ैसला फ़रीक़ैन पर नाफ़िज़ है उन दोनों पर लाज़िम है उससे इन्कार नहीं कर सकते बशर्ते कि फ़रीक़ैन तहकीम (हकम बनाने) पर वक़्ते फ़ैसला तक क़ाइम हों और अगर फ़ैसले से क़ब्ल दोनों में से एक ने भी नाराज़ी ज़ाहिर की तहकीम को तोड़ दिया तो फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा कि वह अब हकम ही न रहा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दो शरीकों में से एक ने और ग़रीम (क़र्ज़ख़्वाह) ने किसी को हकम बनाया उसने फ़ैसला कर दिया वह फ़ैसला दूसरे शरीक पर भी लाज़िम है अगर्चे दूसरे शरीक की अ़दम मौजूदगी में फ़ैसला हुआ कि हकम का फ़ैसला बमन्ज़िला–ए–सुलह है और सुलह का हुक्म यह है कि एक शरीक ने जो सुलह की वह दूसरे पर लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– बाइअ़ (बेचने वाला) व मुश्तरी (ख़रीदार) के माबैन मबीअ़ (बेची जाने वाली चीज़) के ऐब में इख़्तिलाफ़ हुआ उन दोनों ने किसी को हकम बनाया उसने मबीअ़ वापस करने का हुक्म दिया तो बाइअ़ को यह इख़्तियार नहीं कि अपने बाइअ़ यानी बाइअ़ अव्वल को वापस दे हाँ अगर बाइअ़ अव्वल व सानी व मुश्तरी तीनों की रज़ा'मन्दी से हकम हुआ तो बाइअ़ अव्वल पर मबीअ़ वापस होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ह़कम ने फ़ैसले के वक़्त यह कहा कि तूने मेरे सामने मुद्दई के ह़क़ का इक़रार किया या मेरे नज़्दीक गवाहाने आ़दिल से मुद्दई का ह़क़ साबित हुआ मैंने इस बिना पर यह फ़ैसला दिया अब मुद्दआ़ अ़लैह यह कहता है कि मैंने इक़रार नहीं किया था या वह गवाह आ़दिल न थे तो यह इन्कार ना'मोअ़्तबर है वह फ़ैसला लाज़िम होजायेगा और अगर ह़कम ने बा'द फ़ैसला करने के यह ख़बर दी कि मैंने उस मुआ़मला में यह फ़ैसला किया था यह ख़बर उसकी ना'मोअ़्तबर है कि अब वह ह़कम नहीं है। (दुरर वग़ैरा)

मसअ्ला.13:– अपने वालिदैन और औलाद और ज़ौजा के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेगा यह नाफ़िज़ न होगा और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा वह नाफ़िज़ होगा क्योंकि उनके लिये वह अहले शहदात से नहीं उनके ख़िलाफ़ शहादत का अहल है जिस त़रह़ क़ाज़ी उनके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेगा नाफ़िज़ न होगा मुख़ालिफ़ करेगा तो नाफ़िज़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– फ़रीक़ैन ने दो शख़्सों को पन्च मुक़र्रर किया तो फ़ैसले में दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है फ़क़त़ एक का फ़ैसला कर देना नाकाफ़ी है और यह भी ज़रूरी है कि दोनों का एक अम्र पर इत्तिफ़ाक़ हुआ अगर मुख़्तलिफ़ रायें हुईं तो कोई राये पाबन्दी के क़ाबिल नहीं मस्लन शौहर ने औ़रत से कहा तू मुझ पर ह़राम है और उस लफ़्ज़ से त़लाक़ की नियत की उन दोनों ने दो शख़्सों को ह़कम बनाया या एक ने त़लाक़े बाइन का फ़ैसला दिया दूसरे ने तीन त़लाक़ का हुक्म दिया यह फ़ैसला जाइज़ न हुआ कि दोनों का एक अम्र पर इत्तिफ़ाक़ न हुआ। (दुरर, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.15:– फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि हमारे माबैन फ़ुलाँ या फ़ुलाँ फ़ैसला करदे उनमें से जो एक फ़ैसला कर देगा सह़ीह़ होगा मगर एक के पास उन्होंने मुआ़मला पेश कर दिया तो वही ह़कम होने के लिए मुतअ़य्यन होगया दूसरा ह़कम न रहा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– ह़कम ने जो फ़ैसला किया उस का मुराफ़आ़ (अपील) क़ाज़ी के पास हुआ अगर यह फ़ैसला क़ाज़ी के मज़हब के मुवाफ़िक़ हो तो उसे नाफ़िज़ करदे और मज़हब के ख़िलाफ़ हो तो बात़िल करदे और क़ाज़ी का फ़ैसला अगर दूसरे क़ाज़ी के पास पेश हुआ तो अगर्चे उसके मज़हब के ख़िलाफ़ है इख़्तिलाफ़ी मसाइल में क़ाज़ी अव्वल के फ़ैसले को बात़िल नहीं कर सकता जब कि क़ाज़ी अव्वल ने अपने मज़हब के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया हो यूँहीं क़ाज़ी ने अगर ह़कम के फ़ैसला का इमज़ा (नाफ़िज़) कर दिया तो अब दूसरा क़ाज़ी उस फ़ैसले को नहीं तोड़ सकता कि यह तन्हा ह़कम का फ़ैसला नहीं है बल्कि क़ाज़ी का भी है। (दुरर, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.17:– फ़रीक़ैन ने ह़कम बनाया फिर फ़ैसला करने के क़ब्ल क़ाज़ी ने उसके ह़कम होने को जाइज़ कर दिया और ह़कम ने क़ाज़ी की राय के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया यह फ़ैसला जाइज़ नहीं जब कि क़ाज़ी को अपना क़ाइम मक़ाम बनाने की इजाज़त न हो और अगर उसे नाइब व ख़लीफ़ा मुक़र्रर करने की इजाज़त है और उसने ह़कम होने को जाइज़ रखा तो अगर्चे ह़कम का फ़ैसला राय क़ाज़ी के ख़िलाफ़ हो क़ाज़ी उस फ़ैसला को नहीं तोड़ सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक को ह़कम बनाया उसने फ़ैसला करदिया फिर फ़रीक़ैन ने दूसरे को ह़कम बनाया अगर उसके नज़्दीक पहले का फ़ैसला सह़ीह़ है उसी को नाफ़िज़ करदे और अगर उसकी राय के ख़िलाफ़ है बात़िल करदे और एक ने एक फ़ैसला किया दूसरे ह़कम ने दूसरा फ़ैसला किया और यह दोनों फ़ैसले क़ाज़ी के सामने पेश हुए उनमें जो फ़ैसला क़ाज़ी की राये के मुवाफ़िक़ हुआ उसे नाफ़िज़ कर दे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.19:– ह़कम को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को ह़कम बनाये और उससे फ़ैसला कराये और अगर दूसरे को ह़कम बनादिया और उसने फ़ैसला कर दिया और फ़रीक़ैन उसके फ़ैसले पर राज़ी होगये तो ख़ैर वरना बिग़ैर रज़ा'मन्दी फ़रीक़ैन उसका फ़ैसला कोई चीज़ नहीं और ह़कम अव्वल चाहे कि उसके फ़ैसला को नाफ़िज़ करदे यह नहीं कर सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.20:– शख़्से सालिस ने फ़रीक़ैन में ख़ुद ही फ़ैसला करदिया उन्होंने उसको हकम नहीं बनाया है मगर फ़रीक़ैन उसके फ़ैसले पर राज़ी होगये तो यह फ़ैसला सहीह होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– फ़रीक़ैन में एक ने अपने आदमी को हकम बनाया दूसरे ने अपने आदमी को और हर एक हकम ने अपने अपने फ़रीक़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया तो कोई फ़ैसला सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– ज़माना–ए–तहकीम में फ़रीक़ैन में से कोई भी हकम के पास हदया पेश करे या उस की ख़ास दअ्वत करे हकम को चाहिए कि क़बूल न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसाइले मुतफ़र्रिक़ा

मसअ्ला.1:– दो मन्ज़िला मकान दो शख़्सों के माबेन मुश्तरक है नीचे की मन्ज़िल एक की है बाला'ख़ाना दूसरे का है हर एक अपने हिस्से में ऐसा तसर्रुफ़ करने से रोका जायेगा जिसका ज़रर दूसरे तक पहुँचता हो मस्लन नीचे वाला दीवार में मेख़ गाड़ना चाहता है या ताक़ बनाना चाहता है या बाला ख़ाना ऊपर जदीद इमारत बनाना चाहता है या पर्दा की दीवारों पर कड़ियाँ रखकर छत पाटना चाहता है या जदीद पाख़ाना बनवाना चाहता है यह सब तसर्रुफ़ात बिग़ैर मर्ज़ी दूसरे के नहीं कर सकता उसकी रज़ा'मन्दी से कर सकता है और अगर ऐसा तसर्रुफ़ है जिससे ज़रर का अन्देशा नहीं है मस्लन छोटी कील गाड़ना कि उससे दीवार में क्या कमज़ोरी पैदा हो सकती है उसकी मुमानअ़त नहीं और अगर मशकूक हालत है मालूम नहीं कि नुक़सान पहुँचेगा या नहीं यह तसर्रुफ़ भी बिग़ैर रज़ा'मन्दी नहीं कर सकता। (हिदाया, फ़त्ह, दुर्रेमुख़्तार वग़ैरहा)

मसअ्ला.2:– ऊपर की इमारत गिर चुकी है सिर्फ़ नीचे की मन्ज़िल बाक़ी है उसके मालिक ने अपनी इमारत क़स्दन गिरादी कि बाला ख़ाना वाला भी बनवाने से मजबूर होगया नीचे वाले को मजबूर किया जायेगा कि वह अपनी इमारत बनवाये ताकि बाला ख़ाना वाला उसके ऊपर इमारत तैयार करले और अगर उसने नहीं गिराई है बल्कि अपने आप इमारत गिरगई तो बनवाने पर मजबूर नहीं किया जायेगा कि उसने उसको नुक़सान नहीं पहुँचाया है बल्कि क़ुदरती तौर पर उसे नुक़सान पहुँच गया फ़िर अगर बाला ख़ाना वाला यह चाहता है कि नीचे की मन्ज़िल बनाकर अपनी इमारत ऊपर बनाये तो नीचे वाले से इजाज़त हासिल करले या क़ाज़ी से इजाज़त लेकर बनाये और नीचे की तामीर में जो कुछ सर्फ़ा होगा वह मालिके मकान से वसूल कर सकता है और अगर न उससे इजाज़त ली न क़ाज़ी से हासिल की ख़ुद ही बना डाली तो सर्फ़ा नहीं मिलेगा बल्कि इमारत की बनाने के वक़्त जो क़ीमत होगी वह वसूल कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.3:– मकान एक मन्ज़िला दो शख़्सों में मुश्तरक था पूरा मकान गिरगया एक शरीक ने बिग़ैर इजाज़त दूसरे की उस मकान को बनवाया तो यह बनवाना महज़ तबर्रोअ् (अच्छा काम) है शरीक से कोई मुआवज़ा नहीं लेसकता क्योंकि यह शख़्स पूरा मकान बनवाने पर मजबूर नहीं। हो सकता है कि ज़मीन तक़सीम कराके सिर्फ़ अपने हिस्से की तामीर कराये हाँ अगर यह मकाने मुश्तरक (शिरकत का मकान) इतना छोटा है कि तक़सीम के बाद क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदे के लायक़) बाक़ी नहीं रहता तो यह शख़्स पूरा मकान बनवाने पर मजबूर है और शरीक से बक़द्र उसके हिस्से के इमारत की क़ीमत ले सकता है यूँहीं अगर मकाने मुश्तरक का एक हिस्सा गिरगया है और एक शरीक ने तामीर कराई तो दूसरे से उसके हिस्से के लाइक़ क़ीमत वसूल कर सकता है जबकि यह मकान छोटा हो और अगर बड़ा मकान हो जो क़ाबिले क़िस्मत (बंटने के लायक़) है और कुछ हिस्सा गिरगया है तो तक़सीम कराले अगर मुन्हदिम हिस्सा उसके हिस्से में पड़े दुरुस्त कराले और शरीक के हिस्से में पड़े तो वह जो चाहे करे। (रद्दुलमुहतार)

क़ाइदा–ए–कुल्लिया:– जो शख़्स अपने शरीक को काम करने पर मजबूर कर सकता हो वह बिग़ैर इजाज़ते शरीक ख़ुद ही अगर उस काम को तन्हा कर लेगा मुतबर्रेअ् (भलाई का काम करने वाला) क़रार पायेगा शरीक से मुआवज़ा नहीं लेसकता मस्लन नहर पटगई है या कश्ती ऐबदार होगई है

शरीक दुरुस्ती पर मजबूर है और अगर वह ख़ुद दुरुस्त नहीं कराता है क़ाज़ी के यहाँ दरख़्वास्त देकर मजबूर कराये और अगर शरीक को मजबूर नहीं कर सकता और तन्हा एक शख़्स करेगा तो मुआवज़ा ले सकता है मस्लन बाला ख़ाना वाला नीचे वाले को तामीर पर मजबूर नहीं कर सकता यह बिग़ैर उसके हुक्म के बनायेगा जब भी मुआवज़ा पायेगा उसकी दूसरी मिसाल यह है कि जानवर दो शख़्सों में मुश्तरक है एक शरीक ने बिग़ैर इजाज़त दूसरे के उसे खिलाया मुआवज़ा नहीं पायेगा क्योंकि होसकता है कि क़ज़ी के पास मुआमला पेश करे और दूसरे को मजबूर करे और ज़राअते मुश्तरक में क़ाज़ी शरीक को मजबूर नहीं कर सकता उस में मुआवज़ा पायेगा(रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– बाला ख़ाना वाले ने जब नीचे की इमारत बनवाली तो नीचे वाले को उसमें सुकूनत से रोक सकता है जब तक जो रक़म वाजिब है अदा न कर ले उसी तरह एक दीवार मुश्तरक है जिस पर दो शख़्सों की कड़ियाँ हैं वह गिर गई एक ने बनवाई जब तक दूसरा उसका मुआवज़ा अदा न करले उसपर कड़ियाँ रखने से रोका जा सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– एक दीवार पर दो शख़्सों के छप्पर या खपरैलें हैं दीवार ख़राब होगई है एक शख़्स उसको दुरुस्त कराना चाहता है दूसरा इन्कार करता है पहला शख़्स दूसरे से कहदे कि तुम बांस बल्ली वग़ैरा लगाकर अपने छप्पर या खपरैल को रोकलो वरना में दीवार गिराऊँगा तुम्हारा नुक़सान होगा और इस पर लोगों को गवाह करले अगर उसने इन्तिज़ाम करलिया तो ठीक वर्ना यह दीवार गिरादे दूसरे का जो कुछ नुक़सान होगा उसका तावान उसके ज़िम्मे नहीं क्योंकि वह ख़ुद अपने नुक़सान के लिये तैयार हुआ है उस का क़ुसूर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– एक लम्बा रास्ता है जिस में से एक कूचा–ए–ग़ैर नाफ़िज़ा निकला है यानी कुछ दूर के बाद यह गली बन्द होगई है जिन लोगों के मकानात के दरवाज़े पहले रास्ते में हैं उनको यह हक़ हासिल नहीं कि कूचा–ए–ग़ैर नाफ़िज़ा में दरवाज़े निकालें क्योंकि कूचा–ए–ग़ैर नाफ़िज़ा में उन लोगों के लिए आमद व रफ़्त का हक़ नहीं है हाँ अगर हवा आने जाने के लिये खिड़की बनाना चाहते हैं या रौशन्दान खोलना चाहते हैं तो उससे रोके नहीं जा सकते कि उसमें कूचा–ए–सरबस्ता वालों का कोई नुक़सान नहीं है और कूचा–ए–सरबस्ता वाले अगर पहले रास्ता में अपना दरवाज़ा निकालें तो मनअ् नहीं किया जा सकता क्योंकि वह रास्ता उन लोगों के लिये मख़सूस नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– अगर उस लम्बे रास्ते में एक शाख़ मुस्तदीर (गोल गली) निकली हो जो निस्फ़ दाइरा या कम हो तो जिन लोगों के दरवाज़े पहले रास्ते में हों वह उस कूचा–ए–मुस्तदीरा में भी अपना दरवाज़ा निकाल सकते हैं कि यह मैदान मुश्तरक है सब के लिये उसमें हक़े आसाइश है। (हिदाया)

मसअ्ला.8:– हर शख़्स अपनी मिल्क में जो तसर्रुफ़ चाहे कर सकता है दूसरे को मनअ् करने का इख़्तियार नहीं मगर जब कि ऐसा तसर्रुफ़ करे कि उसकी वजह से पड़ोस वाले को खुला हुआ ज़रर (नुक़सान) पहुँचे तो यह अपने तसर्रुफ़ से रोक दिया जायेगा मस्लन उसके तसर्रुफ़ करने से पड़ोस वाले की दीवार गिर जायेगी या पड़ोसी का मकान क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने लायक़) न रहेगा मस्लन अपनी ज़मीन में दीवार उठा रहा है जिससे दूसरे का रौशन्दान बन्द होजायेगा उसमें बिल्कुल अंधेरा होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– कोई शख़्स अपने मकान में तन्नूर गाड़ना चाहता है जिसमें हर वक़्त रोटी पकेगी जिस तरह दुकानों में होता है या उजरत पर आटा पीसने की चक्की लगाना चाहता है या धोबी का पाटा रखवाना चाहता है जिसपर कपड़े धुलते रहेंगे उन चीज़ों से मनअ् किया जासकता है कि तन्नूर की वजह से हर वक़्त धुवाँ आयेगा जो परेशान करेगा चक्की और कपड़े धोने की धमक से पड़ोसी की इमारत कमज़ोर होगी इस लिये उनसे मालिक मकान को मनअ् कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– बाला ख़ाना पर खिड़की बनाता है जिससे पड़ोस वाले के मकान की बे'पर्दगी होगी उससे रोका जायेगा (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) यूँहीं छत पर चढ़ने से मनअ् किया जायेगा जब कि उसकी

वजह से बेपर्दगी होती हो।

मसअ्ला.11:– दो मकानों के दरम्यान में पर्दा की दीवार थी गिर गई जिसकी दीवार है वह बनाये और मुश्तरक हो तो दोनों बनवायें ताकि बे'पर्दगी दूर हो।

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने दूसरे पर दअ्वा किया कि फुलाँ वक़्त उसने यह मकान मुझे हिबा कर दिया था और क़ब्ज़ा भी देदिया मुद्दई से हिबा के गवाह मांगे गये तो कहने लगा उसने हिबा से इन्कार कर दिया था लिहाज़ा मैंने यह मकान उससे ख़रीद लिया और ख़रीदने के गवाह पेश किये अगर यह गवाह ख़रीदने का वक़्त हिबा के बाद का बताते हैं मक़बूल हैं ओर पहले का बतायें तो मक़बूल नहीं कि तनाकुज़ (टकराव) पैदा होगया और हिबा और बैअ् दोनों के वक़्त मज़कूर न हों या एक के लिए वक़्त हो दूसरे के लिए वक़्त न हो जब भी गवाह मक़बूल हैं कि दोनों क़ौलों में तौफ़ीक़ मुम्किन है (मुवाफ़क़त होना मुम्किन है)। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.13:– मकान के मुतअ़ल्लिक़ दअ्वा किया कि यह मुझपर वक़्फ़ है फिर यह कहता है मेरा है या पहले दूसरे के लिये दअ्वा किया फिर अपने ऊपर वक़्फ़ बताया पहले अपने लिये दअ्वा किया फिर दूसरे के लिये यह मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा मेरे ज़िम्मे तुम्हारे हज़ार रुपये हैं उसने कहा मेरा तुम पर कुछ नहीं है फिर उसी जगह उसने कहा हाँ मेरे तुम्हारे ज़िम्मे हज़ार रुपये हैं तो अब कुछ नहीं ले सकता कि उसका इक़रार उसके रद करने से रद होगया अब यह उसका दअ्वा है गवाह से साबित करे या वह शख़्स उसकी तस्दीक़ करे तो ले सकता है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स ने दूसरे पर हज़ार रुपये का दअ्वा किया मुद्दआ अ़लैह ने इन्कार किया कि मेरे ज़िम्मे तुम्हारा कुछ नहीं है या यह कहा कि मेरे ज़िम्मे कभी कुछ न था और मुद्दई ने उसके ज़िम्मे हज़ार रुपये होना गवाहों से साबित किया और मुद्दआ अ़लैह ने गवाहों से साबित किया कि मैं अदा कर चुका हूँ या मुद्दई मुआ़फ़ कर चुका है मुद्दआ अ़लैह के गवाह मक़बूल हैं और अगर मुद्दआ अ़लैह ने यह कहा कि मेरे ज़िम्मे कुछ न था और मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं उसके बाद अदा या अबरा (मुआ़फ़ करने) के गवाह क़ाइम किये गवाह मक़बूल नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– चार सौ रुपये का दअ्वा किया मुद्दआ अ़लैह ने इन्कार कर दिया मुद्दई ने गवाहों से साबित किया उसके बाद मुद्दई ने यह इक़रार किया कि मुद्दआ अ़लैह के उसके ज़िम्मे तीन सौ हैं इस इक़रार की वजह से मुद्दआ अ़लैह से तीन सौ साक़ित न होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– दअ्वा किया कि तुमने फुलाँ चीज़ मेरे हाथ बैअ् की है मुद्दआ'अ़लैह मुन्किर है मुद्दई ने गवाहों से बैअ् साबित करदी और क़ाज़ी ने चीज़ दिलादी उसके बाद मुद्दई ने दअ्वा किया कि उस चीज़ में ऐब है लिहाज़ा वापस करदी जाये बाइअ् जवाब में कहता है कि मैं हर ऐब से दस्त'बर्दार होचुका था और उसको गवाहों से साबित करना चाहता है बाइअ् के गवाह ना'मक़बूल हैं(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक शख़्स दस्तावेज़ (तहरीरी सुबूत) पेश करता है कि उसकी रू से तुम ने फुलाँ चीज़ का मेरे लिये इक़रार किया है वह कहता है हाँ मैंने इक़रार किया था मगर तुमने उसको रद कर दिया मुक़िर'लहू (जिस के लिये इक़रार किया था) को हलफ़ दिया जायेगा अगर वह हलफ़ से यह कहदे कि मैंने रद नहीं किया था वह चीज़ मुक़िर (इक़रार करने वाले) से ले सकता है यूँहीं एक शख़्स ने दअ्वा किया कि तुमने चीज़ मेरे हाथ बैअ् की है बाइअ् कहता है कि हाँ बैअ् की थी मगर तुमने इक़ाला कर लिया मुद्दई पर हलफ़ दिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– काफ़िर ज़िम्मी मरगया उसकी औ़रत मीरास् का दअ्वा करती है और यह औ़रत उस वक़्त मुसलमान है कहती है मैं उसके मरने के बाद मुसलमान हुई हूँ और वुरसा यह कहते हैं कि उसके मरने से पहले मुसलमान हो चुकी थी लिहाज़ा मीरास् की हक़दार नहीं है वुरसा का क़ौल मोअ़्तबर है और मुसलमान मरगया उसकी औ़रत काफ़िरा थी वह कहती है मैं शौहर की ज़िन्दगी में

मुसलमान हो चुकी हूँ और वुरसा कहते हैं मरने के बाद मुसलमान हुई है उस सूरत में भी वुरसा का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– मय्यित के कुफ़्र व इस्लाम में इख़्तिलाफ़ है कि वह मुसलमान हुआ था या काफ़िर ही था जो उसके इस्लाम का मुद्दई है उसका क़ौल मोतबर है मसलन एक शख़्स मरगया जिसके वालिदैन काफ़िर हैं और औलाद मुसलमान है वालिदैन यह कहते हैं कि हमारा बेटा काफ़िर था और काफ़िर मरा और उसकी औलाद यह कहती है कि हमारा बाप मुसलमान होचुका था इस्लाम पर मरा औलाद का क़ौल मोतबर है यही उस के वारिस क़रार पायेंगे माँ बाप को तर्का नहीं मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– पन चक्की ठेके पर देदी है मालिक उजरत का मुतालबा करता है ठेकादार यह कहता है कि नहर का पानी ख़ुश्क होगया था उस वजह से चक्की चल न सकी और मेरे ज़िम्मे उजरत वाजिब नहीं मालिक उससे इन्कार करता है और कहता है पानी जारी था चक्की बन्द रहने की कोई वजह नहीं और गवाह किसी के पास नहीं अगर उस वक़्त पानी जारी है मालिक का क़ौल मोअ्तबर है और जारी नहीं है तो ठेकेदार का क़ौल मोअ्तबर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– एक शख़्स ने अपनी चीज़ किसी के पास अमानत रखी थी वह मरगया अमीन एक शख़्स की निस्बत यह कहता है यह शख़्स उस अमानत रखने वाले का बेटा है उसके सिवा उसका कोई वारिस नहीं हुक्म दिया जायेगा कि अमानत उसे देदे। उसके बाद वह अमीन एक दूसरे शख़्स की निस्बत यह इक़रार करता है कि यह उस मय्यित का बेटा है मगर वह पहला शख़्स इन्कार करता है तो यह शख़्स उस अमानत में से कुछ नहीं ले सकता हाँ अगर पहले शख़्स को अमीन ने बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) अमानत देदी है तो दूसरे के हिस्से की क़द्र (हिस्से के बराबर) अमीन को अपने पास से देना पड़ेगा मदयून (मक़रूज़) ने यह इक़रार किया कि यह मेरे दाइन (क़र्ज़ देने वाला) का बेटा है उसके सिवा उस का कोई वारिस् नहीं तो दैन उसे देदेना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– सूरते मज़कूरा में अमीन ने यह इक़रार किया कि यह शख़्स उसका भाई है और उसके सिवा मय्यित का कोई वारिस नहीं तो क़ाज़ी फ़ौरन देने का हुक्म न देगा बल्कि इन्तिज़ार करेगा कि शायद उसका कोई बेटा हो। जो शख़्स बहर हाल वारिस होता है जैसे बेटी, बाप, माँ यह सब बेटे के हुक्म में हैं और जो कभी वारिस् होता है, कभी नहीं वह भाई के हुक्म में है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.24:– अमीन ने इक़रार किया कि जिसने अमानत रखी है यह उसका वकील बिलक़ब्ज़ है या वसी है या उसने उससे उस चीज़ को ख़रीद लिया है तो उन सब को देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा और अगर मदयून ने किसी शख़्स की निस्बत यह इक़रार किया कि यह उसका वकील बिलक़ब्ज़ (किसी चीज़ पर क़ब्ज़ा करने का वकील) है तो देदेने का हुक्म दिया जायेगा। आरियत और ऐन मग़सूबा (जिस चीज़ पर नाजायज़ क़ब्ज़ा किया गया हो) अमानत के हुक्म में हैं जहाँ अमानत देदेना जाइज़ उनका भी देदेना जाइज़ और जहाँ वह नाजाइज़ यह भी नाजाइज़। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.25:– मय्यित का तर्का वारिसों या क़र्ज़ ख़्वाहों में तक़सीम किया गया अगर वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाहों का सुबूत गवाहों से हुआ हो तो उन लोगों से इस बात का ज़ामिन नहीं लिया जायेगा कि अगर कोई वारिस् या दाइन साबित हुआ तो तुमको वापस करना होगा और अगर वारिस या दैन इक़रार से साबित हो तो कफ़ील (ज़ामिन) लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि यह मकान मेरा और मेरे भाई का है जो हमको मीरास् में मिला है और उसका भाई ग़ायब है उस मौजूद ने गवाहों से साबित कर दिया आधा मकान उसको देदिया जायेगा और आधा क़ाबिज़ के हाथ में छोड़ दिया जायेगा जब वह ग़ायब आ जायेगा तो उसका हिस्सा उसे मिल जायेगा न उसे गवाह क़ाइम करने की ज़रूरत पड़ेगी न जदीद फ़ैसले की वह पहला ही फ़ैसला उसके हक़ में भी फ़ैसला है। जायदादे मन्क़ूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह लेजायी जासकती हो) का भी यहीं हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.27:– किसी शख़्स ने यह कहा कि मेरा माल स़दक़ा है या जो कुछ मेरी मिल्क में है स़दक़ा है तो जो अम्वाल अज़ क़बीले ज़कात हैं यानी सोना, चाँदी साइमा, अमवाले तिजारत यह सब मसाकीन पर तसद्दुक़ (स़दक़ा करे) करे और अगर उसके पास अमवाले ज़कात के सिवा कोई दूसरा माल ही न हो तो उसमें से बक़द्र क़ुव्वत रोकले बाक़ी स़दक़ा करदे फिर जब कुछ माल हाथ में आजाये तो जितना रोक लिया था उतना स़दक़ा करदे। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.28:– किसी शख़्स को वस़ी बनाया और उसे ख़बर न हुई यह ईसा (वस़ी मुक़र्रर करना) स़हीह है और वस़ी ने अगर तस़र्रुफ़ कर लिया यह तस़र्रुफ़ स़हीह है और किसी को वकील बनाया और वकील को इल्म न हुआ यह तौवकील (वकील बनाना) स़हीह नहीं और उसी ला इल्मी में वकील ने तस़र्रुफ़ कर डाला यह तस़र्रुफ़ भी स़हीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– क़ाज़ी या अमीने क़ाज़ी ने किसी की चीज़ क़र्ज़ख़्वाह के दैन अदा करने के लिये बैअ़् करदी और स़मन पर क़ब्ज़ा कर लिया मगर यह समन क़ाज़ी या उसके अमीन के पास से ज़ाइअ़् होगया और वह चीज़ जो बैअ़् की गई थी उसका कोई हक़दार पैदा होगया या मुश्तरी को देने से पहले वह चीज़ ज़ाइअ़् होगई तो उस सूरत में न क़ाज़ी पर तावान है न उसके अमीन पर बल्कि मुश्तरी जो स़मन अदा कर चुका है उन क़र्ज़ख़्वाहों से उसका तावान वसूल करेगा और अगर वस़ी ने दैन अदा करने के लिए मय्यित का माल बेचा है और यही सूरत वाक़ेअ़् हुई तो मुश्तरी वस़ी से वसूल करेगा अगर्चे वस़ी ने क़ाज़ी के हुक्म से बेचा हो फिर वस़ी दाइन से वसूल करेगा उसके बाद अगर मय्यित के किसी माल का पता चले तो दाइन उससे अपना दैन वसूल करे वरना गया(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– किसी ने एक सुलुस माल (एक तिहाई माल) की फ़ुक़रा के लिए वस़ीयत की क़ाज़ी ने सुलुस माल तर्का में से निकाल लिया मगर अभी फ़क़ीरों को दिया न था कि ज़ाइअ़् होगया तो फ़ुक़रा का माल हलाक हुआ यानी बाक़ी दो तिहाई में से फिर सुलुस नहीं निकाला जायेगा बल्कि यह दो तिहाईयाँ वुरसा को दी जायेंगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– क़ाज़ी आ़लिम व आ़दिल अगर हुक्म दे कि मैंने उस शख़्स के रज्म (पत्थर से जान से मारने को हुक्म) या हाथ काटने का हुक्म देदिया है या कोड़े मारने का हुक्म दिया है तो यह सज़ा क़ाइम कर, तो अगर्चे सुबूत उसके सामने नहीं गुज़रा है मगर उसको करना दुरुस्त है और अगर क़ाज़ी आ़दिल है मगर आ़लिम नहीं तो उससे उस सज़ा के शराइत़ दरयाफ़्त करेगा अगर उसने स़हीह त़ौर पर शराइत़ बयान कर दिये तो उसके हुक्म की तअ़्मील करे वरना नहीं यूंही अगर क़ाज़ी आ़दिल न हो तो जब तक सुबूत का ख़ुद मुआ़एना न किया हो वह काम न करे और उस ज़माना में एहतियात़ का मुक़तज़ा (एहतियात का तक़ाज़ा) यही है कि बहर सूरत सुबूत का मुआ़एना किये बिग़ैर क़ाज़ी के कहने पर यह अफ़आ़ल न करे। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

गवाही का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ وَّ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

तर्जमा :– "अपने मर्दों में से दो को गवाह बनालो और अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औ़रतें उन गवाहों से जिनको तुम पसन्द करते हो कि कहीं एक औ़रत भूल जाये तो उसे दूसरी याद दिलादेगी। गवाह जब बुलाये जायें तो इन्कार न करें। मुआ़मला किसी मीआ़द तक हो तो उस के लिखने से मत घबराओ छोटा मुआ़मला हो या बड़ा। यह अल्लाह के नज़्दीक इन्साफ़ की बात है और शहादत को दुरुस्त रखने वाला है और उसके क़रीब है कि तुम्हें शुबह न हो हाँ उस सूरत में कि तिजारत फ़ौरी तौर पर हो जिसको तुम आपस में कर रहे हो तो उसके न लिखने में हरज नहीं। और जब ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो गवाह बनालो और न तो कातिब नुक़सान पहुँचाये न गवाह और अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारा फ़िस्क़ है

और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुमको सिखाता है और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है"।

और फ़रमाता है।

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾

"और शहादत को न छुपाओ और जो उसे छुपायेगा उसका दिल गुनेहगार है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है"।

हदीस् (1) इमाम मालिक व मुस्लिम व अह़मद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ज़ैद इब्ने ख़ालिद जोहनी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या तुमको यह ख़बर न दूँ कि बेहतर गवाह कौन है वह जो गवाही देता है इससे क़ब्ल कि उससे गवाही के लिये कहा जाये"।

हदीस (2) बैहक़ी इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अगर लोगों को मह़ज़ उनके दअ़्वे पर चीज़ दिलादी जाये तो बहुत से लोग ख़ून और माल के दअ़्वे कर डालेंगे व लेकिन मुद्दई के ज़िम्मे बय्यिना (गवाह) है और मुन्किर पर क़सम।

हदीस् (3) अबूदाऊद ने उम्मे सलमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि दो शख़्सों ने मीरास् के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर की ख़िदमत में दअ़्वा किया और गवाह किसी के पास न थे इरशाद फ़रमाया कि अगर किसी के मुवाफ़िक़ उसके भाई की चीज़ का फ़ैसला कर दिया जाये तो वह आग का टुकड़ा है यह सुनकर दोनों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपना हक़ अपने फ़रीक़ को देता हूँ फ़रमाया यूँही नहीं बल्कि तुम दोनों जाकर उसे तक़सीम करो और ठीक ठीक तक़सीम करो फिर क़ुरआ़ अन्दाज़ी करके अपना अपना हिस़्सा लेलो और हर एक दूसरे से (अगर उसके हिस़्से में उस का हक़ पहुँच गया हो) मुआ़फ़ी कराले।

हदीस् (4) शरह़ सुन्नत में जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि दो शख़्सों ने एक जानवर के मुतअ़ल्लिक़ दअ़्वा किया हर एक ने इस बात पर गवाह क़ाइम किये कि मेरे घर का बच्चा है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैस़ला किया जिसके क़ब्ज़े में था।

हदीस् (5) अबूदाऊद ने अबू मूसा अश्अ़री रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर के ज़माना—ए—अक़दस में दो शख़्सों ने एक ऊँट के मुतअ़ल्लिक़ दअ़्वा किया और हर एक ने गवाह पेश किये हुज़ूर ने दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम फ़रमादिया।

हदीस् (6) स़ह़ीह़ मुस्लिम में है अ़ल्क़मा इब्ने वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक शख़्स़ ह़ज़रमूत का और एक क़बीला—ए—कन्दा का दोनों ह़ाज़िर हुए ह़ज़रमूत वाले ने कहा या रसूलल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इसने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती लेली कन्दी ने कहा वह ज़मीन मेरी है और मेरे क़ब्ज़े में है उसमें उस शख़्स़ का कोई ह़क़ नहीं हुज़ूर ने ह़जरमूत वाले से फ़रमाया क्या तुम्हारे पास गवाह हैं अ़र्ज़ की नहीं। फ़रमाया तो अब उस पर ह़लफ़ दे सकते हो अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह यह शख़्स़ फ़ाजिर है उसकी परवाह भी न करेगा कि किस चीज़ पर क़सम खाता है ऐसी बातों से परहेज़ नहीं करता इरशाद फ़रमाया उसके सिवा दूसरी बात नहीं। जब वह शख़्स़ क़सम के लिये आमादा हुआ और इरशाद फ़रमाया अगर यह दूसरे के माल पर क़सम खायेगा कि बतौर ज़ुल्म उसका माल खाया जाये तो ख़ुदा से उस ह़ाल में मिलेगा कि वह उससे एअ़राज़ फ़रमाने वाला है। (यानी नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा)

हदीस् (7) तिर्मिज़ी ने आ़यशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि "ख़ियानत करने वाले मर्द और ख़ियानत करने वाली औ़रत की गवाही जाइज़ नहीं और न उस मर्द की जिस पर ह़द लगाई गई और न ऐसी औ़रत की और न उसकी जिसको उससे अ़दावत है जिसके ख़िलाफ़ गवाही देता है और न उसकी जिस की झूटी गवाही का तजर्बा हो चुका

हो और न उसके मुवाफ़िक़ जिसका यह ताबेअ़ है (यानी उसका खाना, पीना जिस के साथ हो) और न उसकी जो विला या क़राबत में मुत्तहम हो"।

हदीस् (8) स़हीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कबीरा गुनाह यह है अल्लाह के साथ शरीक करना माँ, बाप की ना'फ़रमानी करना किसी को नाह़क़ क़त्ल करना और झूटी गवाही देना।

हदीस् (9) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने ख़ुरैम इब्ने फ़ातिक और इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी ने ऐमन इब्ने ख़ुरैम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़े सुबह़ पढ़कर क़ियाम किया और यह फ़रमाया कि झूटी गवाही शिर्क के साथ बराबर करदी गई फिर उस आयत की तिलावत फ़रमाई।

﴿فاجتنبوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰہِ غَیْرُ مُشْرِکِین بہ ط﴾

"बुतों की नापाकी से बचो और झूटी बात से बचो अल्लाह के लिए बातिल से हक़ की तरफ़ माइल हो जाओ उसके साथ किसी को शरीक न करो"।

हदीस् (10) बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे बेहतर मेरे ज़माने के लोग हैं फिर जो उनके बा'द में फिर वह जो उनके बा'द में फिर ऐसी क़ौम आयेगी कि उनकी गवाही क़सम पर सब्क़त करेगी और क़सम गवाही पर या'नी गवाही देने और क़सम खाने में बेबाक होंगे।

हदीस् (11) इब्ने माजा अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि झूटे गवाह के क़दम हटने भी न पायेंगे कि अल्लाह उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा।

हदीस् (12) त़िबरानी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने ऐसी गवाही दी जिससे किसी मर्दे मुस्लिम का माल हलाक होजाये या किसी का ख़ून बहाया जाये उसने जहन्नम वाजिब कर लिया।

हदीस् (13) बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाया जो शख़्स़ लोगों के साथ यह ज़ाहिर करते हुए चला कि यह भी गवाह है हालाँकि यह गवाह नहीं वह भी झूटे गवाह के हुक्म में है और जो बिग़ैर जाने हुए किसी के मुक़द्दमा की पैरवी करे वह अल्लाह की ना'ख़ुशी में है जब तक उससे जुदा न होजाये।

हदीस् (14) त़िबरानी अबू मूसा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशादा फ़रमाया "जो गवाही के लिए बुलाया गया और उसने गवाही छुपाई या'नी अदा करने से गुरेज़ की वह वैसा ही है जैसा झूटी गवाही देने वाला"।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला.1:– किसी ह़क़ के साबित करने के लिये मज्लिसे क़ाज़ी में लफ़्ज़े शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।

मसअ्ला.2:– मुद्दई के त़लब करने पर गवाही देना लाज़िम है और अगर गवाह को अन्देशा हो कि गवाही न देगा तो स़ाह़िबे ह़क़ का ह़क़ तल्फ़ हो जायेगा या'नी उसे मा'लूम ही नहीं है कि फ़ुलाँ शख़्स़ मुआ़मला को जानता है कि उसे गवाही के लिये त़लब करता उस सूरत में बिग़ैर त़लब भी गवाही देना लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– शहादत फ़र्ज़े किफ़ाया है बा'ज़ ने कर लिया तो बाक़ी लोगों से साक़ित़ और दो ही शख़्स़ हों तो फ़र्ज़े ऐन है। ख़्वाह तह़म्मुल हो या अदा या'नी गवाह बनाने के लिए बुलाये गये या गवाही देने के लिये दोनों सूरतों में जाना ज़रूरी है। (बह़र)

मसअ्ला.4:– जिस चीज़ के गवाह हों अगर वह मुअज्जल है या'नी उसके लिये कोई मीआ़द हो तो लिख लेना चाहिए वरना न लिखने में कोई ह़रज नहीं। (बह़र)

मसअ्ला.5:– शहादत के लिए दो क़िस्म की शर्तें हैं शराइते तहम्मुल व शराइते अदा।
तहम्मुल यानी मुआमला के गवाह बनने के लिए **तीन शरतें हैं (1)ब'वक़्ते तहम्मुल आक़िल** होना **(2)अंखयारा** होना **(3)जिस चीज़ का गवाह बने उसका मुशाहिदा करना** लिहाज़ा मजनून या ला यअ्क़िल (नासमझ) बच्चा या अन्धे की गवाही दुरुस्त नहीं यूँही जिस चीज़ का मुशाहिदा न किया हो महज़ सुनी सुनाई बात की गवाही देना जाइज़ नहीं हाँ बाज़ उमूर की शहादत बिग़ैर देखे महज़ सुनने के साथ हो सकती है जिनका ज़िक्र आयेगा। तहम्मुल के लिये बुलूग़, हुर्रियत, इस्लाम अदालत शर्त नहीं यानी अगर वक़्ते तहम्मुल बच्चा या ग़ुलाम या काफ़िर या फ़ासिक़ था मगर अदा के वक़्त बच्चा बालिग़ होगया है ग़ुलाम आज़ाद हो चुका है काफ़िर मुसलमान हो चुका है फ़ासिक़ ताइब हो चुका (तौबा करचुका) है तो गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी वग़ैरा)
मसअ्ला.6:– शाराइत अदा यह हैं (1)गवाह का आक़िल (2)बालिग़ (3)आज़ाद (4)अंखयारा होना (5)नातिक़ (बोल सकता हो) होना,(6)महदूद फ़िलक़ज़फ़ न होना यानी उसे तोहमत की हद न मारी गई हो (7)गवाही देने में गवाह का नफ़अ् या दफ़अ् ज़रर मक़सूद न होना। (8)जिस चीज़ की शहादत देता हो उसको जानता हो उस वक़्त भी उसे याद हो। (9)गवाह का फ़रीक़े मुक़द्दमा (मुक़द्दमा की पार्टी) न होना। (10)जिसके ख़िलाफ़ शहादत देता है वह मुसलमान हो तो गवाह का मुसलमान होना (11)हुदूद व क़िसास में गवाह का मर्द होना (12)हुक़ूक़ुलइबाद में जिस चीज़ की गवाही देता है उसका पहले से दअ्वा होना (13)शहादत का दअ्वे के मुवाफ़िक़ होना। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.7:– शहादत का रुक्न यह है कि ब'वक़्ते अदा गवाह यह लफ़्ज़ कहे कि मैं गवाही देता हूँ उस लफ़्ज़ का यह मतलब है कि मैं ख़ुदा की क़सम खाकर कहता हूँ कि मैं उस बात पर मुत्तलअ् हुआ और अब उसकी ख़बर देता हूँ। अगर गवाही में यह लफ़्ज़ कह दिया कि मेरे इल्म में यह है या मेरा गुमान यह है तो गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार) आज कल अंग्रेज़ी कचहरियों में उन लफ़्ज़ों से गवाही दी जाती है मैं ख़ुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ यह शरअ् के ख़िलाफ़ है।
मसअ्ला.8:– शहादत का हुक्म यह है कि गवाहों का जब तज़किया हो जाये (यानी जब क़ाज़ी गवाहों के बारे में यह तहक़ीक़ करले कि वह आदिल और मोतबर हैं या नहीं) उसके मुवाफ़िक़ हुक्म करना वाजिब है और जब तमाम शराइत पाये गये और क़ाज़ी ने गवाही के मुवाफ़िक़ फ़ैसला न किया गुनाहगार हुआ और मुस्तहक़े अ़ज़्ल व तअ्ज़ीर है (यानी उस क़ाज़ी को माज़ूल करके तादीबन सज़ा दी जाये)। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला.9:– अदाए शहादत वाजिब होने के लिए चन्द शराइत हैं (1)हुक़ूक़ुल इबाद में मुद्दई का तलब करना और अगर मुद्दई को उसका गवाह होना मालूम न हो और उसको मालूम हो कि गवाही न देगा तो मुद्दई की हक़ तल्फ़ी होगी इस सूरत में बिग़ैर तलब गवाही देना वाजिब है (2)यह मालूम हो कि क़ाज़ी उसकी गवाही क़बूल करलेगा और अगर मालूम हो कि क़बूल नहीं करेगा तो गवाही देना वाजिब नहीं (3)गवाही के लिये यह मुअ़य्यन है और अगर मुअ़य्यन न हो यानी और भी बहुत से गवाह हों तो गवाही देना वाजिब नहीं जब कि दूसरे लोग गवाही देदें और वह उस क़ाबिल हों कि उनकी गवाही मक़बूल होगी। और अगर ऐसे लोगों ने शहादत दी जिनकी गवाही मक़बूल न होगी और उसने न दी तो यह गुनाहगार है और अगर उसकी गवाही दूसरों की ब'निस्बत जल्द क़बूल होगी अगर्चे दूसरों की भी क़बूल होगी और उसने न दी गुनाहगार है (4)दो आदिल की ज़बानी उस अम्र का बुतलान मालूम न हुआ हो जिसकी शहादत देना चाहता है मस्लन मुद्दई ने दैन का दअ्वा किया है जिसका यह शाहिद है मगर दो आदिल से मालूम हुआ कि मुद्दआ अलैह (जिस पर दावा किया गया) दैन अदा कर चुका है या ज़ौज (शौहर) निकाह का मुद्दई है और गवाह को मालूम हुआ कि तीन तलाक़ें दे चुका है या मुश्तरी ग़ुलाम ख़रीदने का दअ्वा करता है और गवाह को मालूम हुआ है कि मुश्तरी उसे आज़ाद कर चुका है या क़त्ल का दअ्वा है और मालूम है कि वली मुआफ़ कर चुका है उन सब सूरतों में दैन व निकाह व बैअ् व क़त्ल की गवाही देना दुरुस्त नहीं और अगर ख़बर देने

वाले आ़दिल न हों तो गवाह को इख़्तियार है गवाही दे और क़ाज़ी के सामने जो कुछ सुना है ज़ाहिर करदे और यह भी इख़्तियार है कि गवाही से इन्कार करदे। और अगर ख़बर देने वाला एक आ़दिल हो तो गवाही से इन्कार नहीं कर सकता। निकाह़ के दअ़वे में गवाह से दो आ़दिल ने कहा कि हमने खुद मआ़यना किया है कि दोनों ने एक औ़रत का दूध पिया है या गवाहों ने देखा है कि मुद्दई उस चीज़ में उस त़रह़ तसर्रुफ़ करता है जैसे मालिक किया करते हैं और वह आ़दिल ने उनके सामने यह शहादत दी कि वह चीज़ दूसरे शख़्स की है तो गवाही देना जाइज़ नहीं। **(5)**जिस क़ाज़ी के पास शहादत के लिये बुलाया जाता है वह आ़दिल हो **(6)**गवाह को यह मा़लूम न हो कि मुक़िर (इक़रार करने वाला) ने ख़ौफ़ की वजह से इक़रार किया है अगर यह मा़लूम होजाये तो गवाही न दे मस्लन मुद्दआ़ अ़लैह से जबरन एक चीज़ का इक़रार कराया गया तो उस इक़रार की शहादत दुरुस्त नहीं **(7)**गवाह ऐसी जगह हो कि वह कचहरी से क़रीब हो या़नी क़ाज़ी के यहाँ जाकर गवाही देकर शाम तक अपने मकान को वापस आ सकता हो और अगर ज़्यादा फ़ासिला हो कि शाम तक वापस न आ सकता हो तो गवाही न देने में गुनाह नहीं और अगर बूढ़ा है कि पैदल कचहरी तक नहीं जा सकता और खुद उसके पास सवारी नहीं है मुद्दई अपनी त़रफ़ से उसे सवार करके लेगया इस में ह़रज नहीं और गवाही मक़बूल है और अगर अपनी सवारी पर जा सकता हो और मुद्दई सवार करके लेगया तो गवाही मक़बूल नहीं। (बह़रुर्राइक़)

मसअला.10:– आज कल अंग्रेज़ी कचहरियों में गवाही देने की जो सूरत है वह अहले मुआ़मला पर मख़्फ़ी (पोशीदा) नहीं वकीले मुद्दई झूट बोलने पर ज़ोर देते हैं और वकीले मुद्दआ़ अ़लैह झूटा बनाने की कोशिश करते हैं ऐसी गवाही से खुदा बचाये।

मसअला.11:– मुद्दई ने गवाहों को खाना खिलाया अगर उसकी सूरत यह है कि खाना तैयार था और गवाह उस मौक़े पर पहुँच गया उसे भी खिलादिया तो गवाही मक़बूल है और अगर ख़ास गवाहों के लिये खाना तैयार हुआ है तो गवाही मक़बूल नहीं मगर इमाम अबू यूसुफ़ फ़रमाते हैं कि उस सूरत में भी मक़बूल है। (बह़रुर्राइक़)

मसअला.12:– ह़क़ूक़ुल्लाह में गवाही देना बिग़ैर त़लबे मुद्दई भी वाजिब बल्कि गवाही में ताख़ीर करना भी उसके लिये जाइज़ नहीं अगर बिला उ़ज़्रे शरई ताख़ीर करेगा फ़ासिक़ होजायेगा और उसकी गवाही मरदूद होगी मस्लन किसी ने अपनी औ़रत को बाइन त़लाक़ देदी है उसकी गवाही देना ज़रूरी है। और मुग़ल्लज़ा त़लाक़ के बा़द वह दोनों मियाँ, बीवी की त़रह़ रहते हों और उसे मा़लूम है और गवाही नहीं दी कुछ दिनों के बा़द गवाही देता है मरदूदुश्शहादत है। (दुर्रेमुख़्तार, बह़र)

मसअला.13:– एक शख़्स मरगया उसने ज़ौजा और दीगर वारिस छोड़े गवाहों ने गवाही दी कि उसने सेह़त की ह़ालत में हमारे सामने इक़रार किया था कि औ़रत को तीन त़लाक़ें देदी हैं या बाइन त़लाक़ दी है यह गवाही मरदूद है जब कि वह औ़रत उसी मर्द के साथ रहती रही हो कि उन लोगों ने अब तक देखा और ख़ामोश रहे लिहाज़ा फ़ासिक़ होगये। (बह़रुर्राइक़)

मसअला.14:– हिलाले रमज़ान व ईदुल फ़ित्र व ईदुलअज़ह़ा की शहादत देना भी वाजिब है और वक़्फ़ की गवाही भी ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअला.15:– ह़ुदूद की गवाही में दोनों पहलू हैं एक इज़ालाए मुन्किर व रफ़अ़े फ़साद (झगड़ा, फ़साद को ख़राबी ख़त्म करना) और दूसरा मुस्लिम की पर्दापोशी करना गवाह को इख़्तियार है कि पहली सूरत इख़्तियार करे और गवाही दे या दूसरी सूरत इख़्तियार करे और गवाही देने से इज्तिनाब, परहेज़ करे और यह दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है मगर जब कि वह शख़्स बेबाक हो ह़ुदूदे शरईया की मुह़ाफ़िज़त न करता हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.16:– चोरी की शहादत में बेहतर यह कहना है कि उसने उस शख़्स का माल लेलिया यह न कहे कि चोरी की कि उस त़रह़ कहने में एह़याए ह़क़ भी होजाता है (या़नी ह़क़ भी साबित हो जाता है)

और पर्दा पोशी भी। (हिदाया)

मसअ्ला.17:– निसाबे शहादते ज़िना में चार शख़्स हैं बकिया हुदूद व क़िसास के लिये दो मर्द इन दोनों चीज़ों में औरतों की गवाही मोअ्तबर नहीं हाँ अगर किसी ने तलाक़ को शराब पीने पर मुअल्लक़ किया था और उसके शराब पीने की गवाही एक मर्द और दो औरतों ने दी तो तलाक़ वाक़ेअ् होने का हुक्म कर दिया जायेगा अगर्चे हद नहीं जारी होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.18:– किसी मर्दे काफ़िर के इस्लाम लाने का सुबूत भी दो मर्दों की शहादत से होगा उसी तरह मुसलमान के मुर्तद होने का सुबूत भी दो मर्दों की गवाही से होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– विलादत (औरत का बच्चा जनना) व बुकारत (औरत का कुँवारी होना) और औरतों के वह उ़यूब जिन पर मर्दों को इत्तिलाअ् नहीं होती उनमें एक औरत हुर्रा मुस्लिमा (आज़ाद मुसलमान औरत) की गवाही काफ़ी है और दो औरतें हों तो बेहतर और बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ पैदा होने के वक़्त रोया था उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के हक़ में एक औरत की गवाही काफ़ी है। मगर हक़े विरासत में इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नज़्दीक एक औरत की गवाही काफ़ी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– औरतों के वह उ़यूब जिनपर मर्दों को इत्तिलाअ् नहीं होती और विलादत के मुतअ़ल्लिक़ अगर एक मर्द ने शहादत दी उसकी दो सूरतें हैं अगर कहता है मैंने बिलक़स्द उधर नज़र की थी तो गवाही मक़बूल नहीं कि मर्द को नज़र करना जाइज़ नहीं। और अगर यह कहता है कि अचानक मेरी उस तरफ़ नज़र चली गई तो गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– मकतब के बच्चों में मार पीट झगड़े हो जायें उनमें तन्हा मुअ़ल्लिम की गवाही मक़बूल है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.22:– उनके एलावा दीगर मुआ़मलात में दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की गवाही मोअ्तबर है जिस हक़ की शहादत दीगई हो वह माल हो या ग़ैर माल मसलन निकाह, तलाक़, एताक़, वकालत कि यह माल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– किसी मुआ़मले में तन्हा चार औरतें गवाही दें जिनके साथ मर्द कोई नहीं यह गवाही ना मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– गवाही की हर सूरत में यह कहना ज़रूरी है कि मैं गवाही देता हूँ। यानी सेग़ा हाल (जिस शब्द से वर्तमान काल का बोध हो) कहना ज़रूरी है और जहाँ यह लफ़्ज़ शर्त न हो मसलन पानी की तहारत और रुयते हिलाले रमज़ान कि यह अज़ क़बीले शहादत नहीं बल्कि अख़बार है। शहादत के वाजिबुलक़बूल होने के लिये अदालत शर्त है। सेहते क़ज़ा के लिये अदालत शर्त नहीं अगर ग़ैर आदिल की शहादत क़ाज़ी ने क़बूल करली और फ़ैसला देदिया तो यह फ़ैसला नाफ़िज़ है अगर्चे क़ाज़ी गुनाहगार हुआ और अगर क़ाज़ी के लिये बादशाह का यह हुक्म है कि फ़ासिक़ की गवाही क़बूल न करना और क़ाज़ी ने कबूल करली तो फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– गवाही ऐसे शख़्स पर देता हो जो मौजूद है तो गवाह को मुद्दई व मुद्दआ़ अ़लैह व मशहूद बिही (वह चीज़ जिस के मुतअ़ल्लिक़ शहादत देता है) की तरफ़ इशारा करना ज़रूरी है जबकि मशहूद बिही ऐन हो और ग़ायब या मय्यित पर शहादत देता हो तो उसका और उसके बाप और दादा के नाम लेना ज़रूरी है और अगर उसके बाप और पेशा का नाम लिया दादा का नाम न लिया यह काफ़ी नहीं हाँ अगर उसकी वजह से ऐसा मुमताज़ होजाये कि किसी क़िस्म का शुबह बाक़ी न रहे तो काफ़ी है और अगर वह इतना मअ़रूफ़ है कि फ़क़त नाम या लक़ब ही से बिलकुल मुमताज़ हो जाये तो यही काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– क़ाज़ी को अगर गवाहों का आदिल होना मालूम हो तो उनके हालात की तहक़ीक़ की क्या हाजत और मालूम न हो तो हुदूद व क़िसास में तहक़ीक़ात करना ही है मुद्दआ़ अ़लैह उसकी दरख़्वास्त करे या न करे और उनके ग़ैर में अगर मुद्दआ़ अ़लैह उनपर तअ़्न करता हो तो

ज़रूर है वरना क़ाज़ी को इख़्तियार है। और इस ज़माने में मख़्फ़ी तौर पर गवाहों के हालात दरयाफ़्त किये जायें एलानिया दरयाफ़्त करने में बड़े फ़ितने हैं। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.27:– जो चीज़ देखने की है उसे आँख से देखा और जो चीज़ सुनने की है उसे अपने कान से सुना मगर जिससे सुना उसको भी आँख से देखा हो तो गवाही देना जाइज़ है अगर्चे पर्दा की आड़ से देखा हो कि उसने देखा और उसने न देखा यह ज़रूर नहीं कि उसने कह दिया हो कि मैंने तुम्हें गवाह बनाया मसलन दो शख़्सों के माबैन बैअ् हुई उसने दोनों को देखा और दोनों के अलफ़ाज़ सुने या बतौर तआती (यानी बिगैर बोले सिर्फ़ लेन देन के ज़रीए ख़रीद ौ फ़रोख़्त करना) दो शख़्सों के माबैन बैअ् हुई जिसको खुद उसने देखा यह बैअ् का गवाह है या मज्लिसे निकाह में यह हाज़िर है अल्फ़ाज़े ईजाब व क़बूल अपने कान से सुने और दोनों को सुनने के वक़्त देख रहा है यह निकाह का गवाह है अगर्चे रस्मी तौर पर उसको गवाही के लिये नामज़द न किया हो यूँहीं अगर उसके सामने मुक़िर ने इक़रार किया यह इक़रार का गवाह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– जिसकी बात उसने सुनी वह पर्दे में है आवाज़ सुनता है मगर उसे देखता नहीं है उसके मुतअल्लिक़ उसकी गवाही दुरुस्त नहीं अगर्चे आवाज़ से मालूम होरहा है कि यह फुलाँ की आवाज़ है हाँ अगर उसे वाज़ेह तौर पर यह मालूम है कि उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है यूँकि यह खुद पहले मकान में गया था और देख आया था कि मकान में उसके सिवा कोई नहीं है और यह दरवाज़े पर बैठा रहा कोई दूसरा मकान के अन्दर गया नहीं और मकान में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं ऐसी हालत में जो कुछ अन्दर से आवाज़ आई और उसने सुनी उसकी शहादत दे सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– एक औरत ने कोई बात कही यह उसको देख रहा है मगर चेहरा नहीं देखा कि पहचानता और दो शख़्सों ने उसके सामने यह शहादत दी कि यह फुलानी औरत है तो नाम व नसब के साथ यानी फुलानी औरत फुलाँ की बेटी ने यह इक़रार किया यूँ गवाही देना जाइज़ है और अगर देखा नहीं फ़क़त आवाज़ सुनी और दो शख़्सों ने उसके सामने शहादत दी कि यह फुलानी औरत है उस सूरत में गवाही देना जाइज़ नहीं और अगर चेहरा उसने खुद देख लिया और उसने खुद अपने मुँह से कह दिया कि मैं फुलाना बिन्ते फुलाँ हूँ तो जब तक वह ज़िन्दा है यह गवाही दे सकता है और उसकी तरफ़ इशारा करके यह कह सकता है कि उसने मेरे सामने यह इक़रार किया था इस सूरत में उसकी ज़रूरत नहीं कि दो शख़्स उसके सामने गवाही दें कि यह फुलानी है और उसके मरने के बाद यह शहादत देना जाइज़ नहीं कि फुलानी औरत ने मेरे सामने इक़रार किया जबकि यह खुद पहचानता नहीं महज़ उसके कहने से जान लिया हो।(दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– एक औरत के मुतअल्लिक़ नाम व नसब के साथ गवाही दी और औरत कचहरी में हाज़िर है हाकिम ने दरयाफ़्त किया कि उस औरत को पहचानते हो गवाह ने कहा नहीं यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर गवाह ने यह कहा कि वह औरत जिसका नाम व नसब यह है उसने जो बात कही थी हम उसके शाहिद हैं मगर यह हमको मालूम नहीं कि यह वही है या दूसरी तो उस नामबुर्दा (जिसका नाम लिया जा चुका) पर शहादत सहीह है मगर मुद्दई के ज़िम्मे यह साबित करना है कि यह औरत जो हाज़िर है वही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स के ज़िम्मे किसी का मुतालबा है वह तन्हाई में इक़रार कर लेता है मगर जब लोगों के सामने दरयाफ़्त करता है तो इन्कार कर देता है साहिबे हक़ ने यह हीला किया कि कुछ लोगों को मकान के अन्दर छुपा दिया और उसको बुलाया और दरयाफ़्त किया उसने यह समझकर कि यहाँ कोई नहीं है इक़रार करलिया जिसको उन लोगों ने सुना अगर उन लोगों ने दरवाज़े की झिरी या सूराख़ से उस शख़्स को देख लिया गवाही देना दुरुस्त है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मिल्क को जानता है मगर मालिक को नहीं पहचानता मसलन एक मकान है जिसको उसने देखा है और उसके हुदूदे अरबआ़ (चारों हदों) को पहचानता है और लोगों से उसने सुना है कि यह मकान फुलाँ इब्ने फुलाँ का है जिसको यह पहचानता नहीं उसको गवाही देना

जाइज़ है और गवाही मक़बूल है और अगर मिल्क व मालिक दोनों को नहीं पहचानता मस्लन यह सुना है कि फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ का फ़ुलाँ गाँव में एक मकान है जिसके हुदूद यह हैं न मकान को देखा न मालिक को तसर्रुफ़ करते देखा इस सूरत में गवाही देना जाइज़ नहीं और अगर मालिक को देखा है मगर मिल्क को नहीं देखा है मस्लन उस शख़्स को ख़ूब पहचानता है और लोगों से सुनता है कि फ़ुलाँ जगह उसका एक मकान है जिसके हुदूद यह हैं उस सूरत में गवाही देना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मालिक व मिल्क दोनों को देखा है उस शख़्स को देखा है कि उस मिल्क में उस क़िस्म का तसर्रुफ़ करता है जिस तरह मालिक करते हैं और वह कहता है कि यह चीज़ मेरी है और गवाह की समझ में भी यह बात आगई कि यह उसी की है फिर कुछ दिनों बाद वह चीज़ दूसरे के क़ब्ज़े में देखी शख़्से अव्वल की मिल्क की शहादत दे सकता है मगर क़ाज़ी के सामने अगर यह बयान कर देगा कि मुझे उसकी मिल्क होना इस तरह मालूम हुआ है कि मैंने उसे तसर्रुफ़ करते देखा है तो गवाही रद करदी जायेगी हाँ अगर दो आदिल ने गवाह को यह ख़बर दी कि यह चीज़ शख़्से सानी (दूसरे शख़्स) ही की है उसने पहले के पास अमानत रखी थी तो अब पहले के लिये गवाही देना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जो बात मअ्रूफ़ व मशहूर हो जिसमें सुनकर भी गवाही देना जाइज़ हो जाता है मस्लन किसी की मौत, निकाह, नसब जब कि दिल में यह बात आती है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है उसके मुतअ़ल्लिक़ अगर दो आदिल यह कहदें कि वैसा नहीं है जो तुम्हारे दिल में है अब गवाही देना जाइज़ नहीं हाँ अगर गवाह को यक़ीन है कि यह जो कुछ कह रहे हैं ग़लत है तो गवाही दे सकता है और अगर एक आदिल ने उसके ख़िलाफ़ की शहादत दी है तो गवाही देना जाइज़ है मगर जब दिल में यह बात आये कि यह शख़्स सच कहता है तो ना'जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.35:– मुद्दई ने एक तहरीर पेश की कि यह मुद्दआ़ अ़लैह की तहरीर है और मुद्दआ़ अ़लैह कहता है कि यह मेरी तहरीर नहीं मुद्दआ़ अ़लैह से एक तहरीर लिखवाई गई दोनों तहरीरों को मिलाया गया बिलकुल मुशाबा हैं महज़ इतनी बात से मुद्दआ़ अ़लैह की तहरीर क़रार देकर उस पर माल लाज़िम नहीं किया जासकता जब तक गवाहों से वह तहरीर बाज़ाब्ता है यानी उस तरह लिखी है जिस तरह इक़रार नामा लिखा जाता है तो मुद्दआ़ अ़लैहि पर माल लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.36:– दस्तावेज़ पर उसकी गवाही लिखी हुई है अगर उसके सामने दस्तावेज़ पेश हुई पहचान लिया कि यह मेरे दस्तख़त हैं अगर वाक़िआ उसको याद आगया अगर्चे उससे पहले याद न था गवाही देना जाइज़ है और अगर अब भी याद नहीं आता या यह याद आता है कि मैंने उस काग़ज़ पर गवाही लिखी थी मगर माल दिया गया यह याद नहीं तो इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाहु तआ़ला के नज़्दीक गवाही देना जाइज़ है। यह पहचानता है कि दस्तख़त मेरे हैं मगर मुआ़मला बिलकुल याद नहीं अगर काग़ज़ उसकी हिफ़ाज़त में था जब तो इमाम अबूयूसुफ़ के नज़्दीक भी गवाही देना जाइज़ है और फ़तवा इस पर है कि अगर उसे यक़ीन है कि यह दस्तख़त मेरे ही हैं तो चाहे काग़ज़ उसके पास हो या मुद्दई के पास हो गवाही देना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– दस्तख़त पहचानता है कि मेरे ही हैं और मुक़िर का इक़रार भी याद है और मुक़िर'लहू को भी पहचानता है मगर यह याद नहीं कि वह क्या वक़्त था और कौनसी जगह थी गवाही देना हलाल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– गवाहों के सामने दस्तावेज़ लिखी गई मगर पढ़कर सुनाई नहीं गई गवाहों से कहा जो कुछ उसमें लिखा है उसके गवाह होजाओ उन लोगों को शहादत देना जाइज़ नहीं। गवाही देना उस वक़्त जाइज़ है कि उन्हें पढ़कर सुनादे या दूसरे ने दस्तावेज़ लिखी और मुक़िर ने ख़ुद पढ़कर सुनाई और यह कहदिया कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके गवाह होजाओ या गवाहों के सामने ख़ुद मुक़िर ने लिखी और गवाहों को मालूम है जो कुछ उसमें लिखा है और मुक़िर ने कह दिया जो कुछ मैंने उस में लिखा है उसके तुम गवाह होजाओ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– मुक़िर ने दस्तावेज़ लिखी और गवाहों को मालूम है जो कुछ उसमें लिखा है मगर

मुक़िर ने गवाहों से यह नहीं कहा कि तुम उसके गवाह होजाओ अगर वह इक़रार'नामा रस्म के मुताबिक़ है और गवाहों के सामने लिखा है उनको गवाही देना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– जिस चीज़ की गवाही दी जाती है उसकी दो क़िस्में हैं एक यह कि महज़ उसका मुआयना गवाही देने के लिए काफ़ी है जैसे बैअ्, इक़रार, ग़सब, क़त्ल कि बाइअ् व मुश्तरी से बैअ् के अल्फ़ाज़ सुने या मुक़िर से इक़रार सुना या ग़सब व क़त्ल करते हुए देखा गवाही देना दुरुस्त है उसको गवाह बनाया हो या न बनाया हो। अगर गवाह नहीं बनाया है तो यह कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ यह नहीं कहेगा कि मुझे गवाह बनाया है दूसरी क़िस्म यह है कि बिग़ैर गवाह बनाये हुए गवाही देना दुरुस्त नहीं जैसे किसी को गवाही देते हुए देखा तो यह गवाही नहीं दे सकता यानी यूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि उसने यह गवाही दी हाँ अगर उसने उसको गवाह बनाया तो गवाही दे सकता है। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.41:– क़ाज़ी ने उसके सामने फ़ैसला सुनाया यह गवाही दे सकता है कि फ़ुलाँ क़ाज़ी ने उस मुआमला में यह फ़ैसला किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– चन्द चीज़ें वह हैं कि महज़ शोहरत और सुनने के बिना पर उन की शहादत देना दुरुस्त है अगर्चे उसने ख़ुद मुशाहिदा न किया हो जबकि ऐसे लोगों से सुना हो जिनपर एअ्तिमाद हो। (1)निकाह (2)नसब (3)मौत (4)क़ज़ा (5)दुख़ूल मस्लन एक शख़्स को देखा कि वह एक औरत के पास जाता है और लोगों से सुना कि यह उसकी बीवी है यह निकाह की गवाही दे सकता है। या लोगों से सुना है कि यह शख़्स फ़ुलाँ का बेटा है शहादत दे सकता है। या एक शख़्स को देखा कि लोगों के मुआमलात फ़ैसल करता है और लोगों से सुना कि यह यहाँ का क़ाज़ी है। गवाही दे सकता है कि यह क़ाज़ी है अगर्चे बादशाह ने जब क़ाज़ी बनाया उसने मुशाहिदा नहीं किया। या एक शख़्स की निस्बत लोगों से सुना कि मरगया उसकी मौत की शहादत दे सकता है मगर उन सूरतों में गवाह को चाहिए कि यह ज़ाहिर न करे कि मैंने ऐसा सुना है अगर सुनना बयान कर देगा तो गवाही रद हो जायेगी। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– मर्द व औरत को एक घर में रहते देखा और यह कि वह इस तरह रहते हैं जैसे मियाँ बीवी उस सूरत में निकाह की गवाही दे सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.44:– अगर किसी के दफ़न में यह ख़ुद हाज़िर था या उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी तो यह मुआएना ही के हुक्म में है अगर्चे न मरते वक़्त हाज़िर था न मय्यित का चेहरा खोलकर देखा। अगर उस अम्र को क़ाज़ी के सामने भी ज़ाहिर कर देगा जब भी गवाही मक़बूल है। (हिदाया)

मसअ्ला.45:– किसी के मरने की ख़बर आई और घर वालों ने वह चीज़ें कीं जो अमवात के लिये करते हैं मस्लन सोम व ईसाले सवाब वग़ैरा महज़ इतनी बात मालूम होने पर मौत की शहादत देना दुरुस्त नहीं जब तक मोअ्तबर आदमी यह ख़बर न दे कि वह मरगया और उसने अपनी आँखों से देखा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– अस्ले वक़्फ़ की शहादत सुनने की बिना पर जाइज़ है शराइत के मुतअ़ल्लिक़ सुनकर शहादत देना ना'दुरुस्त है क्योंकि आम तौर पर वक़्फ़ ही की शोहरत हुआ करती है और यह बात कि उस की आमदनी उस नोईयत से ख़र्च की जायेगी उसको ख़ास ही जानते हैं। (हिदाया)

किसकी गवाही मक़बूल है और किसकी नही

मसअ्ला.1:– गूँगे और अन्धे की गवाही मक़बूल नहीं चाहे वह पहले ही से अन्धा था या पहले अन्धा न था वह शय देखी थी जिसकी गवाही देता है मगर गवाही देने के वक़्त अन्धा है बल्कि अगर गवाही देने के वक़्त अंखयारा है और अभी फ़ैसला नहीं हुआ है कि अन्धा होगया उस गवाही पर फ़ैसला नहीं होसकता पहले अन्धा था गवाही रद होगई फिर अंखयारा होगया और उसी मुआमले में गवाही दी अब क़बूल होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– काफ़िर की गवाही मुस्लिम के ख़िलाफ़ क़बूल नहीं मुर्तद की गवाही अस्लन मक़बूल नहीं ज़िम्मी की गवाही ज़िम्मी पर क़बूल है अगर्चे दोनों के मुख़्तलिफ़ दैन हों मस्लन एक यहूदी है दूसरा नसरानी यूहीं ज़िम्मी की शहादत मुस्तामिन पर दुरुस्त है और मुस्तामिन की ज़िम्मी पर दुरुस्त नहीं। एक मुस्तामिन दूसरे मुस्तामिन पर गवाही दे सकता है जबकि दोनों एक सलतनत के रहने

वाले हों। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– दो शख़्सों में दुनियावी अदावत (दुनियवी मुआमले की वजह से दुश्मनी) हो तो एक की गवाही दूसरे के ख़िलाफ़ मक़्बूल नहीं और अगर दीन की बिना पर अदावत हो तो क़बूल की जा सकती है। जबकि उनके मज़हब में मुख़ालिफ़ मज़हब के मुक़ाबिल झूटी गवाही देना जाइज़ न हो और वह हद्दे कुफ़्र को भी न पहुँचा हो। (दुर्रे मुख़्तार) आजकल के वहाबी अव्वलन कुफ़्र की हद को पहुँच गये हैं दोम तजर्बा से यह बात साबित है कि सुन्नियों के मुक़ाबिल में झूट बोलने में बिल्कुल बाक (डर, ख़ौफ़) नहीं रखते उनकी गवाही सुन्नियों के मुक़ाबिल में हरगिज़ क़ाबिले क़बूल नहीं।

मसअ्ला.4:– जो शख़्स सग़ीरा गुनाह का मुर्तकिब है मगर उसपर इसरार न करता हो यानी मुतअ़द्दिद बार न किया हो और कबीरा से इज्तिनाब करता हो (बचता हो) उसकी गवाही मक़्बूल है और कबीरा का इर्तिकाब करेगा तो गवाही क़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– जिसका किसी उज़्र की वजह से ख़तना नहीं हुआ है या उसके उनसयैन (फ़ोते) निकाल डाले गये हों या मक़्तूउज़्ज़कर (लिंग कटा हुआ) हो या वलदुज़्ज़िना (नाजायज़ औलाद) हो या ख़ुन्सा (हिजड़ा) हो उसकी गवाही मक़्बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– भाई की गवाही भाई के लिये भतीजे की चचा के लिये या चचा की औलाद के लिये या बिलअक्स या मामूँ और ख़ाला और उनकी औलाद के लिय या बिलअक्स। सास, सुसर, साली, साले, दामाद के लिये दुरुस्त है। माबैन मुद्दई व गवाह के हुरमते रज़ाअ़त या मुसाहरत हो गवाही क़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुलाज़िमीने सल्तनत अगर ज़ुल्म पर इआनत (मदद) न करते हों तो उनकी गवाही मक़्बूल है। किसी अमीर कबीर ने दअ्वा किया उसके मुलाज़िमीन और रिआया की गवाही उसके हक़ में मक़्बूल नहीं यूँहीं ज़मींदार के हक़ में असामियों (वह लोग जो काश्तकारी के लिये ज़मींदार से ठेके पर ज़मीन लेते हैं) की गवाही मक़्बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– गुलाम और बच्चे की गवाही और वह लोग जो दुनिया की बातों से बेख़बर रहते हैं यानी मजज़ूब या मजज़ूब सिफ़त उनकी गवाही भी मक़्बूल नहीं। गुलाम ने या किसी ने बचपन में किसी मुआमले को देखा था आज़ाद होने और बालिग़ होने के बाद गवाही देता है या ज़माना–ए–कुफ़्र में मुशाहिदा किया था इस्लाम लाने के बाद मुस्लिम के ख़िलाफ़ गवाही देता है मक़्बूल है कि मानेअ् मौजूद न रहा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– जिसपर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम की गई (यानी किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत नहीं दे सका उस वजह से उसपर हद मारी गई) उसकी गवाही कभी मक़्बूल नहीं अगर्चे ताइब हो चुका हो हाँ काफ़िर पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई फिर मुसलमान होगया तो उस की गवाही मक़्बूल है। जिसका झूठा होना मशहूर है या झूटी गवाही दे चुका है जिस का सुबूत हो चुका है उस की गवाही मक़्बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– ज़ौज व ज़ौजा में से एक की गवाही दूसरे के हक़ में मक़्बूल नहीं बल्कि तीन तलाक़ें दे चुका है और अभी इद्दत में है जब एक की गवाही दूसरे के हक़ में क़बूल नहीं बल्कि गवाही देने के बाद निकाह हुआ और अभी फ़ैसला नहीं हुआ है यह गवाही भी बातिल होगई और उनमें एक की गवाही दूसरे के ख़िलाफ़ मक़्बूल है मगर शौहर ने औरत के ज़िना की शहादत दी तो यह गवाही मक़्बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– फ़रअ् की गवाही अस्ल के लिये और अस्ल की फ़रअ् के लिये यानी औलाद अगर माँ, बाप, दादा, दादी वग़ैराहुम उसूल के हक़ में गवाही दें या माँ, बाप, दादा, दादी वग़ैरहुम अपनी औलाद के हक़ में गवाही दें यह नामक़्बूल है हाँ अगर बाप बेटे के माबैन मुक़द्दमा है और दादा ने बाप के ख़िलाफ़ पोते के हक़ में गवाही दी तो मक़्बूल है और अस्ल ने फ़रअ् के ख़िलाफ़ या फ़रअ् ने अस्ल के ख़िलाफ़ गवाही दी तो मक़्बूल है। मगर मियाँ बीवी में झगड़ा है और बेटे ने बाप के

ख़िलाफ़ माँ के मुवाफ़िक़ गवाही दी तो मक़बूल नहीं यहाँ तक कि उसकी सोतैली माँ ने उसके बाप पर तलाक़ का दअ़्वा किया और उसकी माँ ज़िन्दा है और उसके बाप के निकाह़ में है उसने तलाक़ की गवाही दी यह मक़बूल नहीं कि उसमें उस की माँ का फ़ायदा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने अपनी औ़रत को तलाक़ दी जिसकी गवाही बेटे देते हैं और वह शख़्स तलाक़ देने से इन्कार करता है उसकी दो सूरतें हैं इनकी माँ तलाक का दअ़्वा करती है या नहीं अगर करती है तो बेटों की गवाही क़बूल नहीं और मुद्दई नहीं है तो मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.13:– बेटों ने यह गवाही दी कि हमारी सोतैली माँ मआ़ज़ल्लाह मुर्तद्दा होगई और वह मुन्किर है अगर उन लड़कों की माँ ज़िन्दा है यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर ज़िन्दा नहीं है तो दो सूरतें हैं बाप मुद्दई है या नहीं अगर बाप मुद्दई है जब भी मक़बूल नहीं वरना मक़बूल है। (बहर)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने अपनी औ़रत को तलाक़ दी फिर निकाह़ किया बेटे यह कहते हैं कि तीन तलाक़ें दी थीं और बिग़ैर हलाला के निकाह़ किया बाप अगर मुद्दई है तो मक़बूल नहीं वरना मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.15:– दो शख़्स बा'हम शरीक हैं उनमें एक दूसरे के हक़ में उस शय के बारे में शहादत देता है जो दोनों की शिरकत की है यह गवाही मक़बूल नहीं कि ख़ुद अपनी ज़ात के लिये यह गवाही होगई और अगर वह चीज़ शिरकत की न हो तो गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– गाँव के ज़मीनदारों ने यह शहादत दी कि ज़मीन उसी गाँव की है यह शहादत मक़बूल नहीं कि यह शहादत अपनी ज़ात के लिये है यूँहीं कूचा–ए–ग़ैर नाफ़िज़ा के रहने वाले एक ने दूसरे के हक़ में ऐसी गवाही दी जिस का नफ़अ़् ख़ुद उस की तरफ़ भी आइद होता है यह गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मह़ल्ले के लोगों ने मस्जिदे मह़ल्ला के वक़्फ़ की शहादत दी कि यह चीज़ उस मस्जिद पर वक़्फ़ है या अहले शहर ने मस्जिद जामेअ़् के औक़ाफ़ की शहादत दी या मुसाफ़िरों ने यह गवाही दी कि यह चीज़ मुसाफ़िरों पर वक़्फ़ है मस्लन मुसाफ़िर ख़ाना यह गवाहियाँ मक़बूल हैं उ़लमा–ए–मदरसा ने मदरसा की जायदादे मौक़ूफ़ा की गवाही दी या किसी ऐसे शख़्स ने गवाही दी जिसका बच्चा मदरसा में पढ़ता है यह गवाही भी मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.18:– अहले मदरसा ने वक़्फ़ की आमदनी के मुतअ़ल्लिक़ कोई ऐसी गवाही दी जिसका नफ़ा ख़ुद उस की तरफ़ भी आ़इद होता है यह गवाही मक़बूल नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.19:– किसी कारीगर के पास काम सीखने वाले जिनकी न कोई तनख़्वाह है न मज़दूरी पाते हैं अपने उस्ताद के पास रहते और उसके यहाँ खाते पीते हैं उनकी गवाही उस्ताद के हक़ में मक़बूल नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– अजीरे ख़ास जो एक मख़सूस शख़्स का काम करता है कि उन औक़ात में दूसरे का काम नहीं कर सकता ख़्वाह वह नौकर हो जो हफ़्तावार, माहवार, शशमाही, बरसी पर तनख़्वाह पाता या रोज़ाना का मज़दूर हो कि सुबह़ से शाम तक का मस्लन मज़दूर है दूसरे दिन मुस्ताजिर (ठेकेदार, मज़दूरी देकर काम कराने वाला) ने बुलाया तो काम करेगा वरना नहीं उन सबकी गवाही मुस्ताजिर के हक़ में मक़बूल नहीं और अजीरे मुश्तरक जिसे अजीरे आ़म भी कहते हैं जैसे दर्ज़ी धोबी कि यह सभी के कपड़े सीते और धोते हैं किसी के नौकर नहीं हैं काम करेंगे तो मज़दूरी पायेंगे वरना नहीं उनकी गवाही मक़बूल है। (हिदाया, बह़र)

मसअ्ला.21:– मुख़न्नस (हिजड़ा) जिसके अअ़्ज़ा में लचक और कलाम में नर्मी हो कि यह ख़ल्क़ी चीज़ है उसकी शहादत मक़बूल है और जो बुरे अफ़आ़ल कराता हो उसकी गवाही मरदूद यूँहीं गोया गाने वाली औ़रत उनकी गवाही मक़बूल नहीं और नोहा करने वाली जिसका पेशा हो कि दूसरे के मसाइब में जाकर नोहा करती हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं और अपनी मुसीबत पर बे

इख़्तियार होकर सब्र न कर सकी और नोहा किया तो गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.22:– जो शख़्स अटकल पच्चू बातें उड़ाता हो या कस्रत से क़सम खाता हो या अपने बच्चों को या दूसरों को गाली देने का आदी हो या जानवर को ब'कसरत गाली देता हो जैसाकि तांगा गाड़ी वाले और हल जोतने वाले कि ख़्वाह'मख़्वाह जानवरों को गालियाँ देते रहते हैं उनकी गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.23:– जो शाइर हिजो (शेर में किसी की बुराई) करता हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं और मर्दे सालेह़ (नेक आदमी) ने ऐसा शेअ्र पढ़ा जिसमें फ़ह़श है तो उसकी गवाही मरदूद नहीं यूँहीं जिसने जाहिलयत के अशआ़र सीखे अगर यह सीखना अ़रबियत के लिये हो तो गवाही मरदूद नहीं अगर्चे उन अशआ़र में फ़ह़श हो। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.24:– जिसका पेशा कफ़न और मुर्दा की ख़ुश्बू बेचने का हो कि वह इस इन्तिज़ार में रहता हो कि कोई मरे और कफ़न फ़रोख़्त हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) यहाँ हिन्दुस्तान में ऐसे लोग नहीं पाये जाते जो यह काम करते हों आम तौर पर बज़ाज़ (कपड़ा बेचने वाले) के यहाँ से कफ़न लिया जाता है और पन्सारियों के यहाँ से लोबान वग़ैरा लेते हैं। हाँ शहरों में तकियादार फ़क़ीर जो गोरकुन (क़ब्र खोदने वाले) होते हैं या गोरकुनी न भी करते हों तो चादर वग़ैरा लेना उनका काम है और उसी पर उनकी गुज़र औक़ात है उनकी निस्बत बारहा ऐसा सुना गया है यहाँ तक कि वबा के ज़माने में यह लोग कहते हैं आजकल खूब सहालग (कारोबार चलने के दिन, खुशी के दिन) हैं। लोगों के मरने पर यह लोग खुश होते हैं ऐसे लोग क़ाबिले क़बूले शहादत नहीं।
मसअ्ला.25:– जिसका पेशा दलाली हो वह कस्रत से झूट बोलता है उसकी गवाही मक़बूल नहीं (दुर्रेमुख़्तार) वकालत व मुख़्तारी का पेशा करने वालों की निस्बत उमूमन यह बात मशहूर है कि जान बुझकर झूट को सच करना चाहते हैं बल्कि गवाहों को झूट बोलने की तअ्लीम व तलक़ीन करते हैं।
मसअ्ला.26:– ख़मर यानी अंगूरी शराब एक मरतबा पीने से भी फ़ासिक़ और मरदूदुश्शहादत हो जाता है (यानी उसकी गवाही क़बूल नहीं होती) और उसके एलावा दूसरी शराब पीने का आदी हो और लहव (तफ़रीह़) के तौर पर पीता हो तो उस की शहादत भी मरदूद है और अगर इलाज के तौर पर किसी ने ऐसा किया अगर्चे यह भी ना'जाइज़ है मगर इख़्तिलाफ़ की वजह से फ़िस्क़ से बच जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.27:– जानवर के साथ खेलने वाला जैसे मुर्ग़बाज़ी, कबूतर बाज़ी, बटेर बाज़ी करने वाले की गवाही मक़बूल नहीं उसी तरह मेंढा लड़ाने वाले, भैंसा लड़ाने वाले और तरह तरह के इस क़िस्म के खेल करने वाले कि उनकी भी गवाही मक़बूल नहीं हाँ अगर महज़ दिल बहलने के लिये किसी ने कबूतर पाल लिया है बाज़ी नहीं करता यानी उड़ाता न हो तो जाइज़ है मगर जबकि दूसरों के कबूतर पकड़ लेता हो जैसा कि अकस्र कबूतर बाज़ों की आदत होती है और वह उसे ऐब भी नहीं समझते यह ह़राम और सख़्त ह़राम है कि पराया माल नाहक़ लेना है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)
मसअ्ला.28:– जो शख़्स कबीरा का इर्तिकाब करता है बल्कि जो मज्लिसे फुजूर (गुनाह की मज्लिस) में बैठता है अगर्चे वह खुद उस ह़राम का मुर्तकिब नहीं है उसकी भी गवाही मक़बूल नहीं है। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.29:– हम्माम में बरहना गुस्ल करने वाला, सूद ख़्वार और जुवारी और चौसर (एक क़िस्म का खेल) पच्चीसी (एक क़िस्म का खेल जो सात कौड़ियों से खेला जाता है) खेलने वाला, अगर्चे उसके साथ जुवा शामिल न हो या शत़रंज के साथ जुवा खेलने वाला या उस खेल में नमाज़ फ़ौत कर देने वाला या शत़रंज के साथ जुवा खेलने वाला या इस खेल में नमाज़ फ़ौत करदेने वाला या शतरन्ज रास्ते पर खेलने वाला उन सबकी गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, आ़लमगीरी)
मसअ्ला.30:– जो इबादतें वक़्ते मुअ़य्यन में फ़र्ज़ हैं कि वक़्त निकल जाने पर क़ज़ा हो जाती हैं जैसे नमाज़, रोज़ा अगर बिग़ैर उ़ज़्रे शरई उनको वक़्त से मुअख़्ख़र करे फ़ासिक़ मरदूदुश्शहादत है और जिनके लिये वक़्त मुअ़य्यन नहीं जैसे ज़कात और ह़ज इनमें इख़्तिलाफ़ है ताख़ीर से

मरदूदुश्शहादत होता है या नहीं सहीह यह है कि नहीं होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– बिला उ़ज़्र जुमा तर्क करने वाला फ़ासिक़ है यानी महज़ अपनी काहिली और सुस्ती से जो तर्क करे और अगर उ़ज़्र की वजह से नहीं पढ़ा मसलन बीमार है या किसी तावील की बिना पर नहीं पढ़ता मस्लन यह कहता है कि इमाम फ़ासिक़ है उस वजह से नहीं पढ़ता हो तो यह छोड़ने वाला फ़ासिक़ नहीं। (आलमगीरी) यह उ़ज़्र उस वक़्त मस्मूअ् होगा (यानी सुना जायेगा) कि एक ही जगह जुमा होता हो या कई जगह जुमा होता है मगर सब इमाम उसी क़िस्म के हों।

मसअ्ला.32:– महज़ काहिली और सुस्ती से नमाज़ या जमाअ़त तर्क करने वाला मरदूदुश्शहादत है और अगर तर्के जमाअ़त के लिए उ़ज़्र हो मस्लन इमाम फ़ासिक़ है कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तह़रीमी है और इमाम को हटा भी नहीं सकता या इमाम गुमराह व बिदअ़ती है उस वजह से उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता घर में तनहा पढ़ लेता है तो उनकी गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– फ़ासिक़ ने तौबा करली तो जब तक इतना ज़माना गुज़र जाये कि तौबा के आसार उसपर ज़ाहिर हो जायें उस वक़्त तक गवाही मक़बूल नहीं। और उसके लिये कोई मुद्दत नहीं है बल्कि क़ाज़ी की राय पर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जो शख़्स बुज़ुर्गाने दीन, पेशवायाने इस्लाम मस्लन सहाबा व ताबेईन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम को बुरे अल्फ़ाज़ से एलानिया याद करता हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं उन्हीं बुज़ुर्गाने दीन, सलफ़े सालिहीन में इमामे आज़म अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु भी हैं मस्लन रवाफ़िज़ कि सहाबा–ए–किराम की शान में दुश्नाम (गालियाँ) बकते हैं और ग़ैर मुक़ल्लिदीन कि अइम्मा–ए–मुज्तहेदीन खुसूसन इमामे आज़म की शान में सब्ब व शितम (बुराई करना) व बेहूदागोई करते हैं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.35:– जो शख़्स हक़ीर व ज़लील अफ़आ़ल करता हो उसकी शहादत मक़बूल नहीं जैसे रास्ते पर पेशाब करना, रास्ते पर कोई चीज़ खाना, बाज़ार में लोगों के सामने खाना, सिर्फ़ पाजामा या तहबन्द पहनकर बिग़ैर कुर्ता पहने या बिग़ैर चादर ओढ़े गुज़रगाहे आम पर चलना। लोगों के सामने पाँव दराज़ करके बैठना। नंगे सर होजाना जहाँ उसको ख़फ़ीफ़ व बे'अदबी व क़िल्लते हया तसव्वुर किया जाता हो (हया की कमी समझा जाता हो)। (आलमगीरी, हिदाया, फ़त्ह)

मसअ्ला.36:– दो शख़्सों ने यह गवाही दी कि हमारे बाप ने फ़ुलाँ शख़्स को वसी मुक़र्रर किया है अगर यह शख़्स मुद्दई हो तो गवाही मक़बूल है। और मुन्किर हो तो मक़बूल नहीं क्योंकि क़बूल वसियत पर क़ाज़ी किसी को मजबूर नहीं कर सकता उसी तरह मय्यित के दाइन (क़र्ज़ देने वाला) या मदयून (जिस पर क़र्ज़ हो) या मूसा लहू (मय्यित ने जिसके लिये वसियत की) ने गवाही दी कि मय्यित ने फ़ुलाँ शख़्स को वसी बनाया है तो उनकी गवाहियाँ भी मक़बूल हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.37:– दो शख़्सों ने यह गवाही दी कि हमारा बाप परदेस चला गया है उसने फ़ुलाँ शख़्स को अपना क़र्ज़ा और दैन वसूल करने के लिये वकील किया है यह गवाही मक़बूल नहीं वह शख़्से सालिस (तीसरा शख़्स) वकालत का मुद्दई हो या मुन्किर दोनों का एक हुक्म है और अगर उनका बाप यहीं मौजूद हो तो दअ्वा ही मस्मूअ् नहीं शहादत किस बात की होगी। वकील के बेटे, पोते या बाप दादा ने वकालत की गवाही दी ना'मक़बूल है। (हिदाया, फ़त्ह, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.38:– दो शख़्स किसी अमानत के अमीन हैं उन्होंने गवाही दी कि यह अमानत उसकी मिल्क है जिसने उनके पास रखी है गवाही मक़बूल है और अगर यह गवाही देते हैं कि यह शख़्स जो उस चीज़ का दअ्वा करता है उसने खुद इक़रार किया है कि अमानत रखने वाले की मिल्क है तो गवाही मक़बूल नहीं मगर जब कि उन दोनों ने अमानत उस शख़्स को वापस देदी हो जिसने रखी थी। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.39:– दो मुरतहिन यह गवाही देते हैं कि मरहून शय (गिरवी रखी हुई चीज़) उसकी मिल्क है जो दअ्वा करता है गवाही मक़बूल है और उस चीज़ के हलाक होने के बाद यह गवाही दें तो

ना'मक़बूल है मगर उन दोनों के ज़िम्मे उस चीज़ का तावान लाज़िम होगया यानी मुद्दई को उसकी क़ीमत अदा करें कि उन दोनों ने ग़सब का ख़ुद इक़रार कर लिया और अगर मुरतहिन यह गवाही दें कि ख़ुद मुद्दई ने मिल्के राहिन का इक़रार किया था तो क़बूल नहीं अगर्चे मरहून हलाक होचुका हो हाँ अगर राहिन को वापस करने के बाद यह गवाही दें तो मक़बूल है। एक शख़्स ने मुरतहिन पर दअ़वा किया कि मरहून चीज़ मेरी है और मुरतहिन मुन्किर है और राहिन ने गवाही दी तो क़बूल नहीं मगर राहिन पर तावान लाज़िम है। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.40:– ग़ासिब ने शहादत दी कि मग़सूब चीज़ मुद्दई की है मक़बूल नहीं मगर जब कि जिस से ग़सब की थी उसको वापस देने के बाद गवाही दी तो क़बूल है और अगर ग़ासिब के हाथ में चीज़ हलाक होगई फिर मुद्दई के हक़ में शहादत दी तो मक़बूल नहीं। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.41:– मुस्तक़रिज़ (क़र्ज़ लेने वाले) ने गवाही दी कि चीज़ मुद्दई की है तो गवाही मक़बूल नहीं चीज़ वापस कर चुका हो या नहीं। बैअ़ फ़ासिद के साथ चीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा करचुका मुश्तरी गवाही देता है कि मुद्दई की मिल्क है मक़बूल नहीं और अगर क़ाज़ी ने उस बैअ़ को तोड़ दिया या ख़ुद बाइअ़ व मुश्तरी ने अपनी रज़ा'मन्दी से तोड़ दिया और चीज़ अभी मुश्तरी के पास है और मुश्तरी ने मुद्दई के हक़ में गवाही दी मक़बूल नहीं और अगर मबीअ़ बाइअ़ को वापस कर देने के बाद मुद्दई के हक़ में गवाही देता है क़बूल है। (फ़त्हुल'क़दीर)

मसअ्ला.42:– मुश्तरी ने जो चीज़ ख़रीदी है उसके मुतअ़ल्लिक़ गवाही देता है कि मुद्दई की मिल्क है अगर्चे बैअ़ का इक़ाला हो चुका हो या ऐ़ब की वजह से बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) वापस हो चुकी हो गवाही मक़बूल नहीं यूंही बाइअ़ ने बैअ़ के बाद यह गवाही दी कि मबीअ़ मिल्के मुद्दई है यह मक़बूल नहीं। अगर बैअ़ को उस तरह पर रद किया गया हो जो फ़स्ख़ (ख़त्म) क़रार पाये तो गवाही मक़बूल है। (फ़त्ह)

मसअ्ला.43:– मदयून की यह गवाही कि दैन जो उसपर था वह उस मुद्दई का है मक़बूल नहीं अगर्चे दैन अदा करचुका हो। मुस्ताजिर ने गवाही दी कि मकान जो मेरे किराये में है मुद्दई की मिल्क है और मुद्दई यह कहता है कि मेरे हुक्म से यह मकान मुद्दआ'अ़लैह ने उसे किराये पर दिया था यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर मुद्दई यह कहता है कि बिग़ैर मेरे हुक्म के दिया गया तो मक़बूल है और जो शख़्स बिग़ैर किराया मकान में रहता है उसकी गवाही मुद्दई के मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ दोनों मक़बूल। (फ़त्ह)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स को वकील बिलख़सूमा (मुक़द्दमे का वकील) किया उसने क़ाज़ी के एलावा किसी दूसरे शख़्स के पास मुक़दमा पेश किया फिर मुअक्किल ने वकील को मअ़ज़ूल करके क़ाज़ी के पास पेश किया वकील ने गवाही दी यह मक़बूल है और अगर क़ाज़ी के पास वकील ने मुक़द्दमा पेश कर दिया उसके बाद वकील को मअ़ज़ूल किया तो गवाही मक़बूल नहीं। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.45:– वसी को क़ाज़ी ने मअ़ज़ूल करके दूसरा वसी उसके क़ाइम मक़ाम मुक़र्रर किया या वुरसा बालिग़ होगये अब वह वसी यह गवाही देता है कि मय्यित का फ़ुलाँ शख़्स पर दैन है यह गवाही ना'मक़बूल और मअ़ज़ूली से क़ब्ल की गवाही तो बदरजा–ए–ऊला ना'मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– जो शख़्स किसी मुआ़मले में ख़स्म होचुका उस मुआ़मले में उसकी गवाही मक़बूल नहीं और जो अभी तक ख़स्म नहीं हुआ है मगर क़रीब होने के है उसकी गवाही मक़बूल है पहले की मिसाल वसी है दूसरे की मिसाल वकील बिलख़ुसूमा है जिसने क़ाज़ी के यहाँ दअ़वा नहीं किया और मअ़ज़ूल होगया। (तबईन)

मसअ्ला.47:– वकील बिल ख़ुसूमा ने क़ाज़ी के यहाँ एक हज़ार रुपये का दअ़वा किया उसके बाद मुअक्किल ने उसे मअ़ज़ूल कर दिया उसके बाद वकील ने मुअक्किल के लिये यह गवाही दी कि उसकी फ़ुलाँ शख़्स के ज़िम्मे सौ अशरफ़ियाँ हैं यह गवाही मक़बूल है कि यह दूसरा दअ़वा है जिस

में यह शख़्स वकील न था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– दो शख़्सों ने मय्यित के ज़िम्मे दैन का दअ्वा किया उनकी गवाही दो शख़्सों ने दी फिर उन दोनों गवाहों ने उसी मय्यित पर अपने दैन का दअ्वा किया और इन मुद्दईयों ने उनके मुवाफ़िक़ शहादत दी सब की गवाहियाँ मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– दो शख़्सों ने गवाही दी कि मय्यित ने फ़ुलाँ और फ़ुलाँ के लिये एक हज़ार की वसियत की है और उन दोनों ने भी उन गवाहों के लिये यही शहादत दी कि मय्यित ने उनके लिये हज़ार की वसियत की है तो उनमें किसी की गवाही मक़बूल नहीं और अगर ऐन की वसियत का दअ्वा हो और गवाहों ने शहादत दी कि मय्यित ने उस चीज़ की वसियत फ़ुलाँ व फ़ुलाँ के लिये की है और उन दोनों ने गवाहों के लिए एक दूसरी मुअ्य्यन चीज़ की वसियत करने की शहादत दी तो सब गवाहियाँ मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.50:– मय्यित ने दो शख़्सों को वसी किया इन दोनों ने एक वारिस बालिग़ के हक़ में शहादत एक अजनबी के मुक़ाबिल में दी और जिस माल के मुतअ़ल्लिक़ शहादत दी वह मय्यित का तर्का नहीं है यह गवाही मक़बूल है और अगर मय्यित का तर्का है तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर नाबालिग़ वारिस के हक़ में शहादत हो तो मुतलक़न मक़बूल नहीं मय्यित का तर्का हो या न हो (दुर्रे)

मसअ्ला.51:– जरह मुजर्रद(यानी जिससे महज़ गवाह का फ़िस्क़ बयान करना मक़सूद हो हक़्क़ुल्लाह या हक़्क़ुलअ़ब्द का साबित करना मक़सूद न हो)उसपर गवाही नहीं हो सकती मस्लन उसकी गवाही कि यह गवाह फ़ासिक़ हैं या ज़ानी या सूदख़ोर या शराबी हैं या उन्होंने ख़ुद इक़रार किया है कि झूटी गवाही दी है या शहादत से रुजूअ़ करने का उन्होंने इक़रार किया है या इक़रार किया कि उजरत लेकर यह गवाही दी है या यह इक़रार किया है कि मुद्दई का यह दावा ग़लत है या यह कि उस मौक़े के हम लोग शाहिद न थे उन उमूर पर शहादत को न क़ाज़ी सुनेगा और न उसके मुतअ़ल्लिक़ कोई हुक्म देगा(हिदाया)

मसअ्ला.52:– मुद्दआ़ अ़लैह ने गवाहों से साबित किया कि गवाहों ने उजरत लेकर गवाही दी है मुद्दई ने हमारे सामने उजरत दी है यह गवाही भी मक़बूल नहीं कि यह भी जरह मुजर्रद और मुद्दई का उजरत देना अगर्चे अमरे ज़ाइद है मगर मुद्दई का इस के मुतअ़ल्लिक़ कोई दअ्वा नहीं है कि उसपर शहादत ली जाये। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.53:– जरह मुजर्रद पर गवाही मक़बूल न होना उस सूरत में है जब दरबारे क़ाज़ी में यह शहादत गुज़रे और मख़्फ़ी तौर पर मुद्दआ़ अ़लैह ने क़ाज़ी के सामने उनका फ़ासिक़ होना बयान किया और तलब करने पर उसने गवाह पेश कर दिये तो यह शहादत मक़बूल होगी यानी गवाहों की गवाही रद कर देगा अगर्चे उन की अ़दालत साबित हो कि जरह तअ्दील पर मुक़द्दम है। (बहर)

मसअ्ला.54:– फ़िस्क़ के एलावा अगर गवाहों पर और किसी क़िस्म का तअ़्न किया और उसकी शहादत पेश करदी मसलन गवाह मुद्दई का शरीक है या मुद्दई का बेटा या बाप है या अहदुज़्ज़ौजैन है या उसका मम्लूक है या हक़ीर व ज़लील अफ़आ़ल करता है उस क़िस्म की शहादत मक़बूल है(बहर)

मसअ्ला.55:– जिस शख़्स के फ़िस्क़ से आ़म तौर पर लोगों को ज़रर पहुँचता है मसलन लोगों को गालियाँ देता है या अपने हाथ से मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाता है उसके मुतअ़ल्लिक़ गवाही देना जाइज़ है ताकि हुकूमत की तरफ़ से ऐसे शरीर से निजात की कोई सूरत तजवीज़ हो और हक़ीक़तन यह शहादत नहीं है। (बहर)

मसअ्ला.56:– जरह अगर मुजर्रद न हो बल्कि उसके साथ किसी हक़ का तअ़ल्लुक़ हो उसपर शहादत हो सकती है मस्लन मुद्दआ़ अ़लैह ने गवाहों पर दअ्वा किया कि मैंने उनको कुछ रुपये इस लिये दिये थे कि उस झूटे मुक़द्दमे में शहादत न दें और उन्होंने गवाही देदी लिहाज़ा मेरे रुपये वापस मिलने चाहिए या यह दावा किया कि मुद्दई के पास मेरा माल था उसने वह माल गवाहों को इस लिये देदिया कि वह मेरे ख़िलाफ़ मुद्दई के हक़ में गवाही दें मेरा वह माल उन गवाहों से

दिलाया जाये या किसी अजनबी ने गवाहों पर दअ्वा किया कि उन लोगों को मैंने इतने रुपये दिये थे कि फुलाँ के ख़िलाफ़ गवाही न दें मेरे रुपये वापस दिलाये जायें और यह बात मुद्दआ अ़लैह ने गवाहों से साबित करदी या उन्होंने खुद इक़रार करलिया या क़सम से इन्कार किया वह माल उन गवाहों से दिलाया जायेगा और उसी ज़िम्न में उनके फ़िस्क़ का भी हुक्म होगा। और जो गवाही यह दे चुके हैं रद होजायेगी और अगर मुद्दआ अ़लैह ने महज़ इतनी बात कही कि मैंने उनको इस लिये रुपये दिये थे कि गवाही न दें और माल का मुतालबा नहीं करता तो उस पर शहादत नहीं ली जायेगी कि यह जरह मुजर्रद है। (हिदाया, फ़त्हुलक़दीर, बहर)

मसअ्ला.57:– मुद्दई ने यह इक़रार किया है कि गवाहों को उसने उजरत दी है या इक़रार किया है कि वह फ़ासिक़ हैं या इक़रार किया कि उन्होंने झूटी गवाही दी है उसपर शहादत हो सकती है(हिदाया)

मसअ्ला.58:– गवाहों पर यह दअ्वा कि उन्होंने चोरी की है या शराब पी है या ज़िना किया है उसपर शहादत ली जायेगी कि यह जरह मुजर्रद नहीं उसके साथ हक़्क़ुल्लाह का तअ़ल्लुक़ है यानी अगर सुबूत होगा तो हद क़ाइम होगी और उसी के साथ वह गवाही जो दे चुके हैं रद कर दी जायेगी। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.59:– गवाह ने गवाही दी और अभी वहीं क़ाज़ी के पास मौजूद है बाहर नहीं गया है और कहता है कि गवाहों में मुझे कुछ ग़ल्ती होगई उस कहने से उस की गवाही बातिल न होगी बल्कि अगर वह आ़दिल है तो गवाही मक़बूल है ग़ल्ती अगर उस क़िस्म की है जिससे शहादत में कोई फ़र्क़ नहीं आता यानी जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ शहादत है उसमें कुछ कमी बेशी नहीं होती मस्लन यह लफ़्ज़ भूल गया था कि मैं गवाही देता हूँ तो बाहर से आकर भी यह कह सकता है उसकी वजह से मुत्तहम नहीं किया जा सकता और वह ग़ल्ती जिससे फ़र्क़ पैदा होता है उसकी दो सूरतें हैं जो कुछ पहले कहा था उससे अब ज़ाइद बताता है या कम कहता है मसलन पहले बयान में एक हज़ार कहा था अब डेढ़ हज़ार कहता है या पाँचसौ कमी बताता है यानी जितना पहले कहा था अब उससे कम कहता है यानी मुद्दई के मुद्दआ अ़लैह के ज़िम्मे पाँचसौ हैं उस सूरत में हुक्म यह है कि कम करने के बाद जो कुछ बचे उसका फ़ैसला होगा और ज़्यादा बताता हो यानी कहता है बजाये डेढ़ हज़ार के मेरी ज़बान से हज़ार निकल गया उस की दो सूरतें हैं मुद्दई का दअ्वा डेढ़ हज़ार का है या हज़ार का अगर मुद्दई का दावा डेढ़ हज़ार का है तो यह ज़्यादत मक़बूल है वरना नहीं। (फ़त्ह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.60:– हुदूद या नसब में ग़ल्ती की मस्लन शरक़ी हद (पूर्वी हद) की जगह ग़रबी (पश्चिमी) बोल गया या मुहम्मद उ़मर इब्ने अ़ली की जगह मुहम्मद अ़ली इब्ने उ़मर कह दिया और उसी मज्लिस में उस ग़ल्ती की तस्हीह करदी तो गवाही मोअ्तबर हो जायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.61:– शहादते क़ासिरा जिसमें बाज़ ज़रूरी बातें ज़िक्र करने से रह गईं उसकी तकमील दूसरे ने करदी यह गवाही मोअ्तबर है मस्लन एक मकान के मुतअ़ल्लिक़ गवाही गुज़री कि यह मुद्दई की मिल्क है मगर गवाहों ने यह नहीं बताया कि वह मकान उस वक़्त मुद्दआ अ़लैह के क़ब्ज़े में है मुद्दई ने दूसरे गवाहों से मुद्दआ अ़लैह का क़ब्ज़ा साबित करदिया गवाही मोअ्तबर होगई या गवाहों ने एक महदूद शय में मिल्क की शहादत दी और हुदूद ज़िक्र नहीं किये दूसरे गवाहों से हुदूद साबित किये गवाही मोअ्तबर होगई। या एक शख़्स के मुक़ाबिल में नाम व नसब के साथ शहादत दी और मुद्दआ अ़लैह को पहचाना नहीं दूसरे गवाहों से यह साबित किया कि जिसका यह नाम व नसब है वह यह शख़्स है गवाही मोअ्तबर होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.62:– एक गवाह ने गवाही दी बाक़ी गवाह यूँ गवाही देते हैं कि जो उसकी गवाही है वही हमारी शहादत है यह मक़बूल नहीं बल्कि उनको भी वह बातें कहनी होंगी जिनकी गवाही देना चाहते हैं।

मसअ्ला.63:– नफ़ी की गवाही नहीं होती यानी मस्लन यह गवाही दी कि उसने बैअ् नहीं की है या इक़रार नहीं किया है ऐसी चीज़ों को गवाहों से नहीं साबित कर सकते। नफ़ी सूरतन हो या मअ्नन

दोनों का एक हुक्म है मस्लन वह नहीं था या ग़ाइब था कि दोनों का ह़ासिल एक है। गवाह को यक़ीनी तौर पर नफ़ी का इल्म हो या न हो बहर ह़ाल गवाही नहीं दे सकता मस्लन गवाहों ने यह गवाही दी कि ज़ैद ने अ़म्र के हाथ यह चीज़ बैअ़ की है अब यह गवाही नहीं दी जा सकती कि ज़ैद तो वहाँ था ही नहीं हाँ अगर नफ़ी मुतवातिर हो सब लोग जानते हों कि वह उस जगह या उस वक़्त मौजूद न था तो नफ़ी की गवाही सह़ीह़ है कि दअ़्वा ही मसमूअ़ न होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.64:– शहादत का जब एक जुज़ बातिल होगया तो कुल शहादत बातिल होगई यह नहीं कि एक जुज़ सह़ीह़ हो और एक जुज़ बातिल मगर बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि एक जुज सह़ीह़ और एक जुज़ बातिल मस्लन एक गुलाम मुश्तरक है उसका मालिक एक मुस्लिम और एक नसरानी है दो नसरानियों ने शहादत दी कि उन दोनों ने गुलाम को आज़ाद करदिया नसरानी के ख़िलाफ़ में गवाही सह़ीह़ है यानी उसका हिस्सा आज़ाद और मुसलमान का हिस्सा आज़ाद न होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

शहादत में इख़्तिलाफ़ का बयान

इख़्तिलाफ़े शहादत के मसाइल की बिना चन्द उसूल पर है **1.हुक़ूक़ुलइबाद** में शहादत के लिये दअ़्वा ज़रूरी है यानी जिस बात पर गवाही गुज़री मुद्दई ने उसका दअ़्वा नहीं किया है यह गवाही मोअ़्तबर नहीं कि ह़क़्क़ुल'अ़बद का फ़ैसला बिग़ैर मुतालबा नहीं किया जा सकता और यहाँ मुतालबा नहीं और हुक़ूक़ुल्लाह में दअ़्वे की ज़रूरत नहीं कि क्योंकि हर शख़्स के ज़िम्मे उसका इस्बात है गोया दअ़्वा मौजूद है **2.गवाहों ने** उस से ज़्यादा बयान किया जितना मुद्दई दअ़्वा करता है तो गवाही बातिल है और कम बयान किया तो मक़बूल है और उतने ही का फ़ैसला होगा जितना गवाहों ने बयान किया **3.मिल्के मुतलक़** मिल्के मुक़य्यद से ज़्यादा है कि वह अस्ल से साबित होती है और मुक़य्यद वक़्ते सबब से मोअ़्तबर होगी **4.दोनों शहादतों** में लफ़्ज़न व मअ़्नन हर तरह इत्तिफ़ाक़ होना ज़रूरी है और शहादत व दअ़्वा में बा एअ़्तिबार मअ़्ना मुत्तफ़िक़ होना ज़रूर है लफ़्ज़ के मुख़्तलिफ़ होने का एअ़्तिबार नहीं। (दुरर)

मसअ्ला.1:– मुद्दई ने मिल्के मुतलक़ का दअ़्वा किया यानी कहता है कि यह चीज़ मेरी है यह नहीं बताया कि किस सबब से है मस्लन ख़रीदी है या किसी ने हिबा की है और गवाहों ने मिल्के मुक़य्यद बयान की यानी सबबे मिल्क का इज़हार किया मस्लन मुद्दई ने ख़रीदी है यह गवाही मक़बूल है और उसका अ़क्स हो यानी मुद्दई ने मिल्के मुक़य्यद का दअ़्वा किया और गवाहों ने मिल्के मुतलक़ बयान की यह गवाही मक़बूल नहीं बशर्ते कि मुद्दई ने यह बयान किया कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से ख़रीदी है और बाइअ़ को उस तरह बयान करदे कि उसकी शनाख़्त हो जाये और ख़रीदने के साथ क़ब्ज़ा का ज़िक्र न करे और अगर दअ़्वे में बाइअ़ का ज़िक्र नहीं या यह कि मैंने एक शख़्स से ख़रीदी है या यह कि मैंने अ़ब्दुल्लाह से ख़रीदी है या ख़रीदने के साथ दअ़्वे में क़ब्ज़ा का भी ज़िक्र है और गवाहों ने इन सूरतों में मिल्के मुतलक़ की शहादत दी तो मक़बूल है(दुर्रेमुख़्तार, बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.2:– यह इख़्तिलाफ़ उस वक़्त मोअ़्तबर है जब उस शय के लिए मुतअ़द्दिद अस्बाब हों और अगर एक ही सबब हो मस्लन मुद्दई ने दअ़्वा किया कि यह मेरी औरत है मैंने उससे निकाह़ किया है गवाहों ने बयान किया कि उसकी मनकूह़ा है शहादत मक़बूल है। (बहर)

मसअ्ला.3:– मुद्दई ने अपनी मिल्क का सबब मीरास बताया कि विरासतन मैं उसका मालिक हूँ या मुद्दई ने कहा कि यह जानवर मेरे घर का बच्चा है और गवाहों ने मिल्के मुतलक़ की शहादत दी यह गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– वदीअ़त (अमानत) का दअ़्वा किया कि मैंने यह चीज़ फ़ुलाँ के पास वदीअ़त रखी है गवाहों ने बयान किया कि मुद्दआ'अ़लैह ने हमारे सामने इक़रार किया है कि यह चीज़ मेरे पास फ़ुलाँ की अमानत है यूँही ग़सब या आ़रियत का दअ़्वा किया और गवाहों ने मुद्दआ'अ़लैह के इक़रार की शहादत दी या निकाह़ का दअ़्वा किया और गवाहों ने इक़रारे निकाह़ की गवाही दी या दैन का

दअ्वा किया और गवाही यह दी कि मुद्दआ अ़लैह ने अपने ज़िम्मे उसके माल का इक़रार किया है या क़र्ज़ का दअ्वा है और गवाही यह हुई कि अपने ज़िम्मे माल का इक़रार किया है और सबब कुछ नहीं बयान किया उन सब सूरतों में गवाही मक़बूल है। बैअ् का दअ्वा किया और इक़रारे बैअ् की शहादत गुज़री गवाही मक़बूल है। दअ्वा यह है कि मेरे दस मन गेहूँ फ़ुलाँ शख़्स पर बैअ् सलम की रु से वाजिब हैं और गवाहों ने यह बयान किया कि मुद्दआ अ़लैह ने अपने ज़िम्मे दस मन गेहूँ का इक़रार किया है यह गवाही मक़बूल नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.5:– दोनों गवाहों के बयान में लफ़्ज़न व मअ्नन इत्तिफ़ाक़ हो उसका मत़लब यह है कि दोनों लफ़्ज़ों के एक मअ्ना हों यह न हो कि हर लफ़्ज़ के जुदा जुदा मअ्ना हों और एक दूसरे में दाख़िल हों मस्लन एक ने कहा दो रुपये दूसरे ने कहा चार रुपये यह इख़्तिलाफ़ होगया कि दो और चार के अलग अलग मअ्ने हैं यह नहीं कहा जायेगा कि चार में दो भी हैं लिहाज़ा दो रुपये पर दोनों गवाहों का इत्तिफ़ाक़ होगया और अगर लफ़्ज़ दो हैं मगर दोनों के मअ्ना एक हैं तो यह इख़्तिलाफ़ नहीं मस्लन एक ने कहा हिबा दूसरे ने कहा अ़तिया या एक ने कहा निकाह दूसरे ने कहा तज़वीज यह इख़्तिलाफ़ नहीं और गवाही मोअ्तबर है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– एक गवाह ने दो हज़ार रुपये बताये दूसरे ने एक हज़ार या एक ने दो सौ दूसरे ने एक सौ या एक ने कहा एक त़लाक़ या दो त़लाक़ दूसरे ने कहा तीन त़लाक़ें दीं यह गवाहियाँ रद करदी जायेंगी कि दोनों में इख़्तिलाफ़ होगया या एक ने कहा मुद्दआ अ़लैह ने ग़सब किया दूसरे ने कहा ग़सब का इक़रार किया एक ने कहा क़त्ल किया दूसरे ने कहा क़त्ल का इक़रार किया दोनों ना मक़बूल हैं और अगर दोनों इक़रार की शहदात देते क़बूल होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– जब क़ौल व फ़ेअ्ल का इज्तिमाअ् होगा यानी एक गवाह ने क़ौल बयान किया दूसरे ने फ़ेअ्ल तो गवाही मक़बूल न होगी मस्लन एक ने कहा ग़सब किया दूसरे ने कहा ग़सब का इक़रार किया दूसरी मिसाल यह है कि मुद्दई ने एक शख़्स पर हज़ार रुपये का दअ्वा किया एक गवाह ने मुद्दई का देना बयान किया दूसरे ने मुद्दआ अ़लैह का इक़रार करना बयान किया यह ना मक़बूल है अलबत्ता जिस मक़ाम पर क़ौल व फ़ेअ्ल दोनों लफ़्ज़ में मुत्तहिद हों मस्लन एक ने बैअ् या क़र्ज़ या त़लाक़ या एताक़ की शहादत दी दूसरे ने उनके इक़रार की शहदात दी कि उन सब में दोनों के लिये एक लफ़्ज़ है यानी यह लफ़्ज़ कि मैंने त़लाक़ दी त़लाक़ देना भी है और इक़रार भी उसी त़रह सब में लिहाज़ा फ़ेअ्ल व क़ौल का इख़्तिलाफ़ उनमें मोअ्तबर नहीं दोनों गवाहियाँ मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– एक ने गवाही दी कि तलवार से क़त्ल किया दूसरे ने बताया कि छुरी से यह गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– एक ने गवाही दी एक हज़ार की दूसरे ने एक हज़ार और एक सौ की और मुद्दई का दअ्वा ग्यारह सौ का हो तो एक हज़ार की गवाही मक़बूल है कि दोनों उसमें मुत्तफ़िक़ हैं और अगर दअ्वा सिर्फ़ हज़ार का है तो नहीं मगर जब कि मुद्दई कहदे कि था तो एक हज़ार एक सौ मगर एक सौ उसने देदिया या मैंने मुआफ़ करदिया जिसका इल्म उस गवाह को नहीं तो अब क़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार) अगर गवाह ने एक हज़ार एक सौ की जगह ग्यारह सौ कहा तो इख़्तिलाफ़ होगया कि लफ़्ज़न दोनों मुख़्तलिफ़ हैं।

मसअ्ला.10:– एक गवाह ने दो मुअय्यन चीज़ की शहादत दी और दूसरे ने उनमें से एक मुअय्यन की तो जिस एक मुअय्यन पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ हुआ उसके मुतअ़ल्लिक़ गवाही मक़बूल है और अगर अ़क़्द में यही सूरत हो मस्लन एक ने कहा यह दोनों चीज़ें मुद्दई ने ख़रीदी हैं और एक ने एक मुअय्यन की निस्बत कहा कि यह ख़रीदी है तो गवाही मक़बूल नहीं या समन में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कहता है एक हज़ार में ख़रीदी है दूसरा एक हज़ार एक सौ बताता है तो अ़क़्द साबित न

होगा कि मबीअ् या समन के मुख़्तलिफ़ होने से अक़्द मुख़्तलिफ़ होजाता है और अक़्द के दअ्वा में स्मन का ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि बिग़ैर समन के बैअ् नहीं हो सकती हाँ अगर गवाह यह कहें कि बाइअ् ने इक़रार किया है कि मुश्तरी ने यह चीज़ ख़रीदी और समन अदा कर दिया है तो मिक़दारे स्मन के ज़िक्र की हाजत नहीं क्योंकि उस सूरत में फ़ैसले का तअ़ल्लुक़ अक़्द से नहीं है बल्कि मुश्तरी के लिए मिल्क साबित नहीं क्योंकि उस सूरत में फ़ैसले का तअ़ल्लुक़ अक़्द से नहीं है बल्कि मुश्तरी के लिये मिल्क साबित करना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मुद्दई ने पाँचसौ का दअ्वा किया और गवाहों ने एक हज़ार की शहादत दी मुद्दई ने बयान किया कि था तो एक हज़ार मगर पाँचसौ मुझे वसूल होगये फ़ौरन कहा हो या कुछ देर के बाद गवाही मक़बूल है और अगर यह कहा कि मुद्दआ अ़लैह के ज़िम्मे पाँचसौ थे तो शहादत बातिल है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.12:– राहिन (अपनी चीज़ गिरवी रखने वाले) ने दअ्वा किया और गवाहों ने ज़रे रहिन (वह रूपया जिसके लिये कोई चीज़ रहन रखी जाये) में इख़्तिलाफ़ किया एक ने एक हज़ार बताया दूसरे ने एक हज़ार एक सौ और राहिन ज़ाइद का मुद्दई है या कम का बहर हाल शहादत मोअ्तबर नहीं कि मक़सूद इस्बाते अ़क़्द है और अगर मुरतहिन मुद्दई हो और गवाहों में इख़्तिलाफ़ हो और मुरतहिन (जिसके पास रहन रखा जाये) ज़ाइद का मुद्दई हो तो गवाही मोअ्तबर है यानी एक हज़ार की रक़म पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ है उसी का फ़ैसला होजायेगा और अगर मुरतहिन ने कम यानी एक हज़ार ही का दअ्वा किया है तो गवाही मोअ्तबर नहीं। खुलअ् में अगर औरत मुद्दई हो और गवाहों में इख़्तिलाफ़ हो तो गवाही मोअ्तबर नहीं और अगर शौहर मुद्दई हो तो ज़ियादत की सूरत में मोअ्तबर है जैसा दैन का हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– इजारे का दअ्वा है और गवाहों के बयान में उजरत की मिक़दार में उसी क़िस्म का इख़्तिलाफ़ हुआ उसकी चार सूरतें हैं मुस्ताजिर मुद्दई है या मूजिर। इब्तिदा–ए–मुद्दत इजारा में दअ्वा है या ख़त्म मुद्दत के बाद अगर इब्तिदा–ए–मुद्दत में दअ्वा हुआ है गवाही मक़बूल नहीं कि उस सूरत में मक़सूद इस्बाते अ़क़्द है और ज़माना–ए–इजारा ख़त्म होने के बाद दअ्वा हुआ है और मूजिर मुद्दई है तो गवाही मक़बूल है और मुस्ताजिर मुद्दई है तो मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– निकाह का दअ्वा है और गवाहों ने मिक़दारे महर में उसी क़िस्म का इख़्तिलाफ़ किया तो निकाह साबित होजायेगा और कम मिक़दार मस्लन एक हज़ार महर क़रार पायेगा मर्द मुद्दई हो या औरत। दअ्वे में महर कम बताया हो या ज़्यादा सब का एक हुक्म है क्योंकि यहाँ माल मक़सूद नहीं जो चीज़ मक़सूद है यानी निकाह उसमें दोनों मुत्तफ़िक़ हैं लिहाज़ा यह इख़्तिलाफ़ मोअ्तबर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

नोटः– इस मसअ्ला में कम मिक़दार महर की एक हज़ार लिखी है मगर कम मिक़दार दस दिरहम है और दस दिरहम के जितने रूपये होंगे वही महर की कम मिक़दार क़रार दी जायेगी।(अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.15:– मीरास का दअ्वा हो मसलन ज़ैद ने अ़म्र पर यह दअ्वा किया कि फ़ुलाँ चीज़ जो तुम्हारे पास है यह मेरे बाप की मीरास् है उसमें गवाहों का मिल्के मूरिस् (वारिस् बनाने वाले की मिल्कियत) साबित कर देना काफ़ी नहीं है बल्कि यह कहना पड़ेगा कि वह शख़्स मरा और उस चीज़ को तर्का में छोड़ा या यह कहना होगा कि वह शख़्स मरते वक़्त उस चीज़ का मालिक था या यह चीज़ मौत के वक़्त उसके क़ब्ज़े में या उसके क़ाइम मक़ाम के क़ब्ज़े में थी मस्लन जब मरा था यह चीज़ उसके मुस्ताजिर के पास या मुस्तईर (आरियतन लेने वाला) या अमीन या ग़ासिब (नाजायज़ क़ब्ज़ा करने वाला) के हाथ में थी कि जब मूरिस का क़ब्ज़ा ब'वक़्ते मौत साबित होगया तो यह क़ब्ज़ा मालिकाना ही क़रार पायेगा क्योंकि मौत के वक़्त का क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है अगर क़ब्ज़ा–ए–ज़मान न होता तो ज़ाहिर कर देता उसका ज़ाहिर न करना कि यह चीज़ फ़ुलाँ की मेरे पास अमानत है क़ब्ज़ा–ए–ज़मान कर देता है और जब मूरिस् की मिल्क हुई तो वारिस की तरफ़ मुन्तक़िल ही होगी। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअला.16:– मीरास् के दावे में गवाहों को सबबे विरासत भी बयान करना होगा फ़क़त इतना कहना काफ़ी न होगा कि यह उसका वारिस् है बल्कि मस्लन यह कहना होगा कि उसका भाई है और जब भाई बता चुका तो यह बताना भी होगा कि हक़ीक़ी भाई है या अल्लाती है या अख़्याफ़ी। (बहर)

मसअला.17:– गवाह को यह भी बताना होगा कि उसके सिवा मय्यित का कोई वारिस् नहीं है या यह कहे कि उसके सिवा कोई दूसरा वारिस् मैं नहीं जानता उसके बाद क़ाज़ी नसबनामा पूछेगा ताकि मालूम होसके कोई दूसरा वारिस् है या नहीं। (बहर)

मसअला.18:– यह भी ज़रूरी है कि गवाहों ने मय्यित को पाया हो अगर यह बयान किया कि फुलाँ शख़्स मरगया और यह मकान तर्का में छोड़ा और ख़ुद उन गवाहों ने मय्यित को नहीं पाया है तो यह गवाही बातिल है। मय्यित का नाम लेना ज़रूर नहीं अगर यह कह दिया कि उस मुद्दई का बाप या उसका दादा जब भी गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअला.19:– गवाहों ने गवाही दी कि यह मर्द उस औरत का जो मरगई है शौहर है या यह औरत उस मर्द की ज़ौजा है जो मरगया और हमारे इल्म में मय्यित का कोई दूसरा वारिस् नहीं है औरत के तर्का से शौहर को निस्फ़ देदिया जाये और शौहर के तर्का से औरत को चौथाई दी जाये और अगर गवाहों ने फ़क़त इतना ही कहा है कि यह उसका शौहर है या यह उसकी बीवी है तो यह हिस्सा यानी निस्फ़ व चहारुम न दिया जाये क्योंकि हो सकता है कि मय्यित की औलाद हो और उस सूरत में ज़ौज व ज़ौजा को हिस्सा कम मिलेगा लिहाज़ा एक हद तक क़ाज़ी इन्तिज़ार करे। (आलमगीरी)

मसअला.20:– एक शख़्स ने मकान का दअ़वा किया गवाहों ने यह गवाही दी कि एक महीना हुआ मुद्दई के क़ब्ज़े में है यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर यह कहें कि मुद्दई की मिल्क में है तो मक़बूल है या कहदें कि मुद्दई से मुद्दआ अ़लैह ने छीन लिया जब भी मक़बूल। (हिदाया) माहसल यह है कि ज़माना–ए–गुज़श्ता की मिल्क पर शहादत मक़बूल है और ज़माना–ए–गुज़श्ता में ज़िन्दा का क़ब्ज़ा साबित होना मिल्क के लिये काफ़ी नहीं है और मौत के वक़्त क़ब्ज़ा होना मिल्कियत की दलील है।

मसअला.21:– मुद्दआ अ़लैह ने ख़ुद मुद्दई के क़ब्ज़े का इक़रार किया या उसका इक़रार करना गवाहों से साबित होगया तो चीज़ मुद्दई को दिलादी जायेगी। (हिदाया) मुद्दआ अ़लैह ने कहा कि मैंने यह चीज़ मुद्दई से छीनी है क्योंकि यह मेरी मिल्क है मुद्दई छीनने से इन्कार करता है तो उसको नहीं मिलेगी कि इक़रार को रद करदिया और मुद्दई तस्दीक़ करता हो तो मुद्दई को दिलाई जायेगी और क़ब्ज़ा मुद्दई का माना जायेगा लिहाज़ा उसके मुक़ाबिल में जो शख़्स है वह गवाह पेश करे या उससे हलफ़ लिया जाये। (बहर)

मसअला.22:– मुद्दआ अ़लैह इक़रार करता है कि चीज़ मुद्दई के हाथ में ना'हक़ तरीक़े से थी यह क़ब्ज़ा–ए–मुद्दई का इक़रार होगया। और जायदाद ग़ैर मन्क़ूला में क़ब्ज़ा–ए–मुद्दई के लिए इक़रारे मुद्दआ अ़लैह काफ़ी नहीं बल्कि मुद्दई गवाहों से साबित करे या क़ाज़ी को ख़ुद इल्म हो। (बहर)

मसअला.23:– गवाहों के बयानात में अगर तारीख़ व वक़्त का इख़्तिलाफ़ होजाये या जगह में इख़्तिलाफ़ हो बाज़ सूरतों में इख़्तिलाफ़ का लिहाज़ करके गवाही क़बूल नहीं करते और बाज़ सूरतों में इख़्तिलाफ़ का लिहाज़ नहीं करते गवाही क़बूल करते हैं बैअ़ व शिरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) व तलाक़ इत्क़ (ग़ुलाम आज़ाद करना) वकालत, वसियत, दैन, बराअत (क़र्ज़ मुआफ़ करना) किफ़ाला, हवाला, क़ज़फ़ उन सब में गवाही क़बूल है और ख़ियानत, ग़सब, क़त्ल, निकाह, रिहन, हिबा, सदक़ा में इख़्तिलाफ़ हुआ तो गवाही मक़बूल नहीं। उसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि जिस चीज़ की शहादत दी जाती है वह क़ौल है या फ़ेअ़ल अगर क़ौल है जैसे बैअ़ व तलाक़ वग़ैरा उनमें वक़्त और जगह का इख़्तिलाफ़ मोअ़तबर नहीं यानी गवाही मक़बूल है हो सकता है कि वह लफ़्ज़ बार बार कहे गये लिहाज़ा वक़्त और जगह के बयान में इख़्तिलाफ़ पैदा होगया और अगर मशहूद'बिह (जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ गवाही दी गई) फ़ेअ़ल है जैसे ग़सब व जनायत या मशहूद'बिह क़ौल है मगर उसकी सेहत के लिए फ़ेअ़ल शर्त है जैसे निकाह कि यह ईजाब व

कबूल का नाम है जो कौल है मगर गवाहों का वहाँ हाज़िर होना कि यह फ़ेअ्ल है निकाह के लिये शर्त है या वह ऐसा अक़्द हो जिसकी तमामियत (मुकम्मल होना) फ़ेअ्ल से हो जैसे हिबा उनमें गवाहों का यह इख़्तिलाफ़ मुज़िर है गवाही मोअ्तबर नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.24:– एक शख़्स ने गवाही दी कि ज़ैद ने अपनी ज़ौजा को 10 ज़िल्हिज्जा को मक्का में तलाक़ दी और दूसरे ने यह गवाही दी कि उसी तारीख़ में बीवी को ज़ैद ने कूफ़ा में तलाक़ दी यह गवाही बातिल है कि दोनों में एक यक़ीनन झूटा है और अगर दोनों की एक तारीख़ नहीं बल्कि दो तारीख़ें हैं और दोनों में इतने दिन का फ़ासिला है कि ज़ैद वहाँ पहुँच सकता है तो गवाही जाइज़ है यूँही अगर गवाहों ने दो मुख़्तलिफ़ बीवियों के नाम लेकर तलाक़ देना बयान किया और तारीख़ एक है मगर एक को मक्का में तलाक़ देना दूसरी को कूफ़ा में उसी तारीख़ में तलाक़ देना बयान किया यह भी मक़बूल नहीं।

मसअ्ला.25:– एक ज़ौजा के तलाक़ देने के गवाह पेश हुए कि ज़ैद ने अपनी उस ज़ौजा को मक्का में फ़ुलाँ तारीख़ को तलाक़ दी और क़ाज़ी ने हुक्मे तलाक़ देदिया उसके बाद दो गवाह दूसरे पेश होते हैं जो उसी तारीख़ में ज़ैद का दूसरी ज़ौजा को कूफ़ा में तलाक़ देना बयान करते हैं उन गवाहों की तरफ़ क़ाज़ी इल्तिफ़ात भी न करेगा (तवज्जोह नहीं देगा)। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.26:– औलिया–ए–मक़तूल (क़त्ल किये गये शख़्स के घर वालों) ने गवाह पेश किये कि उसी ज़ख़्म से मरा और ज़ख़्मी करने वाले ने गवाह पेश किये कि ज़ख़्म अच्छा होगया था या दस रोज़ के बाद मरा औलिया के गवाह को तरजीह है। (दुर्रेमुख़्तार बहर)

मसअ्ला.27:– वसी ने यतीम का माल बेचा यतीम ने बालिग़ होकर यह दअ्वा किया कि ग़बन (टोटे) के साथ माल बैअ् किया गया और मुश्तरी ने गवाह क़ाइम किये कि वाजिबी क़ीमत पर फ़रोख़्त किया गया ग़बन के गवाह को तरजीह होगी। मर्द ने औरत से खुलअ् (पैसा देकर तलाक़ लेना) किया उसके बाद मर्द ने गवाहों से साबित किया कि खुलअ् के वक़्त में मजनून था और औरत ने गवाह पेश किये कि आक़िल था औरत के गवाह मक़बूल हैं बाइअ् ने गवाह पेश किये कि नाबालिग़ी में उसने बेचा था और मुश्तरी ने साबित किया कि वक़्ते बैअ् बालिग़ था मुश्तरी के गवाह मोअ्तबर हैं। एक शख़्स ने वारिस् के लिए इक़रार किया मुक़िर'लहू यह कहता है कि हालते सेहत में इक़रार किया था दीगर वुरसा कहते हैं कि मरज़ में इक़रार किया था गवाह मुक़िर'लहू के मोअ्तबर हैं और उसके पास गवाह न हों तो वुरसा का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। बैअ् व सुलह व इक़रार में इक्राह (ज़बरदस्ती करना) और ग़ैर इकराह दोनों में क़सम के गवाह पेश हुए तो गवाहे इकराह औला हैं। बाइअ् व मुश्तरी (बेचने वाला व ख़रीदार) बैअ् की सेहत व फ़साद में मुख़्तलिफ़ हैं तो क़ौल उसका मोअ्तबर है जो मुद्दई–ए–सेहत है और गवाह उसके मोअ्तबर हैं जो मुद्दई–ए–फ़साद हो। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.28:– दो शख़्सों ने शहादत दी कि उसने गाय चुराई है मगर एक ने उस गाय का रंग स्याह बताया दूसरे ने सफ़ेद और मुद्दई ने रंग के मुतअल्लिक़ कुछ नहीं बयान किया है तो गवाही मक़बूल है और अगर मुद्दई ने कोई रंग मुतअय्यन कर दिया है तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर एक गवाह ने गाय का इख़्तिलाफ़ किया तो शहादत मरदूद है। (हिदाया, बहर)

मसअ्ला.29:– ज़िन्दा आदमी के दैन की शहादत दी कि उसके ज़िम्मे इतना दैन था गवाही मक़बूल है हाँ अगर मुद्दआ अलैह ने सुवाल किया कि बताओ अब भी है या नहीं गवाहों ने यह कहा हमें यह नहीं मालूम तो गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मुद्दई ने यह दअ्वा किया कि यह चीज़ मेरी मिल्क थी और गवाहों ने बयान किया कि उसकी मिल्क है यह गवाही मक़बूल नहीं यूँही अगर गवाहों ने भी ज़माना–ए–गुज़श्ता में मिल्क होना बताया कि उसकी मिल्क थी जब भी मोअ्तबर नहीं कि मुद्दई का यह कहना मेरी मिल्क थी बताता है कि अब उसकी मिल्क नहीं है क्योंकि अगर उस वक़्त भी उसकी मिल्क होती तो यह न कहता कि मिल्क थी। और अगर मुद्दई ने दअ्वा किया है कि मेरी मिल्क है और गवाहों ने

ज़माना–ए–गुज़ ता की तरफ़ निस्बत की तो मक़बूल है क्योंकि पहले मिल्क होना मालूम है और उस वक़्त भी उसी की मिल्क है यह गवाहों को उसी बिना पर मालूम हुआ कि वही पहली मिल्क चली आई है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.31:– मुद्दई ने दअ्वा किया कि यह मकान जिस हुदूद दस्तावेज़ में मकतूब (लिखे हुए) हैं मेरा है और गवाहों ने यह गवाही दी कि वह मकान जिसके हुदूद दस्तावेज़ में लिखे हैं मुद्दई का है यह दअ्वा और शहादत दोनों सहीह हैं अगरचे हुदूद को तफ़सील के साथ खुद न बयान किया हो यूंही अगर यह शहादत दी कि जो माल उस दस्तावेज़ में लिखा है वह मुद्दआ अलैह के ज़िम्मे है और तफ़सील नहीं बयान की गवाही मक़बूल है! यूंही मकान मुतनाज़ेअ् फ़ी (यानी ऐसा मकान जिसकी मिल्कियत के मुतअल्लिक़ फ़रीक़ैन में इख़्तिलाफ़ हो) के मुतअल्लिक़ गवाही दी कि वह मुद्दई का है मगर उसके हुदूद नहीं बयान किये अगर फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि गवाह की शहादत मुतनाज़ेअ् फ़ी के ही मुतअल्लिक़ है गवाही मक़बूल है। (रद्दुलमुहतार)

शहादत अलश्शहादत का बयान

कभी ऐसा होता है कि जो शख़्स अस्ल वाक़िआ का शाहिद है किसी वजह से उसकी गवाही नहीं हो सकती मसलन वह सख़्त बीमार है कि कचहरी नहीं जा सकता या सफ़र में गया है ऐसी सूरतों में यह हो सकता है कि अपनी जगह दूसरे को करदे और यह दूसरा जाकर गवाही देगा उसको शहादत अलश्शहादत कहते हैं।

मसअ्ला.1:– जुमला हुक़ूक़ में शहादत अलश्शहादत जाइज़ है मगर हुदूद व क़िसास में जाइज़ नहीं यानी उसके ज़रीआ से सुबूत होने पर हद और क़िसास नहीं जारी करेंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– जो शख़्स वाक़िआ का गवाह है वह दूसरे को मुतलक़न गवाह बना सकता है यानी उसे उज़्र हो या न हो गवाह बनाने में मुज़ाइक़ा नहीं (हरज नहीं) मगर उसकी गवाही क़बूल उस वक़्त की जायेगी जब अस्ल गवाह शहादत देने से मअ्ज़ूर हो उसकी चन्द सूरतें हैं अस्ल गवाह मर गया या ऐसा बीमार है कि कचहरी हाज़िर नहीं हो सकता या सफ़र में गया है या इतनी दूर पर है कि मकान से आये और गवाही देकर रात तक घर पहुँच जाना चाहे तो न पहुँचे यह भी असली गवाह के उज़्र के लिये काफ़ी है या वह पर्दानशीन औरत है कि ऐसी जगह जाने की उसकी आदत नहीं जहाँ अजानिब से इख़्तिलात हो (ग़ैर महरिम लोगों से मेल मिलाप) और अगर वह अपनी ज़रूरत के लिये कभी कभी निकलती हों या गुस्ल के लिए हम्माम में जाती हों जब भी पर्दानशीन ही कहलायेंगी अलगर्ज़ जब असली गवाह मअ्ज़ूर हो उस वक़्त वह शख़्स गवाही दे सकता है जिसको उस ने अपना क़ाइम मक़ाम किया है अगर्चे क़ाइम मक़ाम करने के वक़्त मअ्ज़ूर न हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.3:– शाहिदे फ़रअ् में अदद भी शर्त है यानी असली गवाह अपने क़ाइम मक़ाम दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों को मुक़र्रर करे बल्कि औरत गवाह है और वह अपनी जगह किसी को गवाह करना चाहती है तो उसे भी लाज़िम है कि दो मर्द या एक मर्द दो औरतें अपनी जगह मुक़र्रर करे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स की गवाही के दो शाहिद हैं मगर उनमें एक ऐसा है जो खुद नफ़्से वाक़िआ का भी शाहिद है यानी उसने अपनी तरफ़ से भी शहादत अदा की और शाहिदे अस्ल की तरफ़ से भी यह गवाही मक़बूल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक असली गवाह है जो वाक़िआ का शाहिद है और दो शख़्स दूसरे असली गवाह के क़ाइम मक़ाम हैं यूँहीं तीन शख़्सों ने गवाही दी यह मक़बूल है और अगर एक असली गवाह ने दो शख़्सों को अपनी जगह किया दूसरे असली ने भी उन्हीं दोनों को अपनी जगह पर किया बल्कि फ़र्ज़ करो बहुत से लोग गवाह थे और सब ने उन्हीं दोनों को अपने अपने क़ाइम मक़ाम किया यह दुरुस्त है यानी उन्हीं दोनों की गवाही सब की जगह पर क़रार पायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– गवाह बनाने का तरीक़ा यह है कि गवाहे असली किसी दूसरे शख़्स को जिसको

अपने क़ाइम मक़ाम करना चाहता है ख़िताब करके यह कहे तुम मेरी इस गवाही पर गवाह होजाओ मैं यह गवाही देता हूँ कि मस्लन ज़ैद के अम्र के ज़िम्मे इतने रुपये हैं। या यूँ कहे मैं गवाही देता हूँ कि ज़ैद ने मेरे सामने यह इक़रार किया है और तुम मेरी इस गवाही के गवाह होजाओ ग़र्ज़ असली गवाह उस वक़्त उस तरह गवाही देगा जिस तरह क़ाज़ी के सामने गवाही होती है और फ़रअ़ को उस पर गवाह बनायेगा और फ़रअ़ उसको क़बूल करे बल्कि फ़रअ़ ने सुकूत किया जब भी शाहिद के क़ाइम मक़ाम होजायेगा और अगर इन्कार करदेगा कह देगा कि तुम्हारी जगह गवाह होने को मैं क़बूल नहीं करता तो गवाही रद होगई यानी अब उसकी जगह गवाही नहीं दे सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– शाहिदे फ़रअ़ क़ाज़ी के पास यूँ गवाही देगा मैं गवाही देता हूँ कि फ़ुलाँ शख़्स ने मुझे अपनी फ़ुलाँ गवाही पर गवाह बनाया था और मुझसे कहा था कि तुम मेरी इस शहादत पर गवाह हो जाओ और उससे मुख़्तसर इबारत यह है कि अस्ल गवाह कहे तुम मेरी उस गवाही पर गवाह हो जाओ और फ़रअ़ यह कहे मैं फ़लाँ शख़्स की उस शहादत की शहादत देता हूँ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– शाहिदे फ़रअ़ को मालूम है कि असली गवाह आदिल नहीं है बल्कि अगर उसका आदिल होना कुछ मालूम न हो तो उसकी जगह पर गवाही न देना चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– दूसरे को अपनी जगह गवाह बनाना चाहता हो तो यह करना चाहिए कि तालिब व मतलूब (मुद्दई और मुद्दआ अ़लैह) दोनों को सामने बुलाकर शहिदे फ़रअ़ (क़ाइम मक़ाम गवाह) के सामने दोनों की तरफ़ इशारा करके शहादत दे मस्लन उस शख़्स ने उस शख़्स के लिए उस चीज़ का इक़रार किया है और अगर तालिब व मतलूब मौजूद न हों तो नाम व नसब के साथ शहादत दे यानी फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ और शाहिदे फ़रअ़ जब क़ाज़ी के पास शहादत दे तो शाहिदे अस्ल का नाम और उनके बाप दादा के नाम ज़रूर ज़िक्र करे और ज़िक्र न करे तो गवाही मक़बूल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– गवाहाने फ़रअ़ अगर असली गवाह की तअ्दील (असली गवाह का आदिल व गवाही के क़ाबिल होना बतायें) करें यह दुरुस्त है जिस तरह दो गवाहों में से एक दूसरे की तअ्दील कर सकता है और अगर फ़रअ़ ने तअ्दील नहीं की तो क़ाज़ी ख़ुद नज़र करे और देखे कि आदिल है या नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– चन्द उमूर ऐसे हैं जिनकी वजह से फ़रअ़ की शहादत बातिल होजाती है **1.असली गवाह** ने गवाही देने से मनअ़ करदिया। **2.असली गवाह** ख़ुद क़ाबिले क़बूले शहादत न रहा मस्लन फ़ासिक़ होगया गूंगा होगया अन्धा हो गया। **3.अस्ल गवाह** ने शहादत से इन्कार कर दिया मस्लन हम वाक़िआ के गवाह नहीं या हमने उन लोगों को गवाह नहीं बनाया या हमने गवाह बनाया मगर यह हमारी ग़ल्ती है **4.अगर उसूल** (यानी असली गवाह) ख़ुद क़ाज़ी के पास फ़ैसला के क़ब्ल हाज़िर होगये तो फ़ुरूअ़ की शहादत पर फ़ैसला नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– शाहिदे अस्ल ने दूसरों को अपने क़ाइम मक़ाम गवाह करदिया उसके बाद अस्ल ऐसी हालत में होगया कि उसकी गवाही जाइज़ नहीं उसके बाद फिर ऐसे हाल में हुआ कि अब गवाही जाइज़ है मस्लन फ़ासिक़ होगया था फिर ताइब होगया उसके बाद फ़रअ़ ने शहादत दी यह गवाही जाइज़ है यूँहीं अगर दोनों फ़रअ़ ना'क़ाबिले शहादत होगये फिर क़ाबिले शहादत होगये और अब शहादत दी यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– क़ाज़ी ने अगर फ़रअ़ की शहादत उस वजह से रद की है कि अस्ल मुत्तहम है तो न अस्ल की क़बूल होगी न फ़रअ़ की और अगर इस वजह से रद की कि फ़रअ़ में तोहमत है तो अस्ल की शहादत क़बूल हो सकती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– फ़ुरूअ़ यह कहते हैं उसूल ने हमको फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ पर शाहिद किया था हम उस की शहादत देते हैं मगर हम उसको पहचानते नहीं इस सूरत में मुद्दई के ज़िम्मे यह लाज़िम है कि गवाहों से साबित करे कि जिसके मुतअ़ल्लिक़ शहादत गुज़री है यह शख़्स है (आलमगीरी) फ़र्ज़ करो एक औरत के मुक़ाबिल में नाम व नसब के साथ गवाही गुज़री मगर गवाहों ने

कह दिया हम उसको पंहचानते नहीं और मुद्दई एक औरत को पेश करता है कि यह वही औरत है बल्कि खुद औरत भी इक़रार करती है कि हाँ मैं ही वह हूँ यह काफ़ी नहीं बल्कि मुद्दई को गवाहों से साबित करना होगा कि यही वह औरत है बल्कि अगर मुद्दआ अलैह यह कहता हो कि यह नाम व नसब दूसरे शख़्स के भी हैं उससे क़ाज़ी सुबूत तलब करेगा अगर सुबूत होजायेगा दअ्वा ख़ारिज(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– जिसने झूटी गवाही दी क़ाज़ी उसकी तशहीर करेगा यानी जहाँ का वह रहने वाला है उस महल्ला में ऐसे वक़्त आदमी भेजेगा कि लोग कसरत से इकट्ठा हों वह शख़्स क़ाज़ी का यह पैग़ाम पहुँचायेगा कि हमने उसे झूटी गवाही देने वाला पाया तुम लोग उससे बचो और दूसरे लोगों को भी उससे परहेज़ करने को कहो। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– झूटी गवाही का सुबूत गवाहों से नहीं होसकता क्योंकि नफ़ी के मुतअ़ल्लिक़ गवाही नहीं होसकती बल्कि उसका सुबूत सिर्फ़ गवाह के इक़रार से हो सकता है ख़्वाह उसने खुद क़ाज़ी के यहाँ इक़रार किया हो या क़ाज़ी के पास उसके इक़रार के मुतअ़ल्लिक़ गवाह पेश हुए। (हिदाया)

मसअ्ला.17:– अगर गवाही रद करदी गई किसी तोहमत की वजह से या उस वजह से कि शहादत व दअ्वे में मुख़ालफ़त थी या उस वजह से कि दोनों शहादतों में बाहम मुख़ालफ़त थी उसको झूटा गवाह क़रार देकर तअ्ज़ीर (सज़ा) नहीं करेंगे क्या मालूम कि यह झूटा है या मुद्दई झूटा है या उसका साथी दूसरा गवाह झूटा है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.18:– अगर फ़ासिक़ ने झूटी गवाही दी और उसका झूट साबित होगया फिर ताइब होगया तो अब उसकी गवाही मक़बूल है कि उसका सबब फ़िस्क़ था वह ज़ाइल होगया और अगर आदिल या मस्तूरुल'हाल ने झूटी गवाही दी फिर ताइब होगया तो बाद तौबा भी उसकी गवाही हमेशा के लिए मरदूद है मगर फ़तवा क़ौले इमाम अबू'यूसुफ़ पर है कि अगर ताइब होजाये और क़ाज़ी के नज़्दीक उसकी गवाही क़ाबिले इत्मीनान होजाये तो अब मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

गवाही से रुजूअ् करने का बयान

गवाही से रुजूअ् करने का मतलब यह है कि वह खुद कहे कि मैंने अपनी शहादत से रुजूअ् किया या उसके मिस्ल दूसरे अल्फ़ाज़ कहे और अगर गवाही से इन्कार करता है कहता है मैंने गवाही दी ही नहीं तो उसको रुजूअ् नहीं कहेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– अगर फ़ैसले से पहले रुजूअ् किया है तो क़ाज़ी उसकी गवाही पर फ़ैसला नहीं करेगा क्योंकि उसके दोनों क़ौल मुतनाक़िज़ (एक दूसरे के मुख़ालिफ़) हैं क्या मालूम कौनसा क़ौल सच्चा है और इस सूरत में गवाह पर तावान वाजिब नहीं कि उसने किसी को नुक़सान नहीं पहुँचाया है जिसका तावान दे। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– अगर फ़ैसले के बाद रुजूअ् किया तो जो फ़ैसला होचुका वह तोड़ा नहीं जायेगा ब'ख़िलाफ़ उस सूरत के कि गवाह का ग़ुलाम होना या महदूद फ़िल'क़ज़फ़ होना साबित होजाये कि यह फ़ैसला ही सहीह नहीं हुआ और इस सूरत में मुद्दई ने जो कुछ लिया है वापस करे और उस सूरत में गवाहों पर तावान नहीं कि यह ग़लती क़ाज़ी की है क्योंकि ऐसे लोगों की शहादत पर फ़ैसला किया जो क़ाबिले शहादत न थे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– रुजूअ् के लिये शर्त यह है कि मज्लिसे क़ाज़ी में रुजूअ् करे ख़्वाह उसी क़ाज़ी की कचहरी में रुजूअ् करे जिसके यहाँ शहादत दी है या दूसरे क़ाज़ी के यहाँ लिहाज़ा अगर मुद्दआ अ़लैह जिसके ख़िलाफ़ उसने गवाही दी यह दअ्वा करता है कि गवाह ने ग़ैर क़ाज़ी के पास रुजूअ् किया और उसपर गवाह पेश करना चाहता है या उस गवाह रुजूअ् करने वाले पर हलफ़ देना चाहता है यह क़बूल नहीं किया जायेगा कि उसका दअ्वा ही ग़लत है हाँ अगर यह दअ्वा करता है कि उसने किसी क़ाज़ी के पास रुजूअ् किया है या रुजूअ् का इक़रार ग़ैर क़ाज़ी के पास किया है और वह कहता है मुझे तावान दिलाया जाये क्योंकि उसकी ग़लत गवाही से मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला

हुआ है और रुजूअ़ या इक़रारे रुजूअ़ पर गवाह पेश करना चाहता है तो गवाह लिये जायेंगे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– फ़ैसले के बा़द गवाहों ने रुजूअ़ किया तो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है गवाह उस को तावान दें कि उसका जो कुछ नुक़सान हुआ उन गवाहों की बदौलत हुआ है मुद्दई से वह चीज़ नहीं ली जा सकती कि उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होचुका इन के रुजूअ़ करने से उसपर असर नहीं पड़ता। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.5:– तावान के बारे में एअ़तिबार उसका होगा जो बाक़ी रहगया हो उसका एअ़तिबार नहीं जो रुजूअ़ कर गया मसलन दो गवाह थे एक ने रुजूअ़ किया निस्फ़ तावान दे और तीन गवाह थे एक ने रुजूअ़ किया कुछ तावान नहीं कि अब भी दो बाक़ी हैं और अगर उन में से फिर एक रुजूअ़ कर गया तो निस्फ़ तावान दोनों से लिया जायेगा और तीसरा भी रुजूअ़ कर गया तो तीनों पर एक एक तिहाई। एक मर्द दो औ़रतें गवाह थीं एक औ़रत ने रुजूअ़ किया चौथाई तावान उसके ज़िम्मे है और दोनों ने रुजूअ़ किया तो दोनों पर निस्फ़ और अगर एक मर्द, दस औ़रतें गवाह थीं उनमें आठ रुजूअ़ कर गईं तो कुछ तावान नहीं और नवीं भी रुजूअ़ कर गई तो अब इन नौ पर एक चौथाई तावान है और सब रुजूअ़ कर गये या़नी एक मर्द और दसों औ़रतें तो छठा हि़स्सा मर्द पर और बाक़ी पाँच हि़स्से दसों औ़रतों पर या़नी बारह हि़स्से तावान के होंगे हर एक औ़रत एक एक हि़स्सा दे और मर्द दो हि़स्से दे। दो मर्द और एक औ़रत ने गवाही दी थी और सब रुजूअ़ कर गये तो औ़रत पर तावान नहीं कि एक औ़रत गवाह ही नहीं। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.6:– निकाह़ की शहादत दी उसकी तीन सूरतें हैं महरे मिस्ल के साथ या महरे मिस्ल से ज़ायद या कम के साथ और तीनों सूरतों में निकाह़ का मुद्दई मर्द है या औ़रत यह कुल छः सूरतें हुईं मर्द मुद्दई है जब तो रुजूअ़ करने की तीनों सूरतों में तावान नहीं। और औ़रत मुद्दई है और महरे मिस्ल से ज़्यादा के साथ निकाह़ होना गवाहों ने बयान किया है तो जितना महरे मिस्ल से ज़ाइद है वह तावान में वाजिब है बाक़ी दो सूरतों में कुछ तावान नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– गवाहों ने औ़रत के ख़िलाफ़ यह गवाही दी कि उसने अपने पूरे महर पर या उसके जुज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर रुजूअ़ किया तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– क़ब्ले दुख़ूल त़लाक़ की शहादत दी और क़ाज़ी ने त़लाक़ का हुक्म देदिया उसके बा़द गवाहों ने रुजूअ़ किया तो निस्फ़ महर का तावान देना पड़ेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– बैअ़ की गवाही दी फिर रुजूअ़ करगये अगर वाजिबी क़ीमत (राइज क़ीमत) पर बैअ़ होना बताया तो तावान कुछ नहीं मुद्दई बाइअ़ हो या मुश्तरी और असली क़ीमत से ज़्यादा पर बैअ़ होना बताया और मुद्दई बाइअ़ है बक़द्र ज़्यादती तावान वाजिब है और बाइअ़ मुद्दई न हो तो तावान नहीं और वाजिबी क़ीमत से कम की शहादत दी फिर रुजूअ़ किया तो वाजिबी क़ीमत से जो कुछ कम है उसका तावान दे यह उस स़ूरत में है कि मुद्दई मुश्तरी हो और बाइअ़ मुद्दई हो तो कुछ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– बैअ़ की शहादत दी और उसकी भी कि मुश्तरी ने बाइअ़ को स़मन देदिया और रुजूअ़ किया अगर एक ही शहादत में बैअ़ और अदाये स़मन दोनों की गवाही दी है कि ज़ैद ने अ़म्र से फ़ुलाँ चीज़ इतने में ख़रीदी और स़मन अदा करदिया इस स़ूरत में क़ीमत का तावान है या़नी उस चीज़ की वाजिबी क़ीमत जो हो वह तावान है और अगर दोनों बातों की गवाही दो शहादतों में दी है तो स़मन का तावान है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– बाइअ़ के ख़िलाफ़ यह गवाही दी कि उसने यह चीज़ दो हज़ार में एक साल की मीआद पर बेची है और चीज़ की वाजिबी क़ीमत एक हज़ार है और गवाहों ने रुजूअ़ किया तो बाइअ़ को इख़्तियार है गवाहों से उस वक़्त की क़ीमत का तावान ले या़नी एक हज़ार या मुश्तरी से साल भर बा़द दो हज़ार ले इन दोनों स़ूरतों में जो स़ूरत इख़्तियार करेगा दूसरा बरी हो जायेगा मगर गवाहों से उसने एक हज़ार लेलिये तो गवाह मुश्तरी से स़मन या़नी दो हज़ार वसूल करेंगे

और इसमें से एक हज़ार स़दक़ा कर दें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– बैअ़् बात और बैअ़् बिल'ख़ियार दोनों का एक हुक्म है यानी अगर गवाहों ने यह शहादत दी कि उसने यह चीज़ वाजिबी क़ीमत से कम पर बैअ़् की है और उसको ख़ियार है अगर्चे अब भी मुद्दते ख़ियार बाक़ी हो और फ़र्ज़ करो क़ाज़ी ने फ़ैसला बैअ़् बिल'ख़्यार का कर दिया और अन्दरूने मुद्दत बाइअ़् ने बैअ़् को फ़स्ख़ नहीं किया और गवाहों ने रुजूअ़् किया तो तावान वाजिब होगा। हाँ अगर अन्दरूने मुद्दत बाइअ़् ने बैअ़् को जाइज़ करदिया तो गवाहों से ज़मान साक़ित हो जायेगा। (हिदाया, फ़त्हुल'क़दीर)

मसअ्ला.13:– दो गवाहों ने क़ब्ले दुख़ूल तीन त़लाक़ की शहादत दी और एक गवाह ने एक त़लाक़ क़ब्ले दुख़ूल की शहादत दी और सब रुजूअ़् करगये तो तावान उनपर है जिन्होंने तीन त़लाक़ की गवाही दी है उसपर नहीं है जिसने एक त़लाक़ की गवाही दी और अगर वत़ी या ख़लवत के बाद त़लाक़ की शहादत दी फिर रुजूअ़् किया तो कुछ तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– दो गवाहों ने त़लाक़ क़ब्लुद्दुख़ूल की शहादत दी और दो ने दुख़ूल की फिर यह सब रुजूअ़् करगये, दुख़ूल के गवाहों पर महर के तीन रुबअ़् का तावान है और त़लाक़ के गवाहों पर एक रुबअ़् का। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– अस़ली गवाहों ने दूसरे लोगों को अपने क़ाइम मक़ाम किया था फ़ुरुअ़् ने रुजूअ़् किया तो उन पर तावान वाजिब है और अगर फ़ैसले के बाद अस़ली गवाहों ने यह कहा कि हमने फ़ुरुअ़् को अपनी गवाही पर शाहिद बनाया ही न था या हमने ग़ल्ती की कि उनको गवाह बनाया तो उस स़ूरत में तावान वाजिब नहीं न उस़ूल पर न फ़ुरुअ़् पर यूँहीं अगर फ़ुरुअ़् ने यह कहा कि उस़ूल ने झूट कहा या ग़लत़ी की तो तावान नहीं और अगर उस़ूल व फ़ुरुअ़् सब रुजूअ़् करगये तो तावान सिर्फ़ फ़ुरुअ़् पर है उस़ूल पर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– तज़्किया करने वाले (गवाहों के क़ाबिले शहादत होने की तहक़ीक़ करने वाले) जिन्होंने गवाह की तअ़्दील की थी यह बताया था कि यह क़ाबिले शहादत हैं रुजूअ़् कर गये अगर इल्म था कि यह क़ाबिले शहादत नहीं है मसलन गुलाम है और तज़्किया कर दिया तो तावान देना होगा और अगर दानिस्ता (जान बूझकर) नहीं किया है बल्कि ग़लत़ी से तज़्किया कर दिया तो तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– दो गवाहों ने तअ़्लीक़ (किसी शर्त़ के साथ त़लाक़) की गवाही दी मसलन शौहर ने यह कहा है अगर तू उस घर में गई तो तुझको त़लाक़ है या मौला ने कहा अगर यह काम करूँ तो मेरा गुलाम आज़ाद है और दो गवाहों ने यह शहादत दी कि शर्त़ पाई गई लिहाज़ा बीवी को त़लाक़ का और गुलाम को आज़ाद होने का हुक्म होगया फिर यह सब गवाह रुजूअ़् कर गये तो तअ़्लीक़ के गवाह को तावान देना होगा गुलाम आज़ाद हुआ है तो उसकी क़ीमत और औरत को त़लाक़ का हुक्म हुआ और क़ब्ले दुख़ूल है तो निस़्फ़ महर तावान दें। (हिदाया)

मसअ्ला.18:– दो गवाहों ने गवाही दी कि मर्द ने औरत को त़लाक़ सिपुर्द करदी और दो ने यह गवाही दी कि औरत ने अपने को त़लाक़ देदी फिर यह सब रुजूअ़् कर गये तावान उनपर है जो त़लाक़ देने के गवाह हैं उनपर नहीं जो सिपुर्द करने के गवाह हैं यूँहीं शुहूदे एह्स़ान (मर्द या औरत की शादी होने की गवाही देने वाले) पर रुजूअ़् करने से दियत वाजिब नहीं कि रज्म की इल्लत ज़िना है और एह्स़ान महज़ शर्त़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– औरत ने दअ़्वा किया कि शौहर से दस रुपये माहवार नफ़क़ा पर मेरी मुसालहत होगई है शौहर कहता है पाँच रुपये माहवार पर सुलह हुई है औरत ने गवाहों से दस रुपये माहवार पर सुलह होना साबित किया और क़ाज़ी ने फ़ैसला देदिया उसके बाद गवाह रुजूअ़् करगये अगर ऐसी है कि उस जैसी का नफ़क़ा दस रुपये या ज़्यादा होना चाहिए जब तो कुछ नहीं और अगर ऐसी नहीं है तो जो कुछ ज़्यादा उस गुज़श्ता ज़माने में दिया गया मसलन पाँच रुपये की हैसियत थी और दिलाये गये दस रुपये तो माहवार पाँच रुपये ज़्यादा दिये गये लिहाज़ा फ़ैसले के बाद से

अब तक जो कुछ शौहर से ज़्यादा लिया गया है उसका तावान गवाहों पर लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– क़ाज़ी ने शौहर पर दस रुपये माहवार नफ़्क़ा के मुक़र्रर कर दिये एक बरस के बाद औरत ने मुतालबा किया कि आज तक मुझको मेरा नफ़्क़ा नहीं वसूल हुआ है शौहर ने दो गवाह पेश कर दिये जिन्होंने शहादत दी कि शौहर ने बराबर माह ब'माह नफ़्क़ा अदा किया है क़ाज़ी ने उस गवाही के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया फिर गवाह रुजूअ् कर गये उनको उस पूरी मुद्दत के नफ़्क़ा का तावान देना होगा। औलाद या किसी महरम का नफ़्क़ा क़ाज़ी ने मुक़र्रर कर दिया और उसमें यही सूरत पेश आई तो उसका भी वही हुक्म है। (आलमगीरी)

वकालत का बयान

इन्सान को अल्लाह तआ़ला ने मुख़्तलिफ़ तबाइअ् (तरह तरह की तबीअ़तें, ख़ूबियाँ) अ़ता किये हैं कोई क़वी (ताक़तवर) है और कोई कमज़ोर बाज़ कम समझ हैं और बाज़ अ़क़्लमन्द हर शख़्स में ख़ुद ही अपने मुआ़मलात का अन्जाम देने की क़ाबिलयत नहीं न हर शख़्स अपने हाथ से अपने सब काम करने के लिये तैयार लिहाज़ा इन्सानी हाजत का यह तक़ाज़ा हुआ कि वह दूसरों से अपना काम कराये। क़ुर्आन मजीद ने भी उसके जवाज़ की तरफ़ इशारा किया।

अल्लाह तआ़ला ने असहाबे कहफ़ का क़ौल ज़िक्र फ़रमाया।

﴿فَابْعَثُوْا اَحَدَ كُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾

"अपने में से किसी को यह चाँदी देकर शहर में भेजो वहाँ से हलाल खाना देख कर तुम्हारे पास लाये"।

ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बाज़ उमूर में लोगों को वकील बनाया हकीम इब्ने हिज़ाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिये वकील किया। और बाज़ सहाबा को निकाह का वकील किया वग़ैरा वग़ैरा। और वकालत के जवाज़ पर इजमाए उम्मत भी मुनअ़क़िद। लिहाज़ा किताब व सुन्नत व इजमाअ् से उसका जवाज़ साबित वकालत के यह मअ्ना हैं कि जो तसर्रुफ़ ख़ुद करता उस में दूसरे को अपने क़ाइम मक़ाम कर देना।

मसअ्ला.1:– यह कह दिया कि मैंने तुझे फ़ुलाँ काम करने का वकील किया या मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरी यह चीज़ बेचदो या मेरी ख़ुशी यह है कि तुम यह काम करदो यह सब सूरतें तौकील (वकील बनाने) की हैं वकील का क़बूल करना सेहते वकालत के लिये ज़रूरी नहीं यानी उसने वकील बनाया और वकील ने कुछ नहीं कहा यह भी नहीं कि मैंने क़बूल किया और उस काम को करदिया तो मुवक्किल (वकील बनाने वाले) पर लाज़िम होगा। हाँ अगर वकील ने रद करदिया तो वकालत नहीं हुई फ़र्ज़ करो एक शख़्स ने कहा था कि मेरी यह चीज़ बेचदो उसने इन्कार कर दिया उसके बाद फिर बैअ् करदी तो यह बैअ् मुवक्किल पर लाज़िम न हुई। कि उस का वकील नहीं बल्कि फ़ुज़ूली है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– ज़ैद ने अ़म्र को अपनी ज़ौजा को तलाक़ देने के लिये वकील किया अ़म्र ने इन्कार कर दिया अब तलाक़ नहीं देसकता और अगर ख़ामोश रहा और उसको तलक़ देदी तो तलाक़ होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– यह ज़रूरी है कि वह तसर्रुफ़ जिस में वकील बनाता है मालूम हो और अगर मालूम न हो तो सब से कम दर्जा का तसर्रुफ़ यानी हिफ़ाज़त करना उसका काम होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– उस के लिये शर्त यह है कि तौकील उसी चीज़ में हो सकती है जिस को मुवक्किल ख़ुद कर सकता हो और अगर किसी ख़ास वजह से मुवक्किल का तसर्रुफ़ मुमतनेअ् (जो काम वकील बनाने वाला न कर सके) हो गया और अस्ल में जाइज़ हो तौकील दुरुस्त है मसलन मोहरिम (हज और उमरा की नियत से एहराम बाँधने वाला) ने शिकार बैअ् करने के लिये ग़ैर मोहरिम को वकील किया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मजनून या ला'यअ़क़िल बच्चे ने वकील बनाया यह तौकील मुतलक़न सहीह नहीं और समझ वाल बच्चे ने वकील किया उसकी तीन सूरतें हैं उस चीज़ का वकील किया जिसको ख़ुद नहीं कर सकता है मसलन ज़ौजा को तलाक़ देना, गुलाम को आज़ाद करना, हिबा करना, सदक़ा देना यानी ऐसे तसर्रुफ़ात जिनमें ज़रर महज़ है उनमें तौकील सहीह नहीं और अगर ऐसे तसर्रुफ़ात

में वकील किया जो नफ़अ् महज़ हैं यह तौकील दुरुस्त है मस्लन हिबा क़बूल करना, सदका क़बूल करना। और ऐसे तसर्रुर्फ़ात में वकील किया जिनमें नफ़अ् व ज़रर दोनों हों जैसे बैअ् व इजारा वग़ैराहुमा उस में वली ने इजाज़ते तिजारत दी हो तौकील सहीह है वरना वली की इजाज़त पर मौकूफ़ है इजाज़त देगा सहीह होगी वरना बातिल। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.6:– मुरतद ने किसी को वकील किया यह तौकील मौकूफ़ है अगर मुसलमान होगया नाफ़िज़ है और अगर क़त्ल किया गया या मरगया या दारुलहर्ब में चला गया तौकील बातिल है। और अगर दारुलहर्ब में चला गया था फिर मुसलमान होकर वापस हुआ और क़ाज़ी ने उसके दारुलहर्ब चले जाने का हुक्म दिया था वह तौकील बातिल हो चुकी और क़ाज़ी ने अभी हुक्म नहीं दिया है कि मुसलमान होकर वापस आगया तौकील बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुरतद्दा औरत ने किसी को वकील बनाया यह तौकील जाइज़ है। वकील बनाने के बाद मआज़ल्लाह मुरतद्दा होगई यह तौकील ब'दस्तूर बाक़ी है हाँ अगर मुरतद्दा औरत अपने निकाह का वकील बनाये यह तौकील बातिल है अगर ज़माना–ए–इर्तिदाद में वकील ने निकाह कर दिया यह निकाह भी बातिल और अगर मुसलमान होने के बाद वकील ने उसका निकाह किया यह निकाह सहीह है और अगर वकील ने उस वक़्त निकाह किया था जब वह मुसलमान थी फिर मआज़ल्लाह मुरतद्दा होगई फिर मुसलमान होगई अब वकील ने उसका निकाह किया यह निकाह जाइज़ नहीं है कि तौकील बातिल होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– काफ़िर की काफ़िर के ज़िम्मे शराब बाक़ी है उसने मुसलमान को तक़ाज़े के लिये वकील किया मुसलमान को ऐसी वकालत क़बूल न करनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बाप ने ना'बालिग़ बच्चे के लिये किसी चीज़ के ख़रीदने या बेचने का किसी को वकील किया यह तौकील दुरुस्त है बाप के वसी का भी यही हुक्म है कि वह बच्चे के लिये चीज़ ख़रीदने या बेचने का किसी को वकील बना सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– तौकील के लिए वकील का आक़िल होना शर्त है यानी मजनून या इतना छोटा बच्चा जो ला'यअ्क़िल हो वकील नहीं होसकता बुलूग़ और हुर्रियत उसके लिए शर्त नहीं यानी ना'बालिग़ समझवाल को और ग़ुलाम महजूर को भी वकील बना सकते हैं। वकील ने भांग पी ली कि अक़्ल में फ़ुतूर पैदा होगया वह अपनी वकालत पर न रहा यानी उस हालत में जो तसर्रुफ़ात करेगा वह मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– वकील को इल्म होजाना सेहते तौकील के लिये शर्त नहीं फ़र्ज़ करो उसने किसी को वकील करदिया है और उस वक़्त वकील को ख़बर न हुई बाद को वकील ने मालूम किया और तसर्रुफ़ किया यह तसर्रुफ़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– वकील बनाने के लिये वकील का इल्म होजाना अगर्चे शर्त नहीं है मगर वह वकील उस वक़्त होगा जब उसे इल्म होजाये लिहाज़ा अगर ग़ुलाम बेचने या ज़ौजा का तलाक़ देने का वकील किया और वकील को अभी इल्म नहीं हुआ है बतौर खुद उस वकील ने ग़ुलाम को बेच दिया या उस की बीवी को तलाक़ देदी न बैअ् जाइज़ हुई न तलाक़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– हुकूक़ दो क़िस्म के हैं हुकूकुलअब्द हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह दो क़िस्म हैं उसमें दअ्वा शर्त है या नहीं। जिन हुकूकुल्लाह में दअ्वा शर्त है जैसे हद, क़ज़फ़ हद्दे सरक़ा (चोरी की सज़ा) उनके इस्बात के लिये तौकील सहीह है मुवक्किल मौजूद हो या ग़ाइब वकील उसका सुबूत पेश कर सकता है और उनका इस्तीफ़ा यानी क़ज़फ़ में दुर्रे लगाना या चोरी में हाथ काटना उसके लिये मुवक्किल की मौजूदगी ज़रूरी है। और जिन हुकूकुल्लाह में दअ्वे शर्त नहीं जैसे हद्दे ज़िना, हद्दे शुर्बे ख़मर उनके इस्बात या इस्तीफ़ा किसी में तौकील जाइज़ नहीं। हुकूकुल इबाद भी दो क़िस्म हैं शुबह से साक़ित होते हैं या नहीं अगर साक़ित हो जायें जैसे क़िसास उसके इस्बात की तौकील

सहीह है और इस्तीफ़ा की तौकील यानी क़िसास जारी करने का वकील बनाना या अगर मुवक्किल यानी वली की मौजूदगी में हो तो दुरुस्त है वरना नहीं और हक़ूकुलअ़ब्द जो शुबह से साकित नहीं होते उन सब में वकील बिल ख़ुसूमा (मुक़दमे का वकील) बनाना दुरुस्त है वह हक़ अज़ क़बीले दैन (कर्ज़ की किस्म से) हो या ऐन (ख़ास चीज़)। तअ्ज़ीर के इस्बात और इस्तीफ़ा दोनों के लिये वकील बनाना जाइज़ है मुवक्किल मौजूद हो या ग़ाइब। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुबाहात में वकील बनाना जाइज़ नहीं जैसे जंगल की लकड़ी काटना, घास काटना, दरिया या कुँए से पानी भरना, जानवर का शिकार करना, कान से जवाहिर निकालना जो कुछ उन सब में हासिल होगा वह सब वकील का है मुवक्किल उसमें से किसी शय का हक़दार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– वकील बिल ख़ुसूमा में ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) का राज़ी होना शर्त है यानी बिग़ैर उसकी रज़ा'मन्दी के वकालत लाज़िम नहीं अगर वह रद कर देगा तो वकालत रद हो जायेगी ख़स्म यह कह सकता है कि वह ख़ुद हाज़िर होकर जवाब दे ख़स्म मुद्दई हो या मुद्दआ़ अ़लैह दोनों का एक हुक्म है और अगर मुवक्किल बीमार हो कि पैदल कचहरी न जा सकता हो या सवारी पर जाने में मर्ज़ का इज़ाफ़ा होजाता हो या मुवक्किल सफ़र में हो या सफ़र का इरादा रखता हो या औरत पर्दा'नशीन हो या औरत हैज़ व निफ़ास वाली हो और हाकिम मस्जिद में इज्लास करता हो या किसी दूसरे हाकिम ने उसे क़ैद करदिया हो या अपना दअ्वा अच्छी तरह बयान न कर सकता हो उन सबने वकील किया तो वकालत बिग़ैर ख़स्म की रज़ा'मन्दी के लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुद्दई, मुद्दआ़'अ़लैह में से एक मुअ़ज़्ज़ज़ है दूसरा कम दर्जा का है वह मुअ़ज़्ज़ज़ मुक़द्दमा की पैरवी के लिये वकील करता है वह उज़्र नहीं उसकी वजह से वकालत लाज़िम न होगी उसका फ़रीक़ कह सकता है कि वह ख़ुद कचहरी में हाज़िर होकर जवाब दिही करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ख़स्म राज़ी होगया था मगर अभी दअ्वे की समाअ़त नहीं हुई है उस रज़ा'मन्दी को वापस ले सकता है और दअ्वे की समाअ़त के बाद वापस नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– अ़क़्द दो क़िस्म के हैं बाज़ वह हैं जिनकी इज़ाफ़त (निस्बत) मुवक्किल की तरफ़ करना ज़रूरी नहीं ख़ुद अपनी तरफ़ भी इज़ाफ़त करे जब मुवक्किल ही के लिये हो जैसे बैअ् इजारा और बाज़ वह हैं जिनकी इज़ाफ़त मुवक्किल की तरफ़ करना ज़रूरी है अगर अपनी तरफ़ इज़ाफ़त करदे तो मुवक्किल के लिये न हो बल्कि वकील ही के लिये हो जैसे निकाह कि उसमें मुवक्किल का नाम लेना ज़रूरी है अगर यह कहदे कि मैंने तुझ से निकाह किया तो उसी का निकाह होगा मुवक्किल का नहीं होगा क़िस्मे अव्वल के हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ ख़ुद वकील से होगा मुवक्किल से नहीं होगा मसलन बाइअ् का वकील है तो तस्लीमे मबीअ् (यानी फ़रोख़्त शुदा चीज़ ख़रीदार को देना) और क़ब्ज़े समन (यानी ख़रीदार से चीज़ की मुक़र्रर की हुई क़ीमत लेना) वकील करेगा और मुश्तरी का वकील है तो समन देना और मबीअ् लेना उसी का काम है मबीअ् में इस्तिहक़ाक़ हुआ (जो चीज़ बेची गई है उसमें किसी का हक़ साबित हुआ) तो मुश्तरी वकील से समन वापस लेगा वह बाइअ् से लेगा और मुश्तरी के वकील ने ख़रीदा है तो यह वकील ही बाइअ् से समन वापस लेगा यह काम मुवक्किल यानी मुश्तरी का नहीं और मबीअ् में ऐब ज़ाहिर हुआ तो उसमें जो कुछ करना पढ़े ख़ुसूमत वग़ैरा (मुक़दमा वग़ैरा) वह सब वकील ही का काम है। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– अ़क़्द की इज़ाफ़त अगर वकील ने मुवक्किल की तरफ़ करदी मसलन यह कहा कि यह चीज़ तुमसे फ़ुलाँ शख़्स ने ख़रीदी उस सूरत में अ़क़्द के हुक़ूक़ मुवक्किल से मुतअ़ल्लिक़ होंगे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मुवक्किल ने यह शर्त करदी कि अ़क़्द के हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ वकील से न होगा बल्कि मुझसे होगा यह शर्त बातिल है यानी बा'वजूद उस शर्त के भी वकील ही से तअ़ल्लुक़ होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– इस सूरत में हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ अगर्चे वकील से है मगर मिल्क इब्तिदा ही से मुवक्किल के लिये होती है यह नहीं कि पहले उस चीज़ का वकील मालिक हो फिर उससे

मुवक्किल की त़रफ़ मुन्तक़िल हो लिहाज़ा ग़ुलाम ख़रीदने का उसे वकील किया था उसने अपने क़रीबी रिश्तेदार को जो ग़ुलाम है ख़रीदा आज़ाद नहीं होगा या बाँदी ख़रीदने को कहा था उसने अपनी जौज़ा को जो बाँदी है ख़रीदा निकाह़ फ़ासिद नहीं कि वकील उनका मालिक हुआ ही नहीं और मुवक्किल के ज़ी रह़म मह़रम को ख़रीद्दा आज़ाद होजायेगा और मुवक्किल की ज़ौजा को ख़रीदा निकाह़ फ़ासिद हो जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– जिस अ़क़्द की मुवक्किल की त़रफ़ इज़ाफ़त ज़रूरी है जैसे निकाह़, ख़ुलअ़, दमे अ़मद (जानबूझकर किसी को क़त्ल करना) से सुलह़, इन्कार के बा़द सुलह़, माल के बदले में आज़ाद करना। किताबत, हिबा, तसद्दुक़, (सदक़ा करना) आ़रियत, अमानत रखना, रहन, क़र्ज़ देना, शिरकत, मुज़ारबत कि अगर उनको मुवक्किल की त़रफ़ निस्बत न करे तो मुवक्किल के लिये नहीं होंगे उनमें अ़क़्द के हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ मुवक्किल से होगा वकील से नहीं होगा। वकील उन उ़क़ूद (इन मुआ़मलात) में सफ़ीरे मह़ज़ होता है क़ासि़द की तरह़ कि पैग़ाम पहुँचादिया और किसी बात से कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं लिहाज़ा निकाह़ में शौहर के वकील से महर का मुत़ालबा नहीं हो सकता औ़रत के वकील से तस्लीमे ज़ौजा का मुत़ालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– वकील से चीज़ ख़रीदी है मुवक्किल स़मन का मुत़ालबा करता है मुश्तरी इन्कार कर सकता है कह सकता है कि मैंने तुमसे नहीं ख़रीदी जिससे ख़रीदी उसको दाम दूँगा मगर मुश्तरी ने मुवक्किल को देदिया तो देना स़ह़ीह़ है अगर्चे वकील ने मनअ़ कर दिया हो कह दिया हो कि मुझी को देना मुवक्किल को न देना वकील के सामने मुवक्किल को दे। या उसकी ग़ीबत (ग़ैर मौजूदगी) में स़मन अदा हो जायेगा वकील दोबारा मुत़ालबा नहीं कर सकता। (हिदाया, बह़र)

मसअ्ला.24:– वकील के मरजाने के बा़द वस़ी उसके क़ाइम मक़ाम है मुवक्किल क़ाइम मक़ाम नहीं

मसअ्ला.25:– एक शख़्स़ ने ख़रीदने के लिये दूसरे को वकील किया ख़रीदने से पहले या बा़द में वकील को ज़रे समन देदिया कि उसे अदा करके मबीअ़ लाओ वकील ने रुपया ज़ाइअ़ करदिया और वकील ख़ुद तंगदस्त है अपने पास से उस वक़्त रुपया नहीं दे सकता उस सूरत में बाइअ़ को इख़्तियार है कि मबीअ़ को रोकले उसपर क़ब्ज़ा न दे जब तक स़मन वसूल़ न करले मगर मुवक्किल से समन का मुत़ालबा नहीं कर सकता और फ़र्ज़ करो कि मुवक्किल न स़मन देता है न मबीअ़ पर क़ब्ज़ा लेता है तो क़ाज़ी उन दोनों की रज़ा'मन्दी से चीज़ को बैअ़ करदेगा। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.26:– वकील ने बाइअ़ से एक चीज़ ख़रीदी और मुश्तरी का दैन मुवक्किल या वकील या दोनों के ज़िम्मे है चाहता यह है कि दाम न देना पड़े बक़ाया में मुजरा (बक़ाया से काटदेना) कर दिया जाये अगर मुवक्किल के ज़िम्मे दैन है तो मह़ज़ अ़क़्द करने ही से मुक़ास़्स़ा यानी अदला बदला होगया और अगर वकील व मुवक्किल दोनों के ज़िम्मे है तो मुवक्किल के दैन के मुक़ाबिले में मुक़ास़्स़ा होगा वकील के नहीं और तन्हा वकील पर दैन हो तो उससे भी मुक़ास़्स़ा होजायेगा मगर वकील पर लाज़िम होगा कि अपने पास से मुवक्किल को स़मन अदा करे। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.27:– वस़ी ने किसी को यतीम की चीज़ बेचने को कहा वकील ने बेचकर दाम यतीम को देदिये यह देना जाइज़ नहीं बल्कि वस़ी को दे। बैअ़ सर्फ़ में वकील किया है वकील ने अ़क़्द किया और मुवक्किल ने ऐवज़ पर क़ब्ज़ा किया यह दुरुस्त नहीं अ़क़्द सर्फ़ बात़िल हो जायेगा कि उसमें मज्लिसे अ़क़्द में आ़क़िद का क़ब्ज़ा ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला28:– किसी को इस लिये वकील किया कि वह फ़ुलाँ शख़्स़ से या किसी से क़र्ज़ लादे यह तौकील स़ह़ीह़ नहीं और अगर उस लिये वकील किया है कि मैंने फ़ुलाँ से क़र्ज़ लिया है तो उसपर क़ब्ज़ा करले यह तौकील स़ह़ीह़ है। और क़र्ज़ लेने के लिये क़ासि़द बनाया स़ह़ीह़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– वकील को काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता हाँ वकील उस लिये किया कि यह चीज़ फ़ुलाँ को देदे वकील को देना लाज़िम है मसलन किसी से कहा यह कपड़ा फ़ुलाँ

शख़्स को देदेना उसने मन्ज़ूर करलिया वह शख़्स चलागया उसको देना लाज़िम है। गुलाम आज़ाद करने पर वकील किया और मुवक्किल गायब होगया वकील आज़ाद करने पर मजबूर नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.30:– वकील को यह इख़्तियार नहीं कि जिस काम के लिये वकील बनाया गया है दूसरे को उसका वकील करदे हाँ अगर मुवक्किल ने उसको यह इख़्तियार दिया हो कि खुद करदे या दूसरे से करादे तो वकील बना सकता है या वकील के वकील ने काम कर लिया उसको मुवक्किल ने जाइज करदिया तो अब दुरुस्त होगया। वकील से कहदिया जो कुछ तू करे मन्ज़ूर है वकील ने वकील करलिया यह तौकील दुरुस्त है और यह वकीले सानी मुवक्किल का वकील करार पायेगा वकील का वकील नहीं यानी अगर वकीले अव्वल मरजाये या मजनून होजाये या मअ़्ज़ूल करदिया जाये तो उसका असर वकीले सानी पर कुछ नहीं और अगर वकीले अव्वल ने सानी को मअ़्ज़ूल करदिया मअ़्ज़ूल होजायेगा अगर वकीले अव्वल ने दूसरे को वकील बनाते वक़्त यह कहदिया कि तू जो करेगा जाइज़ है और उस वकीले दोम ने किसी को वकील किया यह दुरुस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.31:– वकालत में थोड़ी सी जिहालत मुज़िर नहीं मस्लन कहदिया मलमल का थान ख़रीद दो। शुरूते फ़ासिदा से वकालत फ़ासिद नहीं होती। उसमें शर्ते ख़्यार नहीं होसकती।(आलमगीरी)

मसअला.32:– वकालते अ़क्द लाज़िम नहीं वकील व मुवक्किल हर एक बिग़ैर दूसरे की मौजूदगी के मअ़्ज़ूल कर सकता है मगर यह ज़रूर है कि मुवक्किल अगर वकील को मअ़्ज़ूल करे तो जब तक वकील को ख़बर न हो मअ़्ज़ूल नहीं यानी उस दरम्यान में जो तसर्रुफ़ करलेगा नाफ़िज होगा मुवक्किल यह नहीं कह सकता कि मैं मअ़्ज़ूल कर चुका हूँ। (आलमगीरी)

मसअला.33:– वकील के कब्ज़े में जो चीज़ होती है वह बतौरे अमानत है यानी ज़ाइअ़् होजाने से ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

ख़रीद व फ़रोख़्त में तौकील (वकील बनाना) का बयान

मसअला.1:– मुवक्किल ने यह कहा कि जो चीज़ मुनासिब समझो मेरे लिये ख़रीदलो यह ख़रीदारी की वकालते आम्मा है जो कुछ भी ख़रीदेगा मुवक्किल इन्कार नहीं कर सकता यूहीं अगर यह कहदिया कि मेरे लिए जो कपडा चाहो ख़रीदलो यह कपड़े के मुतअल्लिक़ वकालते आम्मा है। दूसरी सूरत यह है कि किसी खास चीज की खरीदारी के लिये वकील किया हो मस्लन यह गाय यह बकरी, यह घोड़ा ख़रीद दो इस सूरत का हुक्म यह है कि वही मुअय्यन चीज़ जिसकी ख़रीदारी का वकील किया है ख़रीद सकता है उसके सिवा दूसरी चीज नहीं ख़रीद सकता तीसरी सूरत यह है कि न तअ़्मीम (आम करदेना) है न तख़सीस (खास करदेना) मस्लन यह कह दिया कि मेरे लिये एक गाय ख़रीद दो उस का हुक्म यह है कि अगर जिहालत थोडी सी हो तौकील दुरुस्त है और जिहालते फ़ाहिशा हो तौकील बातिल। यानी वकील बनाना दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला.2:– जब ख़रीदने का वकील किया जाये तो ज़रूर है कि उस चीज की जिन्स व सिफत या जिन्स व समन बयान करदिया जाये ताकि जिहालत में कमी पैदा होजाये। अगर ऐसा लफ्ज़ जिक्र किया जिसके नीचे कई जिन्सें शामिल हैं मस्लन कहदिया चौपाया ख़रीद लाओ यह तौकील सहीह नहीं अगर्चे समन बयान करदिया गया हो क्योंकि उस समन में मुख़्तलिफ जिन्सों की अश्या ख़रीद सकते हैं और अगर वह लफ्ज़ ऐसा है जिसके नीचे कई नोऐं (वरायटी) तो नोअ़् (किस्म वरायटी) बयान करे या समन बयान करे और नोअ़् या समन बयान करने के बाद वस्फ़ यानी आला, औसत अदना (अच्छी,दरम्यानी,कमतर किस्म) बयान करना ज़रूरी नहीं। (हिदाया)

मसअला.3:– यह कहा कि मेरे लिये घोड़ा ख़रीद लाओ या तन्जेब का थान (बारीक कलफदार सूती कपड़े का थान) ख़रीद लाओ यह तौकील सहीह है अगर्चे समन न जिक्र किया हो कि उसमें बहुत कम जिहालत है और वकील उस सूरत में ऐसा घोड़ा या ऐसा कपड़ा ख़रीदेगा जो मुवक्किल के हाल से मुनासिब हो। गुलाम या मकान ख़रीदने को कहा तो समन जिक्र करना ज़रूरी है यानी उस कीमत

का ख़रीदना या नोअ् बयान करदे मस्लन हब्शी गुलाम वरना तौकील सहीह नहीं यह कहा कि कपड़ा ख़रीद लाओ यह तौकील सहीह नहीं अगर्चे समन भी बता दिया हो कि यह लफ़्ज़ बहुत जिन्सों को शामिल है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला.4:– तआम ख़रीदने के लिये भेजा मिक़दार बयान करदी या समन दे दिया तो उर्फ़ का लिहाज़ करते हुए तैयार खाना लिया जायेगा गोश्त, रोटी वग़ैरा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– यह कहा कि मोती का एक दाना ख़रीद लाओ या याकूत सुर्ख़ का नगीना ख़रीद लाओ और समन ज़िक्र किया तौकील सहीह है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.6:– गेहूँ वग़ैरा ग़ल्ला ख़रीदने को कहा न मिक़दार ज़िक्र की कि इतने सेर या इतने मन और न समन ज़िक्र किया कि उतने का यह तौकील सहीह नहीं और अगर बयान करदिया है तो सहीह है। (आलमगीरी)

मसअला.7:– गाँव के किसी आदमी ने यह कहा मेरे लिए फुलाँ कपड़ा ख़रीदलो और समन नहीं बताया वकील वह कपड़ा ख़रीदे जो गाँव वाले इस्तेअ्माल करते हैं और ऐसा कपड़ा ख़रीदना जो गाँव वालों के इस्तेअ्माल में नहीं आता हो ना'जाइज़ है यानी मुवक्किल उसके लेने से इन्कार कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.8:– दलाल को रूपये दिये कि उसकी मेरे लिये चीज़ ख़रीददो और चीज़ का नाम नहीं लिया अगर वह किसी ख़ास चीज़ की दलाली करता हो तो वही चीज़ मुराद है वरना तौकील फ़ासिद। (आलमगीरी)

मसअला.9:– तौकील में मुवक्किल ने क़ोई क़ैद ज़िक्र की है उसका लिहाज़ ज़रूरी है उसके ख़िलाफ़ करेगा तो ख़रीदारी का तअल्लुक़ मुवक्किल से नहीं होगा हाँ अगर मुवक्किल के ख़िलाफ़ किया और उससे बेहतर किया जिसको मुवक्किल ने बताया था तो यह ख़रीदारी मुवक्किल पर नाफ़िज़ होगी वकील से कहा ख़िदमत के लिये या रोटी पकाने के लिये लौन्डी ख़रीदलाओ या फुलाँ काम के लिये गुलाम ख़रीदलाओ कनीज़ या गुलाम ऐसा ख़रीदा जिसकी आँखे नहीं या हाथ पाँव नहीं यह ख़रीदारी मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअला.10:– मुवक्किल ने जो जिन्स मुतअय्यन की थी वकील ने दूसरी जिन्स से बैअ् की मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं अगर्चे वह चीज़ उसकी ब'निस्बत ज़्यादा काम की है जिसको मुवक्किल ने कहा है मस्लन वकील से कहा था मेरा गुलाम हज़ार रुपये को बेचना उसने हज़ार अशरफ़ी को बैअ् कर दिया और अगर वस्फ़ या मिक़दार के लिहाज़ से मुख़ालफ़त है तो दो सूरतें हैं उस मुख़ालफ़त में मुवक्किल का नफ़अ् है या नुक़सान अगर नफ़अ् है मुवक्किल पर नाफ़िज़ है मस्लन उसने एक हज़ार रुपये में बेचने को कहा था उसने डेढ़ हज़ार में बैअ् की और नुक़सान है तो नाफ़िज़ नहीं मस्लन नौसौ मैं बैअ् की। (आलमगीरी)

मसअला.11:– वकील ने कोई चीज़ ख़रीदी और उसमें ऐब ज़ाहिर हुआ जब तक वह चीज़ वकील के पास हो उसके वापस करने का हक़ वकील को है और अगर वकील मरगया तो उसके वसी या वारिस् का यह हक़ है और यह न हों तो यह हक़ मुवक्किल के लिये है और अगर वकील ने वह चीज़ मुवक्किल को देदी तो अब बिग़ैर इजाज़ते मुवक्किल वकील को फेरने का हक़ नहीं है यही हुक्म वकील बिल'बैअ् का है कि जब तक बैअ् की तस्लीम नहीं की वापसी का हक़ उसको है। वकील ने ऐब पर मुत्तलअ् होकर बैअ् से रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करदी तो अब वह बैअ् वकील पर लाज़िम होगई वापसी का हक़ जाता रहा और मुवक्किल को इख़्तियार है चाहे उस बैअ् को क़बूल करले और इन्कार कर देगा तो वकील की वह चीज़ होजायेगी मुवक्किल से कोई तअल्लुक़ नहीं होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.12:– वकील बिल'बैअ् ने चीज़ बैअ् की मुश्तरी को मबीअ् के ऐब पर इत्तिलाअ् हुई अगर मुश्तरी ने समन वकील को दिया है तो वकील से वापस ले और मुवक्किल को दिया है तो

मुवक्किल से वापस ले और मुश्तरी ने वकील को दिया वकील ने मुवक्किल को देदिया उस सूरत में भी वकील से वापस लेगा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.13:– मुश्तरी ने बैअ् में ऐब पाया मुवक्किल उस ऐब का इक़रार करता है मगर वकील मुन्किर है मबीअ् वापस नहीं हो सकती क्योंकि अ़क़्द के हुक़ूक़ वकील से मुतअ़ल्लिक़ हैं मुवक्किल अजनबी है उसका इक़रार कोई चीज़ नहीं और अगर वकील इक़रार करता है मुवक्किल इन्कार करता है वकील पर वापसी होजायेगी फिर अगर वह ऐब उस क़िस्म का है कि उतने दिनों में कि मुवक्किल के यहाँ से चीज़ आई पैदा नहीं हो सकता जब तो चीज़ मुवक्किल पर वापस होजायेगी और अगर वह ऐब ऐसा है कि उतने दिनों में पैदा होसकता है तो वकील को गवाहों से साबित करना होगा कि यह ऐब मुवक्किल के यहाँ था और अगर वकील के पास गवाह न हों तो मुवक्किल पर क़सम देगा अगर क़सम से इन्कार करे चीज़ वापस होगी और क़सम खाले तो वकील पर लाज़िम होगी। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.14:– वकील ने बैअ् फ़ासिद के साथ चीज़ ख़रीदी या बेची अगर मुवक्किल स्मन देचुका है या मबीअ् की तस्लीम करदी है और स्मन वसूल करके मुवक्किल को देचुका है बहर हाल वकील को बैअ् फ़स्ख़ कर देने का इख़्तियार है और स्मन मुवक्किल से लेकर बाइअ् को वापस करदे कि यह फ़स्ख़े बैअ् हक़्क़े मुवक्किल की वजह से नहीं है कि उससे इजाज़त ले बल्कि हक़्क़े शरअ् की वजह से है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.15:– वकील को यह इख़्तियार है कि जब तक मुवक्किल से स्मन न वसूल करले चीज़ अपने क़ब्ज़े में रखे मुवक्किल को न दे ख़्वाह वकील ने स्मन अपने पास से बाइअ् को देदिया हो या न दिया हो यह उस सूरत में है कि स्मन मुअज्जिल न हो और अगर समन मुअज्जिल हो यानी अदा की कोई मीआ़द मुक़र्रर हो तो मुवक्किल के हक़ में भी मुअज्जिल होगया यानी जब तक मीआ़द पूरी न हो मुवक्किल से मुतालबा नहीं कर सकता। अगर बैअ् में स्मन मुअज्जिल न था बैअ् के बा'द बाइअ् ने स्मन के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर करदी तो मुवक्किल पर मुअज्जिल न होगा यानी वकील उसी वक़्त उससे मुतालबा कर सकता है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.16:– वकील ने हज़ार रुपये में चीज़ ख़रीदी बाइअ् ने वह हज़ार वकील को हिबा कर दिये वकील मुवक्किल से पूरे हज़ार का मुतालबा करेगा और अगर बाइअ् ने पाँचसौ हिबा कर दिये तो यह पाँचसौ मुवक्किल से साक़ित होगये बक़िया पाँचसौ का मुतालबा होगा और अगर पहले पाँचसौ हिबा कर दिये फिर पाँचसौ हिबा किये पहले पाँचसौ मुवक्किल से साक़ित होगये बा'द वाले पाँच सौ का वकील मुतालबा कर सकता है। (बहर)

मसअ्ला.17:– वकील ने स्मन वसूल करने के लिये मबीअ् को रोक लिया उसके बा'द मबीअ् हलाक होगई तो वकील का नुक़सान हुआ मुवक्किल से कुछ नहीं ले सकता और रोकी नहीं थी और हलाक होगई तो मुवक्किल का नुक़सान हुआ मुवक्किल को स्मन देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– बैअ् सर्फ़ व सलम में मज्लिसे अ़क़्द (जहाँ ख़रीद व फ़रोख़्त हुई) में क़ब्ज़ा ज़रूरी है बिना क़ब्ज़ा जुदा हो जाना अ़क़्द को बातिल कर देता है उससे मुराद वकील की जुदाई है मुवक्किल के जुदा होने का एअ़्तिबार नहीं फ़र्ज़ करो मुवक्किल भी वहाँ मौजूद था अ़क़्द के बाद क़ब्ज़ा से पहले मुवक्किल चलागया अ़क़्द बातिल न हुआ और वकील चलागया बातिल होगया अगर्चे मुवक्किल मौजूद हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– वकील बिश्शरा (चीज़ ख़रीदने का वकील) को मुवक्किल ने रुपये देदिये थे उसने चीज़ ख़रीदी और दाम नहीं दिये वह चीज़ मुवक्किल को देदी और मुवक्किल के रुपये ख़र्च कर डाले और बाइअ् अपने पास से देदे यह ख़रीदारी मुवक्किल ही के हक़ में होगी और अगर दूसरे रुपये से चीज़ ख़रीदी मगर अदा किये मुवक्किल के रुपये तो ख़रीदारी वकील के हक़ में होगी मुवक्किल के

लिये ज़मान देना होगा। (बहर)

मसअ्ला.20:– वकील बिश्शरा ने मुवक्किल से स्मन नहीं लिया है तो यह नहीं कह सकता कि मुवक्किल से मिलेगा तब दूँगा उसे अपने पास से देना होगा और वकील बिलबैअ् ने चीज़ बेचडाली और अभी दाम नहीं मिले हैं तो मुवक्किल से कह सकता है कि मुश्तरी देगा तो दूँगा उसको इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता है कि अपने पास से देदे। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.21:– वकील बिल बैअ् ने मुवक्किल से कहा कि मैंने तुम्हारा कपड़ा फुलाँ के हाथ बेच डाला मैं उसकी तरफ़ से तुम्हें अपने पास से दाम दे देता हूँ तो मुतबर्रअ् (एहसान) है मुश्तरी से नहीं ले सकता। और अगर यह कहा कि मैं तुम्हें अपने पास से दाम दे देता हूँ मुश्तरी के ज़िम्मे जो दाम हैं वह मैं ले लूँगा इस तरह देना जाइज़ नहीं जो कुछ मुवक्किल को दिया उससे वापस ले। (बहर)

मसअ्ला.22:– आड़ती के पास लोग अपने माल रख देते हैं और बेचने को कह देते हैं उसने चीज़ बैअ् की और अपने पास से दाम देदिये कि मुश्तरी से मिलेंगे तो मैं लेलूँगा मुश्तरी मुफ़्लिस होगया उससे मिलने की उम्मीद नहीं तो जो कुछ आढ़ती ने माल वालों को दिया है उनसे वापस लेसकता है(बहर)

मसअ्ला.23:– मुवक्किल ने वकील को हज़ार रुपये चीज़ ख़रीदने के लिये दिये उसने चीज़ ख़रीदी मगर अभी बाइअ् को स्मन अदा नहीं किया और वह रुपये ज़ाइअ् होगये तो मुवक्किल के ज़ाइअ् हुए यानी उसको दोबारा देना होगा और अगर मुवक्किल ने पहले रुपये नहीं दिये हैं वकील के ख़रीदने के बाद दिये और बाइअ् को अभी दिये नहीं रुपये ज़ाइअ होगये तो वकील के हलाक हुए और अगर पहले देदिये थे और वकील ने बाइअ् को नहीं दिये और हलाक होगये तो वकील मुवक्किल से दोबारा लेगा और उस मरतबा भी हलाक होगये तो अब मुवक्किल से नहीं ले सकता अपने पास से देना होगा। (बहर)

मसअ्ला.24:– गुलाम ख़रीदने के लिये हज़ार रुपये किसी ने दिये थे रुपये घर में रखकर बाज़ार गया और गुलाम ख़रीदलाया या बाइअ् को रुपया देना चाहता है देखता है कि रुपये चोरी गये और गुलाम भी उसी के घर मरगया एक तरफ़ बाइअ् आया कि रुपया दो दूसरी तरफ़ मुवक्किल आता है कहता है गुलाम लाओ उसका हुक्म यह है कि मुवक्किल से हज़ार रुपये लेकर बाइअ् को दे और पहले के रुपये और गुलाम यह हलाक हुए मुवक्किल उनका कोई मुआवज़ा नहीं ले सकता कि अमानत थे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स से कहा कि एक रुपये का पाँच सेर गोश्त लादो वह एक रुपया का दस सेर गोश्त लाया और गोश्त भी वह है जो बाज़ार में रुपये का पाँच सेर मिलता है मुवक्किल को सिर्फ़ पाँच सेर आठ आने में लेना ज़रूरी है और बाक़ी गोश्त वकील के ज़िम्मे। और अगर पाव आध सेर ज़ाइद लाया है मगर उतने ही में जितने में मुवक्किल ने बताया था तो यह ज़्यादती मुवक्किल के ज़िम्मे लाज़िम है उसके लेने से इन्कार नहीं कर सकता और अगर गोश्त रुपये का पाँच सेर वाला नहीं है बल्कि यह गोश्त रुपये का दस सेर बिकता है तो उसमें से मुवक्किल को कुछ लेना ज़रूर नहीं यही हुक्म हर वज़नी चीज़ का है और अगर क़ीमती चीज़ हो मसलन यह कहा कि पाँच रुपये का मलमल का थान लाओ वकील पाँच रुपये में दो थान लाया मगर थान वही है जो बाज़ार में पाँच का आता है तो मुवक्किल को लेना लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.26:– एक चीज़ मुअय्यन करके कहा कि यह चीज़ मेरे लिये ख़रीद लाओ मस्लन यह बकरी, यह गाय, यह भैंस तो वकील को वह चीज़ अपने लिये या मुवक्किल के एलावा किसी दूसरे के लिये ख़रीदना जाइज़ नहीं अगर वकील की नियत अपने लिये ख़रीदने की है या मुँह से कहदिया कि उस को अपने लिए या फुलाँ के लिये ख़रीदता हूँ जब भी वह चीज़ मुवक्किल ही के लिये है। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– वकील मज़कूर ने मुवक्किल की मौजूदगी में चीज़ अपने लिये ख़रीदी यानी साफ़ तौर पर कहदिया कि अपने लिये ख़रीदता हूँ या समन जो कुछ उसने बताया था उसके ख़िलाफ़ दूसरी जिन्स को स्मन किया उसने रुपया कहा था उसने अशर्फ़ी या नोट से वह चीज़ ख़रीदी या

मुवक्किल ने समन की जिन्स को मुअय्यन नहीं किया था उसने नुकूद के एलावा दूसरी चीज़ के एवज़ में ख़रीदी या उसने खुद नहीं ख़रीदी बल्कि दूसरे को ख़रीदने के लिये वकील किया और उसने उसकी अदमे मौजूदगी में ख़रीदी उन सब सूरतों में वकील की मिल्क होगी मुवक्किल की नहीं होगी और अगर वकील के वकील ने वकील की मौजूदगी में ख़रीदी तो मुवक्किल की होगी। (हि.)

मसअ्ला.28:– ग़ैर मुअय्यन चीज़ ख़रीदने के लिये वकील किया तो जोकुछ ख़रीदेगा वह खुद वकील के लिये है मगर दो सूरतों में मुवक्किल के लिये है एक यह कि ख़रीदारी के वक़्त उसने मुवक्किल के लिये ख़रीदने की नियत की दूसरी यह कि मुवक्किल के माल से ख़रीदी यानी अक़्द को वकील ने माले मुवक्किल की तरफ़ निस्बत किया मस्लन यह चीज़ फुलाँ के रुपये से ख़रीदता हूँ। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– अक़्द को अपने रुपये की तरफ़ निस्बत किया तो उसी के लिये है और अगर अक़्द को मुतलक़ रुपये से किया न यह कहा कि मुवक्किल के रुपये से न यह कि अपने रुपये से तो जो नियत हो अपने लिये नियत की तो अपने लिए, मुवक्किल के लिए नियत की तो मुवक्किल के लिये और अगर नियतों में इख़्तिलाफ़ है तो यह देखा जायेगा कि किसके रुपये उसने दिये अपने दिये तो अपने लिये ख़रीदी है मुवक्किल के दिये तो उसके लिये ख़रीदी है। (बहर)

मसअ्ला.30:– वकील व मुवक्किल में इख़्तिलाफ़ है वकील कहता है मैंने तुम्हारे (मुवक्किल के) लिये ख़रीदी है मुवक्किल कहता है तुमने अपने लिये ख़रीदी है उस सूरत में मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है जब कि मुवक्किल ने रुपया न दिया हो और अगर मुवक्किल ने रुपया देदिया हो तो वकील का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

मसअ्ला.31:– मुअय्यन गुलाम की ख़रीदारी का वकील किया था फिर वकील व मुवक्किल में इख़्तिलाफ़ हुआ अगर गुलाम ज़िन्दा है वकील का क़ौल मोअ्तबर है मुवक्किल ने दाम दिये हों या न दिये हों। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– ख़रीदार ने कहा यह चीज़ मेरे हाथ ज़ैद के लिये बेचो उसने बेची उसके बाद ख़रीदार यह कहता है कि ज़ैद ने मुझे ख़रीदने का हुक्म नहीं किया था। मक़सूद यह है कि उसको मैं खुद लूँगा ज़ैद को न दूँगा अगर ज़ैद लेना चाहता है तो चीज़ लेलेगा और ख़रीदार का इन्कार लग़्व व बेकार है। हाँ अगर ज़ैद भी यही कहता है कि मैंने उसे हुक्म नहीं दिया था तो ख़रीदार लेगा ज़ैद को नहीं मिलेगी मगर जब कि बा'वजूद उसके कि ज़ैद ने कहदिया है कि मैंने उससे लेने को नहीं कहा है ख़रीदार ने वह चीज़ ज़ैद को देदी और ज़ैद ने लेली तो अब ज़ैद की होगई और यह तआ़ती के तौर पर ज़ैद से बैअ् हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– दो चीज़ें ख़रीदने के लिये हुक्म दिया ख़्वाह दोनों मुअय्यन हों या ग़ैर मुअय्यन और समन मुअय्यन नहीं किया है कि उतने में ख़रीदी जायें वकील ने एक ख़रीदी अगर यह वाजिबी क़ीमत (मोअय्यन क़ीमत) में ख़रीदी है या ख़फ़ीफ़ सी ज़्यादती के साथ ख़रीदी कि उतनी ज़्यादती के साथ लोग ख़रीद लेते हों तो यह बैअ् मुवक्किल के लिये होगी और अगर बहुत ज़्यादा दामों के साथ ख़रीदी तो मुवक्किल के लिये लेना ज़रूर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– दो चीज़ें ख़रीदने के लिये वकील किया और समन मुअय्यन करदिया है मस्लन हज़ार रुपये में दोनों ख़रीदो और फ़र्ज़ करो कि दोनों क़ीमत में यकसाँ हैं वकील ने एक को पाँचसौ या कम में ख़रीदा तो मुवक्किल पर नाफ़िज़ है और पाँचसौ से ज़्यादा में ख़रीदी अगर्चे थोड़ी ही ज़्यादती हो तो मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं मगर जब कि दूसरी बाक़ी रुपये में मुवक्किल के मुक़द्दमा दाइर करने से पहले ख़रीदले मस्लन पहली साढ़े पाँचसौ में ख़रीदी और दूसरी साढ़े चारसौ में कि दोनों एक हज़ार में होगई अब दोनों मुवक्किल पर लाज़िम हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– ज़ैद का अम्र पर दैन है ज़ैद ने अम्र से कहा कि तुम्हारे ज़िम्मे जो मेरे रुपये हैं उनके बदले फुलाँ चीज़ मुअय्यन मेरे लिए ख़रीदलो या फुलाँ से फुलाँ चीज़ ख़रीदलो यानी चीज़

मुअ़य्यन करदी हो या बाइअ् को मुअ़य्यन करदिया हो यह तौकील सह़ीह़ है अम्र ख़रीदकर जब वह रुपया बाइअ् को देदेगा ज़ैद के दैन से बरियुज़्ज़िम्मा होजायेगा ज़ैद न तो चीज़ के लेने से इन्कार कर सकता है न अब दैन का मुत़ालबा कर सकता है और अगर न चीज़ को मुअ़य्यन किया न बाइअ् को मुअ़य्यन किया और मदयून ने चीज़ ख़रीदली और रुपया अदा कर दिया तो बरियुज़्ज़िम्मा नहीं हुआ ज़ैद उससे दैन का मुत़ालबा कर सकता है और वह चीज़ जो ख़रीदी है मदयून की है ज़ैद उसके लेने से इन्कार कर सकता है और फ़र्ज़ करो हलाक होगई तो मदयून की हलाक हुई ज़ैद से तअ़ल्लुक़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– दाइन ने मदयून से कहदिया कि मेरा रुपया जो तुम्हारे ज़िम्मे है उसे ख़ैरात करदो यह कहना सह़ीह़ है ख़ैरात करदेगा तो दाइन की त़रफ़ से होगा अब दैन का मुत़ालबा नहीं कर सकता यूँहीं मालिक मकान ने किरायादार से यह कहा कि किराया जो तुम्हारे ज़िम्मे है उससे मकान की मरम्मत करादो उसने करादी दुरुस्त है किराया का मुत़ालबा नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:–एक चीज़ हज़ार रुपये में ख़रीदने को कहा था और रुपये भी देदिये उसने ख़रीदली और चीज़ भी ऐसी है जिसकी वाजिबी क़ीमत हज़ार रुपये है वह शख़्स़ कहता है यह पाँचसौ में तुमने ख़रीदी है और वकील कहता है नहीं मैंने हज़ार में ख़रीदी है उसमें वकील का क़ौल मोअ्तबर होगा और अगर वाजिबी क़ीमत उसकी पाँचसौ ही है तो मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है और अगर रुपये नहीं दिये हैं और वाजिबी क़ीमत पाँचसौ है जब भी मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है और अगर वाजिबी क़ीमत हज़ार है तो दोनों पर ह़ल्फ़ दिया जायेगा अगर दोनों क़सम खाजायें तो अ़क़्द फ़स्ख़ होजायेगा और वह चीज़ वकील के ज़िम्मा लाज़िम होजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, बह़र)

मसअ्ला.38:– मुवक्किल ने चीज़ को मुअ़य्यन कर दिया है मगर स़मन नहीं मुअ़य्यन किया कि कितने में ख़रीदना और यही इख़्तिलाफ़ हुआ यानी वकील कहता है मैंने हज़ार में ख़रीदी है मुवक्किल कहता है पाँचसौ में ख़रीदी है यहाँ भी दोनों पर ह़ल्फ़ है अगर्चे बाइअ् वकील की तस्दीक़ करता हो कि उसकी तस्दीक़ का कुछ लिहाज़ नहीं क्योंकि यह उस मुआमले में अजनबी है और बादे ह़ल्फ़ वह चीज़ वकील पर लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– मुवक्किल यह कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पाँचसौ में ख़रीदना और वकील कहता है तुमने हज़ार रुपये में ख़रीदने को कहा था यहाँ मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों गवाह पेश करें तो वकील के गवाह मोअ्तबर हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स़ से कहा था कि मेरी यह चीज़ उतने में बैअ् करदो और उस वक़्त उस चीज़ की उतनी ही क़ीमत थी मगर बाद में क़ीमत ज़्यादा होगई तो वकील को उतनी में बेचना अब दुरुस्त नहीं यानी नहीं बेच सकता। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.41:– ख़रीद व फ़रोख़्त व इजारा व बैअ् सलम व बैअ् स़र्फ़ का वकील उन लोगों के साथ अ़क़्द नहीं कर सकता जिनके ह़क़ में उसकी गवाही मक़बूल नहीं अगर्चे वाजिबी क़ीमत के साथ अ़क़्द किया हो हाँ अगर मुवक्किल ने उसकी इजाज़त देदी हो कहदिया हो कि जिसके साथ तुम चाहो अ़क़्द करो तो उन लोगों से वाजिबी क़ीमत पर अ़क़्द कर सकता है और अगर मुवक्किल ने आ़म इजाज़त नहीं दी है और वाजिबी क़ीमत से ज़्यादा पर उन लोगों के हाथ चीज़ बैअ् की तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– वकील को यह जाइज़ नहीं कि उस चीज़ को ख़ुद ख़रीदले जिसकी बैअ् के लिये उस को वकील किया है यानी यह बैअ् ही नहीं होसकती कि ख़ुद ही बाइअ् हुआ और ख़ुद मुश्तरी (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– मुवक्किल ने उन लोगों से बैअ् की स़रीह़ लफ़्ज़ों में इजाज़त देदी हो जब भी अपनी ज़ात या नाबालिग़ लड़के या अपने ग़ुलाम के हाथ जिसपर दैन न हो बैअ् करना जाइज़ नहीं। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.44:– वकील कम या ज़्यादा जितनी क़ीमत पर चाहे ख़रीद व फ़रोख़्त कर सकता है जब कि तोहमत की जगह न हो और मुवक्किल ने दाम बताये न हों मगर बैअ् स़र्फ़ में ग़ब्ने फ़ाहिश के

साथ बैअ़ करना दुरुस्त नहीं और वकील यह भी कर सकता है कि चीज़ को ग़ैर नुकूद के बदले में बैअ़ करे। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.45:– बैअ़ का वकील चीज़ उधार भी बैअ़ कर सकता है जबकि मुवक्किल बतौर तिजारत चीज़ बेचना चाहता हो और अगर ज़रूरत व हाजत के लिये बैअ़ करता है मस्लन ख़ानादारी की चीज़ें ज़रूरत के वक़्त बेच डालते हैं उस सूरत में वकील को उधार बेचना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– औरत ने सूत कातकर किसी को बेचने के लिये दिया और उधार बेचना जाइज़ नहीं ग़र्ज़ अगर क़रीने (किसी चीज़ के इशारे) से यह साबित हो कि मुवक्किल की मुराद नक़्द बेचना है तो उधार बेचना दुरुस्त नहीं और जहाँ उधार बेचना दुरुस्त है उससे मुराद उतने ज़माने के लिये उधार बेचना है जिसका रिवाज हो और अगर ज़माना त़वील कर दिया मस्लन आम तौर पर लोग एक महीने की मुद्दत देते थे उसने ज़्यादा करदी यह जाइज़ नहीं बहर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– मुवक्किल ने कहा उस चीज़ को सौ रुपये में उधार बेचदेना उसने सौ रुपये नक़्द में बेचदी यह जाइज़ है और अगर मुवक्किल ने दाम न बताये हों यह कहा कि उसको उधार बेचना वकील ने नक़्द बेचदी यह जाइज़ नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.48:– वकालत को ज़माना या मकान के साथ मुक़य्यद करना दुरुस्त है यानी मुवक्किल ने कह दिया कि उसको कल बेचना या ख़रीदना या फुलाँ जगह ख़रीदना या बेचना वकील आज अ़क़्द नहीं कर सकता न उस जगह के एलावा दूसरी जगह कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– वकील से कहा जाओ बाज़ार से फुलाँ चीज़ फुलाँ शख़्स की मा़रिफ़त ख़रीद लाओ वकील ने बिग़ैर उसकी मा़रिफ़त के ख़रीदी यह दुरुस्त है या़नी अगर वह चीज़ ज़ाइअ़ होगई तो वकील ज़ामिन नहीं और अगर यह कहा था कि बिग़ैर उसकी मा़रिफ़त के मत ख़रीदना वकील ने बिग़ैर मा़रिफ़त ख़रीदली यह जाइज़ नहीं हलाक होजाये तो वकील का नुक़सान है मुवक्किल से तअ़ल्लुक़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– ऐसी चीज़ बेचने के लिये वकील किया है जिसमें बारबर्दारी सर्फ़ (माल ढोने की मजदूरी ख़र्च) होगी और वकील व मुवक्किल दोनों एक ही शहर में हैं तो उससे मुराद उसी शहर में बेचना है दूसरे शहर में लेजाना जाइज़ नहीं फ़र्ज़ करो दूसरी जगह बार कराके लेगया और चोरी गई या ज़ाइअ़ होगई वकील को तावान देना होगा। और अगर बारबर्दारी का सर्फ़ा न होता हो और मुवक्किल ने जगह की तअ़ईन (ख़ास) नहीं की है तो उस शहर की ख़ुसूसियत नहीं वकील को इख़्तियार है, जहाँ चाहे लेजाये। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.51:– मुवक्किल ने वकील पर कोई शर्त़ करदी है जो पूरी तौर पर मुफ़ीद है वकील को उस शर्त़ की रिआ़यत वाजिब है मस्लन कहा था उसको ख़्यार के साथ बैअ़ करना वकील ने बिला ख़ियार बैअ़ करदी यह जाइज़ नहीं। मुवक्किल ने कहा था कि मेरे लिये उसमें ख़्यार रखना और ख़्यार की शर्त़ नहीं की जब तो बैअ़ ही जाइज़ नहीं और अगर मुवक्किल के लिये ख़्यार शर्त़ किया तो वकील व मुवक्किल दोनों के लिये होगा मुवक्किल ने मुत़लक़ बैअ़ की इजाज़त दी वकील ने मुवक्किल या अजनबी के लिए ख़्यारे शर्त़ किया यह बैअ़ सहीह है। मुवक्किल ने ऐसी शर्त़ लगाई जिसका कोई फ़ायदा नहीं उसका कोई एअ़तिबार नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.52:– वकील ने उधार बेची तो स्मन के लिये मुश्तरी से कफ़ील (जिम्मेदार) ले सकता है या स्मन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रख सकता है लिहाज़ा इस सूरत में वकील के पास से रहन की चीज़ हलाक होगई या कफ़ील से वसूली की कोई सूरत ही न रही तो वकील ज़ामिन नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– मुवक्किल ने कहदिया है कि जिसके हाथ बैअ़ करो उससे कफ़ील लेना या कोई चीज़ रहन रख लेना वकील ने बिग़ैर रहन व किफ़ालत बैअ़ करदी यह जाइज़ नहीं। वकील व मुवक्किल में इख़्तिलाफ़ हुआ मुवक्किल कहता है मैंने रहन या किफ़ालत के लिये कहा था वकील

कहता है नहीं कहा था उसमें मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– वकील ने बैअ् की और मुश्तरी की तरफ़ से स्मन की ख़ुद ही किफ़ालत की यह किफ़ालत जाइज़ नहीं और अगर वह बैअ् का वकील नहीं है बल्कि मुश्तरी से स्मन वसूल करने के लिये वकील है यह मुश्तरी की तरफ़ से स्मन की किफ़ालत करता है जाइज़ है और मुश्तरी से स्मन मुआफ़ करदे तो मुआफ़ न होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.55:– वकील ने मुश्तरी से स्मन वसूल करने में ताख़ीर करदी यानी बैअ् के बाद उसके लिये मीआद मुकर्रर करदी या स्मन मुआफ़ करदिया या मुश्तरी ने हवाला करदिया उसने कबूल करलिया या उसने खोटे रुपये देदिये उसने लेलिये यह सब दुरुस्त है यानी जो कुछ कर चुका है मुश्तरी से उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता मगर मुवक्किल के लिये तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.56:–जो शख़्स ख़रीदने का वकील हुआ उसकी ख़रीदारी के लिये मुवक्किल ने स्मन की तअ्ईन न की हो तो उतने ही दाम के साथ ख़रीद सकता है जो चीज़ की असली क़ीमत है या कुछ ज़्यादा के साथ ख़रीद सकता है कि आम तौर पर लोगों के ख़रीदने में यह दाम होते हों यह उन चीज़ों में है जिनका समन (क़ीमत) मअ्रूफ़ व मशहूर न हो और अगर समन मअ्रूफ़ है जैसे रोटी, गोश्त, डबल रोटी, बिस्किट और उनके एलावा बहुत सी चीज़ें उनको वकील ने ज़्यादा समन से ख़रीदा अगर्चे बहुत थोड़ी ज़्यादती है मस्लन चार पैसे में चार रोटियाँ आती हैं उसने पाँच की चार ख़रीदीं यह बैअ् मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– चीज़ बेचने के लिये वकील किया वकील ने उसमें से आधी बेचदी और चीज़ ऐसी है जिसमें तक़सीम न होसके जैसे लौन्डी, ग़ुलाम, गाय, बकरी, कि उनमें तक़सीम नहीं हो सकती अगर मुवक्किल के दअ्वा करने से पहले वकील ने दूसरा निस्फ़ भी बेचदिया जब तो जाइज़ है वरना नहीं और अगर चीज़ ऐसी है जिसके हिस्सा करने में नुक़सान न हो जैसे जौ, गेहूँ तो निस्फ़ की बैअ् सहीह है चाहे बाक़ी को बैअ् करे या न करे और अगर ख़रीदने का वकील है और आधी चीज़ ख़रीदी तो जब तक बाक़ी को ख़रीद न ले मुवक्किल पर नाफ़िज़ न होगी उस चीज़ के हिस्से हो सकते हों या न हो सकें दोनों का एक हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.58:– मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब पाया और वकील पर उसको रद कर दिया उसकी चन्द सूरतें हैं मुश्तरी ने गवाहों से ऐब साबित किया है या वकील पर हल्फ़ दिया गया उसने हल्फ़ से इन्कार किया या ख़ुद वकील ने ऐब का इक़रार किया बशर्ते कि उस तीसरी सूरत में वह ऐब ऐसा हो कि उस मुद्दत में पैदा नहीं होसकता उन तीनों सूरतों में वकील पर रद मुवक्किल पर रद है और अगर ऐब ऐसा है जिसका मिस्ल उस मुद्दत में पैदा होसकता है और वकील ने उसका इक़रार कर लिया तो वकील पर रद मुवक्किल पर रद नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.59:– मबीअ् ऐसे ऐब की वजह से जिसका मिस्ल हादिस् हो सकता है वकील पर ब'वजहे इक़रार के रद कीगई इस सूरत में वकील को मुवक्किल पर दअ्वा करने का हक़ है गवाहों से अगर मुवक्किल के यहाँ ऐब होना साबित करदेगा या ब'सूरत गवाह न होने के मुवक्किल पर हल्फ़ दिया जायेगा अगर हल्फ़ से इन्कार करदेगा तो मुवक्किल पर रद करदी जायेगी और अगर वकील पर रद किया जाना क़ाज़ी के हुक्म से न हो बल्कि ख़ुद वकील ने अपनी रज़ा'मन्दी से चीज़ वापस ली तो अब मुवक्किल पर दअ्वा करने का भी हक़ नहीं है कि उस तरह वापसी हक़्क़े सालिस् में बैअ् जदीद है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.60:– वकालत में अस्ल ख़ुसूस है क्योंकि उमूमन यही होता है कि वकील के लिए मुअय्यन करके काम बताया जाता है उमूम बहुत कम होता है और मुज़ारबत में उमूम अस्ल है यानी आम तौर पर मुज़ारिब को उमूरे तिजारत में वसीअ् इख़्तियार दिये जाते हैं क्योंकि मज़ारिब के लिये पाबन्दी अकस्र मौक़े पर अस्ल मक़सूद के मनाफ़ी होती है उस क़ाइदा–ए–कुल्लिया की तफ़रीअ् यह है कि वकील ने उधार बेचा मुवक्किल ने कहा मैंने तुमसे नक़द बेचने को कहा था वकील कहता है तुमने

मुतलक़ रखा था नक़द या उधार किसी की तख़सीस नहीं थी मुवक्किल की बात मानी जायेगी और यही सूरत मुज़ारबत में हो कि रब्बुलमाल कहता है मैंने नक़द बेचने को कहा था और मुज़ारिब कहता है नक़द उधार किसी की तअ़ईन न थी तो मज़ारिब की बात मानी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– वकील मुद्दई है कि मैंने चीज़ बेचदी और समन पर क़ब्ज़ा भी कर लिया मगर समन हलाक होगया और मुश्तरी भी वकील की तस्दीक़ करता है मुवक्किल कहता है दोनों झूटे हैं वकील की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.62:– मुवक्किल कहता है मैंने तुझको वकालत से जुदा करदिया वकील कहता है वह चीज़ तो मैंने कल ही बेचडाली वकील की बात नहीं मानी जायेगी। (बहर)

दो शख़्सों के वकील करने के अह़काम

मसअ्ला.63:– एक शख़्स ने दो शख़्सों को वकील किया तो उन में से एक तन्हा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता अगर करेगा मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगा दूसरा मजनून होगया या मरगया जब भी उस एक को तसर्रुफ़ करना जाइज़ यह उस सूरत में है कि उस काम में दोनों की राय और मश्वरा की ज़रूरत हो मस्लन अगर्चे समन भी बतादिया हो और यह हुक्म वहाँ है कि दोनों को एक साथ वकील बनाया यानी यह कहा मैंने दोनों को वकील किया या ज़ैद व अ़म्र को वकील किया और अगर दोनों को एक कलाम में वकील न बनाया हो आगे पीछे वकील किया हो तो हर एक बिग़ैर दूसरे की राय के तसर्रुफ़ कर सकता है। (बहर)

मसअ्ला.64:– दो शख़्सों को मुक़द्दमे की पैरवी के लिये वकील किया तो ब'वक़्ते पैरवी दोनों का मुजतमअ़ (इकट्ठा) होना ज़रूरी नहीं तन्हा एक भी पैरवी कर सकता है ब'शर्ते कि उमूरे मुक़द्दमा में दोनों की राय मुजतमअ़ हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.65:– ज़ौजा को बिग़ैर माल के तलाक़ देने के लिये या ग़ुलाम को बिग़ैर माल आज़ाद करने के लिये दो शख़्सों को वकील किया उनमें तन्हा एक शख़्स तलाक़ देसकता है आज़ाद कर सकता है यहाँ तक कि एक ने तलाक़ देदी और दूसरा इन्कार करता है जब भी तलाक़ होगई यूँहीं किसी की अमानत वापस करने के लिये या आ़रियत फेरने के लिये या ग़सब की हुई चीज़ देने के लिये या बैअ़ फ़ासिद में रद करने के लिये दो वकील किये तन्हा एक शख़्स बिग़ैर मुशारकत दूसरे के यह सब काम कर सकता है। ज़ौजा को तलाक़ देने के लिए दो शख़्सों को वकील किया और कहदिया कि तन्हा एक शख़्स तलाक़ न दे बल्कि दोनों जमा होकर मुत्तफ़िक़ होकर तलाक़ दें और एक ने तलाक़ देदी दूसरे ने नहीं दी या एक ने तलाक़ दी दूसरे ने उसे जाइज़ किया तलाक़ न हुई और अगर कहा कि तुम दोनों मुजतमेअ़ होकर उसे तीन तलाक़ें देदेना एक ने एक तलाक़ दी दूसरे ने दो तलाक़ें दीं एक भी नहीं हुई जब तक मुजतमअ़ होकर दोनों तीन तलाक़ें न दें। यूँहीं दो शख़्सों से कहा कि मेरी औ़रतों में से एक को तुम दोनों तलाक़ देदो और औ़रत को मुअ़य्यन न किया तो तन्हा एक शख़्स तलाक़ नहीं दे सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.66:– दो शख़्सों को किसी औ़रत से निकाह़ करने के लिये वकील किया या औ़रत ने दो शख़्सों को निकाह़ का वकील किया तन्हा एक वकील निकाह़ नहीं कर सकता अगर्चे मुवक्किल ने महर का तअ़य्युन भी कर दिया हो। ख़ुलअ़ के लिए दो शख़्सों को वकील किया तन्हा एक शख़्स ख़ुलअ़ नहीं कर सकता अगर्चे बदले ख़ुलअ़ भी ज़िक्र कर दिया हो। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.67:– अमानत या आ़रियत या मग़सूब शय को वापस लेने के लिये दो शख़्सों को वकील किया तो तन्हा एक शख़्स वापस नहीं ले सकता जब तक उसका साथी भी शरीक न हो फ़र्ज़ करो अगर तन्हा एक ने वापस ली और ज़ाइअ़ हुई तो उसे पूरी चीज़ का तावान देना होगा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.68:– दैन अदा करने के लिये दो वकील किये तो एक तन्हा भी अदा कर सकता है दूसरे की शिरकत ज़रूरी नहीं और दैन वसूल करने के लिये दो वकील किये तो तन्हा एक वसूल नहीं

कर सकता। (बहर)

मसअला.69:– दैन वसूल करने के लिये दो शख़्सों को वकील किया और मुवक्किल ग़ाइब होगया और एक वकील भी ग़ायब होगया जो वकील मौजूद था उसने दैन का मुतालबा किया मदयून दैन का इक़रार करता है मगर वकालत से इन्कार करता है वकील ने गवाहों से साबित किया कि फ़ुलाँ शख़्स ने दैन वसूल करने का मुझे और फ़ुलाँ शख़्स को वकील किया है उस सूरत में क़ाज़ी दोनों की वकालत का हुक्म देगा दूसरा वकील जो ग़ायब है जब आयेगा उसे गवाह पेश करने की ज़रूरत न होगी बल्कि दोनों दैन वसूल कर लेंगे। (आलमगीरी)

मसअला.70:– वाहिब (हिबा करने वाले) ने दो शख़्सों को वकील किया कि यह चीज़ फ़ुलाँ मौहूब लहू को तस्लीम करदो उनमें का एक शख़्स तस्लीम कर सकता है और अगर मौहूब लहू ने क़ब्ज़ा के लिये दो शख़्सों को वकील किया तो तन्हा एक शख़्स क़ब्ज़ा नहीं कर सकता और अगर दो शख़्सों को वकील किया कि यह चीज़ किसी को हिबा करदो और मौहूब लहू को मुअय्यन नहीं किया तो एक शख़्स किसी को हिबा नहीं कर सकता और अगर मोहूब लहू को मुअय्यन कर दिया है तो एक शख़्स हिबा कर सकता है। (बहरुर्राइक़)

मसअला.71:– रहन एक शख़्स तन्हा नहीं रख सकता मकान या ज़मीन किराये पर लेने के लिये दो वकील किये तन्हा एक ने किराये पर लिया तो वकील के इजारे में हुआ फिर अगर वकील ने मुवक्किल को देदिया तो यह वकील व मुवक्किल के माबैन एक जदीद इजारा बतौर तआती मुन्अक़िद हुआ। (आलमगीरी)

मसअला.72:– यह कहा कि मैंने तुम दोनों में से एक को फ़ुलाँ चीज़ के ख़रीदने का वकील किया दोनों ने ख़रीदली अगर आगे पीछे ख़रीदी है तो पहले की चीज़ मुवक्किल की होगी और दूसरे ने जो ख़रीदी है वह ख़ुद उस वकील की होगी और अगर दोनों ने ब'यक वक़्त ख़रीदी तो दोनों चीज़ें मुवक्किल की होंगी। (आलमगीरी)

मसअला.73:– एक शख़्स से कहा मेरी यह चीज़ बेचदो फिर दूसरे से भी उसी चीज़ के बेचने को कहा और दोनों ने दो शख़्सों के हाथ बैअ् करदी अगर मालूम है कि किसी ने पहले बैअ् की तो जिसने पहले ख़रीदी है चीज़ उसी की है और मालूम न हो तो दोनों मुश्तरी उस में निस्फ़ निस्फ़ के शरीक हैं और हर एक को इख़्तियार है कि निस्फ़ समन के साथ ले या न ले और अगर दोनों ने एक ही शख़्स के हाथ बैअ् की और दूसरे ने ज़्यादा दामों में बेची दूसरी बैअ् जाइज़ है। (आलमगीरी)

वकील काम करने पर कहाँ मजबूर है और कहाँ नहीं

मसअला.74:– एक शख़्स को वकील किया है कि वह अपने माल से या मुवक्किल के माल से दैन अदा करदे उसको अदा करने पर मजबूर नहीं किया जासकता मगर जब कि वकील के ज़िम्मे ख़ुद मुवक्किल का दैन है और मुवक्किल ने उससे दूसरे का दैन जो मुवक्किल पर है अदा करने को कहा। उसी की ख़ुसूसियत नहीं बल्कि किसी जगह भी वकील उस काम पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिस के लिये वकील हुआ है मसलन यह कहा कि मेरी यह चीज़ बेचकर फ़ुलाँ का दैन अदा करदो वकील उसके बेचने पर मजबूर नहीं या यह कहदिया हो कि मेरी औरत को तलाक़ देदो वकील तलाक़ देने पर मजबूर नहीं अगर्चे औरत तलाक़ मांगती हो या ग़ुलाम आज़ाद करदो या फ़ुलाँ शख़्स को यह चीज़ हिबा करदो या फ़ुलाँ के हाथ यह चीज़ बैअ् करदो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.75:– बाज़ बातों में वकील उस काम के करने पर मजबूर किया जायेगा इन्कार नहीं कर सकता। **(1) एक चीज़** मुअय्यन शख़्स को देने के लिये वकील किया था कि यह चीज़ फ़ुलाँ को दे आओ और मुवक्किल ग़ायब होगया वकील को उसे देना लाज़िम है। **(2) मुद्दई की तलब पर** मुद्दआ अलैह ने वकील किया और मुद्दआ अलैह ग़ायब होगया वकील को पैरवी करनी लाज़िम है। **(3) एक चीज़** रहन रखी है और अक़्दे रहन के अन्दर या बाद में राहिन ने तौकील बिलबैअ् शर्त करदी उस

सूरत में वकील को बैअ़ करके मुरतहिन (जिसके पास चीज़ रहन रखी जाती है) का दैन अदा करना ज़रूरी है। **(4) जो वकील उजरत** पर काम करते हों जैसे दलाल आढ़ती वह काम करने पर मजबूर हैं इन्कार नहीं कर सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

वकील दूसरे को वकील बना सकते हैं या नहीं

मसअ्ला.76:– वकील जिस चीज़ के बारे में वकील है बिग़ैर इजाज़ते मुवक्किल उसमें दूसरे को वकील नहीं कर सकता मस्लन ज़ैद ने अ़म्र से एक चीज़ ख़रीदने को कहा अ़म्र बकर से कहदे कि तू ख़रीदकर ला यह नहीं होसकता यानी वकीलुलवकील जो कुछ करेगा वह मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.77:– वकील को मुवक्किल ने उसकी इजाज़त देदी है कि वह ख़ुद करदे या दूसरे से करादे तो वकील बनाना जाइज़ है या उस काम के लिये उसने इख़्तियारे ताम (पूरा इख़्तियार) देदिया है मस्लन कहदिया है कि तुम अपनी राय से काम करो उस सूरत में भी वकील बनाना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.78:– एक शख़्स को ज़कात के रुपये देकर कहा कि फ़क़ीरों को देदो उसने दूसरे को कहा उसने तीसरे को कहा ग़र्ज़ यह कि जो भी फ़क़ीरों को देदेगा ज़कात अदा होजायेगी मुवक्किल को इजाज़त देने की भी ज़रूरत नहीं और अगर क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिये एक को कहा उसने दूसरे से कहदिया दूसरे ने तीसरे से कहा ग़र्ज़ आख़िर वाले ने ख़रीदा तो अव्वल की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है अगर जाइज़ करेगा जाइज़ होगा वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.79:– इज़्न या तफ़वीज़ (काम उसकी राय पर सिपुर्द करने) की वजह से वकील ने दूसरे को वकील बनाया तो यह वकीले सानी (दूसरा वकील) वकील का वकील नहीं है बल्कि मुवक्किल का वकील है अगर वकीले अव्वल उसे मअ्ज़ूल करना चाहे मअ्ज़ूल नहीं कर सकता न उसके मरने से यह मअ्ज़ूल हो सकता है मुवक्किल के मरने से दोनों मअ्ज़ूल होजायेंगे। (बहर)

मसअ्ला.80:– वकील ने वह काम किया जिसके लिये वकील था और हुक़ूक़ में उसने दूसरे को वकील बनाया यह जाइज़ है उसके लिये न इज़्न की ज़रूरत है न तफ़वीज़ की मस्लन ख़रीदने का वकील था उसने ख़रीदा और मबीअ़ पर क़ब्ज़े के लिये या ऐब की वजह से वापस करने के लिये या उसके मुतअ़ल्लिक़ दअ्वा करना पड़े उसके लिये बिग़ैर इज़्न व तफ़वीज़ भी वकील कर सकता है कि उन सब कामों में वकील असील है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.81:–वकील ने बिग़ैर इज़्न व तफ़वीज़ दूसरे को वकील करदिया दूसरे ने पहले की मौजूदगी या अ़दम मौजूदगी में काम किया और अव्वल ने उसे जाइज़ कर दिया तो जाइज़ होगया बल्कि किसी अजनबी ने करदिया उसने जाइज़ कर दिया जब भी जाइज़ होगया और अगर वकीले अव्वल ने सानी के लिए समन मुक़र्रर करदिया है कि चीज़ उतने में बेचना और सानी ने अव्वल की ग़ीबत (ग़ैर मौजूदगी) में बेचदी तो जाइज़ है यानी अव्वल की राय से काम हो और यह बैअ़ मुवक्किल पर नाफ़िज़ होगी क्योंकि उसकी राय उस सूरत में यही है कि समन की मिक़दार मुतअ़य्यन करदे और यह काम उसने करदिया ख़रीदने के लिये वकील किया था और अजनबी ने ख़रीदी और वकील ने जाइज़ कर दी जब भी उसी अजनबी के लिये है।(दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.82:– ऐसी चीज़ें जो अ़क़्द नहीं हैं जैसे तलाक़, एताक़, उन में किसी को वकील किया वकील ने दूसरे को वकील करदिया सानी ने अव्वल की मौजूदगी में तलाक़ दी या अजनबी ने तलाक़ दी वकील ने जाइज़ करदी तलाक़ नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

वकालते आ़म्मा व ख़ास्सा

मसअ्ला.83:– वकालत कभी ख़ास होती है कि एक मख़सूस काम मस्लन ख़रीदने या बेचने या निकाह या तलाक़ के लिये वकील किया कभी आ़म होती है कि हर क़िस्म के काम वकील को सिपुर्द कर देते हैं जिसको मुख़्तारे आ़म कहते हैं मस्लन कहदिया कि मैंने तुझे हर काम में वकील किया उस सूरत में वकील को तमाम मुआ़वज़ात ख़रीदना, बेचना, इजारा देना, लेना, सब काम का इख़्तियार हासिल होजाता है मगर बीवी को तलाक़ देना, गुलाम को आज़ाद करना या दूसरे

तबर्रुआत मसलन किसी को उसकी चीज़ हिबा करदेना उसकी जायदाद को वक़्फ़ करदेना उस क़िस्म के कामों को वकील इख़्तियार नहीं रखता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.84:– किसी से कहा मैंने अपनी औरत का मुआमला तुम्हें सिपुर्द करदिया यह तलाक़ का वकील है मगर मज्लिस तक इख़्तियार रखता है बाद में नहीं और अगर यह कहा कि औरत के मुआमले में मैंने तुमको वकील किया तो मज्लिस तक मुक़तसर नहीं।(मज्लिस के एलावा भी इख़्तियार है)(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.85:– जिस शख़्स को दूसरे पर विलायत न हो उसके हक़ में अगर तसर्रुफ़ करेगा जाइज़ नहीं होगा मसलन ग़ुलाम या काफ़िर ने अपने ना'बालिग़ बच्चा हुर मुसलमान, (ना'बालिग़ आज़ाद मुसलमान) का माल बेचदिया या उसके बदले में कोई चीज़ ख़रीदी या अपनी ना'बालिग़ लड़की हुर्रा मुस्लिमा का निकाह किया यह जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.86:– ना'बालिग़ के माल की विलायत उसके बाप को है फिर उसके वसी को है यह न हो तो उसके वसी को है यानी बाप का वसी दूसरे को वसी बना सकता है उसके बाद दादा को फिर दादा के वसी को फिर उस वसी के वसी को यह भी न हो तो क़ाज़ी को उसके बाद वह जिसको क़ाज़ी ने मुक़र्रर किया हो उसको वसी–ए–क़ाज़ी कहते हैं फिर उसको जिसको इस वसी ने वसी किया हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.87:– माँ मरगई या भाई मरा और उन्होंने तर्का छोड़ा और उस माल का किसी को वसी किया तो बाप या उसके वसी या वसी–ए–वसी या दादा या उसके वसी या वसी–ए–वसी के होते हुए माँ या भाई के वसी को कुछ इख़्तियार नहीं और अगर उन ज़िक्र में कोई नहीं है तो माँ या भाई के वसी के मुतअ़ल्लिक उस तर्का की हिफ़ाज़त है और उस तर्का में से सिर्फ़ मन्कूल चीज़ें बैअ़ कर सकता है ग़ैर मन्कूला को बैअ़ नहीं कर सकता और खाने और लिबास की चीज़ें ख़रीद सकता है व बस। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.88:– वसी क़ाज़ी भी वह तमाम इख़्तियार रखता है जो बाप का वसी रखता है हाँ अगर क़ाज़ी ने उसे किसी ख़ास बात का पाबन्द कर दिया तो पबान्द होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

वकील बिल ख़ुसूमा और वकील बिल क़ब्ज़ का बयान

मसअला.1:– जिस शख़्स को ख़ुसूमत यानी मुक़द्दमा में पैरवी करने के लिये वकील किया है वह क़ब्ज़ा का इख़्तियार नहीं रखता यानी उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला हुआ और चीज़ दिलाई गई तो उस पर क़ब्ज़ा करना उस वकील का काम नहीं यूँहीं तक़ाज़ा करने का जिसको वकील किया है वह भी क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार) मगर जहाँ उर्फ़ उस क़िस्म का हो कि जो तक़ाज़े को जाता है वही दैन वसूल भी करता है जैसाकि हिन्दुस्तान का उ़मूमन यही उ़र्फ़ है तुज्जार के यहाँ से जो तक़ाज़े को भेजे जाते हैं वही बक़ाया वसूल करके लाते भी हैं यह नहीं है कि तक़ाज़ा एक का काम हो और वसूल करना दूसरे का लिहाज़ा यहाँ के उ़र्फ़ का लिहाज़ करते हुए तक़ाज़ा करने वाला क़ब्ज़ा का इख़्तियार नहीं रखता। (बहर)

मसअला.2:– ख़ुसूमत या तक़ाज़े के लिये जिसको वकील किया यह मुसालहत नहीं कर सकते कि उनका यह काम नहीं। तक़ाज़े के लिये जिसको क़ासिद बनाया है जिससे यह कहदिया कि फ़ुलाँ शख़्स को हमारा यह पैग़ाम पहुँचा देना वह क़ब्ज़ा कर सकता है उस मदयून पर दअ़्वा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– जिसको सुलह के लिये वकील बनाया है वह दअ़्वा नहीं कर सकता और दैन पर क़ब्ज़ा के लिये जिसे वकील किया है वह दअ़्वा कर सकता है। वकीले क़िसमा, वकीले शुफ़आ, हिबा में रुजूअ़ का वकील। ऐब की वजह से रद का वकील (ख़रीदी हुई चीज़ को रद करने का वकील) उन सब को दअ़्वा करने का हक़ हासिल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– एक शख़्स के ज़िम्मे मेरा दैन है तुम उसपर क़ब्ज़ा करो और सब ही पर क़ब्ज़ा करना वकील ने तमाम दैन पर क़ब्ज़ा किया सिर्फ़ एक रुपया बाक़ी रहगया यह क़ब्ज़ा सहीह नहीं हुआ कि मुवक्किल की उसने मुख़ालफ़त की यानी अगर वह दैन जिसपर क़ब्ज़ा किया है हलाक होजाये तो मुवक्किल ज़िम्मेदार नहीं मुवक्किल उस मदयून से अपना पूरा दैन वसूल करेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– यह कहा कि मैंने अपने हर दैन के तक़ाज़ा का तुझे वकील किया या मेरे जितने हुक़ूक़ लोगों पर हैं उनके लिये वकील किया यह तौकील उन हुक़ूक़ के मुतअ़ल्लिक़ भी है जो उस

वक़्त मौजूद हैं और उनके मुतअ़ल्लिक़ भी जो अब होंगे और अगर यह कहा है कि फुलाँ के ज़िम्मे जो मेरा दैन है उसके क़ब्ज़ा का वकील किया तो सिर्फ़ वही दैन मुराद है जो उस वक़्त है जो बाद में होंगे उनके मुतअ़ल्लिक़ वकील नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जो शख़्स क़ब्ज़े दैन (क़र्ज़ पर क़ब्ज़ा करने) का वकील है वह न तो हवाला क़बूल कर सकता है न मदयून को दैन हिबा करसकता है न दैन मुआ़फ़ कर सकता है न दैन को मुअख़्ख़र कर सकता है यानी मीआ़द नहीं मुक़र्रर कर सकता न दैन के मुक़ाबले में कोई शय रहन रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– एक शख़्स को वकील किया कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरा दैन है उसे वसूल करके फुलाँ शख़्स को हिबा करदे यह जाइज़ है अगर मदयून यह कहता है मैंने दैन देदिया और मौहूब लहू भी तस्दीक़ करता है तो ठीक है और मौहूब लहू इन्कार करता है तो मदयून की तस्दीक़ नहीं की जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दैन वसूल करने का वकील आया उसने वसूल किया फिर दूसरा वकील आया कि यह भी दैन वसूल करने का वकील है यह चाहता है कि वकीले अव्वल ने जो कुछ वसूल किया है उसे मैं अपने क़ब्ज़े में रखूँ उसे इसका इख़्तियार नहीं हाँ अगर वकीले दोम को मुवक्किल ने यह इख़्तियारात दिये हैं कि जो कुछ मुवक्किल की चीज़ किसी के पास हो उसपर क़ब्ज़ा करे तो वकीले अव्वल से ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मोहताल लहू (क़र्ज़ देने वाले) ने मुहील (अपने क़र्ज़ की अदायगी दूसरे के सिपुर्द करने वाला) को वकील करदिया कि मोहताल अ़लैह (क़र्ज़दार ने क़र्ज़ की अदायगी जिसके सिपुर्द की) से दैन वसूल करे यह तौकील सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– कफ़ील बिलमाल को वकील नहीं बनाया जासकता उसको वकील बनाना वैसा ही है जैसे ख़ुद मदयून को वकील किया जाये हाँ अगर मदयून को वकील किया कि तुम अपने से दैन मुआ़फ़ करदो यह तौकील सहीह है और मुआ़फ़ करने से पहले मुवक्किल ने मअ़ज़ूल कर दिया यह अ़ज़्ल (माजूल करना) भी सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– ज़ैद के दो शख़्सों के ज़िम्मे हज़ार रुपये हैं और उन दोनों में से हर एक दूसरे का कफ़ील है ज़ैद ने अ़म्र को वकील किया कि उनमें से फुलाँ से दैन वसूल करे अ़म्र ने बजाये उसके दूसरे से वसूल किया यह उसका क़ब्ज़ा करना सहीह है। उसी तरह अगर एक शख़्स पर हज़ार रुपये दैन है और दूसरा उसका कफ़ील है दाइन ने वकील किया था मदयून से वसूल करने के लिये उसने कफ़ील से वसूल करलिया यह भी सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– दैन वसूल करने के लिये वकील किया था वकील ने मदयून से बजाये रुपया के सामान लिया उस चीज़ को मुवक्किल पसन्द नहीं करता है वकील यह सामान फेरदे और दैन का मुतालबा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मदयून ने दाइन को कोई चीज़ देदी कि उसे बेचकर उसमें से अपना हक़ लेलो उसने बैअ़ की और समन पर क़ब्ज़ा करलिया फिर यह समन हलाक होगया तो मदयून का नुक़सान हुआ जब जक दाइन ने समन पर जदीद क़ब्ज़ा न किया हो और अगर मदयून ने चीज़ देते वक़्त यह कहा उसे अपने हक़ के बदले में बैअ़ करलो तो समन पर क़ब्ज़ा होते ही दैन वसूल होगया अगर हलाक होगा दाइन का हलाक होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने दूसरे से यह कहा कि फुलाँ का तुम्हारे ज़िम्मे दैन है उसने मुझे दैन लेने के लिये वकील किया उसकी तीन सूरतें हैं मदयून उनकी तस्दीक़ करता है या तकज़ीब करता है या सुकूत करता है अगर तस्दीक़ करता है दैन अदा करने पर मजबूर किया जायेगा फिर वापस लेने का उसको इख़्तियार नहीं बाक़ी दो सूरतों में मजबूर नहीं किया जायेगा मगर उसने देदिया तो वापस लेने का इख़्तियार नहीं फिर मुवक्किल आया उसने वकालत का इक़रार करलिया तो मुआ़मला ख़त्म है और अगर वकालत से इन्कार करता है और मदयून से दैन लेना चाहता है अगर मदयून ने दअ़्वा किया तुमने फुलाँ को वकील किया था मैंने उसे देदिया और उसकी तौकील को गवाहों से साबित कर दिया या गवाह न होने की सूरत में दाइन पर हल्फ़ दिया गया उसने हल्फ़ से इन्कार करदिया मदयून बरी होगा

और अगर उसने हल्फ़ करलिया कि मैंने उसे वकील नहीं किया था तो मदयून से अपना दैन वसूल करेगा फिर उस वकील के पास अगर चीज़ मौजूद है तो मदयून उससे वसूल करे और हलाक करदी है तो तावान लेसकता है और अगर हलाक होगई हो और मदयून ने उसकी तस्दीक़ की थी तो कुछ नहीं लेसकता और तकज़ीब की थी या सुकूत किया था या तस्दीक़ की थी मगर ज़मान की शर्त करली थी तो जो कुछ दाइन को दिया है उस वकील से वापस ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स ने कहा फुलाँ शख़्स की अमानत तुम्हारे पास है उसने मुझे वकील बिल'क़ब्ज़ किया है अमीन अगर्चे उसकी तस्दीक़ करता हो अमानत देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा और अगर अमीन ने देदी तो अब वापस लेने का हक़ नहीं रखता और अगर अमीन से कोई यह कहता है कि मैंने अमानत वाली चीज़ ख़रीदली है उसको देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा अगर्चे अमीन उसकी तस्दीक़ करता हो और अगर अमीन से यह कहता है कि जिसने अमानत रखी थी उसका इन्तिक़ाल होगया और यह चीज़ बतौर वसियत या विरासत मुझे मिली है अगर अमीन उसकी बात को सच मानता है हुक्म दिया जायेगा कि उसको देदे ब'शर्ते कि मय्यित पर दैन मुस्तग़रक़ न हो और अगर अमीन उसकी बात से मुन्किर है या कहता है मुझे नहीं मालूम तो उस सूरत में जब तक साबित न कर दे देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– दाइन ने मदयून से कहा तुम फुलाँ शख़्स को देदेना फिर दूसरे मौक़े पर कहा उसको मत देना मदयून ने कहा मैं तो उसे देचुका और वह शख़्स भी इक़रार करता है कि मुझे दिया है मदयून दैन से बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– दाइन ने मदयून के पास कहला भेजा कि मेरा रुपया भेजदो मदयून ने उसी के हाथ भेज दिया तो दाइन का होगया और अगर हलाक होगा दाइन का होगा और अगर दाइन ने यह मदयून से कहा कि फुलाँ के हाथ भेज देना या मेरे बेटे के हाथ या अपने बेटे के हाथ भेजदेना मदयून ने भेजदिया और ज़ाइअ् हुआ तो मदयून का ज़ाइअ् हुआ और अगर दाइन ने यह कहा था कि मेरे बेटे को देदेना वह मुझे लाके देदेगा यह तौकील है अगर ज़ाइअ् होगा दाइन का नुक़सान होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मदयून ने किसी को अपना दैन अदा करने का वकील किया उसने अदा करदिया तो जो कुछ दिया है मदयून से लेगा और अगर यह कहा है कि मेरी ज़कात अदा करदेना मेरी क़सम के कफ़्फ़ारा में खाना खिला देना और उसने करदिया तो कुछ नहीं ले सकता हाँ अगर उसने यह भी कहा था कि मैं ज़ामिन हूँ तो वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– यह कहा कि फुलाँ को उतने रुपये अदा कर देना यह नहीं कहा कि मेरी तरफ़ से न यह कि मैं ज़ामिन हूँ न यह कि वह मेरे ज़िम्मे होंगे उसने देदिये अगर यह उसका शरीक या ख़लीत या उसकी एयाल में है या उसपर उसे एअ्तिमाद है तो रुजूअ् करेगा वरना नहीं ख़लीत के मअ्ना यह हैं कि दोनों में लेन देन है या आपस में दोनों के यह तै है कि अगर एक का दूसरे के पास क़ासिद या वकील आयेगा तो उसके हाथ बैअ् करेगा उसे क़र्ज़ देदेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक ही शख़्स दाइन व मदयून दोनों का वकील हो कि एक की तरफ़ से ख़ुद अदा करे और दूसरे की तरफ़ से ख़ुद ही वसूल करे यह नहीं हो सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– मदयून ने एक शख़्स को रुपये दिये कि मेरे ज़िम्मे फुलाँ के इतने रुपये बाक़ी हैं यह दे देना और रसीद लिखवालेना रुपये उसने देदिये मगर रसीद नहीं लिखवाई उसपर ज़मान नहीं यानी अगर दाइन इन्कार करे तो तावान लाज़िम न होगा और अगर मदयून ने यह कहा था कि जब तक रसीद न लेलेना देना मत और उसने बिग़ैर रसीद लिये देदिये तो ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– जिस को दैन अदा करने को कहा है उसने उससे बेहतर अदा किया जो कहा था तो वैसा रुजूअ् करेगा जैसा अदा करने को कहा था और उससे ख़राब अदा किया तो जैसा दिया है वैसा ही लेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स को अपने हुक़ूक़ वसूल करने और मुक़द्दमात की पैरवी करने के लिये वकील किया है और यह कहदिया है कि मुवक्किल पर (यानी मुझपर) जो दअ्वा हो उसमें तौकील नहीं यह सूरत तौकील की जाइज़ है नतीजा यह हुआ कि वकील ने एक शख़्स पर माल का दअ्वा

किया और गवाहों से साबित करदिया मुद्दआ़ अ़लैह अपने ऊपर से उसको रफ़अ़् करना चाहता है मस्लन कहता है मैंने अदा करदिया है या दाइन ने मुआ़फ़ करदिया है यह जवाबदेही वकील के मुक़ाबिल में मस्मूअ़् नहीं कि वह उस बात में वकील ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– वकील बिल ख़ुसूमत (मुक़द्दमे की पैरवी का वकील) को इख़्तियार है कि ख़सम (मद्दे मक़ाबिल) के हक़ से इन्कार करदे या उसके हक़ का इक़रार करले मगर क़ाज़ी के पास इक़रार कर सकता है ग़ैर क़ाज़ी के पास नहीं यानी मज्लिसे क़ज़ा के एलावा दूसरी जगह उसने इक़रार किया उसको अगर क़ाज़ी के पास ख़सम ने गवाहों से साबित किया तो वकील का इक़रार नहीं क़रार पायेगा यह अलबत्ता होगा कि गवाहों से ग़ैर मज्लिसे क़ज़ा में इक़रार साबित होने पर यह वकील ही वकालत से मअ्ज़ूल होजायेगा और उसको माल नहीं दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– वकील बिल ख़ुसूमा इक़रार उस वक़्त कर सकता है जब उसकी तौकील मुतलक़ हो इक़रार की मुवक्किल ने मुमानअ़त न की हो और अगर मुवक्किल ने उसको ग़ैर जाइज़ुलइक़रार क़रार दिया है तो वकील है मगर इक़रार नहीं कर सकता अगर क़ाज़ी के पास यह इक़रार करेगा इक़रार सहीह नहीं होगा और वकालत से ख़ारिज होजायेगा और अगर वकील किया है मगर इन्कार की इजाज़त नहीं दी है तो इन्कार नहीं कर सकता। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– तौकील बिल इक़रार सहीह है उसका यह मतलब नहीं कि इक़रार का वकील है या यह कि कचहरी में जाते ही इक़रार करले बल्कि उसका मतलब यह है कि वकील से कहदिया है कि अव्वलन तुम झगड़ा करना जो कुछ फ़रीक़ कहे उससे इन्कार करना मगर जब देखना कि काम नहीं चलता और इनकार में मेरी बदनामी होती है तो इक़रार करलेना उस वकील का इक़रार सहीह है वह मुवक्किल पर इक़रार है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– जो शख़्स दाइन का वकील है मदयून ने भी उसी को क़ब्ज़े का वकील करदिया यह तौकील दुरुस्त नहीं मस्लन वह मदयून के पास अगर मुतालबा करता है मदयून ने उसे कोई चीज़ देदी कि उसे बेचकर समन से दैन अदा करना अगर फ़र्ज़ करो उसने बेची मगर समन हलाक हो गया तो मदयून का हलाक हुआ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– कफ़ील बिन्नफ़्स (शख़्सी ज़मानत) क़ब्ज़े दैन का वकील (क़र्ज़ पर क़ब्ज़ा करने का वकील) हो सकता है यूहीं क़ासिद और वकील बिन्नकाह उन को वकील बिल क़ब्ज़ किया जा सकता है वकील बिन्निकाह महर का ज़ामिन हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– दैन क़ब्ज़ा करने का वकील था उसने किफ़ालत करली यह सहीह है मगर वकालत बातिल होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– वकीले बैअ़् (किसी चीज़ के बेचने के वकील ने) ने मुश्तरी की तरफ़ से बाइअ़् के लिये समन की ज़मानत करली यह जाइज़ नहीं फिर अगर उस ज़मानते बातिला की बिना पर वकील ने बाइअ़् को समन अपने पास से देदिया तो बाइअ़् से वापस ले सकता है और अगर अदा किया मगर ज़मानत की वजह से नहीं तो वापस नहीं ले सकता कि मुतबर्रअ़् (एहसान करने वाला) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– वकील बिलक़ब्ज़ ने माल तलब किया मदयून ने जवाब में यह कहा कि मुवक्किल को देचुका हूँ या उसने मुआ़फ़ करदिया है या तुम्हारे मुवक्किल ने ख़ुद मेरी मिल्क का इक़रार किया है उसका हासिल यह हुआ कि उसने मिल्के मुवक्किल का इक़रार करलिया और उसकी वकालत को भी तस्लीम किया मगर एक उ़ज़्र ऐसा पेश करता है जिससे मुतालबा साक़ित होजाये और उसपर गवाह पेश नहीं किये अब दूसरी सूरत मुन्किर पर हल्फ़ की है मगर हल्फ़ अगर होगा तो मुवक्किल पर न कि वकील पर लिहाज़ा उस सूरत में उस शख़्स को माल देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– मुश्तरी ने ऐब की वजह से मबीअ़् को वापस करने के लिये किसी को वकील किया वकील जब बाइअ़् के पास जाता है बाइअ़् यह कहता है कि मुश्तरी उस ऐब पर राज़ी होगया था लिहाज़ा वापसी नहीं होसकती इस सूरत में जब तक मुश्तरी हल्फ़ न उठाये बाइअ़् पर रद नहीं कर सकता और अगर वकील ने बाइअ़् पर रद करदी फिर मुवक्किल आया उसने बाइअ़् की तस्दीक़ की तो चीज़ उसी की होगी बाइअ़् की न होगी। (बहर)

मसअला.33:– ज़ैद ने अम्र को दस रुपये दिये कि यह मेरे बाल बच्चों पर ख़र्च करना अम्र ने दस रुपये अपने पास के ख़र्च किये वह रुपये जो दिये गये थे रख लिये तो यह दस उन दस के बदले में होगये उसी तरह अगर दैन अदा करने के लिये रुपये दिये थे या सदक़ा करने के लिये दिये थे उस ने यह रुपये रख लिये और अपने पास से दैन अदा करदिया या सदक़ा करदिया तो उन सूरतों में भी अदला बदला होगया। जो रुपये ज़ैद ने दिये हैं उनके रहते हुए यह हुक्म है और अगर अम्र ने ज़ैद के रुपये ख़र्च कर डाले उसके बाद बाल बच्चों के लिये चीज़ें ख़रीदीं वह सब अम्र की मिल्क हैं और बच्चों पर ख़र्च करना तबर्रोअ़ (भलाई) है और ज़ैद के रुपये जो ख़र्च किये हैं उनका तावान देना होगा और यह भी ज़रूर है कि ख़र्च के लिये अम्र जो चीज़ें ख़रीद लाया उन की बैअ़ को ज़ैद के रुपये की तरफ़ निस्बत करे या अक़्द को मुतलक़ रखे और अगर अम्र ने अक़्द को अपने रुपये की तरफ़ निस्बत किया तो यह चीज़ें अम्र की होंगी और ज़ैद के बाल बच्चों पर ख़र्च करने में मुतबर्रेअ़ होगा और ज़ैद के रुपये उसके ज़िम्मे बाक़ी रहेंगे यही हुक्म दैन अदा करने और सदक़ा करने का है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.34:– ज़ैद ने अम्र से कहा फुलाँ शख़्स पर मेरे इतने रुपये बाक़ी हैं उनको वसूल करके ख़ैरात करो अम्र ने अपने पास से यह नियत करते हुए ख़र्च कर दिये कि जब मदयून से वसूल होंगे तो उन्हें रख लूँगा यह जाइज़ है यानी अम्र पर तावान नहीं और अगर ज़ैद ने रुपये देदिये थे उसने वह रुपये रख लिये और अपने पास के ख़ैरात कर दिये तो तावान नहीं। (बहर)

मसअ्ला.35:– वसी या बाप ने बच्चा पर अपना माल ख़र्च किया क्योंकि उसका माल अभी आया नहीं है तो उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा हाँ अगर उसने उसपर गवाह बना लिये हैं कि यह क़र्ज़ देता हूँ या मैं ख़र्च करता हूँ उसका मुआवज़ा लूँगा तो बदला ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

वकील बिक़ब्ज़िल ऐन

मसअ्ला.36:– जो शख़्स क़ब्ज़े ऐन (शय मुअ़य्यन) का वकील हो वह वकील बिल ख़सूमा नहीं है मस्लन किसी ने यह कहदिया कि मेरी फुलाँ चीज़ फुलाँ शख़्स से वसूल करो जिसके हाथ में चीज़ है उसने कहा कि मुवक्किल ने यह चीज़ मेरे हाथ बैअ़ की है और उसको गवाहों से साबित कर दिया मुआमला मुलतवी होजायेगा जब मुवक्किल आजायेगा उसकी मौजूदगी में बैअ़ के गवाह फिर पेश किये जायेंग। इसी तरह एक शख़्स ने किसी को भेजा कि मेरी ज़ौजा को रुख़सत कर लाओ औरत ने कहा शौहर ने मुझे तलाक़ देदी है और गवाहों से तलाक़ साबित करदी उसका असर सिर्फ़ इतना होगा कि रुख़सत को मुलतवी कर दिया जायेगा तलाक़ का हुक्म नहीं दिया जायेगा जब शौहर आयेगा उसकी मौजूदगी में औरत को तलाक़ के गवाह फिर पेश करने हों। (आलमगीरी हिदाया)

मसअ्ला.37:– एक शख़्स क़ब्ज़े ऐन का वकील था उसके क़ब्ज़े से पहले किसी ने वह चीज़ हलाक करदी यह उसपर तावान का दअ़्वा नहीं कर सकता और क़ब्ज़े के बाद हलाक की है तो दअ़्वा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– किसी से कहा मेरी बकरी फुलाँ के यहाँ है उसपर क़ब्ज़ा करो उस कहने के बाद बकरी के बच्चा पैदा हुआ तो वकील बकरी और बच्चा दोनों पर क़ब्ज़ा करेगा और अगर वकील करने से पहले बच्चा पैदा हो चुका है तो बच्चा पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। बाग़ के फल का वही हुक्म है जो बच्चे का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– वकील किया है कि मेरी अमानत फुलाँ के पास है उसपर क़ब्ज़ा करो और वकील के क़ब्ज़ा से पहले खुद मुवक्किल ने क़ब्ज़ा करलिया और फिर दोबारा उस को अमानत रख दिया अब वकील न रहा यानी क़ब्ज़ा नहीं कर सकता मुवक्किल के क़ब्ज़ा करने का चाहे उसको इल्म हो या न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– मालिक ने हुक्म दिया था कि फुलाँ के पास मेरी अमानत है उसपर आज क़ब्ज़ा करो तो उसी दिन क़ब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं दूसरे दिन भी क़ब्ज़ा कर सकता है और अगर कहा था कि कल क़ब्ज़ा करना तो आज नहीं क़ब्ज़ा कर सकता और अगर कहा था कि फुलाँ की मौजूदगी में क़ब्ज़ा करना तो बिग़ैर उसकी मौजूगदी के क़ब्ज़ा कर सकता है यूँहीं अगर कहा था कि गवाहों

के सामने क़ब्ज़ा करना तो बिग़ैर गवाहों के क़ब्ज़ा कर सकता है और अगर बिग़ैर फ़ूलों की मौजूदगी के क़ब्ज़ा न करना तो ग़ीबत में क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअला.41:– एक शख़्स ने घोड़ा आरियत लिया और किसी को भेजा कि उसे लाओ यह उसपर सवार होकर लेगया अगर घोड़ा ऐसा है कि बिग़ैर सवार हुए क़ाबू में आ सकता है तो यह ज़ामिन है और क़ाबू में नहीं आ सकता है तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

वकील को मअ्ज़ूल करने का बयान

मसअला.1:– वकालत उक़ूदे लाज़िमा में से नहीं यानी न मुवक्किल पर उसकी पाबन्दी लाज़िम है न वकील पर जिस तरह मुवक्किल जब चाहे वकील को बर तरफ़ कर सकता है वकील भी जब चाहे दस्त'बर्दार हो सकता है उसी वजह से उसमें ख़्यारे शर्त नहीं होता कि जब यह ख़ुद ही लाज़िम नहीं तो शर्त लगाने से क्या फ़ायदा। (बहर)

मसअला.2:– वकालत का बिलक़स्द हुक्म नहीं होसकता यानी जब तक उसके साथ दूसरी चीज़ शामिल न हो महज़ वकालत का क़ाज़ी हुक्म नहीं देगा मस्लन यह कि ज़ैद अम्र का वकील है अगर मदयून पर वकील ने दअ्वा किया और वह उसकी वकालत से इन्कार करता है तो अब यह बेशक उस क़ाबिल है कि उसके मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी अपना फ़ैसला सादिर करे। (बहर)

मसअला.3:– मुवक्किल वकील को मअ्ज़ूल करे या वकील ख़ुद अपने को मअ्ज़ूल करे बहर हाल दूसरे को उसका इल्म होजाना ज़रूर है जब तक इल्म न होगा मअ्ज़ूल न होगा अगर्चे वह निकाह या तलाक़ का वकील हो जिसमें वकील को मअ्ज़ूली की वजह से कोई ज़रर भी नहीं पहुँचता अज़्ल (मअ्ज़ूल करने) की कई सूरतें हैं वकील के सामने मुवक्किल ने कहदिया ~~कि मैंने~~ तुमको मअ्ज़ूल करदिया या लिखकर देदिया या वकील के यहाँ किसी से कहला भेजा जिसको भेजा वह आदिल हो या ग़ैर आदिल आज़ाद हो या ग़ुलाम, बालिग़ हो या ना'बालिग़, मर्द हो या औरत बशर्ते कि वह जाकर यह कहे कि मुवक्किल ने मुझे भेजा है कि मैं तुमको यह ख़बर पहुँचादूँ कि उसने तुम्हें मअ्ज़ूल करदिया। और अगर उसने ख़ुद किसी को नहीं भेजा है बल्कि बतौर ख़ुद किसी ने यह ख़बर पहुँचाई तो उसके लिए ज़रूर है कि वह ख़बर लेजाने वाला आदिल हो या दो शख़्स हों। (बहरुर्राइक़)

मसअला.4:– अगर वकालत के साथ हक़्क़े ग़ैर मुतअ़ल्लिक़ होजाये तो मुवक्किल वकील को मअ्ज़ूल नहीं कर सकता मस्लन वकील बिल ख़ुसूमा (मुक़द्दमे की पैरवी का वकील) जिसको ख़स्म के तलब करने पर वकील बनाया गया उसको मुवक्किल मअ्ज़ूल नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– तलाक़ व ऐताक़ का वकील, मुवक्किल का माल बैअ् करने का वकील, किसी ग़ैर मुअय्यन चीज़(आम चीज़)के ख़रीदने का वकील यह सब अपने को बिग़ैर इल्मे मुवक्किल मअ्ज़ूल कर सकते हैं यानी अपने को ख़ुद मअ्ज़ूल करने के बाद यह सब काम किये तो नाफ़िज़ नहीं होंगे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– क़ब्ज़े दैन के लिये वकील किया था मदयून की अ़दमे मौजूदगी में उसे मअ्ज़ूल कर सकता है अगर मदयून की मौजूदगी में वकील किया है तो अ़दमे मौजूदगी में मअ्ज़ूल नहीं कर सकता मगर जबकि मदयून को उसकी मअ्ज़ूली का इल्म होजाये यानी मदयून को उसकी मअ्ज़ूली का इल्म नहीं था और दैन उसको देदिया बरिउज़्ज़िम्मा होगया दाइन (क़र्ज़ देने वाला) उससे मुतालबा नहीं कर सकता और मदयून को मालूम था और देदिया तो बरिउज़्ज़िम्मा नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– एक शख़्स को राहिन (अपनी चीज़ गिरवी रखने वाला) ने वकील किया था कि शय मरहून (गिरवी रखी हुई चीज़) को बैअ् करके दैन अदा करदे उसने अपने को मुरतहिन (अपने पास चीज़ गिरवी रखने वाला) की मौजूदगी में मअ्ज़ूल करदिया और मुरतहिन उसपर राज़ी भी होगया तो मअ्ज़ूल होगया वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– वकालत क़बूल करने के बाद वकील का यह कहना मैंने वकालत को लग्व करदिया मैं वकालत से बरी हूँ उन अल्फ़ाज़ से मअ्ज़ूल नहीं होगा अगर्चे यह अल्फ़ाज़ मुवक्किल के सामने कहे यूँहीं मुवक्किल का तौकील से इन्कार करदेना भी अ़ज़्ल नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– वकील ने वकालत रद करदी रद होगई मगर उसके लिये मुवक्किल को मालूम होना शर्त है मस्लन मुवक्किल ने वकील किया जिसकी ख़बर वकील को पहुँची वकील ने रद करदी

कहदिया मुझे मन्ज़ूर नहीं मगर उसका इल्म मुवक्किल को नहीं हुआ फिर उसने वकालत क़बूल करली वकील होगया। वकील ने वकालत कबूल करली उसके बाद मुवक्किल ने कहा वकालत रद करदो उसने कहा मैंने रद करदी रद होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– तौकील को शर्त पर मुअ़ल्लक़ कर सकते हैं मस्लन यह काम करो तो तुम मेरे वकील हो मगर उसके अ़ज़्ल को शर्त पर मुअ़ल्लक़ नहीं कर सकते। तौकील को शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया था और शर्त पाई जाने से पहले वकील को मअ्ज़ूल करना चाहता है कर सकता है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.11:– वकील को मअ्ज़ूल करने का यह मतलब है कि जिस काम के लिये उसको वकील किया है वह अब तक न हुआ हो और काम पूरा होगया तो मअ्ज़ूल करने की क्या ज़रूरत खुद ही मअ्ज़ूल होगया वह काम ही बाक़ी न रहा जिसमें वकील था मस्लन दैन वसूल करने के लिये वकील था दैन वसूल करलिया, औरत से निकाह करने के लिये वकील था और निकाह होगया।(बहर)

मसअ्ला.12:– दोनों में से कोई मरगया या उसको जुनूने मुतबक़ होगया वकालत बातिल होगई जुनूने मुतबक़ यह है कि मुसलसल एक माह तक रहे यूँहीं मुर्तद होकर दारुल हरब को चले जाने से भी वकालत बातिल होजाती है जब कि क़ाज़ी ने उसके दारुल'हरब चले जाने का एअ्लान करदिया हो फिर अगर मजनून ठीक होजाये या मुर्तद मुसलमान होकर'दारुल हरब से वापस आजाये तो वकालत वापस नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– राहिन ने किसी को मरहून शय की बैअ् का वकील किया था या खुद मुरतहिन को वकील किया था कि दैन की मीआद पूरी होने पर चीज़ को बेचदेना और राहिन मरगया उसके मरने से वकालत बातिल नहीं होगी यही हुक्म उसके मजनून होने या मआज़ल्लाह मुर्तद होजाने का है।

मसअ्ला.14:– अम्रबिलयद का वकील यानी उसके हाथ में मुआमला देदिया गया है और बैअ् बिल'वफ़ा का वकील यानी मदयून ने दाइन को अपनी कोई चीज़ देदी है कि उसको बेचकर अपना हक़ वसूल करलो उन दोनों सूरतों में भी मुविक्कल के मरने से वकालत बातिल नहीं होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– दो शख़्सों में शिरकत थी शरीकैन ने वकील किया था फिर उनमें जुदाई व तफ़रीक़ होगई यानी शिरकत तोड़दी वकालत बातिल होगई उस सूरत में वकील को मालूम होने की भी ज़रूरत नहीं कि यह अ़ज़्ल हुक्मी है अ़ज़्ल हुक्मी में मालूम होना शर्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुवक्किल मुकातब था वह बदले किताबत से आ़जिज़ होगया या मुवक्किल गुलाम माज़ून था उसके मौला ने महजूर करदिया यानी उसके तसर्रुफ़ात रोकदिये उन दोनों सूरतों में भी उनका वकील मअ्ज़ूल होजाता है और यह भी अ़ज़्ल हुक्मी है इल्म की शर्त नहीं मगर यह उसी वकील की मअ्ज़ूली है जो खुसूमत(मुक़द्दमा)या उ़क़ूद का वकील हो और अगर वह इसलिये वकील था कि दैन अदा करे या दैन वसूल करे या वदीअ़त पर क़ब्ज़ा करे वह मअ्ज़ूल नहीं होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– जिस काम के लिये वकील किया था मुवक्किल ने उसे खुद ही करडाला वकील मअ्ज़ूल होगया कि अब वह काम करना ही नहीं है। उससे मुराद वह तसर्रुफ़ है कि मुवक्किल के साथ वकील तसर्रुफ़ न कर सकता हो मस्लन गुलाम का आज़ाद करने या मुकातब करने का वकील था मौला ने खुद ही आज़ाद कर दिया या मुकातब करदिया किसी औरत से निकाह का वकील किया था उसने खुद ही निकाह करलिया या किसी चीज़ के ख़रीदने का वकील किया था उसने खुद ख़रीदली या ज़ौजा को तलाक़ देने का वकील किया था मुवक्किल ने खुद ही तीन तलाक़ें देदीं या एक ही तलाक़ दी और इद्दत पूरी होगई या खुलअ् का वकील था उसने खुद खुलअ् करलिया और अगर वकील भी तसर्रुफ़ कर सकता है आजिज़ नहीं है तो वकालत बातिल नहीं होगी मस्लन तलाक़ का वकील था मुवक्किल ने अभी एक ही तलाक़ दी है और इद्दत बाक़ी है वकील भी तलाक़ देसकता है या तलाक़ का वकील था शौहर ने खुलअ् किया इद्दत के दरम्यान वकील तलाक़ देसकता है। बैअ् का वकील था और मुवक्किल ने खुद बैअ् करदी मगर वह चीज़ मुवक्किल पर वापस हुई उस तरीक़े पर जो फ़स्ख़ है तो वकील अपनी वकालत पर बाक़ी है उस चीज़ को बैअ् करने का इख़्तियार रखता है और अगर ऐसे तौर पर चीज़ वापस हुई जो फ़स्ख़ नहीं है तो वकील को इख़्तियार न रहा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.18:– हिबा करने का वकील किया था और मुवक्किल ने खुद हिबा करदिया उसके बाद अपना हिबा वापस लेलिया वकील को हिबा करने का इख़्तियार नहीं है। बैअ् के लिये वकील किया था और मुवक्किल ने उस चीज़ को रहन रखदिया या उजरत पर देदिया वकील अपनी वकालत पर बाक़ी है। (बहर)

मसअ्ला.19:– मकान किराये पर देने के लिये वकील किया था और मुवक्किल ने खुद किराये पर देदिया फिर इजारा फ़स्ख़ होगया वकील की वकालत लौट आई। (बहर)

मसअ्ला.20:– मकान बैअ् करने के लिये वकील किया था और उसमें जदीद तअ्मीर की वकालत जाती रही यूँहीं ज़मीन बैअ् करने के लिये वकील किया था और उसमें पेड़ लगादिये। और अगर मुवक्किल ने उसमें ज़राअ़त की खेत को बोदिया तो वकील ज़मीन को बेच सकता है। (बहर)

मसअ्ला.21:– सत्तू ख़रीदने को कहा उसमें घी मल दिया गया या तिल ख़रीदने को कहा था पेलकर तेल निकाल लिया गया वकालत बातिल होगई और अगर उनकी मबीअ् का वकील था तो वकालत बाक़ी है। (बहरुर्राइकक)

मसअ्ला.22:– एक चीज़ की बैअ् का वकील किया था उसको खुद मुवक्किल ने बेचडाला उसकी इत्तिलाअ् वकील को नहीं हुई उसने भी एक शख़्स के हाथ बैअ् करदी और मुश्तरी से स्मन भी वसूल करलिया मगर उसके पास से ज़ाइअ् होगया और मबीअ् अभी मुश्तरी को दी नहीं थी कि हलाक होगई मुश्तरी वकील से स्मन वापस लेगा और वकील मुवक्किल से। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.23:– दैन वसूल करने के लिये वकील किया और यह भी कह दिया कि तुम जिसको चाहो वकील करदो वकील ने किसी को वकील किया वकीले अव्वल चाहे तो उसे माज़ूल भी करसकता है और अगर मुवक्किल ने यह कहा था कि फ़ुलाँ को वकील करलो और वकील ने उस को वकील मुक़र्रर किया अब उस को मअ्ज़ूल नहीं कर सकता और अगर मुवक्किल ने यह कहा था कि फ़ुलाँ को तुम चाहो तो वकील करलो अब उसे मअ्ज़ूल भी कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मदयून से कह दिया जो शख़्स तुम्हारे पास फ़ुलाँ निशानी के साथ आये तुम उसको देदेना या जो शख़्स तुम्हारी उंगली पकड़ले या जो शख़्स तुमसे यह बात कहदे उसको दैन अदा करदेना उन सब सूरतों में तौकील सहीह नहीं कि मजहूल को वकील बनाना है अगर मदयून ने उसे देदिया बरिउज़्ज़िम्मा नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

وَاللّٰہُ سُبْحَانہٗ و تعالی اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم

हिन्दी अनुवाद

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नियर दो मीनार मस्जिद, एजाज़नगर, पुराना शहर, बरेली यू0पी0

मो0:–09219132423